GSHINDI MONTHLY MAGAZINE APRIL 2017

Topic	Page
Geography	2-3
Polity	4-16
Economy	16-33
Social Issues	34-39
Social issues	39-53
Programme & Schemes	53-58
National Issues	58-84
Security issues	84-94
International Relation	94-108
Environment & Ecology	108-118
Governance/Ethics	118-119
Editorials	119-134
Miscellaneous	134-137

GENERAL STUDIES HINDI

Geography

1. एशिया की सबसे लंबी टनल "चिनैनी-नाशरी" राष्ट्र के लिए समर्पित

- एशिया की सबसे लंबी चिनैनी-नाशरी टनल उपयोग के लिए तैयार है। यह 2 अप्रैल को देश को समर्पित होगी.
- करीब नौ किलोमीटर लंबाई बाले इस टनल का निर्माण कार्य करीब साढ़े चार साल पहले शुरू हुआ था।
- इस पर तीन हजार दो सौ करोड़ रुपये खर्च आए हैं। अपनी तरह का यह पहला टनल है और इसके निर्माण में विश्व की अत्याधुनिक तकनीक का इस्तेमाल हुआ है।
- कुल 19 किलोमीटर टनल का निर्माण किया गया है। नौ किलोमीटर मुख्य टनल के साथ-साथ नौ किलोमीटर ही एस्केप टनल और एक किलोमीटर क्रास पैसेज शामिल है।
- इस टनल के खुलने से चिनैनी से नाशरी तक का रास्ता 31 किलोमीटर कम हो जाएगा।

टनल की विशेषता

1. टनल की कुल लंबाई नौ किलोमीटर है, जो कि एशिया में सबसे लंबा टनल है।
2. अगर कोई दुर्घटना होती है तो टनल के साथ एस्केप टनल बनाया गया है। इस टनल से ही यात्रियों को बाहर निकला जाएगा।
3. टनल में आयल टैंकर या फिर गैस टैंकर को चलने की इजाजत नहीं होगी।
4. टनल के बीच एसओएस बनाए गए हैं। इनमें कोई भी समस्या आने पर यात्री तुरंत यहां बटन दबाकर कंट्रोल रूम को सूचित कर सकता है।
5. टनल पूरी तरह से मानव रहित होगा और इसका पूरा संचालन कंट्रोल रूम से होगा।
6. पर्यावरण को विशेष ध्यान रखा गया है। टनल के बाहर केवल स्वच्छ हवा ही जाएगी ताकि पर्यावरण प्रदूषित न हो।
7. टनल के आने और जाने का एक ही रास्ता है।
8. बारह हजार टन स्टील और पैंसठ लाख सीमेंट की बोरियां इस्तेमाल हुई हैं।

2. गंगा नदी पर मल्टी-मोडल टर्मिनल

- मल्टी-मोडल टर्मिनल वाराणसी से हल्दिया तक, 1390 किलोमीटर लंबे राष्ट्रीय जलमार्ग (एनडब्ल्यू) -1 के विकास का एक महत्वपूर्ण घटक है।
- विश्व बैंक की तकनीकी और वित्तीय सहायता के साथ एनडब्ल्यू -1 को भारत के अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के जल मार्ग विकास परियोजना के तहत विकसित किया जा रहा है।
- साहिबगंज टर्मिनल एनडब्ल्यू -1 पर निर्मित हो रहे तीन बहु-मोडल टर्मिनलों में दूसरा टर्मिनल है।
- इससे पहले मई 2016 में, आईआरडब्ल्यूएआई को वाराणसी में एक बहु-मोडल टर्मिनल का निर्माण करने के लिए अनुबंध दिया गया था। तीसरे टर्मिनल का निर्माण पश्चिम बंगाल के हल्दिया में होगा। जल्द ही हल्दिया में काम शुरू होने की उम्मीद है। एनडब्ल्यू -1 पर बड़ी संख्या में कार्गो की आवाजाही और आवागमन को सुविधाजनक बनाने के लिए टर्मिनलों का निर्माण आवश्यक है।
- साहिबगंज में निर्मित होने वाले टर्मिनल का निर्माण कार्य 2019 में पूरा होगा, जिसके बाद इसकी कार्गो हैंडलिंग क्षमता 2.24 मिलियन टन प्रति वर्ष (एमटीपीए) प्रति वर्ष होगी। टर्मिनल के निर्माण का अनुबंध मैसर्स एलएंडटी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को 280 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर सौंपा गया है। इस टर्मिनल में दो जहाजों के लिए बर्थिंग स्पेस, भंडार, हॉपर के साथ कन्वेयर बेल्ट प्रणाली, बैज लोडर्स, सड़कें, रैंप, पार्किंग क्षेत्र और टर्मिनल भवन शामिल होंगें।

- साहिबगंज पर एक रोल-ऑन रोल-ऑफ (आरओ-आरओ) टर्मिनल, बिहार स्थित मनिहारी के साथ भी महत्वपूर्ण संपर्क स्थापित करेगा। साहिबगंज में करीब 100 ट्रकों ने पहले ही सुविधा का उपयोग शुरू कर दिया है। आरओ-आरओ सुविधा के माध्यम से गुजरने वाले ट्रकों के सड़क परिवहन में काफी समय, लागत और ईंधन की बचत होगी।

राष्ट्रीय जलमार्ग -1 (एनडब्ल्यू -1) उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल से गुजरने वाला एक राष्ट्रीय महत्व का जलमार्ग है। इससे गंगा बेसिन में स्थित हल्दिया, हावड़ा, कोलकाता, भागलपुर, पटना, गाजीपुर, वाराणसी, इलाहाबाद और इनके औद्योगिक क्षेत्रों के प्रमुख शहरों को लाभ मिलेगा। इस क्षेत्र में रेल और सड़क मार्ग काफी व्यस्त है। इसलिए, एनडब्ल्यू -1 का विकास परिवहन के एक वैकल्पिक, व्यवहारिक, आर्थिक, कुशल और पर्यावरण-अनुकूल तरीके प्रदान करेगा। नए व्यापार और रोजगार के अवसर पैदा कर क्षेत्र के सामाजिक-आर्थिक विकास में जलमार्ग उत्प्रेरक के रूप में कार्य करेगा।

3. **उत्तराखंड में जीएसआई को मिली सोने की खान**

- **भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जीएसआई)** के वैज्ञानिकों ने उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले के कुछ हिस्सों में सोना मिश्रित तांबा खनिजकरण की व्यापक पैमाने पर खोज की है।
- करेंट साइंस जनरल की रिपोर्ट के अनुसार, आधार शैल तथा झरनों के तलछट से क्रमश: 475 पीपीबी (पार्ट्स पर बिलियन) तथा 1.42 पीपीएम (पार्ट्स पर बिलियन) सोने के नमूने इकट्ठा किए गए हैं।
- उत्तराखंड का ये हिस्से **लेसर हिमालय** के नाम से जाने जाते हैं, जो उत्तर की तरफ से मेन सेंट्रल थ्रस्ट तथा दक्षिण की तरफ से नॉर्थ अल्मोड़ा थ्रस्ट के बीचोबीच स्थित हैं।

रुद्रप्रयाग में सोना पाए जाने की पहली घटना

- जीएसआई के वैज्ञानिकों ने उत्तराखंड के लामेरी-कोटेश्वर इलाके से 355 नमूने एकत्रित किए। सोना तथा आधार धातु का लखनऊ के जीएसआई के केमिकल डिवीजन में विश्लेषण किया गया।
- रिपोर्ट के मुताबिक, विभिन्न नमूनों के एक्स-रे अध्ययन में सोने के साथ-साथ चाल्कोपाइराइट, पाइराइट, स्फालेराइट तथा गैलेना होने के संकेत मिले। जिन इलाकों में सोना पाया गया है, वह रुद्रप्रयाग कस्बे के आसपास मंदाकिनी नदी घाटी में हैं।

भारत में अभी यहां से होता है सोने का उत्पादन :- जीएसआई के मुताबिक, मौजूदा वक्त में सोने का उत्पादन तीन खदानों - **कर्नाटक के हुत्ती, ऊटी तथा हिराबुद्दनी** में होता है।

- इसके अलावा, राजस्थान के खेतरी तथा झारखंड के मोसाबनी, सिंहभूम तथा कुंद्रेकोचा में धातु सल्फाइड से उपोत्पाद (बाई-प्रोडक्ट) के रूप में सोने का उत्पादन होता है।

GENERAL STUDIES HINDI

4. अर्बन हीट आइलैंड

साल दर साल गर्मी बढ़ रही है और सर्दी घट रही है। इसके लिए अर्बन हीट आइलैंड एक बड़ी वजह है। इसका मतलब है कि बढ़ते शहरीकरण से जुड़ी गतिविधियां। आबादी के बढ़ते दबाव में यहां हरित क्षेत्र कम होता जा रहा है, जबकि कंक्रीट का जंगल बढ़ता जा रहा है।

हरित क्षेत्र कम होने से शहरों में प्रकृति का संतुलन गड़बड़ा रहा है।

- उदहारण के लिए एनसीआर में वाहनों की संख्या बढ़ती जा रही है। वाहनों से निकलने वाला धुआं भी वायु को दूषित ही नहीं करता बल्कि उसे गर्म भी करता है।
- दिल्ली-एनसीआर में लगातार बढ़ रही गर्मी के लिए ग्लोबल वार्मिंग तो उत्तरदायी है ही, बदलता भू उपयोग (हरित क्षेत्र में निर्माण कार्य को बढ़ावा देना) भी एक बड़ी वजह है इसके अलावा वाहनों की बढ़ती संख्या और इनका धुआं भी हवा को गर्मी प्रदान कर रहा है।
- डीजल से चलने वाले जनरेटर और एयर कंडीशनर से निकलने वाली गर्म हवा भी वातावरण में गर्मी बढ़ा रही है।

- इसके लिए हरित क्षेत्र को बढ़ावा देने के साथ ही बिल्डिंग निर्माण पर अंकुश लगाना होगा।

**

Polity

1.मेंटल हेल्थकयर बिल पारित : अब आत्महत्या अपराध नहीं बीमारी है

- अत्यंत तनाव में आत्महत्या करने के प्रयास को अपराध की श्रेणी से बाहर करने वाले और मानसिक रोगों के उपचार को 'संस्थागत' के बजाय 'मरीज और समुदाय' केंद्रित बनाने के प्रावधान वाले विधेयक को संसद ने मंजूरी दे दी। लोकसभा ने मानसिक स्वास्थ्य देख-रेख विधेयक, 2016 को मंजूरी दे दी जिसे राज्यसभा 8 अगस्त 2016 को पहले ही स्वीकृति दे चुकी है।

क्या कहता है मेंटल हेल्थ केयर बिल

- मानसिक हेल्थकेयर विधेयक सुनिश्चित करता है कि हर व्यक्ति को सरकार द्वारा वित्त पोषित या वित्त पोषित स्वास्थ्य सेवाओं से मानसिक स्वास्थ्य देखभाल और उपचार का उपयोग करने का अधिकार है। बिल मानसिक रूप से बीमार व्यक्तियों के लिए नि: शुल्क उपचार का आश्वासन देता है कि अगर वे बेघर या गरीब हैं, भले ही उनके पास गरीबी-रेखा के नीचे का एक कार्ड न हो।
- "यह बिल राज्य को मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम बनाने के लिए मजबूर करता है और यह व्यक्ति को शक्ति देता है," उन्होंने कहा कि बिल में सेवा उपयोगकर्ताओं की भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से "रोगी-केंद्रित" दृष्टिकोण है।
- विधेयक में यह भी बताया गया है कि मानसिक बीमारी वाले व्यक्ति को एक तरह से एक मानसिक बीमारी के लिए जिस तरह से देखभाल और इलाज किया जाना है, उसे निर्दिष्ट करने में एक अग्रिम निर्देश बनाने का अधिकार होगा।
- मानसिक हेल्थकेयर विधेयक उन देखभालकर्ताओं की भूमिका को स्वीकार करता है, जिन्हें मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति, केंद्रीय मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण और राज्य मानसिक स्वास्थ्य अधिकारियों या मानसिक स्वास्थ्य समीक्षा बोर्डों के सदस्यों के नामित प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया जा सकता है।
- आत्महत्या का खंडन करने वाली धाराओं में, बिल में कहा गया है कि जो व्यक्ति आत्महत्या करने का प्रयास करता है, उसे गंभीर तनाव होने के लिए अनुमान लगाया जाना चाहिए, और उसे दंडित नहीं किया जाना चाहिए। जे पी नड्डा ने कहा, "आत्महत्या एक मानसिक बीमारी है, यह एक आपराधिक कृत्य नहीं होगा, यह दोषमुक्त होगा। यह गंभीर मानसिक तनाव के तहत किया जाता है," जे पी नड्डा ने कहा।
- मानसिक हेल्थकेयर विधेयक मानसिक रूप से बीमार लोगों को मानसिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य देखभाल, उपचार और शारीरिक स्वास्थ्य देखभाल के संबंध में गोपनीयता का अधिकार प्रदान करता है। व्यक्तियों से संबंधित फोटो या किसी भी अन्य जानकारी को मानसिक बीमारी वाले व्यक्ति की सहमति के बिना मीडिया को नहीं छोड़ा जा सकता है।
- सरकार राष्ट्रीय स्तर पर एक केंद्रीय मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण स्थापित करेगी और हर राज्य में एक मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण स्थापित करेगी। मनोवैज्ञानिक, मानसिक स्वास्थ्य नर्सों और मानसिक स्वास्थ्यकर्मियों सहित हर मानसिक स्वास्थ्य संस्थान और मानसिक स्वास्थ्य चिकित्सकों को इस प्राधिकरण के साथ पंजीकृत होना होगा।
- मानसिक बीमारी के साथ व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा के लिए और अग्रिम निर्देशों का प्रबंधन करने के लिए एक मानसिक स्वास्थ्य समीक्षा बोर्ड का गठन किया जाएगा।

GENERAL STUDIES HINDI

- मानसिक हेल्थकेयर विधेयक के तहत, प्रावधानों का उल्लंघन करने की सजा छह महीने तक जेल में या 10,000 रुपये या दोनों के लिए आकर्षित होगी। ऐसा दोबारा करने पर अपराधियों को दो साल तक जेल या 50,000 रुपये से 5 लाख रुपये का जुर्माना या दोनों ही हो सकते हैं।

**

2. पंचायती राज से विकास लक्ष्य को हासिल करने के लिए

पंचायती राज व्यवस्था स्थानीय स्वशासन का एक विशिष्ट स्वरूप है। हमारे यहां पंच-परमेश्वर की अवधारणा रही है और हमारी संस्कृति में इसकी जड़ें काफी गहरी हैं। औपनिवेशिक शासन ने हालांकि इस पर भी प्रतिकूल प्रभाव डाला। लेकिन स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद संविधान (73वां संशोधन) अधिनियम 1992 के लागू होने से ग्रामीण क्षेत्रों में तेजी से सामाजिक-आर्थिक विकास की जमीन तैयार हुई। 24 अप्रैल को यह ऐतिहासिक संविधान संशोधन लागू हुआ था, उसी के उपलक्ष्य में यह दिन राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है, ताकि सहभागी स्थानीय स्वशासन के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को मजबूती दी जा सके।

Contributions of PRI

Ø सरकार की सकारात्मक सोच और पहल के नतीजों को आज हम ऐसी पंचायतों की बढ़ती हुई संख्या के रूप में देख रहे हैं, जो जल संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण, ई-सक्षमता, डिजिटल साक्षरता, सुरक्षित पेयजल, स्वच्छता, अन्य नागरिक सुविधाओं, महिला सशक्तीकरण और सामाजिक न्याय जैसे विभिन्न क्षेत्रों में कार्य कर जन-कल्याण हेतु अपना योगदान दे रही हैं।

Ø प्रभावी काम-काज के लिए पंचायतों के बीच जागरूकता पैदा करने और उनके क्षमता-निर्माण पर ध्यान केंद्रित किया गया है। शैक्षणिक संस्थानों व अन्य हितधारकों के साथ साझेदारी में पंचायत स्तर पर निर्वाचित प्रतिनिधियों और सरकारी कर्मचारियों को उन्मुख करने के लिए माड्यूल और तंत्र में गुणात्मक सुधार की प्रक्रिया शुरू की गई है, ताकि उन्हें अच्छे प्रशासन के प्रति सक्षम बनाया जा सके। इसे और व्यापक रूप देने और परिणाम मूलक बनाने के लिए आठ राज्यों के करीब एक हजार सरपंचों और पंचायत सचिवों के साथ हाल ही में एक अभिनव क्षमता निर्माण कार्यक्रम किया गया, जिसके आशातीत नतीजे दिखाई दिए हैं। बड़ी संख्या में जन-प्रतिनिधियों व पंचायत स्तरीय अधिकारियों तक पहुंच बढ़ाने के लिए नई तकनीक की सहायता ली जा रही है।

पंचायतीराज संस्थाओं को मजबूत बनाने के लिए सरकार की योजनायें -

Ø सोशल मीडिया पर सूचनाओं के तेज प्रसार के लिए तत्काल मैसेजिंग एप्स के जरिये पंचायत प्रतिनिधियों को जानकारी देने की योजना है। यह ग्रामीण इलाकों में हो रहे महत्वपूर्ण बदलावों के बारे में पंचायत प्रतिनिधियों को ही नहीं, समाज के सभी वर्गों और क्षेत्रों को भी सटीक जानकारी उपलब्ध कराने का साधन बन सकेगा।

GENERAL STUDIES HINDI

Ø जागरूकता सृजन कार्य के विस्तार के लिए शुरू की जा रही पत्रिका की सामग्री क्यूआर कोड के जरिये किसी भी मोबाइल फोन पर देखी जा सकेगी।

Ø पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) के बीच प्रतिस्पद्र्धा और नवाचारों को प्रोत्साहन देने के लिए अच्छा प्रदर्शन करने वाली पंचायतों को पुरस्कृत और सम्मानित करने की भी कई योजनाएं बनाई गई हैं। पीआरआई की ई-सक्षमता को प्रोत्साहित करने का परिणाम यह हुआ है कि अब राज्यों के बीच इस पुरस्कार के लिए परस्पर प्रतिस्पद्र्धा देखी जा रही है। स्वाभाविक रूप से इसके परिणाम भी अनुकूल होंगे।

Ø ग्राम पंचायत विकास योजनाओं (जीपीडीपी) की तैयारी और क्रियान्वयन पर भी ध्यान केंद्रित किया गया है।

Ø ग्राम पंचायत के प्रतिनिधियों को व्यापक प्रशिक्षण देकर उन्हें स्थानीय विकास एजेंडे की ऐसी योजनाएं बनाने में सक्षम किया गया है।

Ø 14वें वित्त आयोग के अनुदान अब सीधे ग्राम पंचायतों को जारी किए जा रहे हैं। अब इस अनुदान के तहत संसाधन आवंटन को 13वें वित्त आयोग की अपेक्षा तीन गुना ज्यादा कर दिया गया है।
पंचायतों को सशक्त बनाने की कोशिश में प्रौद्योगिकी के अधिकतम इस्तेमाल, और उनमें जागरूकता पैदा करने व ग्रामोदय के संदर्भ में प्रधानमंत्री के आह्वान का खासा असर पड़ा है। अगर विगत वर्षों में ग्रामीण स्थानीय प्रशासन में कोई सार्थक बदलाव नहीं हुआ, तो अब यह मान लेना चाहिए कि ऐसे विकास के लिए प्रयोजन की स्पष्टता के साथ ईमानदार प्रतिबद्धता की भी जरूरत पड़ती है। सकारात्मक नतीजों के साथ ग्रामीण भारत को नया भारत बनते देखना तभी संभव है।

3. **लोकपाल कानून लागू करने में देरी की कोई वजह नहीं है : सुप्रीम कोर्ट**

- सुप्रीम कोर्ट ने जल्द से जल्द 'लोकपाल' को नियुक्त करने का समर्थन किया है. गुरुवार को शीर्ष अदालत ने कहा, 'लोकपाल कानून काम करने लायक है और ऐसी कोई वजह नहीं कि केंद्र सरकार इसे लागू करने में देरी करे.
- गैर-सरकारी संगठन कॉमन कॉज की तीन साल पुरानी जनहित याचिका पर फैसला सुनाते हुए शीर्ष अदालत ने कहा कि लोकपाल नियुक्त करने के लिए इसके कानून में संशोधन का इंतजार करने की जरूरत ही नहीं है. इस याचिका में सरकार पर लोकपाल नियुक्त करने में जानबूझकर देरी करने का आरोप लगाया गया था. अदालत ने इस मामले में 28 मार्च को फैसला सुरक्षित रख लिया था.
- इस मामले में अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने दलील दी थी कि लोकपाल कानून के तहत नेता प्रतिपक्ष की परिभाषा में संशोधन विधेयक संसद में लंबित है, इस वजह से नियुक्ति में देरी हो रही है. उन्होंने यह भी कहा था कि न्यायपालिका, विधायिका को कानून बनाने के लिए निर्देशित नहीं कर सकती है. लोकपाल कानून के तहत लोकपाल चयन समिति में लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष को शामिल किया गया है. लेकिन, 2014 के लोकसभा चुनाव में सबसे बड़े विपक्षी दल कांग्रेस को पर्याप्त सीटें नहीं मिल पाई थीं. इसके आधार पर उसके नेता को नेता प्रतिपक्ष का दर्जा नहीं मिला. इसके चलते चयन समिति का गठन नहीं हो पा रहा है.
- लोकपाल और लोकायुक्त विधेयक संसद से 2013 में पारित हुआ था और 2014 में प्रभाव में आ गया था. लेकिन, लोकपाल अब तक नियुक्त नहीं हो पाया है.

4. ईवीएम को पेपर ऑडिट ट्रेल से लैस करना क्यों जरुरी ?

इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (ईवीएम) के खिलाफ अतिवादी और अतार्किक शिकायतों का अंबार लग गया है. शायद यही वजह थी कि चुनाव आयोग के पास इसके अलावा कोई चारा नहीं बचा कि वह पेपर ऑडिट ट्रेल के जरिये इन मशीनों के ठीक से काम करने की पुष्टि का इंतजाम करे| चुनाव आयोग के लिए उत्तर प्रदेश और पंजाब में हार का सामना करने वाली बसपा और आप की शिकायतों को खारिज करना मुमकिन था. लेकिन साफ है कि इस सूची में जुड़ती बाकी पार्टियों के शोर के चलते उसके लिए ऐसा करना मुश्किल होता गया. इनमें से कुछ पार्टियां तो बैलट पेपर वाली पुरानी व्यवस्था की ही मांग कर रही हैं.

- कानून मंत्रालय से 2019 के लोकसभा चुनाव के लिए वोटर वेरीफाएबल पेपर ऑडिट ट्रेल (वीवीपीएटी) के लिए फंड जारी करने के आयोग अनुरोध को इसी संदर्भ में देखा जाना चाहिए. तब करीब 16 लाख वीवीपीएटी मशीनों की जरूरत होगी और 2019 के चुनाव के लिए समय रहते यह काम हो जाए इसके लिए फौरन फंड जारी करना होगा.

EVM मशीन की विश्वसनीयता कैसे -

चुनाव आयोग ने वोटरों को बार-बार आश्वस्त किया है कि इस तरह के पर्याप्त प्रक्रियागत और तकनीकी उपाय हैं जिनसे यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि ईवीएम्स में धांधली न हो|

GENERAL STUDIES HINDI

- 2006 के बाद से चुनावों में अपग्रेडेड ईवीएम का इस्तेमाल हो रहा है. इनमें बैलेट यूनिट के अहम कोडों की डायनेमिक कोडिंग और कंट्रोल यूनिट में उनके ट्रांसफर को एनक्रिप्टेड मैसेज यानी कूट संदेश में भेजे जाने जैसे कई सुरक्षा फीचर हैं|
- ईवीएम कंप्यूटर से जुड़ी इकाई नहीं होती यानी उसे किसी रिमोट डिवाइस से हैक नहीं किया जा सकता|
- 2013 के बाद आई मशीनों में तो टैंपर डिटेक्शन यानी छेड़छाड़ का पता लगाने वाले जैसे अतिरिक्त सुरक्षा फीचर भी मौजूद हैं.
- इसके अलावा चुनाव आयोग ने चुनाव से पहले और इसके बाद ईवीएम्स को लॉक करने और उन्हें रखने के बारे में भी स्पष्ट नियम बना रखे हैं
- समय-समय पर उन्हें राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधियों के सामने जांचा भी जाता है. इस पूरी प्रक्रिया में वीवीपीएटी मशीन को जोड़ने का मकसद यह है कि पेपर ऑडिट के जरिये भी नतीजों की पुष्टि हो सके. यानी यह देश में निर्मित (ईवीएम का सिर्फ माइक्रोचिप ही देश से बाहर बनता है) इन मशीनों में जवाबदेही की एक और परत के जुड़ने जैसा है.

निष्कर्ष :

ईवीएम के आने के बाद से चुनावी धोखाधड़ी में भारी कमी आई है और वोटरों की भागीदारी बढ़ी है. बैलट पेपर वाली व्यवस्था की तरफ जाना पीछे लौटने जैसा होगा इसलिए राजनीतिक पार्टियों के विरोध को देखते हुए एकमात्र विकल्प यह है कि पेपर ट्रेल के तौर पर एक बैक-अप रखा जाए. उम्मीद है इससे यह विवाद शांत हो जाएगा.

ईवीएम की पृष्ठभूमि

मतपत्रों के उपयोग से जुड़ी कुछ विशेष समस्याओं से निजात पाने और प्रौद्योगिकी के विकास से लाभ उठाने के उद्देश्य से आयोग ने दिसंबर, 1977 में ईवीएम का विचार सामने रखा था, ताकि मतदाता बगैर किसी संशय के सही ढंग से अपने वोट डाल सकें और अवैध वोटों की संभावनाओं को पूरी तरह से खत्म किया जा सके। संसद द्वारा दिसंबर 1988 में इस कानून को संशोधित किया गया था और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 में एक नई धारा 61ए को जोड़ा गया था जिसके तहत वोटिंग मशीनों के उपयोग के लिए आयोग को अधिकार दिया गया था। संशोधित प्रावधान 15 मार्च, 1989 से प्रभावी हुआ।

केन्द्र सरकार ने जनवरी 1990 में चुनाव सुधार समिति का गठन किया था जिसमें अनेक मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय दलों के प्रतिनिधि शामिल थे। चुनाव सुधार समिति ने बाद में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (ईवीएम) का आकलन करने के उद्देश्य से एक तकनीकी विशेषज्ञ समिति का गठन किया। समिति ने यह निष्कर्ष निकाला कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन एक सुरक्षित प्रणाली है। अत: विशेषज्ञ समिति ने और समय बर्बाद किये बगैर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों का उपयोग किये जाने के बारे में अप्रैल 1990 में सर्वसम्मति से सिफारिश की।

वर्ष 2000 के बाद ईवीएम का उपयोग राज्य विधानसभाओं के लिए हुए 107 चुनावों और वर्ष 2004, 2009 और 2014 में लोकसभा के लिए हुए 3 चुनावों में किया जा चुका है

5. **बच्चों के मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा (संशोधन) का अधिकार विधेयक 2017 संसद में पेश**

- "बच्चों के मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा (संशोधन) का अधिकार विधेयक 2017" पेश किया।
- राज्य सरकारें सेवारत अप्रशिक्षित शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण प्रक्रिया जारी रखने में समर्थ नहीं हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए यह विधेयक लाया गया है।
- यह विधेयक प्राथमिक शिक्षकों को अनिवार्य न्यूनतम योग्यता हासिल करने के लिए 2019 तक का समय देने के लिए पेश किया गया है।

GENERAL STUDIES HINDI

- एक अप्रैल 2010 से लागू मौजूदा कानून के तहत इन शिक्षकों के लिए 31 मार्च 2015 से पांच वर्षों के भीतर न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता हासिल करना अनिवार्य है।
- विधेयक के विषय की व्याख्या और कारण में इसे स्पष्ट किया गया है। इसमें कहा गया है कि राज्य सरकारों ने अप्रशिक्षित शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए समय बढ़ाने का आग्रह किया है। समय बढ़ाने से प्रशिक्षण प्रक्रिया शुरू की जा सकेगी।

- अधिनियम में एक नया प्रावधान जोड़ा गया है। प्रावधान में छह से 14 वर्ष तक बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा मुहैया कराने की व्यवस्था है।
- नए प्रावधान के तहत 31 मार्च 2015 नियुक्त या नियुक्ति की प्रक्रिया में शामिल हर शिक्षक जिनके पास न्यूनतम योग्यता नहीं है वे योग्यता हासिल करेंगे। ऐसे शिक्षकों को प्रस्तावित कानून लागू होने की तारीख से चार वर्ष के भीतर न्यूनतम योग्यता हासिल करना होगा।
- प्रशिक्षण पर खर्च सर्व शिक्षा अभियान के तहत स्वीकृत आवंटन से होगा। इस राशि में केंद्र के साथ संबंधित राज्य हिस्सेदार होंगे।

**

6. नया संसोधित मोटर व्हीकल बिल

★ सरकार ने यातायात नियमों के उल्लंघन पर बढ़े जुर्माने व सजा के साथ हादसा पीड़ितों को त्वरित मुआवजे तथा डीएल व आरसी को आधार से लिंक करने के प्रावधानों वाला संशोधित मोटर वाहन संशोधन विधेयक 2016 लोकसभा में पेश कर दिया।

★ विधेयक से परिवहन क्षेत्र में बहुप्रतीक्षित सुधार को गति मिलेगी। इसमें थर्ड पार्टी बीमा तथा टैक्सी एग्रीगेटर्स के मुद्दों का समाधान करने की कोशिश भी की गई है।

★'बिल में ड्राइविंग लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के आवेदन के साथ आधार नंबर देना अनिवार्य किया है।

★लर्निंग लाइसेंस के लिए अब आरटीओ के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि यह आनलाइन ही मिल जाएगा। इसमें आटोमेटेड इंटलीजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम का प्रस्ताव किया गया है, जिससे उल्लंघन पर कोई बच नहीं पाएगा।

★तीन दिन में ड्राइविंग लाइसेंस इश्यू न होने पर आरटीओ के खिलाफ कार्रवाई होगी। 'पुलिस रोके और कागजात मांगे तो आप मोबाइल पर आनलाइन दिखा सकेंगे।'

★ मोटर वाहन कानून 1988 में संशोधन का बिल इससे पहले पिछले साल 9 अगस्त को संसद में पेश किया गया था।

★लेकिन तब विपक्ष के दबाव में इसे मुकल राय की अध्यक्षता वाली संसद की परिवहन, पर्यटन व संस्कृति संबंधी स्थायी समिति के हवाले कर दिया गया था।

★ बिल की खास बातें ♂ बिल में संसदीय समिति के सुझाए गए 16 संशोधनों को शामिल कर लिया गया है।
-रद सुझावों में वाहन रजिस्ट्रेशन तथा निरीक्षण केवल आरटीओ द्वारा करने तथा मुआवजे की राशि तय न करने के सुझाव शामिल हैं।
-वाहन डीलर को वाहन नंबर अलाट करने तथा आल इंडिया इलेक्ट्रानिक रजिस्टर 'वाहन' के जरिए इसका रजिस्ट्रेशन करने का अधिकार मिलेगा।
-त्रुटिपूर्ण वाहनों को वापस लेने (रीकॉल), दुर्घटनाग्रस्त लोगों के मददगार नागरिकों को कानूनी सुरक्षा प्रदान करने, यातायात नियम उल्लंघनकर्ताओं के लिए कड़े जुर्माने तथा सजा।
-खराब सड़क के कारण दुर्घटना होने पर कांट्रैक्टर पर जुर्माना
-थर्ड पार्टी इंश्योरेंस दावों में ड्राइवर को भी मुआवजा
-चार महीने में पांच लाख रुपये का मुआवजा। अधिकतम मुआवजा दस गुना बढ़ा।

- शराब पीकर गाड़ी चलाने, ओवरलोडिंग, सीट बेल्ट न पहनने, हेल्मेट न लगाने, रेड लाइट जंप करने, निर्धारित सीमा से अधिक रफ्तार, हिट एंड रन, नाबालिग के गाड़ी चलाने पर ज्यादा जुर्माना।
-परिवहन विभाग, आरटीओ व ट्रैफिक पुलिस में भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने तथा वाहन स्वामियों व चालकों को उत्पीड़न से बचाने के लिए लाइसेंस, सर्टिफिकेट व परमिट की आनलाइन प्रक्रियाएं।
-हिट एंड रन मामलों में भी मुआवजे की रकम आठ गुना बढ़कर दो लाख रुपये।

7.नेशनल वाटरवेज बिल

★उद्देश्य :-

1.देश के भीतर वाटरवेज का तेजी से विकास करना।
2. मौजूदा नेशनल वाटरवेज और देश में कुछ दूसरे इनलैंड वाटरवेज को नेशनल वाटरवेज घोषित करने के लिए प्रावधान है।
3. शिपिंग और नेवीगेशन के लिए इन वाटरवेज को विकसित करने और इनके रेगुलेशन की भी व्यवस्था।
★ देश में 111 नदियों को वाटरवेज में विकसित करने की योजना है। प्रमुख बंदरगाहों पर स्मार्ट सिटी भी विकसित किए जाएंगे।
★ गंगा नदी में हल्दिया-वाराणसी के बीच 1620 किलोमीटर लंबा जलमार्ग विकसित किया जा रहा है। इस पर 4000 करोड़ रुपये का खर्च आएगा।
★ 13 पावर प्रोजेक्टों को कोयला का परिवहन इसके जरिये हो। जलयानों के आने-जाने का समय घटाने के भी प्रयास हो रहे हैं।
★तटीय क्षेत्रों के 13 राज्यों में विकास को प्राथमिकता दी जा रही है।
★जहां दस लाख मछुआरों को इसका फायदा मिलेगा।
★ हाईवेज के साथ शिपिंग सेक्टर का विकास होने से देश के सकल घरेलू उत्पादन को कम से कम दो फीसदा का योगदान मिलेगा।
★अगले पांच साल में शिपिंग और पोर्ट सेक्टर में एक करोड़ रोजगार पैदा होंगे। सरकार इस सेक्टर को उच्च प्राथमिकता दे रही है।
**

8. रेल किराया-भाड़े और रेल सेवाओं की गुणवत्ता हेतु 'रेल विकास प्राधिकरण' के गठन को मंजूरी

- केंद्र सरकार ने रेल विकास प्राधिकरण (आरडीए) के गठन को मंजूरी दे दी है। आरडीए रेल किराया-भाड़े के अलावा रेल सेवाओं की गुणवत्ता का मानक तय करेगा।
- इसके साथ ही आरडीए रेलवे तथा ग्राहकों बीच कीमत व प्रतिस्पर्द्धा संबंधी मसलों का भी समाधान करेगा। सिफारिश करने वाला निकाय होने के कारण इसकी सिफारिशें मानने के लिए रेलवे बाध्य नहीं होगा।
- आरडीए एक **स्वतंत्र नियामक** होगा जिसमें **अध्यक्ष के अलावा तीन अलग-अलग क्षेत्रों के तीन विशेषज्ञ सदस्य** के रूप में लिए जाएंगे।
- इनका **कार्यकाल पांच साल का** होगा।
- अध्यक्ष की नियुक्ति निजी क्षेत्र से भी की जा सकती है, जिसका चयन कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता वाली समिति करेगी। इसका गठन 50 करोड़ रुपये के कोष के साथ होगा।

रेल डेवलपमेंट अथॉरिटी के जिम्मे रहेंगे ये प्रमुख कार्य

- किराया/टैरिफ तय करना
- निवेश के समान अवसर उपलब्ध कराना
- रेलवे की क्षमता तथा प्रदर्शन में सुधार करना
- सूचना का प्रचार-प्रसार करना

**

9. बनेगा नया पिछड़ा आयोग, संसद के पास होगा आरक्षण देने का अधिकार

- केंद्र सरकार ने पिछड़ेपन के आधार पर आरक्षण की बढ़ती मांग को देखते हुए नया आयोग बनाने का फैसला किया है। नया आयोग वर्तमान में मौजूद राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग की जगह लेगा। **इसे संवैधानिक दर्जा भी दिया जाएगा। वर्तमान में मौजूद ओबीसी आयोग का संवैधानिक दर्जा नहीं** है।
- नए आयोग का नाम **नेशनल कमीशन फॉर सोशल एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेज (एनएसईबीसी)** रखा जाएगा। इस आयोग की सिफारिश के बाद संसद पिछड़ा वर्ग में नई जातियों के नाम जोड़े जाने या हटाए जाने पर फैसला करेगी। इस आयोग के गठन के लिए संविधान संशोधन प्रस्ताव पेश किया जाएगा।

- वर्तमान में ओबीसी सूची में जातियों के नाम जोड़ने या हटाने का **काम सरकार के स्तर पर होता** है। नया आयोग सामाजिक और शैक्षणिक आधार पर **पिछड़ों को परिभाषित** करेगा।
- देश के अलग-अलग राज्यों में कई जातियां आरक्षण की मांग कर रही है। हरियाणा में जाट आंदोलन नए आयोग का गठित किए जाने के फैसले के पीछे बड़ी वजह बताई जा रही है।
- सरकार ने नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास एक्ट 1993 को रद्द करने का फैसला किया गया है। इसके रद्द होने से वर्तमान में मौजूद ओबीसी आयोग भंग हो जाएगा। इसकी जगह **संविधान संशोधन कर अनुच्छेद 338बी को जोड़ा जाएगा**।

नए आयोग का स्वरुप :-

- इस आयोग में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और तीन सदस्य होंगे। विभिन्न वर्गों की ओर से पिछड़े वर्ग में शामिल किए जाने की मांग पर भी विचार यही करेगा। साथ ही पिछड़ा वर्ग की सूची में किसी खास वर्ग के ज्यादा प्रतिनिधित्व या कम प्रतिनिधित्व पर भी यही सुनवाई करेगा।
- पिछड़ा वर्ग की केंद्रीय सूची में किसी भी वर्ग को जोड़ने या हटाने के लिए संसद की स्वीकृति लेने संबंधी अनुच्छेद 342ए जोड़ा जाएगा। यह भी तय किया गया है कि आयोग की सिफारिश सामान्य तौर पर सरकार को माननी ही होगी।

इसलिए नया आयोग बनाने का फैसला

--अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय आयोग और अनुसूचित जनजाति के लिए राष्ट्रीय आयोग की तर्ज पर पिछड़ा वर्ग के लिए राष्ट्रीय आयोग बनाने की मांग की जा रही थी। इसे ओबीसी की शिकायतें सुनने के लिए संवैधानिक दर्जा दिया जाए।

क्या है मौजूदा पिछड़ा वर्ग आयोग

GENERAL STUDIES HINDI

-- राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 1993 में बना था।
-- यह वैधानिक संस्था है। इसके तहत सरकार के स्तर पर ही फैसले होते हैं।
--आयोग का एक अध्यक्ष होता है और चार अन्य सदस्य होते हैं।
--यह कानून एक फरवरी, 1993 से जम्मू-कश्मीर छोड़कर पूरे भारत में लागू है।
--इसका काम किसी वर्ग को पिछड़ों की सूची में शामिल किए जाने के अनुरोधों की जांच करना है।
--आयोग केंद्र सरकार को ऐसे सुझाव देता है, जो उसे उचित लगता है।
--यह किसी व्यक्ति को समन करने और हाजिर कराने का अधिकार रखता है।
--आयोग किसी भी दस्तावेज को प्रस्तुत करने को भी कह सकता है।

ईसीआई द्वारा उपयोग की गयी ईवीएम में तकनीकी सुरक्षा

- इस मशीन में छेड़छाड़/फेरबदल की रोकथाम सुनिश्चित करने के लिए इसे इलेक्ट्रॉनिक तरीके से सुरक्षित बनाया गया है। इन मशीनों में उपयोग किये गये प्रोग्राम (सॉफ्टवेयर) को तप्त करके वन टाइम प्रोग्राम/मास्क्ड चिप का रूप दे दिया जाता है, ताकि इसमें किसी भी तरह का फेरबदल अथवा

छेड़छाड़ कतई संभव न हो सके। इसके अलावा, इन मशीनों की न तो किसी वायर के जरिये अथवा वायरलेस ढंग से ही किसी अन्य मशीन या प्रणाली से नेटवर्किंग की जाती है। अत: इसके डेटा में फेरबदल की कोई भी संभावना नहीं रहती है।

- ईवीएम के सॉफ्टेवयर को बीईएल (रक्षा मंत्रालय का पीएसयू) और ईसीआईएल (परमाणु ऊर्जा मंत्रालय का पीएसयू) के इंजीनियरों के एक चुनिंदा समूह द्वारा एक-दूसरे से बिल्कुल अलग इन-हाउस विकसित किया जाता है। दो-तीन इंजीनियरों का एक चुनिंदा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट समूह सोर्स कोड की डिजाइनिंग करता है तथा इस कार्य के लिए किसी और से अनुबंध नहीं किया जाता है।
- सॉफ्टवेयर की डिजाइनिंग का काम पूरा हो जाने के बाद सॉफ्टवेयर का परीक्षण एवं आकलन सॉफ्टवेयर आवश्यकता विनिर्देशों (एसआरएस) के अनुसार एक स्वतंत्र परीक्षण समूह द्वारा किया जाता है। इससे यह सुनिश्चित हो जाता है कि वास्तव में केवल निर्धारित उपयोग के लिए ही तय की गयी आवश्यकताओं के अनुरूप इस सॉफ्टेवयर को लिखा गया है।
- ईवीएम के सोर्स कोर्ड को हमेशा नियंत्रित स्थितियों में स्टोर करके रखा जाता है। इसकी निगरानी एवं नियंत्रण की पूरी व्यवस्था की जाती है, ताकि केवल अधिकृत अधिकारीगण ही इस कोड तक पहुंच सकें।
- वर्ष 2006 में कुछ अतिरिक्त खूबियां ईसीआई-ईवीएम में डाली गयीं जैसे कि **बैलट यूनिट (बीयू) और कंट्रोल यूनिट (सीयू)** के बीच गतिशील कोडिंग, रीयल टाइम घड़ी लगाना, पूर्ण डिस्प्ले सिस्टम लगाना और ईवीएम में हर बार बटन को दबाने पर तारीख और समय का अंकित होना।

8. 40 फीसदी से ज्यादा RTI आवेदन बिना कोई वजह बताए रद्द किए गए : रिपोर्ट

सूचना का अधिकार कानून (आरटीआई) के तहत रहस्यमयी कारणों से रद्द होने वाले आवेदनों की संख्या काफी ज्यादा है केंद्रीय सूचना आयोग की सालाना रिपोर्ट के मुताबिक:

- 2015-16 में 9.76 लाख सूचना आवेदन आए, इनमें से अधिकारियों ने 6.62 फीसदी आवेदनों को रद्द कर दिया.
- इससे पहले 2014-2015 में 7.55 लाख आवेदन आए थे और 8.39 फीसदी आवेदन रद्द हुए थे. दो साल पहले के मुकाबले पिछले साल रद्द आवेदनों का प्रतिशत घटने के बावजूद 20 प्रतिशत ज्यादा आवेदन जमा किए थे.
- पिछले साल रद्द आवेदनों में ज्यादातर को सूचना कानून में दर्ज आधारों के बजाए 'अन्य' जैसी रहस्यमयी वजह देकर खारिज किया गया है. इस 'अन्य' वर्ग के तहत रद्द आवेदनों की संख्या 43 फीसदी है. वहीं, आरटीआई कानून की धारा आठ के तहत 47 फीसदी आवेदन रद्द हुए हैं. इसके अलावा एक फीसदी आवेदनों को निजी कॉपीराइट के तहत, जबकि सात फीसदी आवेदनों को सुरक्षा संस्थानों ने रद्द किया है.
- केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) ने 2015-16 में 28,188 अपीलों और शिकायतों का निपटारा किया, जबकि इसी अवधि में आयोग के पास 25,960 शिकायतें दर्ज हुईं. इसके अलावा एक अप्रैल 2016 तक लंबित मामलों की संख्या 34,982 रही. आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक 2015-16 में जन सूचना अधिकारियों पर 10.52 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया, जिसमें से 9.41 लाख का भुगतान हुआ, जबकि 1.25 लाख जुर्माने पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी.

**

9. अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद (संशोधन) विधेयक 2017 लोक सभा में पेश

विधेयक के प्रमुख प्रावधान* :----

- इस विधेयक में अंतर्राज्यीय जल विवाद निपटारों के लिए अलग अलग अधिकरणों की जगह एक स्थायी अधिकरण (विभिन्न पीठों के साथ) की व्यवस्था करने का प्रस्ताव है जिसमें एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और अधिकतम छह सदस्य तक होंगे।
- अध्यक्ष के कार्याकाल की अवधि पांच वर्ष अथवा उनके 70 वर्ष की आयु होने तक होगी। अधिकरण के उपाध्यक्ष के कार्याकाल की अवधि तथा अन्य सदस्यों का कार्यकाल जल विवादों के निर्णय के साथ सह-समाप्ति आधार पर होगा।
- यह भी प्रस्ताव है कि अधिकरण को तकनीकी सहायता देने के लिए आकलनकर्ताओं की नियुक्ति की जाएगी जाएगा, जो केन्द्रीय जल अभियांत्रिकी सेवा में सेवा में सेवारत विशेषज्ञों में से होंगे और जिनका पद मुख्य इंजीनियर से कम नहीं होगा।
- जल विवादों के निर्णय के लिए कुल समयवधि अधिकतम साढ़े चार वर्ष तय की गई है। अधिकरण की पीठ का निर्णय अंतिम होगा और संबंधित राज्यों पर बाध्यकारी होगा। इसके निर्णयों को सरकारी राजपत्र में प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं होगी।
- अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद (संशोधन) विधेयक 2017 में अंतर्राज्यीय नदी जल विवादों के न्याय निर्णयन की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने और वर्तमान कानूनी तथा संस्थागत संरचना को सुदृढ़ करने का विचार है। विधेयक में विवाद को अधिकरण को भेजने से पहले एक विवाद समाधान समिति के माध्यम से बातचीत द्वारा जल विवाद को सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटाने के लिए एक तंत्र बनाने का भी प्रस्ताव है। यह तंत्र केन्द्र सरकार द्वारा स्थापित किया जाएगा जिसमें संबंधित क्षेत्रों के विशेषज्ञ शामिल होंगे।

अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद (संशोधन) विधेयक 2017 की आवश्यकता क्यों?:---

उल्लेखनीय है कि राज्यों द्वारा जल की मांग बढ़ने के कारण अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद बढ़ रहे हैं। हालांकि, अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम, 1956 (1956 का 33) में ऐसे विवादों के समाधान के कानूनी ढांचे की व्यवस्था है, फिर भी इसमें कई कमियां हैं। उक्त अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद के लिए एक अलग अधिकरण स्थापित किया जाता है। आठ अधिकरणों में से केवल तीन ने अपने निर्णय दिए हैं जो राज्यों ने मंजूर किए हैं। हालांकि, कावेरी और रावी-व्यास जल विवाद अधिकरण क्रमशः 26 और 30 वर्षों से बने हुए हैं फिर भी ये अभी तक कोई सफल निर्णय देने में सक्षम नहीं हो पाए हैं। इसके अतिरिक्त मौजूदा अधिनियम में किसी अधिकरण द्वारा निर्णय देने की समय-सीमा तय करने अथवा अधिकरण के अध्यक्ष या सदस्य की अधिकतम आयु तय करने का कोई प्रावधान नहीं है। अधिकरण के अध्यक्ष के कार्यालय में कोई पद रिक्त होने या सदस्य का पद रिक्त होने की स्थिति में कार्य को जारी रखने की कोई व्यवस्था नहीं है और न ही अधिकरण की रिपोर्ट प्रकाशित करने की कोई निश्चित समय-सीमा है। इन सभी कमियों के चलते जल विवादों के विषय में निर्णय देने में विलंब होता रहा है।

**

10. मातृत्व लाभ संशोधन विधेयक 2016

- केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री ने सदन में मातृत्व लाभ संशोधन विधेयक, 2016 पेश किया जिसे सदन ने बहुमत से पारित कर दिया
- 1961 के मूल कानून की जगह संशोधित विधेयक में संगठित क्षेत्र की महिला कामगारों के लिए मातृत्व अवकाश की अवधि बढ़ाने के साथ-साथ कई नए प्रावधान शामिल किए गए हैं.
- इसके तहत बच्चे को कानूनन गोद लेने वाली महिलाओं के साथ-साथ सरोगेसी यानी उधार की कोख के जरिये संतान सुख पाने वाली महिलाओं को भी कानून के दायरे में लाया गया है
- इस विधेयक का उद्देश्य मां और बच्चों को बेहतर देखभाल की सुविधा मुहैया कराना है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिला नेतृत्व के विकास की दिशा में इस विधेयक को मील का पत्थर बताया है.

मातृत्व लाभ कानून, 1961 में संशोधन की जरूरत क्यों ?

विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के अलावा स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े कई संगठनों का मानना है कि मां और बच्चे के स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए कामकाजी महिलाओं को 24 हफ्ते का मातृत्व अवकाश देना जरूरी है. डब्ल्यूएचओ के मुताबिक बच्चों की उत्तरजीविता (सरवाइवल) दर में सुधार के लिए 24 हफ्ते तक उन्हें सिर्फ स्तनपान कराना जरुरी होता है. संगठन का यह भी मानना है कि पर्याप्त मातृत्व अवकाश और आय की सुरक्षा न होने की वजह से महिलाओं के करिअर पर बुरा असर पड़ता है. इसके अलावा 2015 में विधि आयोग ने मूल कानून में संशोधन करके मातृत्व अवकाश की अवधि को बढ़ाकर 24 हफ्ते करने का भी सुझाव दिया था. साथ ही, बदलते समय के साथ सरोगेसी के जरिए बच्चे पैदा करने और बच्चे गोद लेने के मामलों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, इसलिए ऐसी महिलाओं को भी इस कानून के दायरे में लाने के लिए यह संशोधन किया गया है.

मातृत्व लाभ संशोधन विधेयक, 2016 में क्या-क्या प्रावधान

- प्रतिष्ठानों में कामगार महिलाओं के लिए मातृत्व अवकाश की अवधि 12 से बढ़ाकर 26 हफ्ते कर दी गई है.
- विधेयक में अवकाश का लाभ प्रसव की संभावित तारीख से आठ हफ्ते पहले लिया जा सकता है. 1961 के मूल कानून में यह अवधि छह हफ्ते की थी.
- अगर महिला के दो से अधिक बच्चे हैं तो उसे केवल 12 हफ्ते का ही अवकाश मिलेगा. इसका लाभ प्रसव की संभावित तारीख से छह हफ्ते पहले ही उठाया जा सकता है. मूल कानून में बच्चों की संख्या तय नहीं की गई थी.
- महिलाओं को जिन्होंने तीन महीने से कम उम्र के बच्चे को कानूनन गोद लिया है, 12 हफ्ते का अवकाश दिया जाएगा.
- सरोगेसी के जरिये संतान सुख पाने वाली महिला को भी इतने ही हफ्ते का लाभ दिया जाएगा. यह अवधि उस तारीख से मानी जाएगी जब बच्चे को गोद लिया गया हो या सरोगेसी के जरिये संतान पाने वाली महिला को बच्चा सौंपा गया हो.
- संशोधित विधेयक में 50 या इससे अधिक कर्मचारियों वाले संस्थानों से क्रेच की सुविधा मुहैया कराने को कहा गया है. साथ ही, उन्हें महिलाओं को दिन में चार बार क्रेच जाने की सुविधा देने को भी कहा गया है.
- नए विधेयक में काम की प्रकृति इजाजत दे तो महिलाओं को घर से काम करने की भी सुविधा देने की बात कही गई है.
- इसके अलावा प्रतिष्ठानों से कहा गया है कि वे महिला कर्मचारी को नियुक्ति के समय मातृत्व लाभ के बारे में जानकारी लिखित और ई-मेल (इलेक्ट्रॉनिक माध्यम) के रूप में उपलब्ध कराएं.

GENERAL STUDIES HINDI

Some negatives

- नए विधेयक में कामकाजी महिलाओं की सुविधाओं के लिए कई प्रावधान शामिल करने और सुविधाओं के दायरे को बढ़ाने के बावजूद कई सवाल उठ रहे हैं. इसमें सबसे बड़ी आपत्ति 1961 के मूल कानून की तरह ही असंगठित क्षेत्र की महिलाओं को इस कानून के दायरे में शामिल नहीं करने को लेकर है. ऐसी कामगारों की संख्या कुल महिला कर्मचारियों के करीब 90 फीसदी तक है. 2015 में विधि आयोग ने असंगठित क्षेत्र को भी इस कानून के दायरे में लाने का सुझाव दिया था. हालांकि, ऐसी महिलाएं इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना के तहत वित्तीय लाभ का दावा कर सकती हैं. इस योजना के तहत किसी गर्भवती महिला को दो बच्चों के लिए 6,000-6,000 रुपये दिए जाते हैं. लेकिन जानकारों के मुताबिक यह योजना मातृत्व लाभ कानून का विकल्प नहीं हो सकती क्योंकि यह वेतन के नुकसान या रोजगार सुरक्षा जैसी समस्याओं का सामाधान नहीं कर पाती. इसके अलावा ऐसी

महिलाओं को अपने और बच्चे के स्वास्थ्य संबंधी कारणों के चलते अवकाश लेने में मुश्किलें हो सकती हैं.

- संशोधित विधेयक में इस कानून का लाभ लेने के लिए बच्चों की संख्या तय कर दी गई है. मूल कानून में यह प्रावधान नहीं था. यानी की दो बच्चों के बाद पैदा होने वाले बच्चों के समय पुराने कानून के तहत केवल 12 हफ्ते की छुट्टी ही मिल पाएगी. कई जानकार इस पर सवाल उठा रहे हैं कि ऐसी स्थिति में डब्ल्यूएचओ की सिफारिशों का क्या होगा जो बच्चों के लिए 24 हफ्ते तक स्तनपान को बेहद जरुरी मानता है. तीसरे या इसके बाद के बच्चे के लिए महिलाओं को इस बुनियादी मातृत्व सुविधा से वंचित करना कहां तक सही होगा?
- 1961 के मातृत्व लाभ अधिनियम के अतिरिक्त भी कई ऐसे कानून हैं जिनके तहत महिला कामगारों को कई तरह के लाभ दिए जाते हैं. इन कानूनों के प्रावधान अलग-अलग हैं. 2002 में दूसरे श्रम आयोग ने सामाजिक सुरक्षा से जुड़े मातृत्व लाभ सहित विभिन्न श्रम कानूनों में एकरूपता लाने का सुझाव दिया था. इन कानूनों में कर्मचारी राज्य बीमा कानून (1948), अखिल भारतीय सेवा अवकाश नियम (1955), केंद्रीय सिविल सेवा अवकाश नियम (1972), फैक्ट्री कानून (1948), श्रमजीवी पत्रकार और विविध प्रावधान नियम, 1957, भवन और अन्य निर्माण श्रमिक कानून (1966) और असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा एक्ट (2008) शामिल हैं. संशोधित विधेयक में भी सरकार ने श्रम आयोग की सिफारिशों की अनदेखी की है.

11.नए विधेयक में महिलाओं के लिए फायदे के साथ-साथ कई नुकसान भी हैं

- प्रस्तावित विधेयक के तहत अवकाश की अवधि बढ़ाने से महिलाओं के लिए रोजगार के अवसरों में कमी आ सकती है.

विधेयक में कहा गया है कि अवकाश के दौरान नियोक्ता लाभार्थी महिला को पूरा वेतन देगा. कोई भी निजी कारोबारी संस्थान फायदा हासिल करने और कर्मचारी को इसके लिए तैयार करने पर पैसे और समय खर्च करता है. ऐसी स्थिति में गर्भवती महिला कामगारों को 26 हफ्ते की छुट्टी के साथ वेतन देना उनके लिए दोहरे घाटे का सौदा साबित हो सकता है और इसलिए संभव है कि वे नौकरी में महिला की जगह पुरूषों को वरीयता दें. साथ ही, इसका असर उन नियोक्ताओं पर पड़ना तय है जिनमें महिलाओं कामगारों की सुप्रीम कोर्ट नेअदालतों में वर्षों से लंबित आपराधिक मामलों के निपटारे की समय सीमा तय कर दी.

What SC said:

- शीर्ष अदालत ने सभी हाईकोर्टों से कहा है कि वे अपनी अधीनस्थ अदालतों को जमानत याचिकाओं का निपटारा एक हफ्ते के भीतर करने का निर्देश दें. यही नहीं, सभी मजिस्ट्रेट छोटे आपराधिक मामलों में कैद विचाराधीन कैदियों के खिलाफ मुकदमे का निपटारा छह महीने के अंदर करें.
- सुप्रीम कोर्ट के इस ऐतिहासिक निर्देश के तहत सत्र अदालतों को गंभीर आपराधिक मामलों का निपटारा दो साल में करना होगा.
- पांच साल पुराने सभी मामले इस साल के अंत तक निपटाने का प्रयास किया जाना चाहिए.'
- अदालत ने यह भी कहा कि कोई विचाराधीन कैदी दोषी साबित होने से पहले ही संभावित से अधिक सजा काट चुका है तो उसे, व्यक्तिगत बांड पर रिहा कर देना चाहिए.
- सुप्रीम कोर्ट ने कहा, 'समय पर न्याय मानवाधिकारों का ही हिस्सा है. त्वरित न्याय को नकारने से लोगों का विश्वास न्याय व्यवस्था से डिग सकता है इसलिए, संसाधनों की कमी के बावजूद इसे नकारा नहीं जा सकता.'

**

12. लंबित आपराधिक मामलों की जल्द सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक आदेश

सुप्रीम कोर्ट नेअदालतों में वर्षों से लंबित आपराधिक मामलों के निपटारे की समय सीमा तय कर दी.

What SC said:

- शीर्ष अदालत ने सभी हाईकोर्टों से कहा है कि वे अपनी अधीनस्थ अदालतों को जमानत याचिकाओं का निपटारा एक हफ्ते के भीतर करने का निर्देश दें. यही नहीं, सभी मजिस्ट्रेट छोटे आपराधिक मामलों में कैद विचाराधीन कैदियों के खिलाफ मुकदमे का निपटारा छह महीने के अंदर करें.
- सुप्रीम कोर्ट के इस ऐतिहासिक निर्देश के तहत सत्र अदालतों को गंभीर आपराधिक मामलों का निपटारा दो साल में करना होगा.
- पांच साल पुराने सभी मामले इस साल के अंत तक निपटाने का प्रयास किया जाना चाहिए.'
- अदालत ने यह भी कहा कि कोई विचाराधीन कैदी दोषी साबित होने से पहले ही संभावित से अधिक सजा काट चुका है तो उसे, व्यक्तिगत बांड पर रिहा कर देना चाहिए.
- सुप्रीम कोर्ट ने कहा, 'समय पर न्याय मानवाधिकारों का ही हिस्सा है. त्वरित न्याय को नकारने से लोगों का विश्वास न्याय व्यवस्था से डिग सकता है इसलिए, संसाधनों की कमी के बावजूद इसे नकारा नहीं जा सकता.'

**

13.एशिया में संसद में महिलाओं की भागीदारी 0.5% बढ़ी, सिर्फ भारत ही इसमें पीछे: UN Women रिपोर्ट

एशिया में पार्लियामेंट में महिलाओं का रिप्रेजेंटटेशन सिर्फ 0.5%बढ़ा है,लेकिन **भारत अकेला ऐसा देश है जो 2016 में इस मामले में पिछड़** गया। एक ग्लोबल इंटर-पार्लियामेंट्री इंस्टीट्यूशन की रिपोर्ट में यह कहा गया है। 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमंस डे है।

स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल कमिटमेंट की जरूरत...

- इंटर-पार्लियामेंट्री यूनियन(IPU)ने'वुमन इन पार्लियामेंट इन 2016: द इयर इन रिव्यू'टाइटल से यह रिपोर्ट जारी की है। इसमें कहा गया है कि पार्लियामेंट में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए और दुनियाभर में पिछले दशक में हासिल अहम प्रोग्रेस के साथ कदम मिलाने के लिए ज्यादा एम्बिशस(ambitious)मेजर्स और स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल कमिटमेंट की जरूरत है।

-रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि डिसीजन मेकिंग प्रॉसेस में हर जगह महिलाओं की आवाज शामिल करने के लिए नए सिरे से मुहिम छेड़नी होगी। पिछले वर्षों की तरह महिलाओं के पॉलिटिकल एम्पॉवरमेंट को हल्के में नहीं लिया जा सकता।

2016 में भागीदारी 19.3%बढ़ी

-रिपोर्ट के मुताबिक एशिया में पार्लियामेंट में महिलाओं का रिप्रेजेंटटेशन 0.5%बढ़ा है। 2015 में यह 18.8%था जो 2016 में बढ़कर 19.3%हो गया। हालांकि यह बढ़ोतरी मामूली रही,लेकिन चुनाव कराने वाले सभी देशों मसलन ईरान,जापान,लाओस,मंगोलिया,फिलीपींस,साउथ कोरिया और वियतनाम में यह दर्ज की गई और सिर्फ भारत इस मामले में एक्सेप्शनल रहा।

-वर्ल्डवाइड एवरेज देखा जाए तो 2016 के आखिर में इसमें भी बढ़ोतरी दर्ज की गई,जो 23.3%थी जबकि 2015 में यह 22.6%थी।

संसद में पेश हुआ बिल,पर पास न हो सका

-रिपोर्ट के मुताबिक एशिया में केवल भारत इस मामले में पिछड़ गया। 1994 में लोकल चुनावों में महिलाओं के लिए सीटों के रिजर्वेशन की सक्सेसफुली शुरुआत की गई। हालांकि 2008 में एक प्रपोज्ड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट(संशोधन)बिल पेश किया गया,जिसका मकसद नेशनल लेवल पर महिलाओं के लिए रिजर्वेशन तय करना था,लेकिन संसद में हुई चर्चा में इस टॉपिक पर गतिरोध बना रहा।

-जून और जुलाई 2016 में राज्यसभा में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट चुनावों के साथ ही गवर्नमेंट अप्वाइंटमेंट्स में 24 महिलाएं ही(कुल 244 मेंबर्स में)चुनकर आईं। महिलाओं की संख्या 1.7%गिरकर 11.1%रह गई। जबकि 2015 में इनकी संख्या 12.8%थी।

14.दूसरे राज्यों से आए लोगों के हितों की रक्षा के लिए कानूनी रूपरेखा तैयार करने की सिफारिश

सन्दर्भ

सरकार द्वारा गठित किये गये एक पैनल ने यह कहते हुए देश भर में दूसरे राज्यों से आए लोगों (माइग्रेंट) के हितों की रक्षा के लिए आवश्यक कानूनी एवं नीतिगत रूपरेखा तैयार करने की सिफारिश की है कि इस तरह के लोग आर्थिक विकास में व्यापक योगदान करते हैं। पैनल का कहना है कि इसके मद्देनजर दूसरे राज्यों से आए लोगों के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करने की जरूरत है।

क्या कहा पैनल ने

- कार्यदल ने अपनी सिफारिश में कहा है कि दूसरे राज्यों से आए लोगों की जाति आधारित गणना के लिए भारत के महापंजीयक प्रोटोकॉल में संशोधन करने की जरूरत है ताकि जिस राज्य में वे अब निवास कर रहे हैं वहां उन्हें परिचारक (अटेंडेंट) संबंधी लाभ मिल सकें।
- कार्यदल ने यह भी सिफारिश की है कि दूसरे राज्यों से आए लोगों को पीडीएस के अंतर-राज्य परिचालन की सुविधा प्रदान करते हुए उन राज्यों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) का लाभ हासिल करने में सक्षम बनाया जाना चाहिए जहां अब वे निवास कर रहे हैं।
- आवाजाही की आजादी और देश के किसी भी हिस्से में निवास करने के संवैधानिक अधिकार का उल्लेख करते हुए कार्यदल ने सुझाव दिया है कि राज्यों को स्थायी निवास की आवश्यकता समाप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, ताकि कामकाज और रोजगार के मामले में उनके साथ कोई भेदभाव नहीं हो।
- राज्यों से यह भी कहा जायेगा कि वे सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) के तहत वार्षिक कार्य योजनाओं में दूसरों राज्यों से आए लोगों के बच्चों को शामिल करें, ताकि शिक्षा का अधिकार उन्हें लगातार मिलता रहे।
- दूसरों राज्यों से आए लोगों द्वारा वर्ष 2007-08 के दौरान अपने-अपने राज्यों में भेजे गये 50,000 करोड़ रुपये की बड़ी राशि का उल्लेख करते हुए कार्यदल ने सुझाव दिया है कि धन हस्तांतरण की लागत को कम करते हुए डाकघरों के विशाल नेटवर्क का कारगर उपयोग करने की जरूरत है, ताकि उन्हें अपने राज्य में धन भेजने के लिए अनौपचारिक उपायों का इस्तेमाल न करना पड़े।

**

GENERAL STUDIES HINDI

Economics

1. FRBM रिपोर्ट पर एक नजर

In news:

सरकार ने राजकोषीय जवाबदेही एवं बजट प्रबंधन (एफआरबीएम) समीक्षा समिति की रिपोर्ट सार्वजनिक चर्चा के लिए पेश कर दी है

Ø रिपोर्ट में सरकार के ऋण के लिए जीडीपी के 60 फीसदी की सीमा तय की गई है यानी केंद्र सरकार का कर्ज जीडीपी का 40 फीसदी और राज्य सरकारों का सामूहिक कर्ज 20 फीसदी होगा। इस पक्ष में कई दलील दी गई हैं। भारतीय संविधान (अनुच्छेद 292 और 293) ने सरकार के ऋण की सीमा तय की हुई है। इस तरह हमने आखिरकार संविधान के प्रावधान को लागू कर दिया है।

Ø इसके अलावा इससे ऋण-जीडीपी अनुपात को लेकर उपजने वाली अंतरराष्ट्रीय चिंताओं को हल करने में भी मदद मिली है। फिलहाल यह दर अन्य ब्रिक्स देशों से ज्यादा है। रेटिंग एजेंसियां भी इस अनुपात को तवज्जो देती हैं। इस कवायद का वैश्विक निवेशक समुदाय पर सकारात्मक असर होगा।

वर्तमान में FRBM

Ø देश का मौजूदा एफआरबीएम कानून दो लक्ष्यों पर केंद्रित है, राजकोषीय घाटा और राजस्व घाटा।

Ø समिति में ज्यादातर सदस्यों का मानना है कि वह इन लक्ष्यों पर केंद्रित रहे। अगर इनको त्यागना है तो उसके लिए ठोस दलील तैयार करनी होगी क्योंकि नीतिगत निरंतरता अहम मूल्य है।

Ø रिपोर्ट में मौजूद प्रमाणों के मुताबिक सरकार द्वारा राजस्व घाटे के मोर्चे पर चूकने का खमियाजा देश को उठाना पड़ता है। इतना ही नहीं सामान्य तौर पर सरकार के लिए राजस्व घाटा यह भी बताता है कि कुल वित्तीय बचत का कितना हिस्सा उसकी खपत और निवेश में प्रयोग किया जा रहा है तथा कितना विभिन्न फर्म और आम घरों के ऋण लेने के लिए मौजूद है। यह अब खासा अहम हो चुका है क्योंकि जीडीपी के प्रतिशत के रूप में वित्तीय बचत में कमी आ रही है।

विश्लेषण

Ø राजस्व और पूंजीगत व्यय के बीच के अंतर को संविधान ने रेखांकित किया है। राजस्व व्यय की प्रकृति आवर्ती है और उसकी पूर्ति कराधान की मदद से की जानी चाहिए थी, न कि ऋण से। राजस्व घाटा तो शून्य होना चाहिए। आदर्श स्थिति में राजस्व अधिशेष होना चाहिए जिसका इस्तेमाल सार्वजनिक निवेश में किया जाए। राज्यों की बात की जाए तो वे राजकोषीय घाटा नहीं उत्पन्न करते। बीते 37 साल में केंद्र का राजकोषीय घाटा तेजी से बढ़ा है। केंद्र सरकार के राजस्व और राजकोषीय घाटे के अनुपात का आकलन करें तो वह वर्ष 1980-81 के 1.3 फीसदी से बढ़कर गत वर्ष 66 फीसदी हो गया। यह सरकार के व्यय संतुलन में ढांचागत बदलाव को दर्शाता है और सरकार की घोषित नीति के विपरीत है।

Ø ऋण पर दिए जाने वाले ब्याज के रूप में उच्च स्तरीय व्यय और सरकार के मूलभूत कामों के लिए जरूरी खर्च का मिलाजुला बोझ 37 साल पुरानी ढांचागत समस्या के हल को मुश्किल बना रहा है। रिपोर्ट में राजस्व-राजकोषीय घाटा अनुपात को 66 फीसदी से कम करके 28 फीसदी पर लाने की बात कही गई है। इसके लिए सब्सिडी में जबरदस्त कटौती करनी होगी और साथ ही राजस्व व्यय के मोर्चे पर किफायत बढ़ानी होगी। यह लक्ष्य कठिन है लेकिन इसे पाया जा सकता है। इससे इतर प्रयास करने पर सरकार को अपने मूल कार्यों के व्यय में कटौती करनी पड़ सकती है।

Ø सरकार की जिम्मेदारी है कि वह नीतिगत कदमों के राजकोषीय परिणाम का आकलन करे और भविष्य की वृहद आर्थिक नीतियां तैयार करते समय उनका ध्यान रखे। ऐसे में उपरोक्त जैसा बचाव वाला प्रावधान केवल तब लागू किया जाना चाहिए जबकि परिस्थितियां सरकार के नियंत्रण से बाहर हों, ऐसी घटनाएं हों जिनका सरकार समय रहते आकलन नहीं कर सकी हो या फिर उनका आकार ऐसा हो कि मौजूदा एफआरबीएम प्रावधान उसका निदान करने में सक्षम न हों। अगर सरकार संतोषजनक ढंग से यह नहीं बता पाती है कि यह विचलन ऐसी वजहों से हुआ जिनका पूर्वानुमान लगाना संभव नहीं था तो इसका मतलब यही होगा कि सरकार ने सुधारों को सही ढंग से अंजाम नहीं दिया। इस बात का इस्तेमाल इस प्रावधान के इस्तेमाल में सरकार पर नियंत्रण रखने में किया जाए। राजकोषीय परिषद यह सुनिश्चित करने में भी उपयोगी भूमिका निभाएगी कि इस प्रावधान का इस्तेमाल उचित वजह से किया जाए।

Ø समीक्षा में एक राजकोषीय परिषद की स्थापना की बात कही गई है। राजकोषीय परिषद सरकार के राजकोषीय नीति संबंधी कदमों की तार्किकता पर प्रश्न करेगी। भारत जैसे गोपनीय कार्य संस्कृति वाले देश में जहां मनमाने निर्णय आम हैं, वहां यह एक जरूरी सुधार है। सत्ताधारी वर्ग को यह पसंद नहीं आएगा। साथ ही यह समझना भी जरूरी है कि राजकोषीय परिषद किसी भी तरह भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की मौद्रिक नीति समिति की समकक्ष नहीं होगी। सरकार की कोई शक्ति उसे हस्तांतरित नहीं की जाएगी।

GENERAL STUDIES HINDI

रिपोर्ट में परिषद के तीन तरह के काम बताए गए हैं।
Ø पहला, बहुस्तरीय राजकोषीय अनुमान लगाना, राजकोषीय आंकड़ों की स्थिति दुरुस्त करना और राजकोषीय विश्लेषण में स्थायित्व लाना।
Ø दूसरा, सालाना वित्तीय वक्तव्य को निरंतरता प्रदान करना। इसमें ऋण के लक्ष्य, राजकोषीय नीति रिपोर्ट और वृहद आर्थिक ढांचे से संबंधित वक्तव्य तैयार करना शामिल है।
Ø तीसरा, अनुरोध मिलने पर केंद्र सरकार को नीतिगत निर्देशन मुहैया कराना।
इसमें एफआरबीएम से विचलन और उसके पथ पर वापसी जैसी बातें शामिल हैं। इसके पास कोई नियामक, नीति निर्माण संबंधी या अंकेक्षण का काम नहीं होगा। इसके पीछे मूल विचार है ऐसा संस्थान बनाना जो सरकार के साथ मिलकर बेहतरीन राजकोषीय नतीजे सुनिश्चित करने में मदद कर सके। इस रिपोर्ट के सह लेखक के रूप में मुझे उम्मीद है कि इस रिपोर्ट की अनुशंसाओं पर बाकी अंशधारकों से चर्चा हो सके। इससे वृद्घि को लेकर बेहतर ढांचा तैयार करने और राजकोषीय नीति बनाने में मदद मिलेगी।
**

2. यूरोपीय संघ और दुनिया के 49 बड़े देशों को लेकर मेड इन कंट्री इंडेक्स जारी

★ एमआइसीआइ-2017 में उत्पादों की साख के मामले में चीन भारत से सात पायदान पीछे है।
★ सूचकांक में भारत को 36 अंक मिले हैं, जबकि चीन को 28 से ही संतोष करना पड़ा है।
★ सौ अंकों के साथ पहले स्थान पर जर्मनी, दूसरे पर स्विट्जरलैंड है।
★ स्टैटिस्टा ने अंतरराष्ट्रीय शोध संस्था डालिया रिसर्च के साथ मिलकर यह अध्ययन दुनियाभर के 43,034 उपभोक्ताओं की संतुष्टि के आधार पर किया।
=>'मेड इन' लेबल का इतिहास :-
★ बात 19वीं सदी के समापन के दौरान की है। जिस तरीके से आज चीन अपने सस्ते और घटिया उत्पादों से दुनिया के बाजारों को पाट रहा है, तब इसी तरह की कारस्तानी के लिए जर्मनी कुख्यात था।
★भले ही आज उसके उत्पादों और इंजीनियरिंग का कोई सानी न हो, लेकिन तब वह भारी मात्रा में अपने घटिया और बड़े ब्रांडों की नकल करके बनाए उत्पादों को ब्रिटेन निर्यात कर रहा था।
★ ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था डांवाडोल होने लगी। लिहाजा ब्रिटेन ने नकली उत्पादों से बचने को 'मेड इन' लेवल की शुरुआत की।

=>खुली चीन की कलई
★ संसाधनों की सीमित उपलब्धता के चलते मैन्युफैक्चरिंग में घटिया कच्चे माल का इस्तेमाल करता है। न्यूनतम मजदूरी के बूते उसने अंतरराष्ट्रीय बाजारों में जमकर घटिया और सस्ता माल उतारा। उसके उत्पादों की कलई खुल चुकी है। उत्पाद वैश्विक गुणवत्ता मानकों पर खरे नहीं उतर रहे।
**

3. राष्ट्रपति ने बैंकों के फंसे हुए कर्ज (एनपीए) की समस्या से निपटने के लिए अध्यादेश को मंजूरी दी

- राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने फंसे हुए कर्ज (एनपीए) की समस्या से निपटने के लिए लाए गए अध्यादेश को मंजूरी दे दी है.
- इस अध्यादेश के जरिए बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट (1949) में संशोधन किया गया है. इसके तहत भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) को पहले से अधिक अधिकार दिए गए हैं.

इस अध्यादेश के मुताबिक :-
- आरबीआई बैंकों को डिफॉल्टरों के खिलाफ 2016 के 'इनसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड' (किसी को दिवालिया घोषित करने से संबंधित नियम)' के तहत कार्रवाई करने का निर्देश दे सकता है.

- इसके अलावा केंद्रीय बैंक को समय-समय पर बैंकों को फंसे हुए कर्ज की समस्या से निपटने के लिए निर्देश जारी करने का अधिकार दिया गया है. इसके लिए आरबीआई एक या अधिक समिति/प्राधिकरणों का गठन कर सकता है.
- देश में बैकों के लिए एनपीए की समस्या लगातार बढ़ती जा रही है. पिछले साल 24 सरकारी बैंकों के एनपीए में 56.4 फीसदी बढ़ोतरी दर्ज की गई है.
- इस दौरान यह आंकड़ा 6.15 लाख करोड़ रुपये हो गया जो 2015 में 3.93 लाख करोड़ रुपये था. वहीं 2016 में बैंकों द्वारा दिए गए कुल कर्ज में एनपीए की हिस्सेदारी 7.16 से बढ़कर 11 फीसदी हो चुकी है.
**

4. हर युवा को जॉब मिलने पर ही देश का रूपांतरण होगा

Ø नीति (नेशनल इंस्टिट्यूट फॉर ट्रान्सफार्मिंग इंडिया) आयोग की संचालन परिषद की रविवार को हुई बैठक में देश में बदलाव लाने का अगले 15 साल का रोडमैप पेश हुआ।

Ø बैठक में त्रिवर्षीय कार्ययोजना(2017-2020) के मसौदे पर चर्चा हुई और जैसाकि सरकार ने एलान किया है कि 31 मार्च 2017 को खत्म होने जा रही 12वीं पंचवर्षीय योजना के बाद तीन वर्षीय योजना लाई जाएगी जो इसी 1 अप्रैल से लागू होगी, जिसमें तीन साल का एक्शन प्लान भी शामिल है।

देश की विकास दर में तेजी का लाभ युवाओं को नौकरी के बढ़े हुए अवसरों के रूप में मिले, इसके लिए सरकार रोजगार सृजन की एक व्यापक योजना तैयार करने जा रही है।

Ø तीन वर्षीय योजना में इसी पर खासा जोर दिया गया है,क्योंकि पूर्ववर्ती यूपीए सरकार के कार्यकाल में विकास दर लगातार कई साल 9 फीसदी से ऊपर रहने के बावजूद नौकरियां नहीं बढ़ी थीं। इसलिए यूपीए सरकार पर जॉबलैस ग्रोथ का आरोप लगा था।

Ø खुद श्रम मंत्रालय की रिपोर्ट बताती है कि वर्ष 2013-14 में नौकरी की तलाश करने वाले मात्र 60 प्रतिशत ही ऐसे थे जिन्हें पूरे साल काम मिला। शेष में अधिकांश को एक-दो महीने काम करने का ही मौका मिला।

Ø 3.7 प्रतिशत लोग ऐसे भी थे जिन्हें कोई काम ही नहीं मिला। खासकर पढ़े-लिखे लोगों में यह प्रतिशत अधिक था। हालांकि बीते तीन वर्ष में विकास दर का स्तर सात प्रतिशत से ऊपर रहने के बावजूद रोजगार के अवसरों में अपेक्षानुरूप वृद्धि नहीं हुई है।

Ø प्रथम त्रिवर्षीय कार्ययोजना में क्षेत्र आधारित उपायों के साथ-साथ कौशल विकास और स्वरोजगार को बढ़ावा देने वाली योजनाओं को भी प्रभावी बनाने की रणनीति की जरूरत है और महत्वपूर्ण सरकारी योजनाओं की निगरानी हेतु सहयोगात्मक संघवाद अर्थात **को-ऑपरेटिव फेडरेलिज़्म** को बढ़ावा देने की जरूरत है, जिससे 2022 तक 'न्यू इंडिया' का सपना वास्तव में साकार किया जा सके। पांच की जगह तीन साल की योजनाओं से बदलाव की प्रक्रिया तेज होगी इसमें शक नहीं है लेकिन, देश का असली रूपांतरण तभी होगा जब हर युवा को रोजगार मिलेगा।

GENERAL STUDIES IN HINDI

**

5.अगला बजट जनवरी में?

केंद्र सरकार वित्त वर्ष की मौजूदा अवधि में बदलाव करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। यानी वह वित्त वर्ष जनवरी में शुरू करके दिसंबर में समाप्त करना चाहती है। अभी सरकार का वित्त वर्ष अप्रैल में शुरू होकर मार्च में समाप्त होता है।

इसकी शुरुआत अगले साल आम बजट से होगी जिसे एक महीने पहले जनवरी में पेश किया जा सकता है। यह वित्त वर्ष में बदलाव के लिए जमीन तैयार करेगा।

केंद्र सरकार इस बात से अच्छी तरह वाकिफ है कि पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार **शंकर एन आचार्य** की अगुआई वाली विशेषज्ञ समिति ने मौजूद वित्त वर्ष में बदलाव का समर्थन नहीं किया था। समिति के सुझावों पर अभी विचार किया जा रहा है लेकिन सरकार बदलाव के पक्ष में है और इस मुद्दे पर विभिन्न लोगों की राय

लेनी शुरू कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीति आयोग की बैठक में मुख्यमंत्रियों से कहा था कि उन्हें वित्त वर्ष चक्र में बदलाव के सुझाव पर गौर करना चाहिए और इसे लागू करने के लिए केंद्र को सुझाव देने चाहिए। आदर्श स्थिति तभी बनेगी जब राज्य सरकारें भी जनवरी-दिसंबर वित्त वर्ष को अपनाएं। अगर केंद्र जनवरी-दिसंबर वित्त वर्ष को अपनाता है तो राज्यों को भी ऐसा ही करना होगा। सरकार के वित्त वर्ष के बदलाव से लोगों और कंपनियों की कर भुगतान की विभिन्न तिथियों में भी बदलाव करना पड़ेगा।

**

6.2022 में जर्मनी को पछाड़कर भारत दुनिया की होगी चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था : IMF

★एक तरफ जहां दुनिया की दिग्गज अर्थव्यवस्थाएं एक के बाद एक ढह रही हैं और उनका रसूख कमजोर होता जा रहा है वहीं दूसरी तरफ भारतीय अर्थव्यवस्था का सितारा बुलंदी की तरफ बढ़ता जा रहा है.

★ कुछ इसी तरह का आंकड़ा अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) की ताजा रिपोर्ट में पेश किया गया है.

★सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के नॉमिनल टर्म्स के आधार पर पेश की गई रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत अगले पांच वर्षों में दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा और इस स्थान पर काबिज जर्मनी खिसककर पांचवें पायदान पर पहुंच जाएगा.

★ सिर्फ इतना ही नहीं पांचवें पायदान पर काबिज ब्रिटेन दुनिया की पांच सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं की फेहरिस्त से बाहर हो जाएगा. यानी यह छठे स्थान पर खिसक जाएगा.

★ ब्रिटेन के टॉप-5 क्लब से बाहर जाने का सबसे बड़ा कारण ब्रेक्जिट को माना जा रहा है. यूरोपीय संघ से इसके अलग होने के बाद व्यापारिक साझीदारी में इसकी कमजोर उपस्थिति को इसकी फिसलन का सबसे बड़ा कारण बताया जा रहा है.

★इसकी तुलना में भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में रिपोर्ट में कहा गया है कि इस देश की अर्थव्यवस्था सालाना लगभग 9 प्रतिशत की गति से बढ़ रही है जबकि इसकी तुलना में ब्रिटेन में यह बढ़ोतरी तकरीबन दो प्रतिशत रहने का ही अनुमान व्यक्त किया गया है.

संक्षिप्त में -

★अगले पांच वर्षों में ब्रिटेन टॉप-5 क्लब से बाहर होगा

★भारत लंबी छलांग लगाकर जर्मनी को चौथे स्थान से हटाएगा

★भारत की अर्थव्यवस्था बेहद तेजी से आगे बढ़ रही

**

7. ढांचागत क्षेत्र में निवेश के लिए पीपीपी की दरकार (Business Standard article)

पृष्ठभूमि :

आजादी के बाद के शुरुआती 50 वर्षों में भारत ने अपने सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का करीब तीन फीसदी हिस्सा ढांचागत क्षेत्र के विकास में लगाया जिसकी वजह से यह क्षेत्र 1990 के दशक के आखिर तक बदहाली का ही सामना करता रहा। वर्ष 1997 के आसपास ढांचागत क्षेत्र में बदलाव आना शुरू हुआ ताकि विकास की बढ़ती अपेक्षाओं के साथ तारतम्य स्थापित किया जा सके। इसके लिए ढांचागत क्षेत्र में निवेश को बढ़ाने की जरूरत थी और ऐसे समय में सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की भागीदारी (पीपीपी) का मॉडल काफी लोकप्रिय बनकर उभरा। दरअसल उच्च विकास दर वाली उदीयमान अर्थव्यवस्थाओं ने अपने बेहतरीन दिनों में जीडीपी का सात से 10 फीसदी हिस्सा ढांचागत क्षेत्र में निवेश किया है

- दसवीं पंचवर्षीय योजना से ढांचागत क्षेत्र में जीडीपी का प्रतिशत योगदान यानी सकल ढांचागत पूंजी निर्माण (जीसीएफआई) लगातार बेहतर होता चला गया।
- वर्ष 2002 में जीसीएफआई 4.8 फीसदी था लेकिन वर्ष 2011 में यह बढ़कर 8.4 फीसदी तक पहुंच गया। इस दौरान निजी क्षेत्र का निवेश भी लगातार बढ़ता रहा। दसवीं पंचवर्षीय योजना में 22 फीसदी के स्तर पर रहा निजी निवेश 11वीं योजना में बढ़कर 37 फीसदी पर पहुंच गया। इस बढ़ोतरी ने

योजना-निर्माताओं को ढांचागत क्षेत्र में निवेश को 12वीं योजना में बढ़ाकर 56 लाख करोड़ रुपये तक ले जाने का भरोसा दिलाया। इसके लिए पीपीपी को 48 फीसदी के स्तर तक पहुंचाने का लक्ष्य तय किया गया था।

- 12वीं योजना के अंत में यानी 2017 तक जीसीएफआई भी नौ फीसदी हो जाने की बात कही गई थी।

अब जब यह समय पूरा हो चुका है तो सवाल उठता है कि हम कितना काम कर पाने में कामयाब हुए हैं? इसका जवाब खोज पाना खासा मुश्किल है क्योंकि योजना आयोग का अस्तित्व खत्म होने के बाद कोई आंकड़ा सामने नहीं आया है। न तो नीति आयोग या वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग और न ही सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय की ही तरफ से इस बारे में कोई आंकड़ा रखा गया है। एडीबी ने कहा है कि भारत ने वर्ष 2015 में ढांचागत क्षेत्र में डीजीपी का 5.5 फीसदी हिस्सा निवेश किया है। यह वर्ष 2015 के लिए तय किए गए आठ फीसदी के निवेश लक्ष्य से काफी कम है। चिंता की बात यह है कि ढांचागत निवेश घाटा बढ़ता जा रहा है जिसे देखते हुए नीति-निर्माताओं की नींद उड़ सकती है।

बारहवीं पंचवर्षीय योजना में ढांचागत निवेश के 56.32 करोड़ रुपये रहने की बात कही गई थी। अगर इस समय भी पंचवर्षीय योजना की व्यवस्था जारी रहती तो 2017-22 की अवधि में 33 फीसदी की बढ़त के साथ ढांचागत निवेश करीब 75 लाख करोड़ रुपये पर पहुंच जाता। इसका मतलब है कि इन पांच वर्षों में हरेक साल 15 लाख करोड़ रुपये ढांचागत क्षेत्र में निवेश किए जाते। सवाल यह है कि इसमें से निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों से किस अनुपात में यह भारी रकम जुटाई जाती?

जहां तक सरकारी निवेश का प्रश्न है तो वर्ष 2017-18 के केंद्रीय बजट में ढांचागत क्षेत्र में कुल निवेश 3.96 लाख करोड़ रुपये रहने का जिक्र किया गया है। अगर हम यह मान लें कि राज्य सरकारें, मंत्रालय, सार्वजनिक उपक्रम और विभागों के पास उपलब्ध गैर-बजटीय स्रोतों से भी इतनी ही रकम ढांचागत क्षेत्र के लिए जुटा ली जाती है तो भी इस वित्त वर्ष में कुल निवेश करीब आठ लाख करोड़ रुपये ही पहुंच पाएगा। वह 15 लाख करोड़ रुपये की सालाना जरूरत का केवल 53 फीसदी हिस्सा ही होगा। इसका साफ मतलब है कि बाकी बचा सात लाख करोड़ रुपये या 47 फीसदी निवेश निजी क्षेत्र से ही जुटाना होगा।

- 12वीं पंचवर्षीय योजना में रखे गए 48 फीसदी पीपीपी निवेश के बराबर ही होगा जिसे घरेलू एवं बाहरी निवेशकों से जुटाना होगा।
- सार्वजनिक व्यय के मामले में मौजूदा सरकार ने जाहिर तौर पर सधे हुए अंदाज में कदम रखा है।
- ढांचागत निवेश को पटरी पर लाने का इकलौता तरीका यह है कि छोटी से मध्यम अवधि के लिए सरकारी निवेश बढ़ाया जाए।
- उच्च-प्रभाव क्षेत्रों में बजट आवंटन बढ़ाने के साथ ही गैर-बजटीय फंडिंग बढ़ाने, ढांचागत क्षेत्र के नए सार्वजनिक उपक्रमों की स्थापना के जरिये संस्थागत क्षमता का निर्माण और प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से इनके क्रियान्वयन पर गहरी निगाह रखे जाने जैसे कदम उठाए गए।

जहां तक निजी निवेश का सवाल है तो सात लाख करोड़ रुपये का स्तर हासिल कर पाना पहुंच से भी बाहर है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) में आई तेजी ग्रीनफील्ड से अलग मूलत: ब्राउनफील्ड तक ही सीमित दिख रही है। सच तो यह है कि सड़क, पारेषण, रेल, नवीकरणीय ऊर्जा, बंदरगाह, हवाईअड्डा, पाइपलाइन और शहरी ढांचागत क्षेत्र में पीपीपी के लिए निजी निवेश का सवाल है तो अगर हम सालाना एक लाख करोड़ रुपये का भी आंकड़ा पार कर जाते हैं तो यह काफी सौभाग्य की बात होगी।

यही बात हमारे लिए बड़ी चुनौती पेश कर रही है। भारत को अगर ढांचागत निवेश की कमी को दूर करना है तो उसे जल्द ही पीपीपी में तेजी लाने की जरूरत है। पीपीपी बढ़ाने के लिए दोहरी बहीखाता समस्या दूर करने, भ्रष्टाचार उन्मूलन अधिनियम को संशोधित करने, विवाद निपटान प्रणाली को तेज करने, मध्यस्थता में

फंसी राशि को मुक्त कराना, राष्ट्रीय निवेश एवं ढांचागत फंड के गठन में तेजी लाने और सही अर्थों में स्वतंत्र नियामक संस्थाओं के जरिये निजी क्षेत्र के लिए बराबरी का अवसर देने जैसे उपाय करने की जरूरत है।
यह तो साफ है कि निजी निवेश की कमी से खाली हुई जगह की भरपाई केवल सार्वजनिक निवेश से ही नहीं की जा सकती है। ऐसे में पीपीपी को बढ़ावा देने वाला वातावरण तैयार करने के लिए जरूरी है कि सरकार ढांचागत क्षेत्र को प्राथमिकता देने का काम करे। नवीनतम आर्थिक समीक्षा में जिक्र भी किया गया है कि निजी क्षेत्र के अनुकूल रवैया बनाने के लिए राजनीतिक गतिशीलता की दरकार है। अगर ऐसा नहीं होता है तो ढांचागत क्षेत्र का घाटा 21वीं सदी के शुरुआती दशकों में एक बार फिर बढ़ जाएगा।
**

8. एफआरबीएम समिति: 2023 तक हो 2.5 फीसदी राजकोषीय घाटा

- राजकोषीय जवाबदेही और बजट प्रबंधन (**एफआरबीएम**) समिति ने 6 साल के मध्यावधि राजकोषीय खाके के तहत इसके आखिर में 2022-23 तक

1. **राजकोषीय घाटे का लक्ष्य सकल घरेलू उत्पाद का 2.5 प्रतिशत,**
2. **राजस्व घाटा 0.8 प्रतिशत** और
3. केंद्र राज्य का संयुक्त कर्ज सीमा 60 प्रतिशत करने का लक्ष्य रखा है।

- अगर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ये सिफारिशें और ऋण प्रबंधन और राजकोषीय दायित्व विधेयक के मसौदे की अन्य सिफारिशें स्वीकार कर लेती है तो यह मौजूदा एफआरबीएम ऐक्ट की जगह ले लेगा।
- राजकोषीय खाके के दायरे में नीति निर्माताओं को लचीलापन मुहैया कराने के लक्ष्य से पूर्व सांसद और राजस्व एवं व्यय सचिव **एनके सिंह की अध्यक्षता में गठित समिति ने 2017-18 से लेकर 2019-20** तक तीन साल के लिए सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के मुकाबले 3 प्रतिशत तक राजकोषीय घाटे का लक्ष्य रखे जाने की सिफारिश की है।
- समिति की रिपोर्ट इस साल जनवरी में सरकार को सौंप दी गई थी लेकिन इसे आज सार्वजनिक किया गया। समिति ने 2020-21 में राजकोषीय घाटा 2.8 प्रतिशत और फिर 2022-23 तक इसे घटाकर 2.5 प्रतिशत करने की सिफारिश की है।

राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को छोड़ा जा सकता है -

- समिति ने उन परिस्थितियों का भी जिक्र किया है जिनमें इन लक्ष्यों को छोड़ा जा सकता है। समिति ने कहा है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के समक्ष खतरा होने, युद्ध की स्थिति आने, राष्ट्रीय स्तर की कोई आपदा या फिर खेती बर्बाद होने जिसका कृषि उत्पादन पर गंभीर असर पड़े, इन परिस्थितियों में राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को छोड़ा जा सकता है।
- समिति ने यह भी कहा है कि अर्थव्यवस्था में दूरगामी परिणाम वाले ढांचागत सुधारों को लागू करने जिसमें राजकोषीय प्रभावों का पहले से आकलन नहीं किया जा सकता हो, ऐसी स्थिति में भी राजकोषीय लक्ष्य अनुपालन के रास्ते से हटा जा सकता है।
- हालांकि, समिति ने इसके साथ ही आगाह भी किया है कि किसी एक वर्ष में राजकोषीय घाटा उस वर्ष के लिए तय लक्ष्य के मुकाबले 0.5 प्रतिशत से ज्यादा नहीं बढऩा चाहिए।
- एफआरबीएम समिति ने राजस्व घाटे के लक्ष्य में भी धीरे धीरे हर साल 0.25 प्रतिशत कटौती किए जाने की सिफारिश की है। समिति ने चार खंडों की अपनी रिपोर्ट में चालू वित्त वर्ष के दौरान राजस्व घाटे को कम करके जीडीपी के 2.05 प्रतिशत पर लाने, अगले वित्त वर्ष में उसे घटाकर 1.8 प्रतिशत करने और 2019-20 में और घटाकर 1.55 प्रतिशत पर लाने का सुझाव दिया है।
- समिति ने कहा है कि 2022-23 तक राजस्व घाटे को कम करके 0.8 प्रतिशत पर लाया जाना चाहिए।

**

GENERAL STUDIES HINDI

आधार पे सर्विस: कैशलैस के बाद अब कार्डलैस की बारी, फिंगरप्रिंट से होंगे सभी पेमेंट

★ नोटबंदी के बाद सरकार ने कैशलैस भुगतान (डेबिट-क्रेडिट कार्ड) को बढ़ावा दिया और अब सरकार कार्डलैस भुगतान की राह पर है।

★14 अप्रैल को डॉ. भीमराव आंबेडकर की जयंती के मौके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आधार पे सर्विस की शुरुआत की।

★इसके अंतर्गत उपभोक्ता फिंगरप्रिंट के जरिए पेमेंट कर पाएंगे। इसके लिए यूजर का बैंक अकाउंट आधार से लिंक होना आवश्यक है।

पेट्रोल पंप्स के साथ छोटी खुदरा दुकानों पर भी मिलेगी सविधा:

- आधार पे के जरिए उपभोक्ता बड़ी रिटेल चेन के साथ छोटी खुदरा दुकानों पर भी पेमेंट कर पाएंगे। सरकार चाहती है कि आने वाले 6 से 9 महीने में करीब 70 फीसद दुकानों और ट्रांजेक्शन प्वाइंट्स पर आधार पे की सुविधा शुरु की जाए।

★आधार पे की सबसे अहम खासियत यह है कि इसमें फ्रॉड होने की संभावना नहीं रहेगी। क्योंकि इसमें उंगली का निशान लिए बिना पेमेंट नहीं किया जा सकेगा।

कैसे कर पाएंगे पेमेंट :

★पेमेंट करने के लिए उपभोक्ता को अपनी उंगली का निशान देना होगा। उपभोक्ता से उसके बैंक का नाम पूछा जाएगा।

★पेमेंट लेने वाला उस बैंक के सर्वर से मशीन को लिंक करेगा। इसके बाद उपभोक्ता को उंगली का निशान देना होगा। ऐसा करने से पेमेंट हो जाएगा।

★फिलहाल देश में आधार धारकों की संख्या 111 करोड़ से अधिक हो गई है। जिन लोगों के बैंक खाते आधार के साथ लिंक हो गए हैं, वे सभी इस व्यवस्था का लाभ उठा सकेंगे।

★ वैसे सरकार ने सभी बैंक खातों को आधार से जोड़ने की मुहिम शुरू की है। अब तक 42 करोड़ खाते आधार से लिंक किये जा चुके हैं। 18 वर्ष या उससे ज्यादा की उम्र वाले लगभग प्रत्येक व्यक्ति को आधार मिल चुका है।

★सरकार की तरफ से शुरू हो रही इस वित्तीय व्यवस्था 'आधार पे' में बगैर किसी कार्ड या फोन के न केवल भुगतान किया जा सकेगा, बल्कि प्राप्त भी किया जा सकेगा।

★इस व्यवस्था में भुगतान हासिल करने वाले के पास एक स्मार्टफोन होना चाहिए, जिससे बायोमेटिक सेंसर जुड़ा होगा। सेंसर की कीमत मात्र दो हजार रुपये है। भुगतान करने के लिए फोन के एप में आधार संख्या डालनी होगी और अंगूठे की पहचान कराकर पैसा भेजा जा सकता है।

GENERAL STUDIES HINDI

★आधार आधारित सिस्टम की शुरुआत 14 बैंकों के साथ होने की संभावना है। इनमें से पांच बैंक भारतीय स्टेट बैंक, सिंडीकेट बैंक, आईडीएफसी बैंक, आंध्रा बैंक और इंडसइंड बैंक ने पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है।

★सरकार ने आधार पे को भीम के साथ जोड़ने का इरादा जताया है। इससे सभी बैंक एक साथ नयी सुविधा मुहैया करा सकेंगे।

**

9. पहली बार विद्युत का निवल निर्यातक बना भारत

- बिजली के सीमा पार व्यापार के लिए भारत सरकार के निर्दिष्ट प्राधिकरण, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के अनुसार भारत पहली बार बिजली के निवल आयातक की बजाए निवल निर्यातक बन गया है।
- वर्ष 2016-17 (अप्रैल से फरवरी 2017) के दौरान भारत ने नेपाल, बांग्लादेश और म्यामां को 579.8 करोड़ यूनिट बिजली निर्यात की, जो भूटान से आयात की जाने वाली करीब 558.5 करोड़ यूनिटों की तुलना में 21.3 करोड़ यूनिट अधिक है।

- पिछली सदी में सीमा पार विद्युत व्यापार प्रारंभ होने के बाद से भारत, भूटान से विद्युत आयात करता रहा है और बिहार और उत्तर प्रदेश से 33 केवी और 132 केवी रेडियल मोड में नेपाल को मामूली विद्युत का निर्यात करता रहा है। भूटान औसत रूप में भारत को 500-550 करोड़ यूनिट विद्युत की आपूर्ति करता रहा है।
- भारत नेपाल को 11 केवी, 33 केवी और 132 केवी लेवल पर 12000 से अधिक सीमा पार इंटर कनेक्शनों के लिए करीब 190 मेगावाट विद्युत का निर्यात भी करता रहा है। 2016 में 400 केवी लाइन क्षमता (132 केवी क्षमता के साथ संचालित) मुजफ्फरपुर (भारत) - धालखेबर (नेपाल) के चालू हो जाने के बाद नेपाल को विद्युत निर्यात में करीब 145 मेगावाट का इजाफा हुआ।
- भारत से बांग्लादेश को किए जाने वाले विद्युत निर्यात में उस समय वृद्धि हुई, जब सितम्बर, 2013 में 400 केवी क्षमता का पहला सीमा पार इंटर-कनेक्शन चालू हुआ। इसी तरह भारत में सुर्जामणिनगर (त्रिपुरा) और बांग्लादेश में दक्षिण कोम्मिल्ला के बीच दूसरा सीमा पार इंटर-कनेक्शन चालू होने के बाद भारत के निर्यात में और बढ़ोतरी हुई।
- 132 केवी काटिया (बिहार) – कुसाहा (नेपाल) और 132 केवी रक्सौल (बिहार) – पार्वाणीपुर (नेपाल) सीमा पार इंटर-कनेक्शन चालू हो जाने के बाद नेपाल को किए जाने वाले विद्युत निर्यात में करीब 145 मेगावाट की वृद्धि होने का अनुमान है।

भविष्य की रुपरेखा -

पड़ोसी देशों के साथ कुछ और सीमा पार सम्पर्क स्थापित किए जा रहे हैं, जिनसे भारत के विद्युत निर्यात में इजाफा होगा।

**

10. सरकारी बैंकों का नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स (NPA) रिकॉर्ड स्तर

- **सरकारी बैंकों का डूबत कर्ज यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स (एनपीए) रिकॉर्ड स्तर पर (6.8 लाख करोड़ रुपये) के पार पहुंच गया है.**
- इसमें 70 प्रतिशत हिस्सेदारी कापरेरेट घरानों की है, जबकि किसानों का हिस्सा सिर्फ 1 प्रतिशत है.
- ऐसे में यदि बैंकों का कर्ज नहीं चुकाने वाले कापरेरेट घरानों के नाम सार्वजनिक कर उन्हें शर्मिंदा किए जाने की नई व्यवस्था अपनाई जाएगी तो इससे वित्तीय संस्थानों को अपना पैसा वापस पाने में मदद मिलेगी.
- निसंदेह देश के आर्थिक इतिहास में यह पहला ऐसा चिंताजनक परिदृश्य है, जब बैंकों के डूबते हुए कर्ज देश की अर्थव्यवस्था को बुरी तरह प्रभावित कर रहे हैं. स्थिति यह है कि देश के सरकारी बैंकों के 100 सबसे बड़े फंसे हुए कर्जदारों पर कुल 1.73 लाख करोड़ रुपये बकाया है.
- देश में 7,686 ऐसे इरादतन डिफॉल्टर हैं, जिन पर सरकारी बैंकों के 66,190 करोड़ रुपये बकाया हैं.
- वैश्विक ख्याति प्राप्त संगठन 'मूडीज इन्वेस्टर सर्विस' के द्वारा प्रकाशित नवीनतम रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का लंबे समय से बढ़ता एनपीए और बढ़ते हुए बड़े बैंक बकायादार भारत की वित्तीय साख के लिए खतरा हैं. मूडीज ने कहा कि सरकार को बैंकों के बही खाते की सफाई के लिए कुछ लागत वहन करनी चाहिए.
- रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत के बैंकिंग सेक्टर के लिए वित्त वर्ष 2016-17 खासा चुनौतिपूर्ण रहा है. इस दौरान 25 सरकारी और प्राइवेट बैंकों के मुनाफे में करीब 35 फीसद गिरावट आई, जबकि ब्याज से होने वाली आय महज एक अंक में बढ़ी है.
- यद्यपि देश में बैंकिंग क्षेत्र में धोखाधड़ी रोकने व डूबे हुए कर्ज की वसूली के लिए कई कानून हैं. लेकिन इन कानूनों से कोई कारगर परिणाम नहीं मिल पा रहे हैं. कारण यह है कि उनका प्रवर्तन सही ढंग से नहीं हो पा रहा है.

- उदाहरण के लिए बैंक ऋण वसूली पंचाट (डीआरटी) पर भरोसा करते हैं, जिसका गठन सन 1993 के कानून के तहत किया गया था ताकि वित्तीय संस्थान ऋण वसूली कर सकें. नियम के मुताबिक ऋण मामलों का छह माह के भीतर निपटारा होना चाहिए, लेकिन यह नहीं हो पा रहा है.

सुधार के सुझाव

- अब सरकारी क्षेत्र के बैंकों को एक ऐसी संस्थागत प्रणाली की आवश्यकता है, जिससे उपयुक्त बैंकिंग परिचालन माहौल तैयार किया जा सके, जो बैंकों के कर्ज को राजनीतिक और अन्य दबावों से सुरक्षित कर सके. इस परिप्रेक्ष्य में बैंकिंग से संबंधित देश के कानूनी ढांचें में भी त्वरित सुधार की जरूरत है.
- वर्ष 2017-18 में सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में 10,000 करोड़ रुपये की इक्विटी पूंजी निवेश करने का प्रस्ताव किया है और कहा है कि जरूरत पड़ने पर बैंकों में और पूंजी डाली जा सकती है.
- एनपीए के बोझ से दबे सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को सरकार की ओर से ज्यादा पूंजी की जरूरत होगी क्योंकि कम मूल्यांकन के कारण वह बाजार से पैसा जुटाने में कठिनाई का सामना कर रहे हैं. केंद्रीकृत सार्वजनिक क्षेत्र परिसंपत्ति पुनर्वास एजेंसी (पीएआरए) को गठित करके फंसे हुए कर्ज के निपटारे का प्रभावी समाधान किया जाना होगा.
- यह एजेंसी बड़े और चुनौतीपूर्ण मामलों का जिम्मा ले सकती है और फंसे हुए कर्ज को कम करने के लिए राजनीतिक रूप से कड़े निर्णय भी कर सकती है, जिसमें गैर-निष्पादित आस्तियां और पुनर्गठित कर्ज भी शामिल हैं. बैंकिंग क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने गैर-निष्पादित परिसंपत्ति के लिए मंजूरी योग्य प्रावधान को 7.5 फीसद से बढ़ाकर 8.5 फीसद करने का जो प्रस्ताव किया है उसका कारगर क्रियान्वयन किया जाना होगा.
- बैंकों के बड़े बेईमान चूककर्ताओं के लिए सरकार को कठोरता से पेश आना होगा. इससे वर्ष 2017-18 में बैंकों की कर देनदारी में कमी आएगी.
- इसी परिप्रेक्ष्य में नये वर्ष के बजट में प्रावधान भी किया गया है. जिसके तहत बैंकों की रकम लेकर फरार लोगों की जायदाद जब्त की जाएगी. ऐसे कई मौके सामने आए हैं जब बड़ी लोग रकम लेकर देश से फरार हो जाते हैं. अतएव नये कानून के तहत ऐसे लोगों की परिसंपत्तियां जब्त की जा सकती है.
- वस्तुत: सरकार की यह घोषणा महत्त्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि दीवालियापन और अन्य दूसरे कानूनों के साथ यह नया प्रावधान बैंकों को उनकी रकम वसूलने के लिए और ज्यादा अधिकार देगा. निश्चित रूप से केंद्र सरकार के बैंकिंग सुधारों के नये प्रयास देश में बैंकों को मजबूत बनाने और डूबते हुए कर्ज से गंभीर रूप से बीमार अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं.

GENERAL STUDIES HINDI

**

11.वित्तीय समावेशन और निवेश मॉडल पर SEBI का सर्वे

बाजार नियामक संस्था सेबी के ताजा सर्वे के निष्कर्ष :

- निवेश के मामले में भारतीयों की पसंद में आज भी खास बदलाव नहीं आया है। देश में 95 फीसद से ज्यादा परिवार अपने धन को बैंक में जमा करने को तरजीह दे रहे हैं।
- म्यूचुअल फंड या शेयर में निवेश का विकल्प चुनने वालों का अनुपात 10 फीसद से भी कम है।
- शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में किए गए इस सर्वेक्षण के अनुसार जीवन बीमा दूसरा सबसे पसंदीदा निवेश माध्यम है।
- निवेश के पांच शीर्ष ठिकानों में कीमती धातुएं, डाकघर बचतें और रियल एस्टेट भी शामिल हैं।

- सर्वे के मुताबिक शहरी परिवारों में निवेश के लिहाज से म्यूचुअल फंड छठे नंबर (9.7 फीसद) पर है। उसके बाद शेयर (8.1 फीसद), पेंशन योजना, कंपनी जमा, डिबेंचर, डेरिवेटिव व जिंस वायदा (एक फीसद) का स्थान है।
- ग्रामीण क्षेत्र में म्यूचुअल फंड और शेयर के बारे में उनकी जागरूकता बहुत कम (सिर्फ 1.4 फीसद) ही है। हालांकि ग्रामीण इलाकों के 95 फीसद लोगों के पास बैंक खाते, 47 फीसद के पास जीवन बीमा, 29 फीसद के पास डाकघर जमा और 11 फीसद के पास कीमती धातुओं के रूप में धन जमा है।

देश में बढ़ रहा निवेशक आधार

- सेबी के इस सर्वेक्षण में करीब 75 फीसद निवेशकों ने पिछले पांच साल में पहली बार सिक्योरिटी मार्केट में हिस्सा लिया। यह सर्वे 2015 में शुरू किया गया और पिछले साल पूरा हुआ। पिछला सर्वेक्षण 2008-09 में हुआ था। सर्वे के मुताबिक आइपीओ से जुड़ी खबरों के लिए अखबार और टीवी दो सबसे बड़े स्त्रोत हैं।

जोखिम माने खतरा और नुकसान

निवेशकों को जब यह लाइन सुनाई देती है कि यह निवेश बाजार जोखिमों से जुड़ा है, तो उनके लिए इसका मतलब खतरे या नुकसान से होता है। हालांकि, कुछ निवेशकों के लिए जोखिम का मतलब रोमांच और अवसरों से है। निवेशक बाजार जोखिमों मसलन उतार-चढ़ाव और वित्तीय नुकसान को लेकर ज्यादा चिंतित रहते हैं।

जोखिम का मतलब ही निवेशकों के लिए अलग-अलग होता है। जोखिम का जिक्र आते ही 33 फीसद निवेशकों के जेहन में खतरा शब्द सबसे पहले उभरता है। 23 फीसद इसे नुकसान से जोड़ते हैं। सोलह फीसद निवेशकों के लिए यह रोमांच तो आठ प्रतिशत के लिए अवसरों से जुड़ा है।

**

6 बैंकों के मर्जर के बाद टॉप 50 की लीग में शामिल हुआ एसबीआई

- देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में उसके 6 एसोसिएट बैंकों के मर्जर के बाद अब वह दुनिया के टॉप 50 बैंकों में शामिल हो गया है।
- इस मर्जर के बाद एसबीआई के पास करीब 26 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के डिपॉजिट्स होंगे और कर्ज पर दी गई राशि 18.50 लाख करोड़ रुपए के करीब पहुंच जाएगी।
- मर्जर के बाद एसबीआई की उत्पादकता बढ़ेगी और ऑपरेशनल तेजी भी आएगी।
- एसबीआई के ग्राहकों की संख्या बढ़कर 37 करोड़ के करीब पहुंच गई है। देश भर में ब्रांच नेटवर्क 24,000 के करीब और एटीएम की संख्या 59 हजार के करीब पहुंच गया है।'

GENERAL STUDIES ONLY

इन बैंकों का हुआ मर्जर

- एसबीआई के सभी एसोसिएट बैंकों, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर ऐंड जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर और स्टेट बैंक ऑफ पटियाला का 1 अप्रैल से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में विलय हो गया है।
- भारतीय महिला बैंक का विलय।

**

12. 1 जुलाई से लागू होगा जीएसटी, लोकसभा में GST के लिए जरूरी चार बिल पारित

- 'एक देश, एक कर' के विचार को साकार करने की दिशा में कदम बढ़ाते हुए बहुप्रतीक्षित जीएसटी ने अहम पड़ाव पार कर लिया है। लोकसभा ने वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के लिए जरूरी चार विधेयकों को पारित कर दिया।
- **<u>इन विधेयकों को मिली मंजूरी</u>**

1. केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर (सीजीएसटी) विधेयक 2017
2. एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर (आईजीएसटी) विधेयक 2017
3. वस्तु एवं सेवा कर (राज्यों को क्षतिपूर्ति) विधेयक, 2017
4. संघ राज्य क्षेत्र वस्तु एवं सेवा कर (यूटीजीएसटी) विधेयक 2017

- अब इन विधेयकों पर राज्यसभा की मुहर लगने और राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद एक जुलाई, 2017 से जीएसटी लागू करने का रास्ता साफ हो जाएगा।

- पेट्रोलियम उत्पादों पर यह कर कब से लागू हो, इसका फैसला जीएसटी काउंसिल करेगी। ऐसा होने पर देश भर में रियल एस्टेट व डीजल-पेट्रोल पर लगने वाले करों में भी काफी एकरूपता आ जाएगी।

- **जीएसटी के लागू होने पर केंद्र के आठ तथा राज्यों के नौ अप्रत्यक्ष कर व सेस समाप्त हो जाएंगे।**
- **शराब को छोड़कर बाकी सभी** वस्तुएं और सेवाएं जीएसटी के दायरे में आएंगी।
- हालांकि खाद्य वस्तुओं सहित कई आवश्यक वस्तुओं व सेवाओं पर जीएसटी की दर शून्य होगी।
- इसके चार स्लैब- 5, 12, 18 और 28 प्रतिशत होंगे। वैसे, जीएसटी की अधिकतम दर 40 प्रतिशत होगी।
- इसके अतिरिक्त तंबाकू उत्पादों और लक्जरी वस्तुओं पर सेस अलग से लगेगा।
- जीएसटी लागू होने पर सामान्य श्रेणी के राज्यों में **20 लाख और विशेष श्रेणी के राज्यों में 10 लाख से अधिक के सालाना कारोबार वाले व्यापारियों को ही पंजीकरण** कराना होगा।

अभी चलने होंगे 10 कदम

1. सीजीएसटी, यूटीजीएसटी, आईजीएसटी और क्षतिपूर्ति विधेयक अब राज्यसभा में जाएंगे
2. जीएसटी काउंसिल 31 मार्च की बैठक में मॉडल जीएसटी नियम तय करेगी
3. सरकार जीएसटी नियमों को अधिसूचित करेगी
4. जीएसटी काउंसिल वस्तु व सेवा कर की दरें तय करेगी
5. आईटी फ्रेमवर्क का अपग्रेडेशन
6. क्रियान्वयन की चुनौतियां
7. केंद्र और राज्य प्रशासन का प्रभावी प्रबंधन
8. नौकरशाही के स्तर पर तैयारी
9. प्रशिक्षण
10. कारोबारियों को जागरूक बनाना

GENERAL STUDIES HINDI

जीएसटी के पांच फायदे

व्यापारियों के लिए

1. कई करों की जगह एक कर
2. दोहरा कराधान नहीं
3. पूरा देश एक बाजार होगा
4. रिटर्न और रिफंड में आसानी
5. आसान पंजीकरण

आम लोगों के लिए

1. सरल कर प्रणाली
2. बार-बार कर लगने की प्रक्रिया खत्म होने से महंगाई घटेगी
3. देशभर में एक समान कीमतें
4. कर प्रणाली में पारदर्शिता

5. जीडीपी और रोजगार में वृद्धि
**

13 . छत्तीसगढ़ का पीडीएस मॉडल आदर्श कैसे ?

- उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने मंत्रियों के साथ एक प्रतिनिधि मंडल रायपुर भेजा है। वे यहां समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के लिए प्रदेश में लागू पीडीएस मॉल को समझने आए हैं। उन्होंने छत्तीसगढ़ सरकार के पीडीएस के तहत धान उपार्जन और राशन वितरण की प्रक्रिया को लेकर प्रेजेंटेशन भी देखा। पीडीएस मॉडल से प्रभावित होकर उन्होंने छत्तीसगढ़ सरकार की सार्वजनिक वितरण प्रणाली की जमकर तारीफ की.

छत्तीसगढ़ का पीडीएस मॉडल आदर्श कैसे ?

- छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य है, जिसने अपनी विधानसभा में वर्ष 2012 में खाद्य सुरक्षा और पोषण सुरक्षा कानून बनाकर अपने राज्य के गरीबों को भोजन का अधिकार दिलाया है।
- राशन वितरण के साथ-साथ समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन भी इस प्रणाली में किया जा रहा है।
- राज्य में इस प्रणाली के तहत 12 हजार 348 उचित मूल्य दुकानों के जरिए 58 लाख से ज्यादा गरीब परिवारों को हर महीने सिर्फ एक रूपए किलो में चावल दिया जा रहा है।
- इनमें से प्राथमिकता वाले नीले राशन कार्डधारक परिवारों को एक रूपए किलो में प्रति सदस्य सात किलो और अन्त्योदय श्रेणी के गुलाबी राशन कार्ड धारक परिवारों को एक रूपए किलो में 35 किलो चावल हर महीने दिया जाता है।
- आदिवासी क्षेत्रों में प्रति परिवार दो किलो और गैर अनुसूचित क्षेत्रों में प्रति परिवार एक किलो निःशुल्क आयोडाइज्ड नमक भी दिया जा रहा है। इसी तरह आदिवासी क्षेत्रों में हर महीने में सिर्फ पांच रूपए किलो में दो किलो चना भी वितरित किया जा रहा है।

- यहां के खाद्य सुरक्षा कानून में राशन कार्ड को खाद्य अधिकार पुस्तिका का नाम दिया गया है। प्रत्येक राशन कार्ड परिवार की **वरिष्ठ महिला मुखिया के नाम** पर जारी करने का प्रावधान है।

- वित्तीय वर्ष 2017-18 से राज्य के लगभग आठ हजार दिव्यांगों को निःशुल्क चावल देने का भी ऐलान किया है।

- राशन वितरण और धान उपार्जन में पारदर्शिता के लिए सम्पूर्ण सार्वजनिक वितरण प्रणाली का वर्ष 2008 से **कम्प्यूटरीकरण** किया जा चुका है। इसके जरिये **सम्पूर्ण प्रणाली को ऑन लाइन** किया गया है।
- खाद्य विभाग की जनभागीदारी वेबसाइट में पंजीयन करवाने पर **नागरिकों को ई-मेल के जरिए अपनी समस्या और अपने सुझाव भेजने की सुविधा** मिलने लगती है।
- नागरिक इसमें अपना पंजीयन एसएमएस सुविधा के लिए भी करवा सकते हैं, जिसमें उन्हें उनके **मोबाइल नम्बर** अथवा ई-मेल आईडी पर नागरिक आपूर्ति निगम के प्रदाय केन्द्र से संबंधित उचित मूल्य दुकान को **राशन सामग्री पहुंचाने वाले ट्रक नम्बर और उस ट्रक के द्वारा राशन दुकान में सामग्री पहुंचाने की पुष्टि** भी की जाती है।
- इतना ही नहीं इस प्रणाली में खाद्य विभाग द्वारा जनवरी 2008 से **निःशुल्क कॉल सेन्टर का भी संचालन** किया जा रहा है।

इसमें कोई भी नागरिक टोल फ्री नम्बर 18002333663 अथवा टोल फ्री नम्बर 1967 डायर करके अपनी शिकायत या समस्या दर्ज करवा सकता है, जिसका यथा संभव त्वरित निराकरण किया जाता है। कॉल सेन्टर में 25 जनवरी 2017 तक 14 हजार 98 शिकायतें दर्ज हुई। इनमें से 13 हजार 269 शिकायतों का निराकरण कर दिया गया है।

- प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत राज्य में इस वित्तीय वर्ष 2016-17 में दस लाख परिवारों को महिलाओं के नाम पर सिर्फ 200 रूपए के पंजीयन शुल्क में निःशुल्क रसोई गैस कनेक्शन देने का लक्ष्य वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पहले ही पूर्ण कर लिया गया है।
- इतना ही नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ पहला राज्य है, जिसके द्वारा इस योजना में अपने यहां के हितग्राहियों को केवल 200 रूपए का अंशदान (पंजीयन शुल्क) लेकर डबल बर्नर चूल्हा और पहला भरा हुआ सिलेण्डर मुफ्त दिया जा रहा है।

**

14. संसदीय समिति ने वित्त वर्ष बदलकर जनवरी-दिसंबर करने का सुझाव दिया

संसद की एक समिति ने देश में वित्त वर्ष का समय बदलकर जनवरी-दिसंबर करने का सुझाव दिया है। समिति ने कहा है कि अप्रैल से मार्च के वित्त वर्ष की अंग्रेजों द्वारा शुरू की गई दशकों पुरानी परपंरा समाप्त कर दी जानी चाहिए।

- वित्त वर्ष की मौजूदा व्यवस्था भारत सरकार ने 1867 में अपनायी थी। इसका मुख्य उद्देश्य भारत के वित्त वर्ष को ब्रिटेन सरकार के वित्त वर्ष के साथ मिलाना था। 1867 से पहले भारत में वित्त वर्ष एक मई से शुरू होता था और अगले वर्ष 30 अप्रैल को समाप्त होता था।
- वित्त मंत्रालय से जुड़ी संसदीय समिति ने बजट पेश करने की तिथि पहले खिसकाने के मामले में जल्दबाजी को लेकर वित्त मंत्रालय की आलोचना की। समिति ने कहा कि बजट एक महीना पहले पेश किये जाने से पहले अच्छी तैयारी और पर्याप्त जमीनी कार्य किये जाने चाहिये थे।
- समिति उम्मीद करती है कि सरकार अगले साल से अच्छी तैयारी करेगी। इस संदर्भ में बाधा को ध्यान में रखते हुए समिति यह सुझाव देगी कि वित्त वर्ष को भी उसी हिसाब से बदलकर कैलेंडर वर्ष कर दिया जाए| सरकार ने बजट संबंधित विधायी कार्य 31 मार्च तक पूरा करने के लिये उसे एक महीना पहले पेश करने का फैसला किया ताकि संबंधित मंत्रालय वित्त वर्ष शुरू होने के साथ ही आबंटित धन खर्च करना शुरू कर सके।

**

15. नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे : महिलाओं के वित्तीय समावेशन में वृद्धि

- नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के मुताबिक भारत में महिलाओं ने वित्तीय मामलों में लंबी छलांग लगाई है।
- 53 प्रतिशत महिला आबादी के पास अब बैंक अकाउंट है। एक दशक पहले यह आंकड़ा केवल 15 प्रतिशत था।
- इस स्टडी में खुलासा हुआ कि महिलाओं के बचत खातों की संख्या, घर खरीदने और घरेलू मामलों में फैसला लेने में बढ़ोत्तरी हुई है।

GENERAL STUDIES HINDI

- इस डाटा में यह भी सामने आया कि शादीशुदा महिलाओं के साथ हिंसा में भी कमी आई है।
- वैवाहिक जीवन में हिंसा झेल रही महिलाओं का प्रतिशत 37.2 से घटकर 28.8 प्रतिशत हो गया है।
- सर्वे में यह भी पता चला कि गर्भावस्था के दौरान केवल 3.3 प्रतिशत को ही हिंसा का सामना करना पड़ा। यह सूचक बताता है कि **जागरूकता और सामाजिक सुधार बढ़ा** है।
- बैंक अकाउंट वाली महिलाओं में 38 प्रतिशत छलांग के साथ यह भी सामने आया है कि 15 से 49 साल की उम्र में 84 प्रतिशत शादीशुदा महिलाएं घरेलू फैसलों में हिस्सा ले रही है। इससे पहले 2005-06 में यह आंकड़ा 76 प्रतिशत था।
- डाटा में पता चलता है कि 38.4 प्रतिशत महिलाएं अकेली या किसी के साथ संयुक्त रूप से घर या जमीन की मालकिन हैं।

**

16. 2016-17 में प्रति व्यक्ति आय 10 फीसदी बढ़कर 1,03,818 रुपए रहने का अनुमान

- देश की प्रति व्यक्ति आय वित्त वर्ष 2017 में 10.2 फीसदी बढ़कर 1,03,818 रुपए रह सकती है. सरकार ने 28 फरवरी को यह आंकड़ा जारी किया है.
- वित्त वर्ष 2015-16 में प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय 94,178 रुपए रही जो इससे पिछले वित्त वर्ष से 8.9 फीसदी ज्यादा थी.
- वर्ष 2016-17 की राष्ट्रीय आय के दूसरे अनुमान के मुताबिक, 'वित्त वर्ष 2016-17 में प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय बढ़कर 1,03,818 रुपए रहने का अनुमान है.'

**

17. भारत के लिए चिंता का विषय : लगातार बढ़ता हुआ चीन के साथ व्यापार घाटा

- भारत के साथ द्विपक्षीय व्यापार में चीन की बढ़त कम होने का नाम नहीं ले रही है। बीते दो साल में तमाम प्रयासों के बावजूद चीन के साथ व्यापार घाटे को कम करने में सरकार को सफलता नहीं मिल रही है।
- साल 2016 में द्विपक्षीय व्यापार चीन के पक्ष में रहा और भारत के लिए व्यापार घाटा **46.56 अरब डॉलर** रहा।

भारत के लिए चिंता का विषय

- चीन के साथ द्विपक्षीय व्यापार में उसका हावी रहना भारत के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। बीते दो-तीन साल से इसे कम करने के लगातार प्रयास हो रहे हैं।
- चीन को होने वाले भारतीय निर्यात को बढ़ाने के उपाय किये जा रहे हैं। लेकिन दोनों देशों के बीच होने वाले कारोबार की प्रकृति इस तरह की है जिसके चलते यह चीन के पक्ष में ही बना हुआ है।
- साल 2015 में भारत और चीन के बीच होने वाले कारोबार में व्यापार घाटा 45 अरब डॉलर का था। दोनों देशों के द्विपक्षीय कारोबार में चीन की इस बढ़त को लेकर कई स्तरों पर चिंता व्यक्त की गई और देश के कई बाजारों में चीनी उत्पादों के बहिष्कार को लेकर भी अभियान चले।

लेकिन इसके बावजूद 2016 में न तो चीन को होने वाले भारतीय निर्यात की रफ्तार को तेज किया जा सका और न ही वहां से होने वाले आयात में कोई कास कमी आई।

- भारतीय उत्पादों को चीन में लोकप्रिय बनाने के मजबूत प्रयास किये जा रहे हैं। इसके बावजूद चीन को होने वाले भारतीय निर्यात में गिरावट का क्रम बना हुआ है। साल 2016 में इसमें पिछले साल के मुकाबले 12 फीसद की कमी दर्ज की गई।

विशेषज्ञों का मानना है कि दोनों देशों के द्विपक्षीय व्यापार में सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि दोनों देशों के ज्यादातर उत्पाद आपस में प्रतिस्पर्धा की स्थिति में हैं। ऐसे में चीन के उत्पाद अपने अत्याधुनिक औद्योगिक माहौल के चलते भारतीय उत्पादों से बेहतर होते हैं। इसके चलते घरेलू बाजार में चीनी उत्पादों की मांग अधिक रहती है।

- जबकि चीन के बाजार में भारतीय उत्पाद अपनी जगह नहीं बना पाते हैं। मोबाइल हैंडसेट और इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद इसके ज्वलंत उदाहरण हैं। एक और उदाहरण से इसे समझें तो साल 2015-16 में हुए वाहन और कारों के कलपुर्जों के निर्यात से समझा जा सकता है।
- इस वर्ष भारत ने 14.35 अरब डॉलर के वाहनों और कलपुर्जों का निर्यात किया। लेकिन इसमें से केवल 46 करोड़ डॉलर का निर्यात ही चीन को हो सका। सरकार ने केवल चीन को निर्यात बढ़ाने के उपाय ही नहीं किये हैं। बल्कि चीन से होने वाले गैर जरूरी आयात को नियंत्रित करने के भी प्रयास बीते दो साल में हुए। एंटी डंपिंग ड्यूटी के जरिये चीन से आने वाले गैर जरूरी स्टील, रसायन आदि के आयात को काबू में करने के काफी प्रयास हुए।

**

18. भारत बना अमेरिकी प्रतिभूतियों में 12वां सबसे बड़ा निवेशक

भारत अमेरिकी सरकार की प्रतिभूतियों में निवेश करने वाला 12वां सबसे बड़ा निवेशक बनकर उभरा है। बीते साल के आखिर में अमेरिका की इन सरकारी प्रतिभूतियों में **भारत का निवेश 118.2 अरब डॉलर** था।

- अमेरिकी ट्रेजरी विभाग की ओर से जारी नवीनतम आंकड़ों से यह तथ्य सामने आया है।
- इस मामले में **जापान शीर्ष पर** है। इस देश ने अमेरिकी सरकार की प्रतिभूतियों में 1,090 अरब डॉलर का निवेश कर रखा है।
- अमेरिकी प्रतिभूतियों में निवेश के मामले में चीन दूसरे पायदान पर है। भारत के इस पड़ोसी देश ने सरकारी प्रतिभूतियों में 1,060 अरब डॉलर का निवेश किया हुआ है।
- इसी तरह 288.2 अरब डॉलर के निवेश के साथ आयरलैंड तीसरे स्थान पर है। केमैन आइलैंड 263.5 अरब डॉलर के निवेश के साथ चौथे नंबर पर है। जबकि 259.2 अरब डॉलर निवेश कर ब्राजील सूची में पांचवें पायदान पर है।

**

19.GST : तीन सदस्यीय होगा जीएसटी अपीलीय ट्रिब्यूनल

संरचना :

- वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) संबंधी विवादों के निपटारे के लिए तीन सदस्यीय जीएसटी अपीलीय ट्रिब्यूनल बनेगा। सरकार केंद्रीय जीएसटी कानून के तहत जीएसटी ट्रिब्यूनल का गठन करेगी।
- इसकी तर्ज पर राज्यों में भी इसी प्रकार के ट्रिब्यूनल बनेंगे।
  अध्यक्ष :- जीएसटी ट्रिब्यूनल की राष्ट्रीय पीठ का अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट के किसी न्यायाधीश या किसी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को ही बनाया जा सकेगा।
- साथ ही इसकी नियुक्ति भी सरकार को **सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के साथ परामर्श के बाद** करनी होगी।
- राज्य पीठ का अध्यक्ष उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखने वाले जिला न्यायाधीश और अवर सचिव स्तरीय पद पर तीन साल तक तैनात रहने वाले भारतीय विधि सेवा के सदस्य की नियुक्ति की जा सकेगी।
- राज्य पीठ के अध्यक्ष की नियुक्ति भी राज्य सरकारों को उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के साथ परामर्श के बाद करनी होगी।

- अपीलीय ट्रिब्यूनल की एक राष्ट्रीय पीठ होगी जो राष्ट्रीय राजधानी में होगी जबकि सरकार जरूरत के हिसाब से इसकी प्रादेशिक पीठ भी बनाएगी।
- इस पीठ में अध्यक्ष के अलावा दो तकनीकी सदस्य भी होंगे, जिनमें से एक की नियुक्ति केंद्र सरकार करेगी जबकि दूसरे की नियुक्त राज्य सरकार करेगी। वहीं राज्य स्तर पर भी जीएसटी ट्रिब्यूनल की दो तरह की पीठ होंगी।
- राज्य पीठ में भी दो तकनीकी सदस्य होंगे जिसमें एक केंद्र से होगा जबकि दूसरा राज्य से।

फिलहाल केंद्रीय उत्पाद, सीमा शुल्क और सेवा कर के मामलों को निपटाने के लिए जो ट्रिब्यूनल होता है, उसमें राज्यों के प्रतिनिधि नहीं होते हैं।

- हालांकि जीएसटी केंद्र और राज्यों में एक समान कर होगा, इसलिए इसके मामलों के निपटान के लिए केंद्र और राज्यों में बनने वाले ट्रिब्यूनल में दोनों के ही तकनीकी सदस्य शामिल होंगे।

कार्य और कार्यक्षेत्र :-

- राष्ट्रीय पीठ और प्रादेशिक पीठ जहां 'आपूर्ति के स्थान' से संबंधित विवादों को सुनेंगी वहीं राज्य और क्षेत्रीय पीठ अन्य मामलों को सुनेंगी।

- अपीलीय प्राधिकरण के फैसले से असंतुष्ट व्यक्ति तीन माह के भीतर ट्रिब्यूनल के पास अपील कर सकेगा। हालांकि अपीलकर्ता पर कर बकाया है तो उसे अपीलीय प्राधिकरण द्वारा निर्धारित की गयी कर देयता का कम से कम 20 प्रतिशत राशि अग्रिम भरनी होगी तभी उसकी अपील स्वीकार की जाएगी।

**

20.नीति आयोग की रिपोर्ट : सड़कों जैसा हो रेल लाइनों का विस्तार

- आजादी के बाद जिस तरह से देश में सड़कों का जाल फैला है, वैसा विस्तार रेलवे का नहीं हुआ। यह बात नीति आयोग की एक रिपोर्ट में मुख्यता से उठाई गयी है।
- नीति आयोग ने अपनी रिपोर्ट में रेलवे से कहा है कि वह राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम और प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की तरह देश के कोने-कोने तक रेल लाइनों का जाल फैलाने के लिए एक राष्ट्रीय योजना तैयार करे।
- आयोग ने कहा है कि आजादी के इतने वर्षों बाद भी पूर्वोत्तर तथा ओडिशा के अनेक इलाकों में रेल लाइन नहीं पहुंची है। लिहाजा हमें रेलवे में भी राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम (एनएचडीपी) तथा प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) जैसी योजनाओं की जरूरत है।
- उल्लेखनीय है कि एनएचडीपी तथा पीएमजीएसवाई की शुरुआत वर्ष 2000 में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल के दौरान की गई थी। आयोग ने कहा कि जब तक हम देश के सभी जिलों में रेल नेटवर्क के विस्तार की योजना नहीं बनाते और इसे राष्ट्रीय प्राथमिकता में नहीं लाते तब तक देश के सभी लोगों को किफायती, सुगम और पर्यावरण अनुकूल यातायात सुविधा का लाभ नहीं मिल सकता।
- नीति आयोग इस योजना को रेलवे की सामान्य योजना से एकदम अलग रखने के पक्ष में है। ठीक वैसे ही जैसे एनएचडीपी को पीडब्ल्यूडी और एनएचएआइ द्वारा बनाई जाने वाली सामान्य सड़क योजनाओं से एकदम अलग रखा गया है।
- - यही नहीं, आयोग रेलवे के यात्री यातायात में बढ़ोतरी किए जाने तथा एयरलाइनों के साथ मुकाबला किए जाने के पक्ष में भी है। ताकि संपन्न वर्ग के लोगों को प्रतिस्पर्द्धी दरों पर आरामदेह यात्रा की सुविधा दी जा सके। लंबे अरसे से रेलवे के यात्री यातायात में बढ़ोतरी नहीं हुई है।

क्या है एनएचडीपी और पीएमजीएसवाई

राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम (एनएचडीपी) के तहत कुल चार, छह और आठ लेन के 46,635 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण की योजना बनाई जा चुकी है। इसमें से 25,726 किलोमीटर राजमार्गों का निर्माण हो चुका है, जबकि 10767 किलोमीटर सड़कें निर्माणाधीन हैं।

इसी तरह प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के तहत शामिल 1,58,891 गांवों में से 84,414 गांवों को जोड़ने के लक्षित 3,67,693 किलोमीटर में से 2,09,570 किलोमीटर नई सड़कों का निर्माण किया जा चुका है। जबकि 3,74,844 किलोमीटर पुरानी सड़कों में से 1,40,930 किलोमीटर सड़कों का उच्चीकरण किया जा चुका है। इस समय पीमजीएसवाई के तहत रोजाना औसतन लगभग 133 किलोमीटर सड़कों का निर्माण हो रहा है।

**

21.जी-20 देशों में भारतीय अर्थव्यवस्था सबसे तेजी से बढ़ेगी : मूडीज

प्रमुख वैश्विक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज ने संभावना जताई है कि 2017 में जी-20 देशों भारतीय अर्थव्यवस्था के बढ़ने की रफ्तार सबसे तेज होगी. जी-20, 20 देशों का समूह है. इसमें अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया भी शामिल हैं.

- मूडीज के मुताबिक 2016 की आखिरी तिमाही में हुए नोटबंदी के फैसले के चलते भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर घट गयी है, फिर भी 2017 में यह 7.1 प्रतिशत की दर से बढ़ेगी. पहले इस आंकड़े के 7.5 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया था.
- इसके अलावा मूडीज का यह भी आकलन है कि 2017-2018 में वैश्विक अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर में भी बढ़ोतरी होगी. एजेंसी के मुताबिक 2016 में यह 2.6 प्रतिशत थी जिसके अब तीन फीसदी तक जाने का अनुमान है. हालांकि मूडीज ने यह भी आशंका जताई है कि अमेरिका की तेजी से बदलती हुई रणनीतियों के चलते ये अनुमान बदल सकते हैं

Effect of US policies:

- अमेरिका की घरेलू और अंतरराष्ट्रीय नीतियों में बड़े बदलावों के चलते विश्व अर्थव्यवस्था से जुड़े पूर्वानुमानों में बड़ी अनिश्चितता दिख रही है. इन नीतियों में व्यापार और आप्रवासियों से जुड़े मुद्दे भी शामिल हैं.
- यदि अमेरिका की ब्याज दरों और डॉलर की कीमतों में कोई अप्रत्याशित बदलाव आता है तो विश्व की अर्थव्यवस्था निश्चित तौर पर प्रभावित होगी.
- अमेरिका के अलावा यूरोपीय संघ में आ रहे अलगाव और इसके सदस्य देशों की रणनीतियों में आ रहे बदलाव और चीन की अर्थव्यवस्था में तेजी से आ रही मंदी भी विश्व अर्थव्यवस्था की वृद्धि को प्रभावित कर सकती है. एक आंकड़े के मुताबिक चीन की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 2016 के 6.7 प्रतिशत से घटकर 2017-2018 में 6.3 से लेकर 6 प्रतिशत तक नीचे आ जाएगी.

**

22. India QR जारी, पूरा देश हो जाएगा कैशलेस

केंद्र सरकार द्वारा कैशलेस व्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए एक नई तकनीक तैयार की गई है। इसके माध्याम से अब लोग बिना किसी मुश्किल के पैसों का लेनदेन डिजिटल माध्यम से कर पाएंगे।

- यह देशभर में रिटेल मर्चेंट्स प्वाइंट्स पर डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने की सरकार की मुहिम का दूसरा अहम हिस्सा है।
- इससे पूर्व सरकार ने भीम ऐप के जरिए यूपीआई मोड को शुरू किया था। जिसे देश के सभी बैंक ग्राहक तेजी से अपना रहे हैं।

=>**भुगतान क्षेत्र में नवोन्मेषण :-**

- इतना ही नहीं यह एक ऐसा माध्यम है जिसके आधार पर आपको अपना वॉलेट संभालने के बोझ से भी छुटकारा मिल जाएगा।
- सरकार की तरफ से पेश किया गया इंडिया क्यूआर मोड 20 फरवरी से शुरु
- इंडिया क्यूआर एक कॉमन क्यूआर कोड है, जिसे सभी अहम कार्ड पेमेंट कंपनियों ने मिलकर तैयार किया है।

=>**क्या है क्यूआर कोड :-**

QR कोड मशीन से पढ़ा जाने वाला कोड है, जो काले सफेद खानों से मिलकर बनता है। इसका इस्तेमाल मजबूत वेबसाइट लिंकों या अन्य सूचनाओं को स्मार्टफोन पर कैमरे से पढ़ने के लिए होता है। इंडिया क्यूआर को मास्टरकार्ड इंक, वीजा इंक और रुपे ने मिलकर तैयार किया है। इसे मुंबई में औपचारिक रूप से शुरू किया जाएगा। इंडिया क्यूआर किसी भी ग्राहक को अपने स्मार्टफोन के इस्तेमाल से रीटेल पेमेंट की इजाजत देता है, जिनके पास डेबिट कार्ड है।

**

Society

1. 20 साल में महिलाओं के खिलाफ अपराध में 200 फीसदी से अधिक की बढ़ोतरी

#Times of India

Ø देश में 1995 से 2015 के दौरान महिलाओं के खिलाफ अपराध में 200 फीसदी से अधिक बढ़ोतरी दर्ज की गई है.

Ø इस अवधि में यह आंकड़ा 79,000 से बढ़कर 2.47 लाख हो गया.

Ø दो दशक पहले महिलाओं के खिलाफ अपराध की दर 185.1 प्रति लाख थी जो 2015 में बढ़कर 234.2 हो गई.

Ø पिछले दो दशक में महिलाओं पर उनके पति या संबंधियों द्वारा की गई हिंसा के मामले में तिगुनी बढ़ोतरी दर्ज की गई है. 1995 में इस तरह के कुल 29,000 मामले दर्ज किए गए थे जो 20 साल बाद 1.13 लाख हो गए. महिलाओं के साथ दुष्कर्म के मामलों में भी इस दौरान 152 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है.

**

अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) के न्यूनतम आयु कनवेंशन, 1973 (नंबर 138) और बालश्रम का सबसे खराब स्वरूप कनवेंशन, 1999 (नंबर 182) के अनुमोदन को मंजूरी

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन के दो मौलिक कनवेंशनों रोजगार पाने की न्यूनतम उम्र से संबंधित न्यूनतम आयु कनवेंशन (नंबर 138) और मजदूरी के सबसे खराब स्वरूपों के उन्मूलन के लिए निषेधाज्ञा एवं तत्काल कार्रवाई से संबंधित बाल श्रम का सबसे खराब स्वरूप कनवेंशन (नंबर 182) के अनुमोदन को अपनी मंजूरी दे दी है। भारत अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) का संस्थापक सदस्य है। यह 1919 में अस्तित्व में आया। इस समय आईएलओ के 187 सदस्य हैं। आईएलओ की प्रमुख गतिविधियों में कनवेंशनों, अनुशंसाओं और प्रोटोकाल के रूप में अंतरराष्ट्रीय मानकों की स्थापना करना है। भारत ने अभी तक 45 कनवेंशनों का अनुमोदन किया है, जिनमें से 42 प्रभावी हो गए हैं। इनमें से चार मौलिक या मूल कनवेंशन हैं।

पृष्ठभूमि

बाल श्रम से संबंधित चिंताओं को दूर करने के लिए सरकार ने कड़े विधायी और परियोजना आधारित दृष्टिकोण समेत बहु आयामी रणनीति अपनाई है। हालांकि बाल एवं किशोरावस्था श्रम (निषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के समुचित कार्यान्वयन को सुनिश्चित करते हुए हमारे देश के बच्चों के सुरक्षित और सफल भविष्य के लिए इसकी पहल को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। यह अधिनियम किसी भी व्यवसाय या प्रक्रिया में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के रोजगार या काम करने पर रोक लगाता है। बाल श्रम के उन्मूलन के लिए हालिया पहलों की गति को बरकरार रखा जाना चाहिए। 2030 तक स्थायी विकास लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए बालश्रम को खत्म किया जाना अहम है। कनवेंशन संख्या 138 और 182 का अनुमोदन देश से बाल श्रम के उन्मूलन के लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में एक अगला कदम है, क्योंकि यह कनवेंशन के प्रावधानों का पालन करने के लिए कानूनी रूप से बाध्यकारी होगा। वर्तमान में, कनवेंशन संख्या 138 को 169 देशों द्वारा स्वीकृति दी गई है और कनवेंशन 182 को 180 देशों द्वारा स्वीकृत किया गया है। इसलिए, इन दो प्रमुख कनवेंशन को मानने से, भारत उन देशों में शामिल हो जाएगा, जिन्होंने बच्चों के रोजगार और बच्चों के काम करने को निषेध करने और उस पर गंभीर प्रतिबंध लगाने के लिए कानून अपना लिया है।

**

2. Education Reforms : शिक्षकों के लिए न्यूनतम योग्यता अनिवार्य बनाने को सरकार की मंजूरी

- केंद्र सरकार ने शिक्षकों के लिए न्यूनतम योग्यता अनिवार्य बनाने को अपनी मंजूरी दे दी। इसके तहत अब **प्राथमिक पाठशालाओं (आठवीं तक के स्कूल) में नौकरी कर रहे शिक्षकों के लिए एक न्यूनतम योग्यता हासिल करना अनिवार्य** होगा।
- इससे **शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार** होगा। हालांकि शिक्षकों को यह प्रशिक्षण हासिल करने की तय अवधि 31 मार्च 2015 से बढ़ाकर 31 मार्च 2019 तक कर दी गई है। यानी उन्हें अब दो साल और मिल गए हैं।
- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में शिक्षा का अधिकार (आरटीई) कानून में संशोधन का प्रस्ताव पारित किया गया।
- ज्ञात हो, आरटीई कानून के तहत सभी सेवारत शिक्षकों को साल 2015 तक ही यह प्रशिक्षण दिलाया जाना था, लेकिन सरकार इसे अमल में नहीं ला सकी। राज्य सरकारों से मिली रिपोर्ट के मुताबिक, देश भर के 66.41 लाख शिक्षकों में अब तक 11 लाख प्रशिक्षण पूरा नहीं कर पाए हैं।
- इनमें से 5.12 लाख जहां सरकारी क्षेत्र में हैं, वहीं 5.98 लाख निजी क्षेत्र में हैं। अब 31 मार्च, 2019 तक इन्हें यह प्रशिक्षण दिया जा सकेगा। वर्ष 2010 में जब आरटीई कानून लागू हुआ था, उसी समय कानून की धारा 23 (2) के तहत यह तय किया गया था कि जिन शिक्षकों ने न्यूनतम प्रशिक्षण हासिल नहीं किया है, उन्हें हर हाल में वर्ष 2015 तक यह प्रशिक्षण दिला दिया जाएगा।

**

महिलाओं के लिए कार्यस्थल पर समानता

इस वर्ष महिला दिवस का विषय "कार्यस्थल की दुनिया में समानता- वर्ष 2030 तक दुनिया में महिला-पुरुष अनुपात 50-50 करने का लक्ष्य" पर केन्द्रित है।

- यद्यपि कार्यस्थल की दुनिया एवं माहौल महिलाओं के लिए तेज़ी से बदल रहा है, इसके बावजूद, महिलाओं के लिए'कार्यस्थल पर समानता' हासिल करने के लक्ष्य को पाने के लिए अभी हमे लंबी दूरी तय करनी है। हमें महिलाओं के वेतन, अवकाश, विशेषरूप से भुगतान सहित मातृत्व एवं शिशु देखभाल अवकाश, परिवार एवं बुजुर्गों की देखभाल के लिए विशेष अवकाश, गर्भावस्था के दौरान संरक्षण, स्तनपान कराने वाली महिलाओं की स्थिति के प्रति संवेदनशीलता और कार्यस्थल पर होने वाले यौन शोषण के क्षेत्र में महिलाओं के लिए पूर्ण समानता की ओर ध्यान केन्द्रित करने की आवश्यकता है।
- हमें अपने घरों की लड़कियों को पारंपरिक शिक्षक, बैंकर आदि नौकरियों के अलावा रोज़गार की व्यापक श्रेणियों (जैसे सेना, खेल आदि) में आगे बढ़ने और रोज़गार हासिल करने के लिए भी प्रेरित करने की ज़रूरत है। हमें अपनी बेटियों को यह सिखाने की आवश्यकता है कि वे बड़े सपने देखें और बड़ा कार्य करने की दिशा में सकारात्मक दृष्टि से कार्य करें।
- महिलाओं के करियर में एक अन्य बाधा आत्मविश्वास में कमी और पूर्वाग्रह से ग्रसित होना है, जिसकी वजह से वह ख़ुद अपने आप से ही हार रही हैं। शादी, गर्भावस्था, शिशु जन्म, स्तनपान एवं शिशु देखभाल आदि को महिलाओं के करियर में बाधा या किसी रोक के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए।
- अपने जीवन में विभिन्न भूमिकाएं निभाने की वजह से आजकल महिलाएं कार्यस्थल, घर एवं समाज में विभिन्न चुनौतियां का सामना कर रही हैं। हम महिलाओं से अपेक्षा रखते हैं कि वे मेहनत एवं ईमानदारी से नौकरी करने के अलावा गृहिणी, बेटी, बहु, पत्नी एवं समाज में निर्धारित कई अन्य भूमिकाओं को शानदार तरीके से निभाए। परिणामस्वरूप, परिवार एवं आसपास के लोगों की अपेक्षाओं को पूरी न कर पाने की वजह से ज़्यादातर महिलाएं अपराधबोध से ग्रसित हैं। इसकी वजह से महिलाओं में चिंता, अवसाद, खाने का विकार आदि समस्याएं बढ़ रही हैं। कार्यस्थल पर महिलाओं के लिए सुरक्षित एवं बेहतर माहौल के अलावा, महिलाओं के प्रति समाज के दृष्टिकोण एवं व्यवहार में भी व्यापक स्तर पर बदलाव लाने की आवश्यकता है। घर एवं कार्यस्थल, दोनों ही जगहों पर काबिले-तारीफ भूमिका

GENERAL STUDIES HINDI

निभाने के लिए, महिलाओं के ऊपर उनकी सीमा से अधिक कार्य करने के लिए दबाव नहीं बनाया जाना चाहिए।

- हमें कार्यस्थल पर महिलाओं की सफलता को सकारात्मक नज़रिए के साथ स्वीकृति देने की आवश्यकता है। यदि कोई महिला सफल होती है तो उसे घर एवं कार्यस्थल दोनों ही जगहों पर विरोध एवं शत्रुता का सामना करना पड़ता है, जबकि वास्तविक तथ्य यह है कि यदि किसी परिवार की महिला भी कार्य करती है तो उस परिवार के जीवन की गुणवत्ता में सकारात्मक रूप से काफी अधिक सुधार हो जाता है। महिलाओं को अपने पेशेवर कार्य के लिए दोषी महसूस नहीं कराया जाना चाहिए, क्योंकि दोनों अभिभावकों का घर से बाहर कार्य करना, बच्चों के लिए खासतौर पर लड़कियों के समग्र विकास के लिए काफी अच्छा होता है। "वह करियर को लेकर अत्यधिक केन्द्रित एवं सकारात्मक है", इस वाक्य को आज भी समाज में नकारात्मक तारीफ के रूप में देखा जाता है।
- हमें युवाओं के बीच ऐसे मूल्यों को बढ़ावा देने की आवश्यकता है कि वे बढ़े होने के क्रम में ही महिलाओं के साथ कार्य करने और कार्यस्थल पर उनके बेहतर सहयोगी बनने में गर्व महसूस करें। महिलाओं के कार्य करने को नकारात्मक नज़रिए से देखने के बजाय, उनकी प्रतिभा और कार्य की सराहना करें। हमें ऐसे परिवारों की आवश्यकता है, जहां स्वस्थ कार्य वातावरण उपलब्ध कराने के लिए पुरुष भी घरेलू ज़िम्मेदारियों को महिलाओं के साथ मिलकर साझा करें। जिन परिवारों में लिंग के आधार पर भेदभाव कम है (जैसेः मां कार्यस्थल पर नौकरी के लिए जाती हैं और पिता घरेलू ज़िम्मेदारियां संभालते हैं), ऐसे परिवारों के बच्चे अधिक आत्मबल से परिपूर्ण होते हैं। जैसे कि एक बार प्रधानमंत्री ने अपने 'मन की बात' कार्यक्रम में राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा था कि हमें अपने लड़कों के व्यवहार में व्यापक स्तर पर बदलाव लाने के ज़रूरत है ताकि वे महिलाओं का सम्मान करना सीख सकें। युवा पीढ़ी के पुरुषों को अपने जीवनसाथी के करियर में अहम योगदान देना चाहिए। हमें अपने लड़कों को जीवन में अपने व्यक्तित्व को सौम्य एव सहृदय बनाने की शिक्षा देनी चाहिए। उन्हें खाना बनाना, कपड़े धोना, बच्चों और बुज़ुर्गों की सेवा करना और उनकी ज़रूरतों को पूरा करना आदि कार्य सिखाने चाहिए ताकि वे भी ज़रूरत पड़ने पर महिलाओं के समान इन पारिवारिक ज़िम्मेदारियों को अपना कर्तव्य समझकर निभा सकें। हमें अपने लड़कों को संतुलित परिवार एवं करियर के मूल्यों को सिखाना चाहिए। हमें उनको यह समझाने की ज़रूरत है कि शरीर की संपूर्ण रचना और शारीरिक दृष्टि से महिलाओं के भी समान सपने और महत्वाकांक्षाएं हैं। लड़कियों को कठोर एवं मज़बूत होने की प्रेरणा देने के अलावा, हमें लड़कों के प्रति अपने रवैये को बदलने की भी आवश्यकता है।
- पिछले कुछ समय के दौरान, उच्च श्रेणी की नौकरियों एवं वित्तीय सशक्तता में महिलाओं के प्रतिनिधित्व में व्यापक सुधार दर्ज किया गया है, इसके बावजूद, हमें पेशवर महिलाओं के प्रति अपने अचेतन पूर्वाग्रहों को बदलने की ज़रूरत है। महिलाओं में व्यावहारिक परिवर्तन लाने की भी ज़रूरत है। महिलाओं को ख़ुद के भीतर मौजूद अपार संभावनाओं को लेकर आश्वस्त एवं गौरवान्वित होना चाहिए। महिलाओं के लिए समानता का मतलब केवल समान वेतन नहीं, बल्कि समान अवसर, करियर चुनने की समान स्वतंत्रता और विभिन भूमिकाओं को अदा करना होना चाहिए।
- महिला दिवस पर, पूर्वाग्रह एवं असमानताओं को चुनौती और महिलाओं की उपलब्धियों की यात्रा के जश्न द्वारा "बदलाव के लिए सशक्त बनने" (Be bold for change) की दिशा में महिलाओं को समाधान निकालना चाहिए। आओ, सभी बाधाओं पर काबू पाने के बाद, हम करियर के क्षेत्र में महिलाओं की जीत को सुदृढ़ बनाएं एवं उसका समर्थन करें। महिलाओं के लिए नई रोज़गार के अवसरों का सृजन करें, बदलाव के लिए अत्यंत सशक्त एवं खुले विचारों वाले बनें !

**

GENERAL STUDIES HINDI

3. विशाखा केस के 20 साल बाद महिलाएं कितनी आजाद

Business _StandardEditorial

Background:

उच्चतम न्यायालय ने 1997 में सुनाए अपने फैसले में कार्यस्थल पर यौन उत्पीडऩ की परिभाषा तय करने और इससे निपटने के दिशानिर्देश तय करने के साथ ही स्त्री-पुरुष समानता के लिए नया आधार तैयार किया था।

विशाखा और उसके बाद

सवाल यह है कि इस फैसले के 20 साल बीतने के बाद इसकी विरासत का आकलन किस तरह किया जाएगा? हमें यह स्वीकार करना चाहिए कि जनहित याचिका दायर करने वाले गैरसरकारी संगठन के नाम पर चर्चित विशाखा केस में आए फैसले ने विभिन्न कारणों से महिला अधिकारों को सशक्त तरीके से आगे बढ़ाने का काम किया है। यह मामला राजस्थान में जमीनी स्तर पर काम करने वाली एक महिला कार्यकर्ता के साथ हुए सामूहिक बलात्कार से जुड़ा था। उसने बाल विवाह रोकने की कोशिश की थी जिससे गुस्साए अगड़ी जातियों के लोगों ने उसके साथ दुष्कर्म कर दिया था। यह मामला उच्चतम न्यायालय तक पहुंचा था।

विशाखा केस और न्यायालय के विचार

- कार्यस्थल पर यौन उत्पीडऩ से संबंधित निर्देश जारी करने के साथ ही कहा था कि समाज के भीतर कितनी गहराई तक स्त्री जाति के प्रति विद्वेष है, भारत का औसत कार्यस्थल बुरी तरह से स्त्री-विरोधी है। विशाखा केस में कार्यस्थल पर होने वाले उत्पीडऩ को इस तरह से परिभाषित किया गया था कि उसमें भारतीय दंड संहिता की तीन धाराओं का जिक्र था। खास बात यह है कि सहकर्मियों के लंपट व्यवहार को भी उत्पीडऩ के इस दायरे में शामिल किया गया था। अब उत्पीडऩ का मतलब केवल शारीरिक संपर्क तक ही सीमित नहीं रहा था।
- कामकाजी संगठनों के लिए यह स्पष्ट निर्देश था कि महिलाओं के उत्पीडऩ की शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई के लिए उन्हें एक समिति बनानी होगी। उस समिति की प्रमुख एक महिला ही होगी और कम-से-कम आधे सदस्यों का भी महिला होना अनिवार्य कर दिया गया। इस फैसले की पथप्रदर्शक प्रवृत्ति के चलते मीडिया ने इसे प्रमुखता से जगह दी थी लेकिन उसके बाद तमाम प्रावधानों एवं दिशानिर्देशों का छोटे-बड़े संगठनों ने उल्लंघन करना शुरू कर दिया।

कार्यान्वयन

इन दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने पर किसी तरह के जुर्माने का प्रावधान नहीं होने से यह मुद्दा कभी भी भारत के कार्यस्थलों के लिए महत्त्वपूर्ण नहीं बन पाया। विडंबना है कि स्त्री-पुरुष भेदभाव के आरोप बढऩे का भी इस सुस्त प्रतिक्रिया में कुछ योगदान रहा है। दरअसल वरिष्ठ पदों पर महिलाओं की सीमित मौजूदगी के चलते उत्पीडऩ की शिकायतों पर भरोसेमंद कार्रवाई का अभाव रहा है। भारत के पुरुष वर्चस्व वाले कारोबारी जगत में कार्यस्थलों पर महिला कर्मचारियों के यौन उत्पीडऩ का मसला कोई मुद्दा ही नहीं रहा है। तमाम उद्योग मंडलों के प्रमुख निवेशकों के समक्ष भारत को सर्वाधिक तेजी से विकास कर रहे देश के तौर पर पेश करते हैं लेकिन उन्होंने अपने सदस्य संगठनों को महिलाओं के लिए हालात अनुकूल बनाने के बारे में प्रेरित नहीं किया है। इन्फोसिस ने वर्ष 2002 में यौन उत्पीडऩ के आरोपों पर अपने शीर्ष अधिकारी फणीश मूर्ति को हटा दिया था लेकिन वह महज अपवाद बनकर ही रह गया।

संसद की जिम्मेदारी

संसद को भी इस मुद्दे पर अपना रुख साफ करने में 16 साल का लंबा वक्त लग गया। वर्ष 2012 के अंतिम दिनों में एक पैरा-मेडिकल छात्रा की सामूहिक बलात्कार के बाद नृशंस तरीके से हत्या कर दिए जाने के मामले को लेकर राजधानी दिल्ली समेत देश भर में हुए व्यापक प्रदर्शनों के बाद संसद ने बेहद तेज गति से इससे संबंधित कानून को पारित किया। उसमें बलात्कार से संबंधित प्रावधानों को सख्त करने के साथ ही कार्यस्थल पर यौन उत्पीडऩ को भी काफी विस्तार से परिभाषित किया गया है। कार्यस्थल पर महिला यौन

उत्पीडऩ (निषेध, निवारक एवं निपटान) अधिनियम, 2013 ने विशाखा दिशानिर्देशों की जगह ले ली। खास बात यह है कि विशाखा केस पर फैसला सुनाने वाले न्यायमूर्ति वर्मा ने इस कानून की भी रूपरेखा तय करने में अहम भूमिका निभाई थी।

इस अधिनियम ने कार्यस्थल पर उत्पीडऩ के दायरे को व्यापक करने के साथ ही शिकायत सुनवाई समिति की शक्तियों को भी सुस्पष्ट किया है और एक निश्चित आकार वाले संगठनों को कार्यस्थल पर लैंगिक-संवेदनशीलता सुनिश्चित करने को कहा है। इसमें संगठनों को अपने सालाना रिपोर्ट में उत्पीडऩ के मामलों का भी विवरण देने को कहा गया है। इस कानून के वजूद में आने के बाद महिला कर्मचारियों का भरोसा बढ़ा है और वे खुलकर अपने साथ हो रही ज्यादती की शिकायत दर्ज कराने लगी हैं। वित्त वर्ष 2015-16 में निफ्टी सूचकांक में शामिल शीर्ष 50 कंपनियों में यौन उत्पीडऩ के मामलों में 26 फीसदी की बढ़ोतरी देखी गई। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो ने 2014 की तुलना में 2015 के दौरान कार्यस्थल पर यौन उत्पीडऩ के मामलों में 50 फीसदी बढ़ोतरी होने की बात कही है।

निष्कर्ष

बावजूद इसके बलात्कार की तरह यौन उत्पीडऩ के मामलों की भी रिपोर्ट वास्तविक संख्या से काफी कम होती है। इंडियन बार एसोसिएशन का सर्वे में कहा गया है कि करीब 70 फीसदी महिलाएं अपने वरिष्ठ अधिकारियों की प्रताडऩा के डर से उत्पीडऩ की शिकायत ही नहीं करती हैं। शिकायतकर्ता महिला को संगठन के भीतर अलग-थलग कर देने से भी पीड़ित महिलाएं सामने आने से हिचकती हैं। इन कानून को ठीक से लागू नहीं करने पर केवल 50,000 रुपये का जुर्माना लगाने का प्रावधान है जो काफी नरम है। कई आईटी और मीडिया कंपनियों में महिला कर्मचारियों की अच्छी संख्या के बावजूद उनके यहां शिकायत समितियां तक नहीं बनी हैं। इतना जरूर है कि विशाखा केस ने कार्यस्थल पर यौन उत्पीडऩ के जिस मसले को आवाज दी थी उसे अब मुख्यधारा के विमर्श में जगह मिल चुकी है। टेरी, तहलका, इन्फोसिस और इंडियन होटल्स में उठे विवाद इसकी बानगी भी पेश करते हैं। भारत के सुस्त सामाजिक विकास को देखते हुए यह उपलब्धि भी कम महत्त्वपूर्ण नहीं है।

**

4. संसद में पुरुषों की बराबरी करने में महिलाओं को 50 साल इंतजार करना होगा : रिपोर्ट

- भारतीय संसद में पुरुषों की संख्या की बराबरी करने में महिलाओं को अगले 50 साल तक इंतजार करना होगा.
- अंतर-संसदीय संघ और संयुक्त राष्ट्र (यूएन) वूमेन द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट में महिला सांसदों की संख्या के लिहाज से दुनिया में भारत का स्थान 148वां है.
- फिलहाल संसद के उच्च सदन यानी राज्यसभा में महिला सांसदों की संख्या केवल 27 यानी 11 फीसदी है. लोकसभा में यह आंकड़ा 64 (11.8 फीसदी) है
- वैश्विक स्तर पर देखें तो सबसे ज्यादा महिला सांसदों की संख्या अफ्रीकी देश रवांडा में है. यहां के संसद में महिलाओं का प्रतिनिधित्व पुरुषों से भी ज्यादा है.
- रवांडा की संसद के कुल 80 सांसदों में 49 (61 फीसदी) महिलाएं हैं.
- पड़ोसी देशों नेपाल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में भी महिला सांसदों की हिस्सेदारी भारत की तुलना में ज्यादा है.

**

5. संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में महिला आरक्षण पर जोर

अपनी एक रिपोर्ट के जरिये संयुक्त राष्ट्र ने संसद और अन्य निर्वाचित निकायों में महिला आरक्षण लागू करने की पुरजोर पैरवी की है। रिपोर्ट का शीर्षक '**लीव नो वन बिहाइंडः एक कॉल टू एक्शन फॉर जेंडर इक्वलिटी एंड वूमेंस इकोनॉमिक एंपावरमेंट**' है।

क्या है इस रिपोर्ट में :

- पंचायती राज संस्थानों में महिला आरक्षण लागू होने से लैंगिक भेदभाव को कम करने में मदद मिली है।
- इसमें महिलाओं के लिए आरक्षण की जरूरत पर बल दिया गया है। यह रिपोर्ट खासा महत्वपूर्ण है क्योंकि संसद में महिला आरक्षण का मुद्दा काफी समय से लंबित है।
- रिपोर्ट के अनुसार, 110 से अधिक देशों की संसद में महिलाओं के लिए किसी न किसी तरह के आरक्षण का प्रावधान है।
- वहीं 11 देशों में सरकारी एजेंसियों में लैंगिक समानता बढ़ाने के लिए आरक्षण की व्यवस्था है।
- इस रिपोर्ट में कहा गया है कि 1993 में स्थानीय निकायों में महिलाओं की हिस्सेदारी पांच फीसद थी, जो भारत के पंचायती राज अधिनियम के जरिये 2005 में बढ़कर 40 प्रतिशत तक पहुंच गई।

महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए सरकार ने 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' 'स्वच्छ भारत अभियान', 'प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना', 'मुद्रा योजना' और 'स्टैंड-अप इंडिया' जैसी कई पहल की है।'

**

Schemes

1. राष्ट्रीय इस्पात नीति 2017

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय इस्पात नीति (एनएसपी) 2017 को अपनी मंजूरी दी है।

नई इस्पात नीति से इस्पात क्षेत्र को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार की दीर्घकालिक दृष्टि परिलक्षित होती है। इसके तहत घरेलू इस्पात की खपत बढ़ाने, उच्च गुणवत्ता वाले इस्पात का उत्पादन सुनिश्चित करने और इस्पात उद्योग को तकनीकी रूप से उन्नत एवं वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। एनएसपी 2017 की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं:

1. निजी क्षेत्र के विनिर्माताओं, एमएसएमई इस्पात उत्पादकों और सीपीएसई को नीतिगत सहायता एवं मार्गदर्शन प्रदान करते हुए इस्पात उत्पादन में आत्मनिर्भरता हासिल करना।
2. क्षमता में पर्याप्त वृद्धि को प्रोत्साहित करना।
3. वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी इस्पात विनिर्माण क्षमता विकसित करना।
4. लागत-कुशल उत्पादन।
5. लौह अयस्क, कोकिंग कोल और प्राकृतिक गैस की घरेलू उपलब्धता सुनिश्चित करना।
6. विदेशी निवेश को सुविधाजनक बनाना।
7. कच्चे माल वाली परिसंपत्ति का अधिग्रहण।
8. घरेलू इस्पात की मांग को बढ़ाना।

L STUDIES HINDI

इस नीति के तहत 2030-31 तक 300 मिलियन टन (एमटी) कच्चे इस्पात की क्षमता, 225 एमटी उत्पादन और 158 किलोग्राम तैयार इस्पात की प्रति व्यक्ति खपत का अनुमान लगाया गया है जबकि वर्तमान खपत 61 किलोग्राम है। इसके अलावा इस नीति के तहत उच्च श्रेणी के ऑटोमोटिव इस्पात, इलेक्ट्रिकल इस्पात, विशेष इस्पात एवं सामरिक कार्यों के लिए मिश्र धातुओं की पूरी मांग को घरेलू स्तर पर पूरा करने और धुले हुए कोकिंग कोल की घरेलू उपलब्धता बढ़ाने की परिकल्पना की गई है ताकि 2031-31 तक आयातित कोकिंग कोल पर निर्भरता को करीब 85 प्रतिशत से घटाकर करीब 65 प्रतिशत पर लाया जा सके।

-नई इस्पात नीति की मुख्य बातें:---

- पिछले कुछ वर्षों के दौरान भारतीय इस्पात क्षेत्र ने तेजी से विकास किया है और वर्तमान में यह विश्व का तीसरा सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक देश है जो देश के जीडीपी में करीब 2 प्रतिशत का योगदान करता है। भारत ने 2016-17 में बिक्री के लिए 100 एमटी उत्पादन के स्तर को भी पार कर गया।

- नई इस्पात नीति 2017 के तहत 2030 तक 300 एमटी इस्पात बनाने की क्षमता हासिल करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए 2030-31 तक 10 लाख करोड़ रुपये का अतिरिक्त निवेश होगा।
- इस नीति के तहत इस्पात की खपत बढ़ाने पर जोर दिया गया है और इसके लिए प्रमुख क्षेत्र हैं बुनियादी ढांचा, वाहन एवं आवास। नई इस्पात नीति के तहत 2030 तक प्रति व्यक्ति इस्पात की खपत को बढ़ाकर करीब 160 किलोग्राम करने का लक्ष्य रखा गया है जो फिलहाल करीब 60 किलोग्राम है।
- एमएसएमई इस्पात क्षेत्र में मौजूद संभावनाओं को मान्यता दी गई है। नीति में बताया गया है कि एमएसएमई क्षेत्र में ऊर्जा कुशल प्रौद्योगिकी को अपनाए जाने से कुल मिलाकर उत्पादकता बढ़ाने और ऊर्जा की खपत घटाने में मदद मिलेगी।
- इस्पात मंत्रालय स्टील रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी मिशन ऑफ इंडिया (एसआरटीएमआई) की स्थापना के जरिए इस क्षेत्र में आरएंडडी की सुविधा प्रदान करेगा। इस पहल का उद्देश्य उद्योग, राष्ट्रीय आरएंडडी प्रयोगशालाओं और शैक्षणिक संस्थानों के बीच त्रिपक्षीय तालमेल बढ़ाते हुए लौह एवं इस्पात क्षेत्र में राष्ट्रीय महत्व के आरएंडडी को बढ़ावा देना है।
- मंत्रालय नीतिगत उपायों के जरिये प्रतिस्पर्धी दरों पर लौह अयस्क, कोकिंग कोल एवं गैर-कोकिंग कोल, प्राकृतिक गैस आदि कच्चे माल की उपलब्धता सुनिश्चित करेगा।
- राष्ट्रीय इस्पात नीति 2017 के लागू होने के साथ ही उद्योग में घरेलू इस्पात को बढ़ावा देने के लिए एक माहौल बनेगा और इस प्रकार एक ऐसी परिस्थिति बनेगी जहां प्रौद्योगिकी के लिहाज से उन्नत एवं वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी इस्पात उद्योग में उत्पादन खपत की अनुमानित रफ्तार को पूरा करेगा। इस्पात मंत्रालय जरूरत पड़ने पर अन्य संबद्ध मंत्रालयों के समन्वय के साथ इसे आसान बनाएगा।

पृष्ठभूमि* ::---

- इस्पात आधुनिक दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण उत्पादों में से एक है और यह किसी भी औद्योगिक अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। भारत दुनिया में सबसे तेजी से उभरती अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है और निर्माण, बुनियादी ढांचा, बिजली, अंतरिक्ष एवं औद्योगिक मशीनरी से लेकर उपभोक्ता उत्पादों तक इस्पात के उपयोग का दायरा काफी व्यापक है। ऐसे में यह क्षेत्र देश के लिए सामरिक महत्व का है। भारतीय इस्पात क्षेत्र पिछले कुछ वर्षों के दौरान तेजी से विकास कर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक बन गया है। यह जीडीपी में करीब 2 प्रतिशत का योगदान करता है और करीब 5 लाख लोगों को प्रत्यक्ष तौर पर जबकि करीब 20 लाख लोगों को अप्रत्यक्ष तौर पर रोजगार के अवसर प्रदान कर रहा है।
- क्षमताओं का पर्याप्त दोहन न होने और दमदार नीतिगत मदद से यह विकास के लिए एक आदर्श प्लेटफॉर्म बन गया है। वर्तमान परिदृश्य में इस क्षेत्र के सामरिक महत्व और एक दमदार एवं पुनर्गठित नीति की आवश्यकता के मद्देनजर नई एनएसपी 2017 जरूरी हो गई थी। हालांकि राष्ट्रीय इस्पात नीति 2005 (एनएसपी 2005) के तहत भारतीय इस्पात उद्योग के कुशल एवं निरंतर विकास के लिए एक रूपरेखा तैयार की गई और तत्कालीन आर्थिक ऑर्डर प्रवाह को सुदृढ़ करने के तरीके सुझाए गए, लेकिन भारत एवं दुनियाभर की हालिया घटनाओं के मद्देनजर इस्पात बाजार में मांग एवं आपूर्ति में संतुलन स्थापित करने के लिए इसे लागू करने की जरूरत महसूस की गई है।

GENERAL STUDIES HINDI

**

विद्या वीरता अभियान

- स्टूडेंट्स फॉर सोल्जर्स: विद्या वीरता अभियान' नाम से चलाए जा रहे इस कैंपेन की शुरुआत JNU, DU, जामिया मिलिया इस्लामिया से ।
- कैंपस में परमवीर चक्र विजेताओं की तस्वीर के साथ ही 'वॉल ऑफ हीरोज' कैंपेन भी लॉन्च किया

- देशभर की यूनिवर्सिटी, कॉलेज और हायर एजुकेशनल इंस्टिट्यूट्स में इन वीर योद्धाओं के नाम से एक वॉल बनाई जाएगी जिसमें इन हीरोज की तस्वीरें होंगी। कम से कम 1000 शिक्षण संस्थानों में ऐसा करने की योजना है

**

एक बीमित- दो डिस्पेंसरी' और 'आधार पर आधारित ऑनलाइन दावा प्रस्तुतिकरण' योजनाएं

Ø **एक बीमित- दो डिस्पेंसरी'** योजना के तहत ईएसआईसी ने बीमित व्यक्ति (आईपी) को नियोक्ता के जरिए दो डिस्पेंसरी का चयन करने का विकल्प दिया है, जिनमें से एक डिस्पेंसरी का चयन खुद के लिए और दूसरी डिस्पेंसरी का चयन अपने परिवार के लिए करना होगा।

Ø इससे सभी बीमित व्यक्ति विशेषकर ऐसे प्रवासी कामगार लाभान्वित होंगे, जो अपने गृह राज्य को छोड़ कहीं और कार्यरत हैं, जबकि उनके परिवार अपने मूल राज्य में ही जीवन यापन कर रहे हैं।

Ø दूसरी डिस्पेंसरी का विकल्प उपलब्ध न होने के कारण परिवार के आश्रित सदस्यों को अक्सर चिकित्सा लाभों से वंचित रहना पड़ता है।

Ø 'एक बीमित- दो डिस्पेंसरी' की अवधारणा को मूर्त रूप प्रदान करने से अब बीमित व्यक्तियों के साथ-साथ उनके परिवारिक सदस्यों को भी इनमें से किसी भी डिस्पेंसरी में इलाज कराने की सुविधा मिल जाएगी और इसके साथ ही आपातकालीन स्थिति में उन्हें किसी भी ईएसआई संस्थान में यह सुविधा मिल जाएगी।

Ø वर्तमान में लगभग 3 करोड़ बीमित व्यक्तियों को ईएसआईसी के अंतर्गत कवर किया जा चुका है और लाभार्थियों अर्थात बीमित व्यक्तियों एवं उनके पारिवारिक सदस्यों की कुल संख्या 12 करोड़ से भी ज्यादा हो गई है।

'आधार पर आधारित ऑनलाइन दावा प्रस्तुतिकरण' योजना के तहत वे सभी ईपीएफ सदस्य पीएफ के अंतिम निपटान (फॉर्म 19), पेंशन निकासी लाभ (फॉर्म 10-सी) और पीएफ आंशिक निकासी (फॉर्म 31) के लिए सीधे अपने यूएएन इंटरफेस से आवेदन कर सकेंगे जिन्होंने अपने यूएएन को सक्रिय कर दिया है और अपने केवाईसी (आधार) को ईपीएफओ से जोड़ दिया है। ईपीएफ के दावा संबंधी कार्यभार में 80 प्रतिशत से भी ज्यादा का सामूहिक योगदान इन्हीं तीनों फॉर्मों का रहता है। सदस्यगण समूची प्रक्रिया को ऑनलाइन ही पूरा कर सकते हैं और दावे को ऑनलाइन पेश करने के लिए उन्हें न तो नियोक्ता और न ही ईपीएफओ के क्षेत्रीय कार्यालय से संपर्क साधने की कोई जरूरत है। सदस्यगण को ऑनलाइन पीएफ आंशिक निकासी को प्राथमिकता देते समय कोई भी सहायक दस्तावेज देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अग्रिम दावे को प्राथमिकता देते समय सदस्य द्वारा ऑनलाइन आवेदन किए जाने को ही उसकी स्व-घोषणा के रूप में मान लिया जाएगा।

**

GENERAL STUDIES HINDI

प्रधानमंत्री विकास पैकेज कश्मीर के लिए

- यह पैकेज भारत सरकार के 15 मंत्रालयों से संबंधित 63 परियोजनाओं से निर्मित है और इसका परिव्यय 80,068 करोड़ रुपये का है।
- पीएमडीपी के 80,068 करोड़ रुपये के परिव्यय में से भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों द्वारा 61,112 करोड़ रुपये (75 प्रतिशत से अधिक) की मंजूरी दी जा चुकी है। राज्य सरकार समेत कार्यान्वयन एजेंसियों को पहले ही 19,961 करोड़ रुपये (55 प्रतिशत से अधिक) जारी किए जा चुके हैं।
- पीएमडीपी जम्मू के लिए एम्स, श्रीनगर में एम्स, जिला एवं उप जिला अस्पतालों एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के लिए सहायता, श्रीनगर, आईआईटी में एक आउट कैंपस के साथ जम्मू में आईआईएम, श्रीनगर में एनआईटी के उन्नयन एवं उच्चतर शैक्षणिक संस्थानों में अतिरिक्त बालिका छात्रावासों जैसी परियोजनाओं के साथ जम्मू एवं कश्मीर के लिए क बड़ा विकास प्रोत्साहन प्रदान करेगा।
- भारत सरकार ने हिमायत योजना के तहत पूर्व स्नातकों एवं स्कूल की पढ़ाई छोड़ने वालों के लिए एक लाख रोजगार प्रदान करने, सभी 22 जिलों में खेल अवसंरचना के लिए एक विस्तृत लेआउट, पशमीना

ऊन के विकास, कृषि उपज के लिए शीत भंडारण एवं बागवानी विकास को भी मंजूरी दी है। पैकेज में अमृत योजना के तहत शहरी विकास, स्वच्छ भारत मिशन एवं स्मार्ट सिटीज को भी प्रोत्साहन दिया गया है।

- बिजली से संबंधित पांच बड़ी योजनाएं हैं जिनमें श्रीनगर-लेह ट्रांसमिशन लाइन, स्मार्ट ग्रिड एवं स्मार्ट मीटर तथा बिजली वितरण प्रणालियों का संवर्द्धन शामिल है। इसके अतिरिक्त, जम्मू एवं श्रीनगर के लिए सेमी रिंग रोड तथा पनबिजली तथा सौर बिजली परियोजनाओं को भी मंजूरी दी गई है
- ये परियोजनाएं कार्यान्वन के विभिन्न चरणों में हैं। श्री राजनाथ सिंह ने केंद्र एवं राज्य सरकार के अधिकारियों को निश्चित समय सीमा के साथ पीएमडीपी के कार्यान्वयन में तेजी लाने को कहा जिससे कि जम्मू एवं कश्मीर के लोग जल्द से जल्द भारत सरकार की इन विकास परियोजनाओं का लाभ उठा सकें।

**

2.उड़ान की उड़ान

#Jansatta Editoria

खबरों में :

प्रधानमंत्री ने गुरुवार को 'उड़ान' योजना के तहत शिमला से दिल्ली की पहली उड़ान को हरी झंडी दिखाई। इसी दिन उन्होंने नांदेड़-हैदराबाद और कडप्पा-हैदराबाद के बीच भी ऐसी ही सेवा का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन किया।

क्या है योजना :

Ø यूडीएएन (उड़ान) यानी 'उड़े देश का आम नागरिक' का मकसद साफ है, देश में हवाई यात्रा को किफायती बनाना तथा हवाई यात्रा-सुविधा का विस्तार करना।

Ø इन दोनों चीजों को साधने के लिए सरकार ने कई तजवीजें की हैं। इनमें सबसे खास है एक घंटे के हवाई सफर के किराए की सीमा बांधना, जो कि ढाई हजार रुपए होगी।

Ø इस योजना के तहत दूसरी और तीसरी श्रेणी के शहरों के बीच हवाई यातायात बढ़ाने पर भी जोर है।

Ø इसके लिए बंद पड़े या अनुपयोगी हो चुके या बहुत कम काम आ रहे, सब तरह के हवाई अड्डों का जीर्णोद्धार और आधुनिकीकरण किया जाएगा।

Ø इस तरह देश में आंचलिक हवाई संपर्क बढ़ेंगे। इसमें दो राय नहीं कि अगर एक घंटे का किराया बस ढाई हजार रुपए होगा, तो हवाई आवाजाही बढ़ेगी। बहुत-से लोग ट्रेन के सफर में लगने वाले ज्यादा समय के कारण विमान का विकल्प चुनेंगे।\

GENERAL STUDIES HINDI

योजना कितनी कारगर हो पाएगी

Ø इस योजना को आकर्षक बनाने के लिए एक घंटे के किराए की जो सीमा सरकार ने तय की है वह बाजार के भरोसे नहीं है, जिसकी दुहाई उदारीकरण के सारे पैरोकार देते रहे हैं।

Ø किफायती किराए की दर सबसिडी के सहारे तय की गई है, यानी इसका बोझ सरकारी खजाने पर पड़ेगा।

Ø केंद्र ने कहा है कि वह नुकसान की अस्सी फीसद तक भरपाई करने को तैयार है। बाकी बीस फीसद की भरपाई का भार राज्यों को वहन करना होगा। अलबत्ता पूर्वोत्तर के राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों पर यह जिम्मेवारी दस फीसद की ही होगी। राज्यों को विमान ईंधन पर लगने वाले वैट से लेकर कई मामलों में उत्पाद शुल्क और सेवा कर से भी हाथ धोना पड़ सकता है या भारी कटौती करनी पड़ सकती है।

Ø इस योजना में शामिल होने के लिए बोली लगाने वालों में स्पाइसजेट को छोड़ कोई बड़ी कंपनी फिलहाल नहीं है। वजह साफ है, लागत के हिसाब से आय न होना।

Ø यह सही है कि सरकार ने व्यवहार्यता अंतर कोष (वीजीएफ) के जरिए नुकसान की भरपाई का भरोसा दिलाया है, पर यह कोष केवल तीन साल के लिए होगा। इसलिए अभी ज्यादातर बड़ी कंपनियां झिझक रही हैं या देखो और इंतजार करो की मुद्रा में हैं।

Ø दिल्ली और शिमला के बीच किफायती उड़ान एअर इंडिया की सहायक कंपनी एलायंस एअर ने शुरू की है, पर सब जानते हैं कि कारोबारी लिहाज से बार-बार लड़खड़ाने वाली एअर इंडिया को किस तरह करदाताओं के पैसे से संभाला जाता रहा है।

Ø एक पहलू यह भी है कि वीजीएफ जुटाने की कवायद में दूसरी उड़ानों पर शुल्क या उप-कर लगाया जा सकता है। जाहिर है, इससे वे उड़ानें और महंगी होंगी। सरकार ने पिछले साल जून में नई विमानन नीति की घोषणा की थी। 'उड़ान' उसी पर अमल की शुरुआत है। मगर असल चुनौती है जिस पैमाने पर इस योजना की रूपरेखा बनाई गई है उस पैमाने पर इसे कैसे ले जाया जाए और कैसे यह कारोबार की शर्तों पर टिकाऊ बन पाए।

**

3. प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) - सभी के लिए आवास मिशन

आवास एवं शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय ने प्रधानमंत्री की घोषणा के अनुरूप देश के शहरी क्षेत्रों में उल्लिखित उद्देश्य को पूरा करने के लिए ' प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) (शहरी)- सभी के लिए आवास (एचएफए) मिशन' तैयार किया है। प्रधानमंत्री ने घोषणा की थी कि देश के सभी बेघरों और कच्चे घरों में रहने वाले लोगों को आवश्यक बुनियादी सुविधाओं से युक्त बेहतर पक्के घर 2022 तक सुलभ कराये जायेंगे।

- प्रधानमंत्री ने 25 जून , 2015 को पीएमएवाई (शहरी)- एचएफए का शुभारंभ किया था। यह योजना सभी 29 राज्यों और 7 केंद्र शासित प्रदेशों के सभी 4,041 शहरों और कस्बों में कार्यान्वित की जायेगी।
- यह योजना मूल रूप से ईडब्ल्यूएस और एलआईजी के लाभार्थियों के हित में बनायी गयी थी।
- प्रधानमंत्री ने 31 दिसंबर 2016 को पीएमएवाई (शहरी) योजना का दायरा बढ़ाकर इसमें **मध्यम आय वर्ग** (एमआईजी) को भी लाने की घोषणा की।
- 2011 में आवास और शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय द्वारा गठित तकनीकी समूह ने अनुमान लगाया कि मरम्मत न होने योग्य कच्चे घरों में रहने वाले 0.99 मिलियन शहरी परिवारों , जीर्ण- क्षीर्ण हो चुके घरों में रहने वाले 2.27 मिलियन परिवारों , तंग मकानों में रहने वाले 14.99 मिलियन परिवारों और 0.53 मिलियन बेघर शहरी परिवारों के लिये 18.78 मिलियन आवासीय इकाइयों की किल्लत है। शहरीकरण में होने वाले विस्तार को ध्यान में रखते हुए पीएमएवाई (शहरी) योजना के शुभारंभ के समय शहरी इलाकों में लगभग दो करोड़ आवासीय इकाईयों की मांग होने का आकलन किया गया था। इसके बाद राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों से नई मांग का आकलन करने को कहा गया है और यह कार्य लगभग संपन्न होने वाला है।

पीएमएवाई (शहरी)- एचएफए की मुख्य विशेषताएं* :----

- लक्षित लाभार्थियों में 3 लाख रुपये तक की वार्षिक आय वाले आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस), 3 से 6 लाख रुपये तक की वार्षिक आय वाले निम्न आय वर्ग (एलआईजी), 6 से 12 लाख रुपये तक की वार्षिक आय वाले एमआईजी (1) और 12 से 18 लाख रुपये तक की वार्षिक आय वाले एमआईजी (2) को शामिल किया गया है। लक्षित लाभार्थियों के लिए तय की गयी 18 लाख रुपये की ऊपरी आय सीमा भारत के लिहाज से काफी ज्यादा है , इसलिए पीएमएवाई (शहरी) - एचएफए से समाज का बड़ा तबका लाभान्वित होता

है और यह सरकार के ' सबका साथ- सबका विकासके दर्शन के अनुरूप है। पीएमएवाई (शहरी) के तहत केंद्रीय सहायता

- केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने 17 जून , 2015 को पीएमएवाई (शहरी) एचएफए को अनुमोदित किया है। इस योजना के विभिन्न घटकों के तहत प्रत्येक लाभार्थी को 1 लाख से लेकर 2.30 लाख रुपये तक की केंद्रीय सहायता देने की प्रतिबद्धता व्यक्त की गयी है। **ये घटक निम्नलिखित** :---
:

(1). **मूल स्थान पर ही झुग्गी बस्तियों का पुनर्विकास (आईएसएसआर):** -- इस घटक के अंतर्गत परियोजना की लागत निकालने के लिए संसाधन के रूप में भूमि का इस्तेमाल कर मूल स्थान पर ही झुग्गी बस्तियों का पुनर्विकास किया जायेगा , ताकि झुग्गियों में रहने वाले परिवारों को निःशुल्क बुनियादी ढांचागत सुविधाओं से युक्त बहुमंजिला भवनों में पक्के आवास उपलब्ध हो सकें। परियोजनाओं को व्यवहार्य बनाने के लिए आवश्यकतानुसार एक लाख रुपये तक की केंद्रीय सहायता प्रदान की जाती है।

- **साझेदारी में किफायती आवास (एएचपी**):-- न्यूनतम 250 इकाइयों वाली परियोजनाओं में यदि 35 प्रतिशत मकान ईडब्ल्यूएस के लिए निर्धारित किए जाते हैं तो राज्यों / केंद्र शासित प्रदशों / शहरों / निजी क्षेत्र के साथ साझेदारी कर निर्मित किए जाने वाले आवासों के लिए प्रत्येक ईडब्ल्यूएस लाभार्थी को 1.50 लाख रुपये की केंद्रीय सहायता प्रदान की जाती है।
(3.)**लाभार्थी के नेतृत्व में निर्माण (बीएलसी**): -- ईडब्ल्यूएस लाभार्थियों को 1.50–1.50 लाख रुपये की केंद्रीय सहायता दी जाती है , ताकि वे स्वयं ही नए मकानों का निर्माण कर सकें या अपने मौजूदा मकानों का विस्तार कर सकें।

(4.) **ऋण से जुड़ी सब्सिडी योजना** (सीएलएसएस):-- ईडब्ल्यूएस , एलआईजी , एमआईजी श्रेणियों के लाभार्थियों द्वारा नया निर्माण करने और अतिरिक्त कमरे , रसोईघर, शौचालय इत्यादि के निर्माण हेतु लिए गए आवासीय ऋणों पर ब्याज सब्सिडी के रूप में केंद्रीय सहायता प्रदान की जाती है। 6.00 लाख रुपये के 20 वर्षीय ऋण पर 6.50 प्रतिशत की ब्याज सब्सिडी ईडब्ल्यूएस और एलआईजी के लाभार्थियों को दी जाती है। इसी तरह 6.00 लाख से लेकर 12.00 लाख रुपये तक की सालाना आमदनी वाले एमआईजी के लाभार्थियों को 9.00 लाख रुपये के 20 वर्षीय ऋण पर 4 प्रतिशत की ब्याज सब्सिडी दी जाती है। वहीं , 12 लाख रुपये से लेकर 18 लाख रुपये तक की सालाना आमदनी वाले एमआईजी के लाभार्थियों को 9 लाख रुपये के ऋण पर 3 प्रतिशत की ब्याज सब्सिडी दी जाती है। यह सब्सिडी लगभग 2.30 लाख रुपये से लेकर 2.40 लाख रुपये तक बैठती है जिसका अग्रिम भुगतान किया जाता है , ताकि लाभार्थियों पर ईएमआई का बोझ घट सके। जहां तक ईडब्ल्यूएस और एलआईजी के लाभार्थियों के लिए आवास का सवाल है , निर्मित होने वाले आवासों का परिवार की वयस्क महिला सदस्य के नाम पर अथवा परिवार के वयस्क महिला एवं पुरुष सदस्यों के नाम पर संयुक्त रूप से होना आवश्यक है। एमआईजी के लिए सीएलएसएस के तहत आय अर्जित करने वाले वयस्क सदस्यों को ब्याज सब्सिडी पाने का पात्र माना गया है , भले ही वे अविवाहित ही क्यों न हो। किफायती आवास परियोजनाओं को स्मार्ट सिटी मिशन के तहत भी बढ़ावा दिया जा रहा और इनमें से कुछ ने इस तरह की परियोजनाओं का प्रस्ताव किया है।

ज्यादा आवास निर्माण का असर* :---

निर्माण क्षेत्र का जीडीपी (सकल घरेलू उत्पाद) पर अत्यंत महत्वपूर्ण गुणक प्रभाव पड़ता है और इसके साथ ही यह 250 सहायक उद्योगों के लिए भी मददगार साबित होता है। निर्माण क्षेत्र दूसरा सबसे बड़ा नियोक्ता है। इस क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा अनेक कदम उठाए गए हैं। किफायती आवास खंड को ' बुनियादी ढांचागत ' प्रदान करना और 20 से अधिक रियायतें एवं प्रोत्साहन देना इन कदमों में शामिल हैं। वहीं

, किफायती आवास परियोजनाओं से होने वाले मुनाफे को आयकर से छूट, अचल संपत्ति (नियमन एवं विकास) अधिनियम , 2016 का अधिनियमन, इत्यादि इन रियायतों में शामिल हैं। इन कदमों से इस क्षेत्र को काफी बढ़ावा मिलने की आशा है जिससे अतिरिक्त रोजगार अवसर सृजित होंगे।

पीएमएवाई (शहरी) के कारगर क्रियान्वयन के लिए पहल*- एचएफए:--

- सरकार ने 2017-18 के बजट में किफायती आवास को बुनियादी ढांचागत दर्जा देने की घोषणा की है जिससे बढ़े हुए एवं निम्न लागत वाले ऋण प्रवाह के रूप में यह क्षेत्र लाभान्वित हो रहा है।
- वर्ष 2004 से लेकर वर्ष 2014 तक की अवधि के दौरान जेएनएनयूआरएम के तहत आवास योजनाओं के क्रियान्वयन में हुए अनुभवों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने राज्यों/ केन्द्र शासित प्रदेशों के लिए मास्टर प्लान में संशोधन / तैयार करना, किफायती आवास के लिए भूमि चिन्हित करना, लेआउट एवं भवन निर्माण योजनाओं के लिए एकल खिड़की मंजूरी को अनिवार्य कर दिया है और इसके साथ ही आवासीय क्षेत्रों के लिए भूमि को पहले ही चिन्हित कर दिए जाने की स्थिति में अलग गैर - कृषि अनुमति लेने की अनिवार्यता समाप्त कर दी गयी है और झुग्गी पुनर्विकास परियोजनाओं इत्यादि के लिए अतिरिक्त एफएआर / एफएसआई / टीडीआर का प्रावधान किया गया है।

**

4. राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (आरयूएसए) का अपना खुद का पोर्टल और मोबाइल एप लॉन्च

यह पोर्टल राज्यों की उच्चतर शिक्षा योजनाओं, राज्यों की उच्चतर शिक्षा परिषदों के निर्णयों एवं इन योजनाओं के तहत संसाधनों के विवरणों से संबंधित एक वन स्टॉप योजना है। इसके अतिरिक्त, यह गैलरी आरयूएसए के तहत शुरू की गई परियोजनाओं का एक समृद्ध संग्रह भी है।

- पूरे भारत वर्ष में हजारों वर्ग कक्षाओं के भीतर एक बार फिर से शिक्षण - अध्ययन को पुनः जीवित किया गया है।
- आरयूएसए के तहत भर्तियों पर प्रतिबंध को हटाने तथा रिक्त स्थानों को भरने के प्रति राज्यों द्वारा की गयी प्रतिबद्धताओं को देखते हुए कई राज्यों ने रिक्त संकाय पदों को भरने की प्रक्रिया आरंभ कर दी है।
- आरयूएसए के गठन से पहले 9 राज्य उच्चतर शिक्षा परिषदों का सृजन विधायिका के एक अधिनियम द्वारा किया गया था।
- राज्य एक प्रतिबद्धता के तहत आरयूएसए में शामिल हुए जिससे कि उनके द्वारा निर्दिष्ट समय-सीमा के भीतर राज्य उच्चतर शिक्षा परिषदों का सृजन किया जा सके। आज की तारीख तक 21 और अधिक राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों ने पहले ही एक कार्यकारी आदेश के जरिए राज्य उच्चतर शिक्षा परिषदों का गठन कर दिया गया है तथा पांच और राज्यों ने विधायिका के एक अधिनियम के जरिए राज्य उच्चतर शिक्षा परिषदों की स्थापना की है।
- अभी तक 36 राज्यों एवं केन्द्र शासित प्रदेशों में से दिल्ली एवं लक्षद्वीप को छोड़कर 34 राज्यों एवं केन्द्र शासित प्रदेशों ने अपनी उच्चतर शिक्षा योजना प्रस्तुत कर दी है। प्रत्येक राज्य को उनके प्रमुख हितधारकों के परामर्श से एक व्यापक राज्य उच्चतर शिक्षा योजना तैयार करना है।

Background:

आरयूएसए उच्चतर शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय की केन्द्र प्रायोजित योजना (सीएसएस) है जिसका उद्देश्य राज्य उच्चतर शिक्षा विभागों एवं संस्थानों को कार्य नीतिक केन्द्रीय वित्त पोषण उपलब्ध कराना है तथा पहुंच, समानता एवं उत्कृष्टता के व्यापक लक्ष्यों को अर्जित करना है। राज्य उच्चतर शिक्षा विभाग एवं संस्थान आरयूएसए अनुदानों के लिए हकदार होने की एक पूर्व शर्त के रूप में कुछ विशेष संचालन संबंधी, शैक्षणिक एवं प्रशासनिक सुधार आरंभ करते हैं। आरयूएसए का कार्यान्वयन सच्ची तत्परता के साथ मई 2014 के बाद आरंभ हुआ।

**

5. प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण आवास से घर तक

- 20 नवंबर, 2016 को प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण (पीएमएवाई – जी) की शुरूआत की थी। नया ग्रामीण आवासीय कार्यक्रम घरों की आवश्यकताओं और आकांक्षाओं को पूरा करने की दृष्टि से बनाया गया है।
- घरों में रसोईघर, शौचालय, रसोई गैस कनेक्शन, बिजली कनेक्शन और जलापूर्ति की सुविधा होगी तथा लाभार्थी अपनी आवश्यकताओं के अनुसार घरों की योजना बना सकेंगे।
- ग्रामीण राजगीरों के प्रशिक्षण का कार्यक्रम शुरू कर दिया गया है, ताकि बेहतर निर्माण के लिए आवश्यक कौशल उपलब्ध हो सके।
- लाभार्थियों के चयन के लिए कठोर प्रक्रिया अपनाई जा रही है, जिसमें सामाजिक-आर्थिक जनगणना (एसईसीसी) आंकड़ों का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये आंकड़े बे-घरबार लोगों या कच्ची छत वाले 0, 1, 2 कच्चे कमरों पर आधारित हैं।
- एसईसीसी आंकड़ों को ग्राम सभा द्वारा मान्यता प्राप्त है, ताकि किसी प्रकार की गलती न हो। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2016-17 के लिए कुल 44 लाख मकानों को स्वीकृति दी गई है तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय पूरा प्रयास कर रहा है कि इन्हें दिसंबर, 2017 तक पूरा कर लिया जाए। पीएमएवाई-जी में 6 से 12 महीने के भीतर निर्माण कार्य पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।

**

6.दीन दयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन

- **उद्देश्य** : कौशल विकास और अन्य उपायों के माध्यम से आजीविका के अवसरों में वृद्धि कर शहरी और ग्रामीण गरीबी को कम करना है। मेक इन इंडिया, कार्यक्रम के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए सामाजिक तथा आर्थिक बेहतरी के लिए कौशल विकास आवश्यक है। दीनदयाल अंत्योदय योजना को आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय (एच.यू.पी.ए.) के तहत शुरू किया गया था। भारत सरकार ने इस योजना के लिए 500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। यह योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (एन.यू.एल.एम.) और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एन.आर.एल.एम.) का एकीकरण है।
- इस योजना का लक्ष्य शहरी गरीब परिवारों कि गरीबी और जोखिम को कम करने के लिए उन्हें लाभकारी स्वरोजगार और कुशल मजदूरी रोजगार के अवसर का उपयोग करने में सक्षम करना, जिसके परिणामस्वरूप मजबूत जमीनी स्तर के निर्माण से उनकी आजीविका में स्थायी आधार पर सराहनीय सुधार हो सके। इस योजना का लक्ष्य चरणबद्ध तरीके से शहरी बेघरों हेतु आवश्यक सेवाओं से लैस आश्रय प्रदान करना भी होगा। योजना शहरी सड़क विक्रेताओं की आजीविका संबंधी समस्याओं को देखते हुए उनकी उभरते बाजार के अवसरों तक पहुँच को सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त जगह, संस्थागत ऋण, और सामाजिक सुरक्षा और कौशल के साथ इसे सुविधाजनक बनाने से भी संबंधित है।
- दीन दयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम) 3.6 करोड़ से भी अधिक परिवारों के जीवन और आजीविका में अहम बदलाव ला रहा है। यही नहीं, इन परिवारों की महिलाएं स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) में शामिल हो गई हैं। एसएचजी, ग्राम संगठनों (वीओ) और क्लस्टर लेवल फेडरेशन (सीएलएफ) के अंतर्गत महिलाओं की सामूहिक संस्थाओं ने परिवर्तनकारी सामाजिक प्रधानता विकसित की है, जिससे महिला-पुरुष संबंधों में बदलाव आ रहा है, सेवाओं तक पहुंच सुनिश्चित हो रही है और ग्राम सभाओं एवं पंचायती राज संस्थानों में उनकी भागीदारी संभव हो पा रही है। इस कार्यक्रम से महिलाओं का विश्वास बढ़ा है जिसके फलस्वरूप वे आजीविका में विविधीकरण के लिए एक निरंतर समुदाय संसाधन व्यक्ति (सीआरपी) के नेतृत्व में

मार्गदर्शन के जरिए कौशल एवं सक्षमताओं का विकास करने के बाद आर्थिक गतिविधि के लिए बैंक से ऋण पाने का प्रयास करने लगी हैं।

**

7.हुनर हब

सभी राज्यों में 'हुनर हब' की स्थापना की जाएगी ताकि अल्पसंख्यक समुदायों के उस्ताद दस्तकारों को बाजार-अवसर की सुविधा दी जा सके और वे अपनी विरासत की सुरक्षा कर सकें और उसे प्रोत्साहन दे सकें। मंत्रालय का उद्देश्य कम से कम ऐसे दो दर्जन राज्यों में 'हुनर हब' स्थापित करने का है, जहां 'हुनर हाट' और अन्य सामाजिक-शैक्षिक तथा कौशल विकास गतिविधियां चलनी हैं।

**

देश की 59 सार्वजानिक सेवाओं में आधार नंबर अनिवार्य

- केंद्र सरकार ने इस साल के शुरुआत में जारी किए गए एक नोटिफिकेशन के जरिए स्पष्ट कर दिया था कि देश की 59 सर्विसेस का उपयोग तभी किया जा सकेगा जब नागरिकों के पास आधार कार्ड नंबर होगा। यदि आपके पास आधार कार्ड नंबर नहीं है तो आप इन सभी नोटिफाइड सेवाओं का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे।
- सबसे खास बात यह है कि अगर आपको नया मोबाइल कनेक्शन खरीदना हो तो उसके लिए भी आधार कार्ड नंबर का होना आवश्यक है। नए वित्तीय वर्ष 2017-18 से तो आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए भी आधार कार्ड नंबर आवश्यक हो गया है।
- सुरक्षा की दृष्टि से एवं फर्जीवाड़ा रोकने के लिए आधार का उपयोग किया जा रहा है। इसी के साथ सरकारी सब्सिडी के लिए भी आधार का सहारा लिया जा रहा है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने जनकल्याण की योजनाओं के लिए आधार कार्ड नंबर को अनिवार्य किए जाने के प्रावधान को खारिज किया है।

सेवायें जिनके इस्तेमाल के लिए आधार कार्ड नंबर अनिवार्य है। इन 59 सेवाओं में से 10 को जनकल्याण योजनाओं की श्रेणी में रखा गया है।

- महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट ग्यारंटी एक्ट (मनरेगा)
- एम्प्लॉयमेंट पेंशन स्कीम (ईपीएस)
- वर्कर्स एंड हेल्पर्स इंवॉल्व्ड इन द इंटीग्रेटेड चाइल्ड डवलपमेंट सर्विसेस (आईसीडीएस) स्कीम (आंगनवाड़ी सेवाएं)
- सप्लीमेंट्री न्यूट्रीशन प्रोग्राम ऑफर्ड एट आंगनवाड़ी सेंटर
- टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रिब्यूशन सिस्टम
- प्रधानमंत्री मंत्री आवास योजना - ग्रामीण (पीएमएवा-जी) प्रोग्राम
- मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर (एनएचबी, सीडीबी, सीआईएच)
- नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम (एनएपीएस)
- कंडक्ट ऑफ योगा क्लासेस एट गृह कल्याण केंद्र
- असिस्टेंस फॉर कम एंड प्ले स्कीम
- गृह कल्याण केंद्रों के लिए सालाना अनुदान
- कोचिंग अकैडमिक्स एंड समर कैम्प्स बाय द सेंट्रल सिविल सर्विसेस कल्चरल एंड स्पोर्ट्स बोर्ड
- नेशनल मीन्स-कम-मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम (एनएमएमएसएस)
- दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना
- होनोरेरियम फॉर स्टाफ ऑफ नेशनल मिशन ऑफ एम्पॉवरमेंट ऑफ वीमन (एनएमईडल्ब्यू)
- इंसेंटिव फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडीविजुअल हाउसहोल्ड लैटरीन
- सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कॉलरशिप स्कीम फॉर एससी/ओबीसी

- सेंट्रल सेक्टर स्कॉलरशिप स्कीम फॉर कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स
- ट्रेनिंग अंडर ई-पंचायत मिशन मोड प्रोजेक्ट
- सॉयल हेल्थ मैनेजमेंट स्कीम एंड सॉयल हेल्थ कार्ड स्कीम
- साक्षर भारत
- इन्क्लूसिव डवलपमेंट ऑफ डिसेबल्ड एट द सेकेंडरी स्टेज अंडर राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान
- रेनमरेशन अंडर द इंटीग्रेटेड चाइल्ड डवलपमेंट स्कीम (आईसीडीएस)
- मैटरनिटी बेनेफिट प्रोग्राम
- स्वधर गृह स्कीम
- उज्ज्वला स्कीम
- सपोर्टेड टू ट्रेनिंग एंड एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम स्कीम फॉर वीमन
- स्कीम फॉर एडोलसेंट गर्ल्स
- नेशनल कॅरियर सर्विसेस
- स्कॉलरशिप फॉर स्टूडेंट्स वूस पेरेंट्स वर्क इन सर्टेन प्रोफेशंस
- एक्रीडेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविटीज
- स्टाफ इन्वॉल्व्ड इन नेशनल हेल्थ मिशन
- मिड डे मील स्कीम
- Schemes for the Protection of Civil Rights Act, 1955 and the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989
- Dr Ambedkar Scheme of Interest Subsidy on educational loans for Overseas Studies for OBC and EBC Students;
- Operation of certain schemes through eligible NGOs
- Schemes to aid entrepreneurs from a SC background
- सर्व शिक्षा अभियान
- Army, Navy, Air Force Pensions
- Central Scholarship Schemes for students with disabilities
- Skills Training of Persons with Disabilities
- National Water Mission
- Scheme of Assistance to Disabled Persons for assistive devices (ADIP)
- Compensation for Bhopal Gas victims
- Pradhan Mantri Ujjwala Yojana (PMUY)
- Scholarship Scheme of Satyajit Ray Films and Television Institute, Kolkata
- Journalist Welfare Scheme through Press Information Bureau
- Bonded Labour Rehabilitation Scheme
- Schemes to aid the students in education, and research in science and technology development within the age group of 10 to 32 years
- Mission for Integrated Development of Horticulture (NHM,HMNEH,NABM)
- “Per Drop More Crop” component of the Prime Minister Krishi Sinchayee Yojana (PMKSY)
- Self Employment Scheme for Rehabilitation of Manual Scavengers (SRMS)
- Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana (PMKVY)
- Permanent Account Number (PAN) card
- Income tax returns
- Agri-Clinics and Agri-Business Centres (AC&ABC)
- Mobile phone connection

GENERAL STUDIES HINDI

**

8.सुगम्य भारत अभियान

सुगम्य भारत अभियान (एआईसी) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग का राष्ट्रव्यापी महत्वपूर्ण अभियान है। इस अभियान का उद्देश्य देशभर में दिव्यांगजनों के लिए बाधा रहित और सुखद वातावरण तैयार करना है। इस अभियान का शुभारंभ 03 दिसम्बर, 2015 को अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने किया था।

- यह अभियान **विकलांगता के सामाजिक मॉडल के उस सिद्धांत पर आधारित** है कि किसी व्यक्ति की सीमाओं और अक्षमताओं के कारण नहीं बल्कि सामाजिक व्यवस्था के तरीके के कारण विकलांगता है। शारीरिक, सामाजिक, संरचनात्मक और व्यवहार संबंधी बाधाएं सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक गतिविधियों में दिव्यांगजनों को समान रूप से भागीदारी करने से रोकती हैं। बाधारहित वातावरण से दिव्यांगजनों के लिये सभी गतिविधियों में समान प्रतिभागिता की सुविधा होगी और इससे स्वतंत्र और सम्मानजनक तरीके से जीवन जीने के लिये उन्हें प्रोत्साहन मिलेगा। इस अभियान में एक समावेशी समाज बनाने का दृष्टिकोण है जिसमें दिव्यांग व्यक्तियों की प्रगति और विकास के लिए समान अवसर उपलब्ध हों ताकि वे उत्पादक, सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन जी सकें।
- दिव्यांग व्यक्तियों के लिए व्यापक पहुंच की सुविधा के लिए इस अभियान को तीन क्षेत्रों में विभाजित किया गया है: वातावरण तैयार करना, परिवहन और सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) पारिस्थितिकी तंत्र।
- सुगम्य भारत अभियान के सुगम्य वातावरण निर्मित करने के कारक में निम्नलिखित लक्ष्य निहित है :
- i)50 शहरों में कम से कम 25 से 50 सबसे महत्वपूर्ण सरकारी भवनों का सुगम्यता ऑडिट पूरा करना और इस वर्ष के अंत तक उन्हें पूरी तरह से सुगम्य बनाना।
- ii) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और सभी राज्यों की राजधानियों के सभी सरकारी भवनों में से 50 प्रतिशत भवनों को दिसम्बर 2018 तक पूरी तरह से सुगम्य बनाना।
- iii) दिसम्बर 2019 तक राज्यों के उन दस सबसे महत्वपूर्ण शहरों/कस्बों के सरकारी भवनों का 50 प्रतिशत सुगम्यता ऑडिट पूरा करना और उन्हें सुगम्य बनाना है जो (1) और (2) में कवर नहीं किए गए।
- सुगम्य भारत अभियान के परिवहन सुगमता के कारक का उद्देश्य सभी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों को तत्काल और मार्च 2018 तक घरेलू हवाई अड्डों को पूरी तरह से सुगम्य बनाना है। 32 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों में से 25 में रैंप, सुगम्य शौचालय, ब्रेल लिपि के साथ लिफ्ट और श्रवण संकेत जैसी सुगम्यता की सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है।
- हमारे देश में परिवहन का सबसे लोकप्रिय साधन रेल है। विश्व के सबसे बड़े रेल नेटवर्क में से एक को सुगम्य बनाने के लिए सभी ए-1, ए और बी श्रेणी के रेलवे स्टेशनों को पूरी तरह से सुगम्य बनाया जायेगा।
- सुगम्य भारत अभियान के अंतर्गत विभाग का उद्देश्य मार्च 2018 तक सरकारी स्वामित्व के 10 प्रतिशत सार्वजनिक परिवहन वाहक को पूरी तरह से सुगम्य बनाना है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने राज्य स्वामित्व के राज्य तथा कार्यकारी निदेशकों को मार्च, 2018 तक सरकारी स्वामित्व वाले 10 प्रतिशत सार्वजनिक परिवहन को पूरी तरह से सुगम्य बनाने के निर्देश जारी किए हैं।

- सूचना और संचार प्रणाली की सुगम्यता, सुगम्य भारत अभियान का एक और महत्वपूर्ण स्तंभ है। इस कारक के अंतर्गत केंद्र और राज्य सरकारों की कम से कम 50 प्रतिशत वेबसाइटों को मार्च, 2017 तक सुगम्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है।
- राज्य सरकार की 917 वेबसाइटों को सुगम्य बनाने के लिए आदेश पहले से ही दे दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त इलैक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा 56 मंत्रालयों/विभागों की 100 सरकारी वेबसाइटों को सुगम्य बनाया जा रहा है।
- विभाग ने ''व्यापक सुगम्यता'' हासिल करने के लिए दिव्यांगजनों के लिए एक ऑनलाइन ''सुगम्य पुस्तकालय'' का शुभारंभ किया है। विभाग ने सुगम्य भारत अभियान के विभिन्न दृष्टिकोणों की जानकारी प्रदान करने के लिए मुंबई, अहमदाबाद, जयपुर, रायपुर, भुवनेश्वर, चेन्नई और रांची में जागरूकता कार्यशालाएं भी आयोजित की हैं।
- सुगम्यता के बारे में लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए 24 जुलाई 2016 को इंडिया गेट, लोधी गार्डन, वसंत कुंज और साउथ एक्स्टेंशन में एक मोटरसाइकिल रैली- 'राइड 4 एक्ससेसिबिलिटी' आयोजित की गई थी जिसमें 600 से अधिक मोटर साइकिल चालकों और 6,000 युवा/छात्रों ने भाग लिया था।
- डिजिटल जगत में स्थान बनाने के लिए विभाग ब्लॉग्स, रिपोर्ट, सीधे प्रसारण और चित्र आदि के जरिये सोशल मीडिया पर सुगम्य भारत अभियान के बारे में नवीनतम जानकारियां उपलब्ध करा रहा है।

**

9. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन

***राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन क्या है*? :-**

- राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन राज्य सरकारों को लचीला वित्त पोषण उपलब्ध कराकर ग्रामीण और शहरी स्वास्थ्य क्षेत्र को पुर्नजीवित करने का सरकार का स्वास्थ्य क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में चार घटक शामिल हैं। जिनके नाम हैं- राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन, तृतीयक देखभाल कार्यक्रम और स्वास्थ्य तथा चिकित्सा शिक्षा के लिए मानव संसाधन।
- राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन प्रजनन और बच्चों के स्वास्थ्य से परे ध्यान केंद्रित कर स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार करने के सरकार के प्रयास को दर्शाता है। इसलिए इसके तहत संक्रामक और गैर-संक्रामक बीमारियों के दोहरे बोझ से निपटने के साथ ही जिला और उप जिला स्तर पर बुनियादी ढांचा सुविधाओं में सुधार किया गया है। राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के बेहतर कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की सीख को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में समन्वित किया गया है। वर्ष 2017-18 के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के वास्ते 26,690 करोड़ रूपये आवंटित किए गए हैं, जो भारत सरकार की केंद्र प्रायोजित सबसे बड़ी योजनाओं में से एक है।*
- राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के दो विभागों को राष्ट्रीय स्तर पर एकीकृत किया गया है। इस एकीकरण के परिणाम से देश के ग्रामीण स्वास्थ्य प्रणाली को पुर्नजीवित करने के लिए स्वास्थ्य क्षेत्र में आवंटन बढ़ाने और कार्यक्रम कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण समन्वय देखा गया है। इसी प्रकार का एकीकरण राज्य स्तर पर भी किया गया था। इसके अलावा एनएचएम से राज्य वित्त विभागों के अधिकार क्षेत्र से बाहर राज्य स्वास्थ्य समितियों को केंद्रीय वित्तीय सहायताओं के हस्तांतरण में क्रांतिकारी बदलाव आया है। दूसरा प्रमुख बदलाव रोग नियंत्रण कार्यक्रमों को एनएचएम ढांचे में शामिल करना है।
- एनएचएम से देश के स्वास्थ्य क्षेत्र के कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में नवीनता आई है। इनमें लचीला वित्त पोषण, भारतीय सार्वजनिक स्वास्थ्य मानकों का पालन करने के लिए संस्थानों की निगरानी, कार्यक्रम प्रबंधन इकाइयों में प्रबंधन विशेषज्ञों को शामिल कर राज्य, जिला और पंचायत समिति स्तर पर क्षमता निर्माण तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के राज्य संस्थानों के जरिए समय पर भर्ती के लिए सरल

GENERAL STUDIES HINDI

मानव संसाधन तरीके शामिल है। अन्य महत्वपूर्ण नवाचार राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रणाली संसाधन केंद्र (एनएचएसआरसी) की स्थापना है। इससे विभिन्न पहलों का खाका तैयार कर उसे पूर्ण योजना बनाने में मदद मिलेगी। कुछ राज्यों में भी राज्य स्वास्थ्य प्रणाली संसाधन केंद्र की स्थापना की गई है।

NHM का कार्यक्षेत्र :--

- स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय वार्षिक आधार पर राज्य स्वास्थ्य समितियों के कार्यक्रम कार्यान्वयन योजनाओं को मंजूरी देता है। इसके लिए आरसीएच फ्लेक्सी पूल, एनआरएचएम फ्लेक्सी पूल, संक्रामक रोगों और गैर संक्रामक रोगों के लिए फ्लेक्सी पूल के अंतर्गत विशेष संसाधन का आवंटन किया गया है। इसके साथ ही बुनियादी ढांचा सुदृढ़ करने के लिए भी वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गई है। प्रशिक्षण कार्यक्रमों और क्षमता निर्माण के लिए महत्वपूर्ण संसाधन आवंटित किए गए है। राज्य स्वास्थ्य समितियों को विभिन्न प्रमुख कार्यक्रमों के लिए दोबारा उचित संसाधन और जिला अस्पतालों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को वित्तीय सहायता के हस्तांतरण करने में काफी स्वायतत्ता है
- एनएचएम का प्राथमिकता प्रजनन और बच्चों के स्वास्थ्य पर केंद्रित है। जननी सुरक्षा योजना (जेएसवाई) और मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता (आशा) कार्यक्रमों के सफल कार्यान्वयन के महत्वपूर्ण प्रभाव से लोगों के व्यवहार में बदलाव आया है और बड़ी संख्या में गर्भवती महिलाओं को सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थानों में लाया गया है। बड़ी संख्या में आने वाली गर्भवती महिलाओं की समस्याओं को दूर करने के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थानों में उचित बुनियादी ढांचा तैयार करने के वास्ते एनआरएचएम फ्लेक्सी पूल संसाधनों का उपयोग किया गया है। गर्भवती महिलाओं को सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थानों में लाने और आपातकालीन सेवाओं के लिए एंबुलेंस सेवा शुरू की गई है। देश के कई राज्यों में 108 एंबुलेंस सेवा की सफलता की दास्तां दर्ज है।
- एनएचएम द्वारा स्वास्थ्य संस्थानों में प्रसव करवाने को उच्च प्राथमिकता देने का महत्वपूर्ण प्रभाव मातृत्व मृत्यु दर (एमएमआर) और पांच वर्ष से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर (अंडर 5 एमआर) पर पड़ा है। देश में सहस्राब्दी विकास लक्ष्यों (एमडीजी) 4 और 5 को हासिल करने में पर्याप्त प्रगति हुई है। देश ने एमडीजी 6 लक्ष्य को पहले ही हासिल कर लिया है और तपेदिक, मलेरिया तथा एचआईवी के प्रसार को कम कर दिया है। देखभाल या जीवन चक्र दृष्टिकोण अपनाकर एनएचएम ने बढिया प्रदर्शन किया है, जैसा कि महत्वपूर्ण स्वास्थ्य संकेतकों में सुधार से प्रदर्शित होता है

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने -- राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत अपनी गतिविधियों में दो नए कार्यक्रम शामिल किए हैं।

GENERAL STUDIES HINDI

- पहला मिशन है, इंद्रधनुष जिसके तहत केवल एक वर्ष के अंदर ही 5 प्रतिशत से अधिक टीकाकरण कवरेज कर अच्छी प्रगति दर्ज की गई है।
- दूसरा है एनएचएम के अंतर्गत 2016 में शुरू की गई पहल कायाकल्प है। इसका उद्देश्य सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं में साफ सफाई की आदत डालने, स्वच्छता, प्रभावी अपशिष्ट प्रबंधन और संक्रमण नियंत्रण है। कायाकल्प के तहत प्रतिस्पर्धा के लिए पुरस्कार देना शुरू किया गया है, जिसे सभी राज्यों ने बेहतर तरीके से लिया है और स्वच्छता मानकों में महत्वपूर्ण सुधार देखे जा रहे हैं।

एनएचम ने स्वास्थ्य देखभाल के लिए जनआंदोलन शुरू किया है। सरकार ने लगभग दस लाख मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य सेवा (आशा) कार्यकर्ता तैनात किए हैं, जो परिवर्तन एजेंट के रूप में प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। आशा कार्यकर्ता संस्थागत प्रसव कराने, नवजात शिशु और बच्चों की बीमारियों के एकीकृत प्रबंधन पर ध्यान देने और घर में नवजात शिशु की देखभाल करने के बारे में परामर्श देते हैं। एनएचएम ने ग्रामीण स्वास्थ्य योजनाएं तैयार करने और आशा कार्यकर्ताओं के पर्यवेक्षण का निरीक्षण करने के लिए ग्रामीण स्वास्थ्य और स्वच्छता समितियों के जरिए लोगों को भी सशक्त बनाया है। रोगी अनुकूल संस्थान

बनाने के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं की प्रणाली गठित करने के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी) और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) स्तर पर रोगी कल्याण समितियों को सक्रिय किया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों के अलावा राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के शुभारंभ के साथ ही शहरी झुग्गी बस्तियों पर भी ध्यान दिया जा रहा है।

- सरकार का महत्वपूर्ण स्वास्थ्य क्षेत्र का कार्यक्रम राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन सभी के लिए स्वास्थ्य परिकल्पना को साकार कर रहा है। इसकी सहज सफलता में भविष्य का स्वस्थ भारत निहित है।

**

10. सिक्किम 'उदय' योजना में शामिल होने वाला 22वां राज्य

भारत सरकार और सिक्किम ने आज उज्जवल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (उदय) के तहत राज्य के बिजली वितरण विभाग के परिचालन में सुधार के लिए समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं। एमओयू पर हस्ताक्षर करने के साथ ही उदय के अंतर्गत आने वाले राज्यों की संख्या 22 हो गयी है।

Benefit through UDAY schemes*:---

- सिक्किम किफायती कोषों, एटी एंड सी में कमी और ट्रांसमिशन की खामी, ऊर्जा दक्षता बढ़ाने जैसे तरीकों से 'उदय' के माध्यम से 207 करोड़ रूपए का कुल लाभ अर्जित करेगा।
- एमओयू से राज्य के बिजली वितरण विभाग की परिचालन क्षमता में सुधार का मार्ग प्रशस्त होगा। बदलाव की प्रक्रिया के दौरान प्रदेश और डिस्कॉम्स अनिवार्य फीडर और ट्रांसफामर्स मीटरों का वितरण, उपभोक्ता इंडेक्स एवं नुकसान की जीआईएस मैपिंग, ट्रांसफार्मरों को अपग्रेड/बदलना, मीटर इत्यादि, बड़े ग्राहकों के लिए समार्ट मीटरिंग जैसे कदमों के जरिए परिचालन दक्षता लाने का प्रयास करेंगे। इससे पारेषण (ट्रांसमिशन) और एटीएंडसी के नुकसान को कम किया जा सकेगा। इसके अलावा बिजली की आपूर्ति और वसूली के बीच के अंतर को समाप्त किया जा सकेगा। इस दौरान एटीएंडसी और ट्रांसमिशन नुकसान में क्रमश: 15 प्रतिशत और 3.50 प्रतिशत की कमी लाकर 179 करोड़ रूपए का अतिरिक्त राजस्व जुटाया जा सकेगा।
- 'उदय' के तहत ध्यान दिए जाने वाले बिंदुओं में से ऊर्जा दक्षता एक है। पीक लोड घटाने और ऊर्जा खपत को कम करने के लिए सिक्किम सरकार ऊर्जा दक्षता वाले एलईडी बल्बों, कृषि पंपों, पंखों एवं एयर कंडीशनरों, कुशल औद्योगिक उपकरणों को पीएटी (परफार्म, एचीव, ट्रेड) के जरिए बढ़ावा देगी। इससे लगभग 25 करोड़ रूपए की बचत होने का अनुमान हैं।
- एक तरफ जहां राज्य सरकार द्वारा डिस्कॉम्स की परिचालन दक्षता में सुधार के प्रयास किए जा रहे हैं और आगे बिजली आपूर्ति की लागत घटाई जाएगी वहीं केंद्र सरकार भी राज्य में बिजली के बुनियादी ढांचे में सुधार और आगे बिजली की लागत को कम करने के लिए डिस्कॉम्स और राज्य सरकार को प्रोत्साहन प्रदान करेगी। डीडीयूजीजेवाई, आईपीडीएस जैसी केंद्रीय योजनाएं, ऊर्जा क्षेत्र विकास निधि अथवा ऊर्जा मंत्रालय की अन्य योजनाएं और एमएनआरई, राज्य में ऊर्जा क्षेत्र के बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए पहले से ही धन उपलब्ध करा रही हैं। अगर राज्य/डिस्कॉम्स योजनाओं के तहत निर्धारित परिचालन लक्ष्य को प्राप्त करते हैं तो उन्हें अतिरिक्त/प्राथमिकता के आधार पर भी अनुदान उपलब्ध कराने पर विचार किया जाएगा।
- इस एमओयू पर हस्ताक्षर होने का सबसे बड़ा लाभ सिक्किम के लोगों को होगा। डिस्कॉम्स द्वारा बिजली की उच्च मांग का अर्थ उत्पादन इकाइयों में अधिक पीएलएफ से होगा और ऐसा इसलिए बिजली की प्रति यूनिट की कम लागत का लाभ उपभोक्ताओं को मिलेगा। डिस्कॉम्स एटीएंडसी नुकसान वाले क्षेत्रों में बिजली की आपूर्ति में वृद्धि करेगा। इस योजना से सिक्किम के अब भी बिजली से महरूम घरों में किफायती और त्वरित बिजली उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। बिजली से दूर

गांवों/परिवारों को चौबीसों घंटे बिजली की आपूर्ति से अर्थव्यवस्था को बल और उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा। इससे रोजगार के अवसरों में सुधार आयेगा और राज्य के लोगों के जीवन में सुधार आएगा।

**

Science and Tech

1. भारत में मिला दुनिया का सबसे पुराना पौधे जैसा जीवाश्म

- वैज्ञानिकों ने मध्य भारत में **लाल शैवाल का 1.6 अरब वर्ष पुराना जीवाश्म** खोज निकाला है जो संभवत: धरती पर मौजूद पौधे के रूप में जीवन का सर्वाधिक पुराना सबूत है.
- स्वीडन के म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री के शोधकर्ताओं ने इसे **मध्य प्रदेश के चित्रकूट** में खोजा है.
- इस खोज से पता चलता है कि आधुनिक बहुकोशिकीय जीवन पूर्व की सोच से बहुत पहले ही पनप चुका था.
- धरती पर जीवन के जो सबसे पहले साक्ष्य मिले हैं, वे कम से कम 3.5 अरब वर्ष पुराने हैं. लेकिन ये एकल कोशिका वाले जीवों के हैं.
- पहले की खोजों में मिले बहुकोशिकीय जीव लगभग 60 करोड़ वर्ष पहले के हैं. वर्तमान खोज से पहले जिस लाल शैवाल की खोज हुई थी, वह 1.2 अरब वर्ष पुराना है.
- शोधकर्ताओं को लाल शैवाल जैसे दिखने वाले दो जीवाश्म चित्रकूट में चट्टानों के नीचे अच्छी हालत में मिले हैं.

**

DNA बनेगा भविष्य का डाटा बैंक

- वैज्ञानिकों ने डीएनए में कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम, एक लघु फिल्म के साथ कुछ अन्य डेटा संरक्षित किया है। यह प्रगति आने वाले समय में बहुत अधिक कॉम्पैक्ट, बायलॉजिकल स्टोरेज उपकरणों के विकास का वाहक बन सकती है। इन उपकरणों के अगले हजारों वर्ष तक चलने की संभावना है।
- अनुसंधानकर्ताओं के नए अध्ययन में यह बात निकलकर सामने आयी है कि एक मोबाइल पर स्ट्रीमिंग वीडियो के लिए डिजाइन किये गये एल्गोरिदम से डीएनए के पूर्ण स्टोरेज क्षमता का इस्तेमाल किया जा सकता है। उन्होंने दिखलाया है कि ये प्रौद्योगिकी बहुत अधिक विश्वसनीय है।
- डीएनए स्टोरेज का आदर्श माध्यम साबित हो सकता है क्योंकि यह बहुत अधिक कॉम्पैक्ट साबित हो सकता है और सूखे एवं ठंडे स्थानों पर रखे जाने की स्थिति में हजारों वर्षों तक चल सकता है। इस अनुसंधान का प्रकाशन साइंस जर्नल में हुआ है।

GENERAL STUDIES HINDI

**

2. दक्षिण एशिया उपग्रह जीसैट-9

दक्षिण एशिया उपग्रह 'जीसैट-9' के सफल लॉन्च के साथ भारत ने अंतरिक्ष कूटनीति की दिशा में कदम बढ़ा दिया है| इसे आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से छोड़ा गया. इसके लॉन्च में 49 मीटर लंबे और 450 टन वजनी जीएसएलवी रॉकेट का इस्तेमाल किया गया. इस उपग्रह को बनाने से लेकर लॉन्च तक कुल 450 करोड़ रुपये का खर्च आया है, जिसे भारत ने उठाया है.

Who will share the data from this satellite

भारत द्वारा अपने पड़ोसी देशों को दिए गए इस तोहफे से संचार सुविधाएं मजबूत होंगी. इसके अलावा आपदा राहत के कार्यों में इसका इस्तेमाल किया जा सकेगा. इसके आंकड़े नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, मालदीव, श्रीलंका और अफगानिस्तान के साथ साझा किए जाएंगे. पाकिस्तान ने इस सैटेलाइट से कोई भी मदद लेने से इनकार कर दिया था. उसका तर्क है कि इन कामों के लिए उसका अपना अंतरिक्ष कार्यक्रम है.

Background:

दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) के आठ सदस्य देशों में भारत, पाकिस्तान और श्रीलंका के पास अपने उपग्रह हैं, जबकि अन्य के पास अपना अंतरिक्ष कार्यक्रम नहीं है. भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम जहां स्वतंत्र और आत्मनिर्भर है, वहीं पाकिस्तान और श्रीलंका ने चीन की मदद के अपने-अपने उपग्रह प्रक्षेपित किए हैं. अफगानिस्तान के पास यूरोपीय स्पेस एजेंसी से खरीदा गया एक संचार उपग्रह है. नेपाल और बांग्लादेश के पास अपना कोई उपग्रह नहीं है, लेकिन वे इसे हासिल करने की दिशा में तेजी से प्रयास कर रहे हैं.

**

3. ब्रह्मोस ब्लॉक-3 का सफल परीक्षण

दक्षिण पश्चिमी कमान 'सट्राइक वन' ने भूमि पर प्रहार करने वाली क्रूज़ मिसाइल प्रणाली से युक्त अत्याधुनिक ब्रह्मोस ब्लॉक – 3 का अंडमान निकोबार में लगातार सफल परीक्षण किया।

- सुपरसोनिक क्रूज़ मिसाइलों का ये सफलतापूर्वक परीक्षण, मोबाइल ऑटोनॉमस लॉन्चर्स से पूर्ण परिचालन अवस्था में भूमि-से-भूमि पर मार करने वाली मिसाइल के रूप में अपनी पूर्ण क्षमता के साथ किया गया।
- उच्च स्तर और जटिल युद्धाभ्यासों को आयोजित करते समय कॉपीबुक तरीके से सभी उड़ान मापदंडों को पूरा करते हुए, बहु भूमिका वाली मिसाइल ने भूमि आधारित निर्धारित लक्ष्य पर वांछित सटीकता के साथ सफलतापूर्वक हमला किया। दोनों ही परीक्षणों के दौरान लक्ष्य पर हमले करने के मामले में मिसाइल की सटीकता एक मीटर से भी कम रही।
- यह लगातार पांचवां मौका है, जब ब्रह्मोस के ब्लॉक-3 संस्करण का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया गया है और भूमि पर हमला करने के मामले में इसकी श्रेणी के किसी अन्य हथियार ने अभी तक यह अविश्वसनीय उपलब्धि हासिल नहीं की है।
- वर्ष 2007 में ब्रह्मोस को अपनाने वाली दुनिया की पहली थल सेना की उपलब्धि पाने वाली भारतीय सेना इस दुर्जेय हथियार की कई अन्य श्रेणियों को विकसित कर चुकी है। इस मिसाइल को संयुक्त रूप से भारत के डीआरडीओ और रूस के एनपीओएम द्वारा विकसित किया गया है।

**

4. मोबाइल टावर विकिरण की माप बताएगा तरंग संचार पोर्टल

Ø दूरसंचार विभाग ने मोबाइल टावर से निकलने वाले विकिरण का पता लगा के लिए 'तरंग संचार' पोर्टल बनाया है

Ø यह पोर्टल मोबाइल टावर से निकलने वाली तरंगों के बारे में व्याप्त मिथ्या धारणाओं को तोड़ने का काम करेगा।

GENERAL STUDIES HINDI

Ø यह ग्राहकों को एक माउस के क्लिक पर किसी क्षेत्र में कार्यरत तमाम टावरों के बारे में जानकारी देगा। यह बताएगा कि किसी खास टावर से निकलने वाली तरंगें सरकार की ओर से तय मानकों के अनुरूप हैं या नहीं।

Background

सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिनों ही ग्वालियर के एक 42 वर्षीय मरीज की मांग पर उसके इलाके से मोबाइल टावर हटाने का आदेश दिया था। मरीज का दावा था कि इस टावर से निकलने वाली घातक तरंगों के कारण ही उसे कैंसर हुआ है। कोर्ट के इस आदेश के बाद मोबाइल टावरों से उत्सर्जित होने वाले विकिरण को लेकर जारी बहस नए सिरे से तेज हो गई थी। सरकार का कहना है कि भारतीय मोबाइल टावर सुरक्षित हैं

**

5. नौसेना के लिए ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल का किया गया सफल परीक्षण

- भारत ने युद्धपोत से जमीन पर मार करने वाली ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। इसके साथ ही नौसेना को समुद्र से दुश्मन के इलाके में अंदर तक मार करने की क्षमता हासिल हो गई है।
- सुपरसोनिक लैंड क्रूज मिसाइल के सफल परीक्षण के साथ भारत चुनिंदा देशों के विशिष्ट क्लब में शामिल हो गया है।
- भारत से पहले केवल अमेरिका, रूस, चीन और ब्रिटेन के पास ही समुद्र से जमीन पर मार करने की लैंड क्रूज सुपरसोनिक मिसाइल क्षमता रही है।
- इस मिसाइल का परीक्षण बंगाल की खाड़ी में किया गया। लंबी दूरी की ब्रह्मोस मिसाइल का यह संस्करण भारत और रूस ने मिलकर विकसित किया है। ब्रह्मोस मिसाइल का एंटी शिप संस्करण पहले से ही नौसेना के पास है।
- नौसेना के कोलकाता, रणवीर और तेग जैसे जंगी जहाज एंटी शिप मिसाइल से दुश्मन पर प्रहार करने की क्षमता रखते हैं।

संक्षिप्त विवरण :

- ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के सहारे नौसेना समुद्र में दुश्मन की सीमा से दूर रहते हुए भी उसके अंदर के जमीनी लक्ष्य पर सटीक प्रहार कर सकती है। वैसे भारतीय सेना ने ब्रह्मोस लैंड क्रूज मिसाइल का वर्ष 2007 में ही सफल आपरेशन शुरू कर दिया था।
- ब्रह्मोस मिसाइल से नौसेना को लैस करने का आगाज 2005 में हुआ था।
- ब्रह्मोस मिसाइल की क्षमता 290 किलोमीटर की दूरी तक मार करने की है।
- भारत अपनी सेनाओं के आधुनिकीकरण के साथ इनकी रणनीतिक सैन्य क्षमता बढ़ाने के लिहाज से 450 से लेकर 800 किलोमीटर रेंज के ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल विकसित करने पर काम कर रहा है।

**

6. जानें अफगनिस्तान पर गिराए गए 'मदर ऑफ ऑल बम' के बारे में....

★ अमेरिका ने पूर्वी अफगानिस्तान में एक विशाल बम गिराया है. अमेरिका ने इस्लामिक स्टेट आतंकियों के ठिकानों पर बम गिराया.

★ इस विशाल बम का नाम GBU-43 बताया जा रहा है. इस बम का निर्माण अमेरिकी सेना के अधिकारी अलबर्ट एल. वीमोर्ट्स ने किया था.

★ इसके बाद रूस ने फादर ऑफ ऑल बम बनाने का दावा किया था और कहा था कि यह मदर ऑफ ऑल बम से चार गुना शक्तिशाली है.

GENERAL STUDIES HINDI

★ पहली बार इस बम का प्रयोग किया गया है और इसे MC-130 एयरक्राफ्ट से गिराया गया. यह बम नानगरहार प्रांत के अचिन जिले में एक सुरंगनुमा इमारत (टनल कॉम्पलेक्स) पर गिराया गया.

★ अमेरिका ने पूर्वी अफगानिस्तान में शरण लिए इस्लामिक स्टेट आतंकियों के ठिकानों पर एक विशाल GBU-43 बम गिराया है. इस बम को सबसे बड़ा बम बताया जाता है.

★ इस बम को 'सभी बमों की जननी' भी कहा जाता है. GBU-43 का वजन 21,600 पाउंड (9,797 किग्रा) बताया जा रहा है. इसका पहली बार परीक्षण मार्च 2003 में ईराक युद्ध शुरू होने से कुछ दिन पहले ही किया गया था.

★ यह बम जीपीएस से निर्देशित होता है. इसमें 11 टन विस्फोटक पदार्थ आता है.

★ इसे पाकिस्तानी सीमा से जुड़े अफगानिस्तान में नंगारहर प्रांत के अचिन जिले में गिराया गया.

**

7. थ्री-पैरेंट बेबी तकनीक

- दुनिया के पहले थ्री-पैरेंट बेबी (तीन अभिभावकों की संतान) के जन्म की आइवीएफ तकनीक सार्वजनिक हो गई है। वैज्ञानिकों ने इस तकनीक से एक स्वस्थ बच्चे को जन्म देने में सफलता हासिल की।
- वैज्ञानिकों के मुताबिक, बच्चे के जन्म में **माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट थेरेपी (एमआरटी) की प्रक्रिया** अपनाई गई थी। इसकी मदद से माइटोकॉन्ड्रिया की गंभीर खामी के कारण होने वाले लीफ सिंड्रोम से बच्चे को बचाया जा सका।
- वैज्ञानिकों ने बताया कि माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिकाओं का पावर हाउस कहा जाता है। बच्चे की मां के माइटोकॉन्ड्रिया में कुछ खामी है। यही खामी गर्भधारण के बाद बच्चे में जानलेवा बन जाती है। इसी कारण महिला का चार बार गर्भपात हो गया था। दो बार उसने बच्चों को जन्म दिया, लेकिन वे जीवित नहीं रह सके।

क्या है नई तकनीक :

- नई तकनीक में मां के अंडाणु के एक न्यूक्लियर जीनोम को अन्य महिला के स्वस्थ माइटोकॉन्ड्रिया वाले अंडाणु के जीनोम से बदल दिया गया।
- इसके बाद अंडे का निषेचन कर उसे मां के गर्भ में प्रत्यारोपित कर दिया गया। इस तरह से बच्चे का जन्म **दो मां और एक पिता** से हुआ।
- इस तकनीक की सफलता से भविष्य में आनुवांशिक रूप से होने वाली जन्मजात बीमारियों से बच्चों को बचाना संभव हो सकता है।

**

8. अंतरिक्ष में बड़ी छलांगः पहली बार सैटेलाइट छोड़कर वापस आया रॉकेट का दुबारा यूज

★ इतिहास में पहली बार किसी रॉकेट को दुबारा यूज किया गया है. टेस्ला के सीईओ एलोन मस्क की स्पेस एजेंसी SpaceX ने पहले से इस्तेमाल किए गए रॉकेट Falcon 9 को दुबारा से स्पेस में भेजा है.

★ यह वही रॉकेट है जो लॉन्च के बाद वापस आ जाता है. यह रॉकेट फ्लोरिडा से लॉन्च किया गया और इसके जरिए SpaceX ने स्पेस के ऑर्बिट में कम्यूनिकेशन सैटेलाइट भेजा है.

★दिलचस्प ये हैं कि कम्यूनिकेशन सैटेलाइट को स्पेस ऑर्बिट में छोड़ने के बाद यह रॉकेट वापस जमीन पर आया. इसे ऐटलांटिक ओशियन में SpaceX के फ्लोटिंग शिप पर सफलतापूर्वक लैंड कराया गया. यही रॉकेट पिछले साल अप्रैल में लॉन्च किया गया था. यानी इस रॉकेट से दो बार सैटेलाइट स्पेस में भेजे गए.

इतना महत्वपूर्ण क्यों

★ 'इसका मतलब आप ऑर्बिटल क्लास बूस्टर को दुबारा उड़ा सकते हैं जो रॉकेट का सबसे महंगा पार्ट होता है. यह स्पेसफाइट में क्रांति लाने लाने वाला है'

GENERAL STUDIES HINDI

★ गौरतलब है कि Space X इस मिशन के लिए पिछले छह साल से काम करी है. इसे 2011 की शुरुआत में शुरू किया गया था.

★ इस सफल री-लॉन्च के बाद अब एक बार भेजे गए रॉकेट को दुबारे से री लॉन्च करने का रास्ता साफ होता दिख रहा है.

★ क्योंकि अभी तक किसी सैटेलाइट को भेजने के लिए हर बार नया रॉकेट तैयार किया जाता है जिसमें अरबों रुपये लगते हैं. लेकिन Space X ने जब एक रॉकेट को दुबारा लॉन्च करके यह साबित किया है कि रॉकेट के लिए अरबों रुपये बचाए जा सकते हैं.

★ हालांकि अभी इसमें कई पेचीदगी भी है, क्योंकि SpaceX ने हर लॉन्च पर पूरे Falcon 9 रॉकेट को सेव नहीं किया. बल्कि 14 स्टोरी में से पहले स्टेज को बचाया गया जिसमें मेन इंजन लगा होता है और सबसे ज्यादा इंधन भी इसी में होता है.

★ Falcon 9 के सफलतापूर्वक वापस आने का मतलब ये भी है कि कंपनी इसे फिर से तीसरी बार लॉन्च करने के लायक बनाएगी. उम्मीद की जा सकती है कि SpaceX इसे एक बार फिर से स्पेस में भेजेगी.

**

9. स्वदेशी सुपर पॉवर ड्रोन 'भीम'

Ø भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) खड़गपुर के छात्रों ने देश का स्वदेशी सुपरपावर ड्रोन बनाया है. उन्होंने इसका नाम महाभारत के वीर योद्धा के नाम पर 'भीम' रखा है.

Ø आईआईटी छात्रों द्वारा विकसित यह मानवरहित उपकरण एक मीटर लंबा है जो अत्याधुनिक सुरक्षा व्यवस्था में मदद देने के अलावा कई अनोखी खूबियों से लैस है. शोध छात्रों का दावा है कि अपने जबरदस्त बैटरी बैक-अप की वजह से यह सात घंटे तक उड़ान भर सकता है और एक किमी के दायरे में वाई-फाई जोन बना सकता है.

Ø भीम को आपदा और युद्ध के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला माना जा रहा है. इसके जरिए सुरक्षा बलों, राहतकर्मियों और आम लोगों को बाधारहित संचार की सुविधा दी जा सकती है. इसकी सबसे बड़ी खासियत देर तक उड़ान भरने और पैराशूट के जरिए आपातकालीन आपूर्ति बहाल करने की क्षमता है.

Ø यह काफी हल्का है. यही नहीं, इसकी कीमत भी भारत में निगरानी के लिए इस्तेमाल हो रहे मौजूदा ड्रोन की कीमत की एक-चौथाई है.

**

10. लापता चंद्रयान-प्रथम को नासा ने खोज निकालने का दावा किया

- भारत की ओर से पहले चंद्र अभियान पर भेजे गए अंतरिक्षयान 'चंद्रयान-1' को अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने ढूंढ लेने का दावा किया है.
- नासा ने बताया है कि यह यान अभी पृथ्वी से 3.8 लाख किलोमीटर दूर है और चंद्रमा की सतह से करीब 200 किलोमीटर की ऊंचाई से उसकी परिक्रमा कर रहा है.
- इसके साथ ही नासा ने अपने लापता यान 'एलआरओ' को भी खोज निकालने की घोषणा की है.
- भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो ने चंद्रयान को अक्टूबर 2008 में लॉन्च किया था.
- करीब 10 महीने सेवाएं देने के बाद अगस्त 2009 में इसका इसरो के नियंत्रण कक्ष से संपर्क हमेशा के लिए टूट गया था.
- नासा ने बताया है कि उसकी कैलिफोर्निया स्थित जेट प्रोपल्सन प्रयोगशाला (जेपीएल) ने इसे खोजा है. जेपीएल की टीम ने इसका पता लगाने के लिए 70 मीटर लंबे एंटीना और माइक्रोवेव की शक्तिशाली तरंगों का इस्तेमाल किया था.

GENERAL STUDIES HINDI

**

11. भारत ने किया स्वदेशी इंटरसेप्टर मिसाइल का सफल परीक्षण, कम ऊंचाई वाली मिसाइल को मार गिराने में सक्षम

Ø भारत ने कम ऊंचाई वाली मिसाइल को मार गिराने में सक्षम स्वदेशी इंटरसेप्टर सिस्टम का सफल परीक्षण किया है। इस मिसाइल का एक महीने में दूसरी बार सफल टेस्ट किया गया

Ø वहीं इसे बहु स्तरीय मिसाइल रक्षा प्रणाली को विकसीत करने के प्रयास के तौर पर देखा जा रहा है।

Ø उड़ीसा के चांदीपुर रेंज से इस स्वदेशी मिसाइल को कम ऊंचाई पर परीक्षण किया गया। यह परीक्षण इंटरसेप्ट मिसाइल के कई मानकों को मान्यता देने के संबंध में किया गया था।

Ø यह मिसाइल 7.5 मीटर लंबा मजबूत रॉकेट है। साथ ही इसे नौवहन प्रणाली, हाईटेक कंप्यूटर और इलेक्ट्रो-मैनिकल एक्टिवेटर की सहायता से गाइडेड मिसाइल से संचालित किया जाता है।

Ø गौरतलब है कि रक्षा संगठन डीआरडीओ के एक प्रोग्राम के तहत पिछले 11 फरवरी को पृथ्वी डिफेंस वीइकल का परीक्षण किया गया था

Ø तब यह 97 किलोमीटर की ऊंचाई पर अपने लक्ष्य को निशाना बनाया था। कंप्यूटर सिस्टम से जरूरी निर्देश मिलते ही इंटरसेप्टर को टार्गेट भेदने के लिए छोड़ दिया जाता है

Ø बंगाल की खाड़ी में अब्दुल कलाम द्वीप से इंटरसेप्टर मिसाइल को टैकिंग रडारों से संकेत मिला जिसके बाद यह शत्रु मिसाइल को हवा में ही नष्ट करने के लिए आगे अपने पथ पर बढ़ गई। इसके सफल परीक्षण पर

Ø 'अश्विन' ने सफलतापूर्वक अपने लक्ष्य भेद दिया। गौरतलब है कि इस स्वदेशी मिसाइल का नाम अश्विन रखा गया है।

Ø इंटरसेप्टर मिसाल का अपना एक सचल प्रक्षेपक, हवा में निशाने को भेदने के लिए एक सुरक्षित डाटा लिंक, स्वतंत्र ट्रैकिंग क्षमता और आधुनिक रडार हैं।

Ø इंटरसेप्टर मिसाइल ने 11 फरवरी को पृथ्वी के वायुमंडल से 50 किलोमीटर उपर, अधिक उंचाई पर एक प्रतिद्वन्द्वी बैलिस्टिक मिसाइल को सफलतापूर्ण भेदा था। इससे पहले कम उंचाई पर 15 मई 2016 को एएडी मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया था।

**

12. पीएसएलवी से जीएसएलवी

#Business_standard

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) को एक ही प्रक्षेपण यान से 104 उपग्रह अंतरिक्ष में भेजने में सफलता मिली। इसरो का पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल (पीएसएलवी) इससे पहले 38 उड़ान भर चुका है।

- अतिरिक्त बूस्टर के साथ इसे इतना क्षमतावान बनाया गया कि यह तकरीबन 1,400 किलोग्राम वजन वाले 104 उपग्रहों को ले जा सके।
- इन उपग्रहों की कक्षाओं का आकलन करना और उनका प्रबंधन करना अत्यंत जटिल कार्य था और इसरो को इस उपलब्धि के लिए निश्चित रूप से सराहा जाना चाहिए।
- इसके कुल वजन का आधा से अधिक तो कार्टोसैट उपग्रह था जो पृथ्वी का पर्यवेक्षण करता है। अन्य उपग्रहों में 100 से अधिक नैनो सैटेलाइट थे।
- इनमें से लगभग सारे कैलिफोर्निया की कंपनी प्लैनेट लैब के थे। यह कंपनी कुल 88 नैनो-सैटेलाइट का जत्था भेज रही है जिसे उसने डव्स नाम दिया है। प्लैनेट लैब का मानना है कि छोटे उपग्रहों का समूह अधिक प्रभावी ढंग से पृथ्वी की गतिविधियों को दर्ज कर सकता है, बनिस्बत बड़े उपग्रहों के। प्लैनेट लैब्स के उपग्रह पृथ्वी की सतह के चित्र खींचकर भेजेंगे जिनको गूगल को बेचा जाएगा।

छोटे और अत्यधिक छोटे उपग्रहों का बाजार काफी बड़ा और आकर्षक है। ऐसे में इसरो इसका लाभ उठाकर अच्छा कर रहा है। यह बात खासतौर पर श्रेय देने लायक है क्योंकि आखिर है तो यह सरकारी संस्थान। अप्रैल 2008 में पीएसएलवी-सी9 की मदद से 10 उपग्रहों को कक्षा में भेजा गया। वह भी विश्व रिकॉर्ड था। गत जून में पीएसएलवी-सी34 के जरिये 20 उपग्रह और अब पीएसएलवी-सी 37 के जरिये 100 से अधिक उपग्रह अंतरिक्ष में रवाना किए गए। पीएसएलवी की मदद से अब तक कुल 179 विदेशी उपग्रहों को अंतरिक्ष में स्थापित किया जा चुका है। औसतन देखा जाए तो इसरो साल में चार से पांच प्रक्षेपण करता है। निश्चित तौर पर उसने कई गैर वाणिज्यिक सफलताएं अर्जित की हैं।

मसलन 2008 का चंद्रयान मिशन और मार्स ऑर्बिटर मिशन इसकी बड़ी उपलब्धियों में शामिल किए जाते हैं। इसरो ने क्रायोजनिक इंजन वाले रॉकेट भी सफलतापूर्वक छोड़े हैं। बहरहाल एजेंसी की मितव्ययता और लागत कम रखने की कोशिश की सराहना नहीं की जा सकती। उसकी सफलता को कम लागत से जोड़ कर देखा जा रहा है। आज देश के सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के समक्ष जो सीमाएं हैं उसमें भी उनकी लागत की भूमिका रही है। तकरीबन 1,400 किलोग्राम वजन को अंतरिक्ष में स्थापित करना भी निश्चित रूप से अपने आप में एक अहम उपलब्धि है लेकिन हमें दो बातों का ध्यान रखना होगा। पहली, चीन साल में कम से कम

20 प्रक्षेपण करता है और वाणिज्यिक बाजार की अपेक्षा अब लगभग 3,500 किलोग्राम से अधिक वजन के प्रक्षेपण की है।

GSLV पर ज्यादा ध्यान देने कि जरुरत -

पीएसएलवी के साथ ऐसा करना दुष्कर साबित होगा। उसमें पर्याप्त क्षमता ही नहीं है। इसरो को अब जियोक्रायोजनिक सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल या जीएसएलवी की शीघ्र आवश्यकता है। इस दिशा में हमें कई नाकामियां हाथ लग चुकी हैं। समस्या यह है कि जीएसएलवी जहां इसरो के लिए अब स्थिर तकनीक नजर आ रही है, वहीं इसका निर्माण मूलतया रूसी तकनीक की मदद से किया गया था। स्थानीय स्तर पर बना क्रायोजनिक इंजन काफी अलग होता है। बहरहाल, गत वर्ष सितंबर में एक देसी क्रायोजनिक इंजन की मदद से जीएसएलवी का प्रक्षेपण किया गया था। यदि इसरो और उसकी वाणिज्यिक शाखा एंट्रिक्स अपनी महत्त्वाकांक्षाएं पूरी करना चाहते हैं तो यह बात अहम है कि वे अपने रॉकेट में बेहतरीन तकनीक का इस्तेमाल करें, बजाय कि छोटे और नैनो सैटेलाइट के बाजार में लागत के क्षेत्र में बढ़त हासिल करने के।

**

National Issues

1. भारत में मानव तस्करी : तथ्य और वस्तुस्थिति

- वर्ष 2016 में मानव तस्करी के मामलों में पश्चिम बंगाल सबसे आगे रहा। दूसरे नंबर पर राजस्थान का नाम आया है। वर्ष 2016 में मानव तस्करी के कुल मामलों में 61 फीसदी मामले दोनों राज्यों के हैं। वर्ष 2016 में देश में इस तरह के 8,132 मामले दर्ज किए गए थे।
- इनमें पश्चिम बंगाल में 3,576 और राजस्थान में 1,422 मामले थे। राजस्थान के बाद गुजरात में 548 वहीं महाराष्ट्र में 517 मामले दर्ज किए गए।
- केंद्र शासित क्षेत्रों में मानव तस्करी के कुल 75 में अकेले दिल्ली के 66 मामले हैं। हालांकि 2015 की तुलना में राष्ट्रीय राजधानी में ऐसे मामलों की संख्या कम हुई है। 2015 में दिल्ली में इस तरह के 87 मामले दर्ज किए गए थे।
- दक्षिणी राज्यों में सर्वाधिक मामले तमिलनाडु में 434 और इसके बाद कर्नाटक में 404 दर्ज किए गए। जम्मू कश्मीर, त्रिपुरा, नगालैंड, दादर एंव नागर हवेली, लक्षद्वीप और पुडुचेरी में मानव तस्करी का एक भी मामला सामना नहीं आया है।
- उत्तर प्रदेश में मानव तस्करी के 79 और मध्य प्रदेश में 51 मामले दर्ज किए गए। बिहार में 43, ओडिशा में 84 और झारखंड में 109 मामले दर्ज किए गए।
- आंध्र प्रदेश में 239 और तेलंगाना में 229, जबकि केरल में 21 मामले दर्ज किए गए।
- मानव तस्करी पर रोक लगाने के लिए केंद्र सरकार ने बांग्लादेश और संयुक्त अरब अमीरात के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किया है।

2. खेती पर कर कितना उचित??

सुर्ख़ियों में

हाल ही में नीति आयोग की कार्ययोजना पेश करते समय आयोग के सदस्य विवेक देबरॉय ने कृषि आय को कर प्रणाली में शामिल करने का सुझाव बताकर इस विवाद को जन्म दे दिया। हालांकि देबरॉय के बयान के तत्काल बाद वित्त मंत्री ने इस संभावना को खारिज कर दिया। वित्त मंत्री ने कहा कि कृषि आय पर कर लगाने की सरकार की कोई योजना नहीं है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष ने भी कहा कि सरकार किसानों की आय को दोगुना करने की योजना बनाने में लगी हुई है। लिहाजा कर लगाने का सवाल ही नहीं उठता है। इसके बावजूद देबरॉय के बयान से निकले संदेश को अच्छी तरह से लिया गया है

कर दायरा बढाने के तरीके ?

Ø अगर सरकार कर दायरा बढ़ाना चाहती है तो उसका स्वाभाविक तरीका यह है कि करारोपण से दी जाने वाली छूटों और अपवादों को या तो खत्म कर दिया जाए या न्यूनतम किया जाए।
Ø देबरॉय की राय के मुताबिक एक खास सीमा से अधिक कृषि आय पर ही कर लगाया जाना चाहिए।
Ø हालांकि पानगडिय़ा आशंका जता चुके हैं कि ऐसा करना सरकार के अन्य लक्ष्यों के साथ टकराव पैदा करेगा। इसके अलावा सियासी नजरिये से भी इस राह पर कदम बढ़ा पाना सरकार के लिए खासा मुश्किल होगा।

क्या खेती को कर के दायरे में लाने से राजकोषीय लाभ होगा ?

Ø लेकिन यह ध्यान रखना भी अहम है कि कृषि आय को कर दायरे में लाने से होने वाला राजकोषीय लाभ कम ही होगा। इसकी वजह यह है कि कर दायरे में लाए जाने वाले किसानों की संख्या काफी कम होगी। दरअसल पिछले कुछ दशकों में भारत में खेतों का आकार लगातार सिकुड़ता चला गया है जिससे कृषि अधिक लाभ का काम नहीं रह गया है। खेतों के बंटवारे से खेतों का औसत आकार काफी छोटा हो गया है। हालत यह है कि देश के 86 फीसदी से अधिक खेत आकार में दो हेक्टेयर से भी छोटे हैं।
Ø वर्तमान वित्त वर्ष में 2.5 लाख रुपये से अधिक आय पर ही कर लगाने का प्रावधान किया गया है। लेकिन राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन के नवीनतम आंकड़ों की मानें तो 10 हेक्टेयर से अधिक खेत वाला एक कृषक परिवार भी साल भर में औसतन 2.35 लाख रुपये ही कमा पाएगा।
Ø इस तरह कृषि आय पर निर्भर बहुत कम परिवार ही कर दायरे में लाए जा सकेंगे।

और क्या तरीके ?

अगर बढ़ते राजकोषीय बोझ के चलते ऐसा फैसला किया जाता है तो उसके लिए कई अन्य तरीके भी हो सकते हैं। कृषि आय पर कर लगाने से अच्छा है कि :
Ø कृषि क्षेत्र को समर्थन मूल्य और अन्य तरीकों से दी जा रही तमाम सब्सिडी पर रोक लगा दी जाए।
Ø इसके स्थान पर कई देशों में लागू प्रत्यक्ष आय समर्थन का तरीका आजमाया जा सकता है।
Ø लेकिन इस आय को कुछ समय बाद अर्जित आयकर प्रणाली में शामिल करने की व्यवस्था भी होनी चाहिए। इससे लोग स्वेच्छा से कर प्रणाली का हिस्सा बनने के लिए प्रोत्साहित होंगे। हालांकि अगर सरकार इसे लेकर चिंतित है कि कृषि आय पर मिली छूट का इस्तेमाल अन्य स्रोतों से हुई आय पर कर देने से बचने के लिए किया जा रहा है तो कर नियमों को अधिक प्रभावी तरीके से लागू करना ही उसका सही तरीका हो सकता है।

निश्चित रूप से कृषि आय पर कर लगाने जैसे प्रस्ताव पर फैसला करने के पहले सभी बिंदुओं पर गौर करना होगा। इसके अलावा नीति आयोग को भी ग्रामीण क्षेत्र के लिए कारगर संरचनात्मक बदलावों पर अधिक ध्यान देना चाहिए।

GENERAL STUDIES HINDI

3. **गाड़ियों पर लाल बत्ती लगाने की परंपरा का अंत – वीआईपी संस्कृति के लिए बड़ा झटका**

ग्रीस के प्रसिद्ध दार्शनिक ने कहा था कि 'अच्छी शुरुआत आधी सफलता होती है'। सरकारी गाड़ियों पर लाल बत्ती लगाने की संस्कृति को खत्म करने के लिए केन्द्रीय मंत्रिमंडल द्वारा लिया गया निर्णय इस दिशा में लड़े जा रहे युद्ध के खिलाफ एक अच्छी शुरुआत है।

- केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार 19 अप्रैल 2017 को राष्ट्रपति, उप राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री सहित विभिन्न वीआईपी गणमान्य व्यक्तियों के वाहनों पर लाल एवं अन्य रंगों की बत्तियां लगाने की परंपरा को खत्म करने के लिए मोटर वाहन अधिनियम में संशोधन करने का निर्णय लिया। मंत्रिमंडल की बैठक में इस निर्णय को लिए जाने के तुरंत बाद प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने एक ट्वीट में कहा कि 'प्रत्येक भारतीय नागरिक ख़ास है, प्रत्येक भारतीय नागरिक वीआईपी है।
- केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने देशभर में विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत वाहनों के ऊपर लगी लाल बत्ती को हटाने का निर्णय लिया। सरकार का मानना है कि वाहनों के ऊपर लगी लाल बत्ती से वीआईपी संस्कृति का

प्रदर्शन होता है, और एक लोकतांत्रिक देश में इस तरह की किसी भी संस्कृति के लिए स्थान नहीं है। वाहनों के ऊपर लगी इन लाल बत्तियों की कोई प्रासंगिकता नहीं है। हालांकि एंबुलेंस, दमकल आदि आपातकालीन और राहत कार्यों के अंतर्गत सेवा कार्यों में लगे वाहनों पर इस तरह की बत्तियों को इस्तेमाल करने की इजाज़त दी जाएगी। इस निर्णय के मद्देनज़र, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय नियमों में आवश्यक संशोधन करेगा। यह बात केन्द्रीय मंत्रिमंडल द्वारा लिए गए निर्णय के बाद सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी संक्षिप्त बयान में कही गई।

- इसके तुरंत बाद यह टेलीविज़न समाचार चैनलों और समाचार पोर्टल्स पर बड़ी ख़बर के रूप में दिखने लगी। इतना ही नहीं, सोशल मीडिया पर इस ख़बर के संबंध में खुशनुमा संदेशों की झड़ी लग गई। वाहनों से लाल, नीली, ऑरेंज (नारंगी) आदि बत्तियों को हटाने की ख़बर जैसे ही देशभर में फैली, तो जिन लोगों को इस तरह की बत्तियों का उपयोग करने की अनुमति थी, उनमें से कई वीआईपी ने तुरंत प्रभाव से अपने वाहनों से बत्ती उतारते हुए फोटो खिंचवाकर सोशल मीडिया आदि पर अपलोड कर दी और हज़ारों लोगों तक यह संदेश पहुंचाया कि वे कोई विशेष व्यक्ति नहीं, बल्कि समाज का ही एक हिस्सा हैं और समाज के अन्य लोगों की तरह ही आम नागरिक हैं। वाहनों से बत्तियों को हटाकर वीआईपी संस्कृति को खत्म करने के लिए मंत्रिमंडल द्वारा लिए गए निर्णय के संदेश को आश्वासन के रूप में देखा जा सकता है, एक वादे के रूप में देखा जा सकता है, देश में बदलाव लाने वाले एक संदेश के रूप में देखा जा सकता है और इस संदेश को देशभर में भेदभाव खत्म करने के रूप में भी देखा जा सकता है।

सर्वोच्च अदालत का फैसला* :---

- - सरकार ने दिसंबर 2013 के सर्वोच्च न्यायालय के आदेश को आगे बढ़ाते हुए वाहनों पर लगने वाली लाल एवं अन्य रंगों की बत्तियों को हटाने के बारे में यह निर्णय लिया। इस फैसले में कानूनों में संशोधन कर, वाहनों पर लगने वाली लाल बत्ती के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाने की बात कही गई थी।
- वीआईपी संस्कृति के बारे में सुनवाई करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि "यदि सत्ता कुछ व्यक्तियों तक केन्द्रित रहती है, तो सत्ता को हासिल करने का लालच लोकतंत्र के मूल्यों को खत्म कर देगा। हमने पिछले चार दशकों में जो किया है वह निश्चित रूप से हमारी स्थापित राजनीतिक प्रणाली को झटका पहुंचाएगा। इसके सबसे बेहतर उदाहरण, छोटे से लेकर बड़े सार्वजनिक प्रतिनिधियों और विभिन्न कैडरों के नौकरशाहों सहित विभिन्न पदाधिकारियों द्वारा वाहनों पर लाल बत्ती आदि का उपयोग किया जाना है। लाल बत्ती सत्ता को प्रदर्शित करती है और जिनके पास इस तरह की बत्तियों को उपयोग करने की सुविधा है और जिनकी पास ऐसी सुविधा नहीं है, उनके बीच बड़े अंतर को दर्शाती है।
- इस मामले में न्यायालय द्वारा गठित एमिकस क्यूरी ने अदालत को बताया था कि लाल बत्ती लोगों के लिए एक प्रतिष्ठा का प्रतीक बन गया था, जो लोग इस तरह की बत्ती का उपयोग करते हैं वे खुद को सामान्य लोगों से अलग एवं बेहतर श्रेणी में समझते हैं। उन्होंने न्यायालय को यह भी बताया कि, सरकारी वाहनों पर लाल बत्ती का व्यापक उपयोग उन लोगों की मानसिकता को प्रतिबिम्बित करता है, जिन्होंने भारत में ब्रिटिश सरकार की सेवा की थी, और देश के आम लोगों को गुलाम डराने-धमकाने का प्रयास करते थे।

GENERAL STUDIES HINDI

मंत्रिमंडल की घोषणा उत्साह लेकर आई*:--

- केन्द्रीय मंत्रिमंडल की घोषणा के तुरंत बाद, कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने अपने वाहनों से लाल बत्ती हटाने की घोषणा कर दी। अपने वाहनों से लाल बत्ती हटाने की घोषणा करने वाले मुख्यमंत्रियों में महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और कई अन्य राज्य शामिल हैं। कई अन्य राज्यों ने भी जल्द ही इस नियम का पालन किया। यह वीआईपी संस्कृति और लाल बत्ती परंपरा से मुक्ति का एक प्रयास था।

दिल्ली और त्रिपुरा सहित कई अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री पहले से ही अपने वाहनों पर लाल बत्ती का उपयोग नहीं कर रहे हैं। हाल ही में, पंजाब और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों (कैप्टन अमरिंदर सिंह और योगी आदित्यनाथ) ने शपथ लेने के तुरंत बाद यह ऐलान किया कि वे लाल बत्ती वाले वाहन का उपयोग नहीं करेंगे। समाचार पत्रों की रिपोर्टों के अनुसार, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों और भारतीय निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने अपने वाहनों से लाल बत्ती हटाने संबंधी आदेश पारित कर दिए हैं।

"प्रत्येक भारतीय विशेष है, प्रत्येक भारतीय वीआईपी है"*:---

केन्द्रीय मंत्रिमंडल द्वारा वाहनों पर लगने वाली लाल बत्ती को हटाकर इस बत्ती संस्कृति को खत्म करना वास्तव में सही दिशा में उठाया गया एक स्वागत योग्य कदम है। प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट में कहा कि 'प्रत्येक भारतीय नागरिक ख़ास है, और प्रत्येक भारतीय नागरिक वीआईपी है'।

मंत्रिमंडल द्वारा लिए गए इस निर्णय के बाद, लोग उम्मीद कर सकते हैं कि वीआईपी टैग के जरिए मिलने वाला विशेषाधिकार आदि का अंत होगा, और देश का प्रत्येक नागरिक एक समान अवसरों का लुत्फ उठा पाएगा। लोग उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले दिनों में किसी भी गरीब को वीआईपी कोटे की वजह से बेहतर शिक्षा से वंचित नहीं किया जाएगा। लोग उम्मीद कर सकते हैं कि दूर-दराज के इलाकों से आने वाला मरीज भी दिल आदि से संबंधित गंभीर बीमारियों का इलाज कराने में सक्षम हो पाएगा। वीआईपी लोगों को प्राथमिकता दिए जाने की वजह से दूर-दराज के इलाके से आने वाले मरीज़ को किसी दूसरे अस्पताल में नहीं भेजा जाएगा। हमें इस बात पर गर्व होना चाहिए कि खुद प्रधानमंत्री ने यह वादा किया है कि , 'प्रत्येक भारतीय ख़ास है, प्रत्येक भारतीय वीआईपी है'। हम उम्मीद करते हैं कि सरकार द्वारा उठाया गया यह कदम लाल बत्ती के रूप में ताकत के प्रतीक बन गई इस संस्कृति का अंत करेगा।

**

4. जेनेरिक दवा योजना में दिखती हैं कुछ कमियां

ख़बरों में क्यों :

प्रधानमंत्री ने गुजरात के सूरत में कहा था कि सरकार ऐसे नियम बनाएगी, जिनसे डॉक्टर पर्ची पर केवल जेनेरिक दवाएं ही लिख सकेंगे। इस समय वे परामर्श पर्ची पर दवा के ब्रांड का नाम लिखते हैं, लेकिन भविष्य में वे केवल सॉल्ट का नाम लिखेंगे। इसमें मरीज दवा की दुकान पर जाकर अपनी पसंद का ब्रांड चुन सकता है। इसके पीछे मकसद आम आदमी के लिए दवाओं की सस्ती उपलब्धता तथा दवा कंपनियों और डॉक्टरों के गठजोड़ को खत्म करना है।

क्या निष्कर्ष आया -

इससे किसी बाहरी व्यक्ति को यह लगेगा कि भारतीय बाजार में ऊंची कीमतों की पेटेंट वाली दवाओं का दबदबा है।

- मगर हकीकत यह है कि भारतीय बाजार में ऐसी दवाओं का हिस्सा महज 5 फीसदी है, शेष जेनेरिक दवाओं का है।
- हालांकि भारत उन गिने-चुने बाजारों में से एक है, जहां ब्रांडेड जेनेरिक यानी किसी ब्रांड के तहत बिकने वाली पेटेंट रहित दवाओं का दबदबा है।
- देश में बिकने वाली प्रत्येक 100 रुपये की जेनेरिक दवाओं में करीब 95 रुपये की दवाएं ब्रांडेड होती हैं और शेष जेनेरिक जेनेरिक्स (बिना ब्रांड की जेनेरिक दवा) होती हैं। इसके साथ ही एक ही सॉल्ट के ब्रांडों में बहुत अधिक अंतर होता है।

कुछ वास्तविकता के बिंदु :-

यह बात जगजाहिर है कि दवा कंपनियां अपनी दवाएं लिखने के लिए डॉक्टरों को हर तरह के प्रलोभन देती हैं। उनके इस अनुचित कार्य का शिकार भोले-भाले मरीज बनते हैं। स्पष्टï है कि प्रधानमंत्री खुद के फायदे

लिए चल रही इस शृंखला को तोडऩा चाहते हैं। डॉक्टरों का कहना है कि वे जब दवाएं लिखते हैं तो मरीज की वित्तीय हैसियत को ध्यान में रखते हैं। किसी गरीब मरीज को देखने के बाद डॉक्टर संभवतया सॉल्ट का सस्ता ब्रांड पर्ची पर लिखेगा। लेकिन इसमें यह मानकर चला जाता है कि डॉक्टर थोड़े समय में ही मरीज की आमदनी का आकलन करने की योग्यता रखता है। इस तर्क का यह भी मतलब है कि डॉक्टर जिन लोगों को महंगी दवाओं का भार वहन करने में सक्षम मानता है, उन्हें सस्ता दवा का विकल्प मुहैया नहीं कराया जाता। यह भी एक गलत फैसला हो सकता है। अगर डॉक्टरों को

लेकिन योजना में दो कमियां हैं।

- इससे ब्रांड चुनने की ताकत डॉक्टर के स्थान पर दवा दुकानदार के हाथ में आ जाएगी और यह मरीज के पास नहीं होगी। ऐसी स्थिति के बारे में विचार कीजिए, जहां मरीज परामर्श का पर्चा लेकर आएगा। ऐसी स्थिति में ज्यादा फायदा देने वाले ब्रांडों का ही स्टॉक करने से दवा दुकानकार को कौन रोकेगा? ऐसे में कंपनी-डॉक्टर गठजोड़ की जगह कंपनी-दवा दुकानदारों का गठजोड़ ले लेगा। यह भी संभव है कि दवा दुकानदार किसी प्रतिष्ठित विनिर्माता के बजाय अनैतिक विनिर्माताओं की दवाओं की बिक्री को केवल इसलिए बढ़ावा दें क्योंकि इसमें उन्हें ज्यादा लाभ मिलता है। इससे मरीज के स्वास्थ्य पर जोखिम बढ़ जाएगा।
- दूसरी कमी तकनीकी है। वर्तमान नियमों के तहत किसी दवा का पेटेंट खत्म होने के बाद पहले चार वर्षों में जेनेरिक संस्करण शुरू करने की मंजूरी केंद्र देता है और कंपनियों को बायो-इक्विवैलेंस अध्ययन करना होता है और स्टैबिलिटी डाटा सौंपना होता है। चार साल बाद यह जिम्मा राज्यों के कंधों पर आ जाता है और कंपनियों को बायो-इक्विवैलेंस और स्टैबिलिटी स्थापित करने की दरकार नहीं होती है।

उद्योग लंबे समय से कह रहा है कि इन दोनों श्रेणियों को अलग-अलग देखा जाना चाहिए। पहली को असल में जेनेरिक्स कहा जा सकता है, लेकिन अन्य वास्तव में 'नकल' हैं। अगर बाजार में किसी सॉल्ट के 100 ब्रांड हैं तो यह संभव है कि केवल 15 ही जेनेरिक संस्करण हों, शेष नकल हो सकते हैं। डॉक्टरों को केवल सॉल्ट ही लिखने और ब्रांड न लिखने का निर्देश देने से इन दोनों में कोई विभेद नहीं होगा, जो गलत होगा। मरीज यह मानकर चलेगा कि उसने जेनेरिक दवा खरीदी है, लेकिन उसके हाथ में आई दवा नकल हो सकती है, जो कम प्रभावी हो सकती है। इस बात की मांग की गई है कि सभी जेनेरिक्स के लिए बायो-इक्विवैलेंस अध्ययन अनिवार्य बनाया जाए, लेकिन इस प्रस्ताव के आड़े राज्य आ गए हैं, जिनका कहना है कि सभी सूचनाओं की जांच-पड़ताल के लिए उनके पास पैसा नहीं है।

क्या करना चाहिए:

GENERAL STUDIES HINDI

भारत में कीमत नियंत्रण बहुत सख्त है। कंपनियां इससे बचने के लिए बहुत सा समय और पैसा खर्च करती हैं। अगर किसी लोकप्रिय सॉल्ट को कीमत नियंत्रण के दायरे में लाया जाता है तो वे किसी तरह इसमें बदलाव की कोशिश करेंगी ताकि वे कीमत की आजादी बनाए रख सकें। बहुत सी भारतीय और बहुराष्ट्रीय कंपनियां खुले तौर पर कहती हैं कि इस वजह से उनके लिए भारत में कारोबार करना विश्व में सबसे ज्यादा मुश्किल हो गया है। इस नए नियम से कंपनियों का उत्साह और ठंडा पड़ेगा। इसे इस स्वीकारोक्ति के रूप में भी देखा जा सकता है कि कीमत नियंत्रण आम आदमी को सस्ती दवाएं उपलब्ध कराने के मकसद में असफल रहा है।

गौरतलब है कि भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद ने पिछले साल अक्टूबर में डॉक्टरों के लिए जेनेरिक दवाएं लिखना अनिवार्य किया था, लेकिन इस फैसले पर क्रियान्वयन नहीं हो पाया है। सरकार ने दवा विपणन संहिता बनाई है, जिससे कंपनी-डॉक्टर गठजोड़ पर अंकुश लगने की उम्मीद की गई थी। लेकिन इससे पिछले दो साल में कोई बदलाव नहीं दिखा है। अगर इसे ठीक ढंग से लागू किया जाता तो हो सकता है कि जेनेरिक के लिए दोषपूर्ण कदम नहीं उठाने पड़ते।

**

5. स्वच्छता के विस्तार के लिए सीवेज मैनेजमेंट और सीवेज कारोबार पर हो नया विचार

Business_Standard

शहरी साफ-सफाई काफी महंगी रही आई है। इसके लिए पहले तो पानी चाहिए। पानी को जितनी दूर तक ढोना पड़ता है उसकी लागत उतनी ही ज्यादा होती जाती है। गंदगी साफ करने के लिए बहुत अधिक पानी चाहिए। अगले चरण में ऐसी भूमिगत व्यवस्था अपनानी होगी जहां हर घर को आपस में जोड़ दिया जाए। गंदे पानी को दूर से दूर स्थित सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट तक पहुंचाया जाए ताकि उसे निस्तारण के पहले साफ किया जा सके। लेकिन इतना भी पर्याप्त नहीं है।

सच तो यह है कि हमारी नदियों में साफ पानी उपचार के बाद भी नहीं बचता। इसका तात्पर्य यह है कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के साफ पानी को नदियों में छोडऩे के पहले बहुत अधिक साफ करना चाहिए। परंतु ऐसा कभी होता नहीं है। सरकार नए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, शौचालयों और भूमिगत नालियों की योजना बनाती रहती है और गंदगी बढ़ती जाती है। यह रवैया भी ऐसा है जहां अवसर का पूरा लाभ नहीं लिया जा पा रहा। शहर की गंदगी के प्रवाह से दो हकीकतें हमारे सामने आती हैं। पहली बात, देश के लगभग सभी शहरों में अधिकांश मानव मल का न तो उपचार होता है, न ही उसे सुरक्षित ढंग से निपटाया जाता है। दूसरी बात, विभिन्न शहरों के अधिकांश शौचालय भूमिगत पाइप लाइन से नहीं बल्कि अलग-अलग सेप्टिक टैंक से जुड़े हैं। इस काम को अत्यंत संगठित ढंग से अंजाम देने की आवश्यकता है।

इस मामले में आम घर जो फ्लश करते हैं वह पूरा मल एक टैंक में जाता है। टैंक अगर अच्छी तरह बनाया गया है तो वह गंदगी को रोक लेगा और तरल को बह जाने देगा। शुष्क मल को बाद में टैंक से निकालकर उपचार के लिए भेजा जा सकता है। यह व्यवस्था कारगर साबित हो सकती है। बशर्ते टैंक उपयुक्त तरीके से बने, मल को समय-समय पर निकालकर उपचारित किया जाए और इस पूरी प्रक्रिया की भलीभांति निगरानी की जाए। ध्यान रहे कि यह सब एकदम सुरक्षित अंदाज में किया जाना चाहिए।

सच तो यह है कि शुष्क मल पोषण से भरपूर होता है। आज दुनिया भर में नाइट्रोजन चक्र नष्टï किया जा रहा है क्योंकि हम पोषक तत्त्वों से भरे मल को पानी में बहा देते हैं। इस मामले में हम मानव मल को दोबारा बतौर खाद धरती के हवाले कर सकते हैं। यह उर्वरक की तरह काम कर सकता है। उपचार के बाद इस शुष्क मल को किसानों को दिया जा सकता है। यह पूरी तरह जैविक खाद है। इसके अलावा इसे अन्य अन्य जैविक कचरे के साथ मिलाकर बायोगैस बनाने में या एथेनॉल आदि बनाने में इस्तेमाल किया जा सकता है।

GENERAL STUDIES HINDI

सरकारों को भी अब अहसास हो रहा है कि यह पुरानी व्यवस्था भर नहीं है बल्कि इसे सही तरीके से तो आगे भी इस्तेमाल किया जा सकता है। सेप्टिक टैंक कचरा संग्रहण की विकेंद्रित प्रणाली है। भूमिगत सीवेज व्यवस्था बनाने के स्थान पर बेहतर यह होगा कि भविष्य में शहरी सफाई के लिए सेप्टिक टैंक पर गंभीरता से विचार किया जाए। आखिरकार हम बिना लैंडलाइन के मोबाइल टेलीफोनी की ओर बढ़ गए कि नहीं। साफ-सफाई के मामले में व्यक्तिगत सेप्टिक टैंक ऐसी ही भूमिका निभा सकते हैं।

शहरों की साफ-सफाई की योजना में यह बात समझी जानी चाहिए कि ये सारी व्यवस्थाएं भविष्य में बेहतर इस्तेमाल की जा सकती हैं। सबसे अहम है यह व्यवस्था तैयार करना। सही क्रियान्यवन और इस व्यवस्था का प्रमाणन इसमें अहम है। सबसे महत्त्वपूर्ण बात है इस मल के संग्रहण और परिवहन के लिए न्यूनतम नियमन ताकि उसे उपचारित किया जा सके बजाय कि कहीं भी फेंक देने के। आज भूमिगत सीवेज संग्रहण टैंकर कारोबार का फलता-फूलता निजी बाजार है। यह कारोबार केवल मल हटाने का है, उसे सही तरीके से ठिकाने लगाने का नहीं। ऐसे में यह गंदगी करीबी नाले, नदी, झील यहां तक कि खेत या जंगल में ही फेंक दी जाती

है। अगर सही ढंग से नियमन किया जाए तो यह बंद हो सकता है और उक्त मल को दोबारा खाद आदि के रूप में प्रयोग में लाया जा सकता है। इस तरह का कचरा प्रबंधन कहीं अधिक सस्ता और स्थायित्व भरा है। इससे बड़ी तादाद में रोजगार भी तैयार होता है। यह ऐसा उपाय हमारे सामने रखता है जहां गंदगी केवल गंदगी नहीं रह जाती बल्कि वह एक संसाधन बन जाती है। इसमें हर तरह से लाभ है। यही हमारे भविष्य और नदियों के लिए इकलौती उम्मीद है।

**

6. खेतीबाड़ी के विकास के साथ किसानों का आर्थिक उन्नयन

माननीय प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदी का सपना है कि वर्ष 2022 तक किसानों की आय दुगनी हो जाए और किसान विकास की मुख्य धारा का हिस्सा बनें। यह तभी संभव है जब केंद्र एवं राज्य सरकारें एक साथ मिलकर काम करें

किसानों की आय दोगुनी करने के लिए 3 स्तरों पर काम हो रहा है।

- प्रथम स्तर पर उत्पादन लागत कम किया जा रहा है और उत्पादकता बढ़ायी जा रही है। इसके लिए केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रहीं योजनाओं यथा मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, प्रधानमन्त्री सिंचाई योजना का राज्यों को पूरा लाभ उठाना होगा। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना से किसानों के खेतों की मिट्टी की जांच होती है और प्रधानमंत्री सिंचाई योजना के जरिए किसानों के खेतों में पानी पहुंचाया जाता है।
- किसानों की आय बढ़ाने का दूसरा स्तर है कृषि के साथ कृषि आधारित अन्य लाभकारी क्रियाकलापों जैसे कि पशुपालन, मुर्गीपालन, मधुमक्खी पालन, मेड़ों पर इमारती लकड़ी के पेड़ लगाने के काम को अपनाना। सरकार ने इस दिशा में अनेक कदम उठाएं हैं।
- तीसरा एवं सबसे महत्वपूर्ण स्तर है किसानो को उनकी उपज बेचने के लिए नजदीक में बाज़ार उपलब्ध कराना ताकि उनकी उपज का उन्हें लाभकारी मूल्य मिले सके। अब तक परंपरागत मंडियों ने अच्छा काम किया है लेकिन अब वक्त आ गया है कि ये मंडिया बढ़ते marketable सरप्लस देखते हुए मार्केटिंग की नयी रणनीति अपनाएं और किसानो, व्यापारियों एवं उपभोक्ताओं की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए मौजूदा मार्केटिंग व्यवस्था में अमूल चूल परिवर्तन करें। 2003 के पश्चात लम्बे समय तक कोई बड़ा बदलाव कृषि विपणन क्षेत्र में नहीं किया गया I मार्च 2010 में श्री हर्षवर्धन पाटिल की अध्यक्षता में एक Empowered committee of State ministers in-charge of Agri-marketing की स्थापना की गयी जिसने 8 सितंबर 2011 को अपनी अंतरिम रिपोर्ट कृषि मंत्री भारत सरकार को सौंप दी I कमिटी के रिपोर्ट के पश्चात आगे कोई कारवाई नहीं की गयी I

E-NAM (National agriculture market)* :----

त्वरित गति से किसानो की आर्थिक दशा सुधारने के लिए सरकार ने कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं I किसानों की आय दोगुनी करने के उद्देश्य से आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी (सीसीईए) ने 1 जुलाई 2015 को 200 करोड़ रुपये के बजट आवंटन के साथ राष्ट्रीय कृषि बाजार (इ-नाम) स्कीम को अनुमोदित किया । इसके बाद माननीय प्रधानमंत्री के कर कमलों द्वारा 8 राज्यों की 23 मंडियों को "ई-राष्ट्रीय कृषि बाजार (ई-नाम)" योजना के पायलेट प्रोजेक्ट के रूप में 14/4/2016 को जोड़ा गया । यह योजना किसानों के इलेक्ट्रॉनिक व्यापार के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल प्रदान करती है। यह पूरी तरह पारदर्शी है और इसमें किसानों को उनकी उपज का ज्यादा से ज्यादा प्रतिस्पर्धी मूल्य दिलाने की व्यवस्था है। योजना के तहत एकीकृत विनियमित बाजारों में आवश्यक बुनियादी ढांचा तैयार करने के लिए उन्हें 30 लाख प्रति मंडी की दर से सहायता दी जाती है। वर्ष 2017-18 के बजट में इस सहायता राशि को बढाकर 75 लाख रुपये कर दिया गया है । अभी तक, 13 राज्यों के 417 विनयमित मंडियां इस योजना से जुड़ चुकी हैं, जो मार्च 2018 तक बढ़कर 585 हो जायेंगी ।

ई-नाम पोर्टल पर अब तक 42.18 लाख किसानों और 89,199 व्यापारियों का पंजीकरण हो चुका है। अब तक कुल कारोबार का मूल्य 16,163.1 करोड़ है जो कि 63.17 लाख टन के उत्पादों के विपणन से हुआ है इस योजना का प्रमुख उद्देश्य यही है की किसान एक स्थान पर बैठकर देश की विभिन्न मंडियों। का भाव जान सके और जहाँ पर जो खरीदार उनको ज्यादा पैसा दे, किसान पारदर्शी तरीके से उन्हें अपनी उपज बेच सके I इस योजना का एक महत्वपूर्ण बिंदू यह भी है कि किसान को अपनी उपज का मूल्य गुणवत्ता अनुसार मिलता है क्योंकि उपज पर इलेक्ट्रॉनिक बोली लगने के पहले किसान के उपज की जांच होती है I इस योजना की सफलता के लिए राज्य सरकारों को सच्चे मन से सार्थक प्रयास करने की जरुरत है, जिसमे माननीय मंत्रियों की अहम् भूमिका है I ई-नाम, सरकार के डिजिटल इंडिया कार्यक्रम को बढ़ावा देने में भी एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। इसके अलावा मंडियों में कम्पोस्ट प्लांट उपलब्ध कराके, ई- नाम स्वच्छ भारत कार्यक्रम को भी बढ़ावा देगा।

APMC Act.(agricultural produce market committee act)

राज्य सरकारों की मांग एवं विपणन की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए कृषि मंत्रालय ने मॉडल APMC एक्ट, 2017 तैयार किया है जिसे 6 जनवरी 2017 को मॉडल एक्ट का मसौदा सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को टिप्पणी के लिए भेजा गया हैI इसके अलावा आम जनता की टिप्पणी के लिए मॉडल एक्ट को कृषि विभाग की वेबसाइट पर भी डाला गयाI। सभी हितधारकों की टिप्पणियों को मिलाकर नए मॉडल एक्ट 2017 का अंतिम रुप तैयार किया गया है, जिसे राज्य सरकारों को लागू करने के लिए भेजा जा रहा है I. मुख्यतः इस मॉडल APMC एक्ट में निम्न विषय शामिल हैं:

- निजी क्षेत्र में बाजारों की स्थापना; डायरेक्ट मार्केटिंग यानि बाजार यार्ड के बाहर प्रोसेसर / निर्यातकों / थोक खरीददारों आदि द्वारा किसानों से उत्पाद की प्रत्यक्ष खरीद
- किसान - उपभोक्ता बाजार यानि उपभोक्ताओं द्वारा किसानों द्वारा प्रत्यक्ष बिक्री
- बाजार समिति के अलावा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा बाजार स्थापित किया जाना; अनुबंध खेती; ई-ट्रेडिंग
- राज्य भर में बाजार शुल्क का एकल बिंदु लेवी
- राज्य भर में एकल व्यापार लाइसेंस; मंडी परिसर में दुकान की अनिवार्यता के प्रावधानों को हटाना
- एपीएमसी अधिनियम से फलों और सब्जियों को बाहर निकलना इत्यादि।

इस एक्ट में प्रदेश स्तर पर एक ही बाजार का प्रावधान है और यह निजी क्षेत्र के बाज़ार एवं सीधा विपणन प्रोत्साहित करने के लिए "ease ऑफ़ doing बिज़नस" के मॉडल पर आधारित है। नया मॉडल अधिनियम निर्वाचन कराके बाजार के प्रबंधन में किसानों की भागीदारी को बढ़ावा देता है। इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफार्म को भी प्रतिस्पर्धात्मक बनाया गया है, मंडी शुल्क एवं कमीशन चार्जेज को भी तर्कसंगत किया गया हैI इसके अतिरिक्त अन्तरराज्यीय व्यापार को भी बढ़ावा देने की व्यवस्था की गयी हैI देश में औसतन लगभग 462 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में एक विनियमित बाज़ार है जबकि किसानो पर गठित राष्ट्रीय आयोग की संस्तुति के अनुसार 5 किलोमीटर के रेडियस (80 वर्ग किलोमीटर) में एक बाज़ार होना चाहिए I इस लक्ष्य को पाने के लिए तथा बाज़ार किसानो के फार्मगेट के नज़दीक उपलब्ध कराने के लिए इसमें गोदामों/ शीतगृहों आदि को भी बाज़ार घोषित कराने का प्रावधान किया गया है I यदि राज्य सरकारें सही भावना के साथ इसे लागू करवाती हैं, तो किसान के पास यह विकल्प उपलब्ध होगा कि वे अपनी उपज को किस बाज़ार एवं किस खरीदार को बेचे, जहाँ उन्हें लाभकारी मूल्य मिल सके

संविदा कृषि*: ------

सरकार द्वारा उठाए गया एक और महत्वपूर्ण कदम एक मॉडल अनुबंध खेती अधिनियम तैयार करने का निर्णय है। यह अधिनियम किसानों के लिए कुशल बाजार संरचना तैयार करके और विपणन दक्षता बढ़ाने में

मदद करेगा और उत्पादन में विविधता से जुड़े जोखिम को भी कम करेगा। यह अधिनियम सभी वस्तुओं के लिए मूल्य श्रृंखला का निर्माण करने में भी सहायक होगा और उपभोक्ताओं के रुपयों में उत्पादकों की हिस्सेदारी में सुधार करेगा। इसी मंशा के साथ, सरकार ने एक मॉडल संविदा कृषि अधिनियम तैयार करने के लिए, 28/2/2017 को अतिरिक्त सचिव (विपणन) की अध्यक्षता में एक समिति गठित की है। इसके अतिरिक्त फसल और विपणन के बुनियादी ढांचे को और मजबूत करने के लिए, विभाग ने गोदाम विकास एवं विनियमन प्राधिकरण (डब्ल्यूडीआरए) के साथ विस्तृत चर्चा की है, जिसके बाद 9/4/2017 को एक समिति गठित की गई है ताकि उप-बाज़ार यार्ड की स्थापना की जा सके। गोदामों / साइलो को बाजार घोषित कर बाजार को किसानो के करीब लाकर और उन्हें प्रतिज्ञा ऋण की सुविधा उपलब्ध करने का यह एक सार्थक प्रयास है। कृषि क्षेत्र में निजी निवेश को आकर्षित करने पर जोर दिया जा रहा है। यह मॉडल अधिनियम, बाजार के बुनियादी ढांचे में उन्नत सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के निवेश के लिए अवसर प्रदान करता है।

**

7. गंगा अधिनियम के प्रारूप पर मालवीय समिति ने प्रस्तुत की रिपोर्ट

Ø केन्द्रीय जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय ने प्रस्तावित गंगा अधिनियम का प्रारूप तैयार करने के लिए न्यायमूर्ति गिरिधर मालवीय (सेवानिवृत्त) की अध्यक्षता में गत वर्ष जुलाई में इस समिति का गठन किया था। समिति के अन्य सदस्य थे– श्री वी के भसीन, पूर्व सचिव विधायी विभाग भारत सरकार, प्रोफेसर ए के गोसाई, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली और प्रोफेसर नयन शर्मा, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रूड़की। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के निदेशक श्री संदीप समिति के सदस्य सचिव थे।

सुझाव -

Ø समिति ने अपनी रिपोर्ट में गंगा की निर्मलता एवं अविरलता को सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त प्रावधान किए हैं।

Ø रिपोर्ट में गंगा के संसाधनों का उपयोग करने के बारे में जिम्मेदारी एवं जवाबदेही तय करने के बारे में कई कड़े प्रावधानों का उल्लेख है।

Ø समिति ने अपनी रिपोर्ट तैयार करते समय राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के पास पूर्व में उपलब्ध कानूनी प्रारूपों का भी अध्ययन किया।

शिक्षण संस्थानों की सूची में टॉप पर IISc बेंगलुरु

- देशभर के शैक्षणिक संस्थानों की रैंकिंग में केंद्र सरकार ने भारतीय विज्ञान संस्थान (आईआईएससी) को अव्वल पाया है।
- मानव संसाधन विकास मंत्रालय की ओर से जारी रैंकिंग में इंजीनियरिंग श्रेणी में आईआईटी-मद्रास और प्रबंधन की श्रेणी में आईआईएम-अहमदाबाद को सबसे ऊपर रखा गया है।
- मानव संसाधन विकास मंत्रालय की ओर से तैयार **"नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क" (एनआइआरएफ) के तहत विभिन्न श्रेणियों के संस्थानों का शिक्षण, शोध, पेशेवर तरीकों, नतीजों आदि विभिन्न पैमानों पर आकलन** किया गया।
- बेंगलुरु स्थित आईआईएससी न सिर्फ विश्वविद्यालयों में शीर्ष पर आया है, बल्कि सभी शैक्षणिक संस्थानों की व्यापक श्रेणी में भी यह सबसे ऊपर है। टीएचई की अंतरराष्ट्रीय रैंकिंग में जगह पाने वाला यह अकेला भारतीय संस्थान था। दुनियाभर के छोटे विश्वविद्यालयों की श्रेणी में इसे आठवें स्थान पर रखा गया था।
- जिन संस्थानों की रैंकिंग अच्छी आई है, उन्हें उसी अनुरूप आर्थिक सहायता, स्वायत्तता व अन्य लाभ उपलब्ध कराए जाएंगे। आर्किटेक्चर, कानून और मेडिकल आदि क्षेत्रों में पर्याप्त संख्या में संस्थानों के सामने नहीं आने से इन श्रेणियों में रैंकिंग नहीं की गई।

GENERAL STUDIES HINDI

- कॉलेजों में दिल्ली के मिरांडा हाउस को पहले स्थान पर, चेन्नई के लोयाला कॉलेज को दूसरे और दिल्ली के ही श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स को तीसरे स्थान पर रखा गया है।
- **फार्मेसी श्रेणी में दिल्ली के जामिया हमदर्द को पहले स्थान, पंजाब के मोहाली स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च** को दूसरे स्थान पर

शीर्ष 10 शिक्षा संस्थान (ओवर ऑल)

1. इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु
2. आईआईटी, मद्रास
3. आईआईटी, बंबई
4. आईआईटी खड़गपुर
5. आईआईटी, दिल्ली
6. जेएनयू, दिल्ली
7. आईआईटी, कानपुर
8. आईआईटी, गुवाहाटी
9. आईआईटी, रुड़की
10. बीएचयू, वाराणसी

शीर्ष 10 विश्वविद्यालय

1. इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, बेंगलुरु
2. जेएनयू, दिल्ली
3. बीएचयू, वाराणसी
4. जवाहर लाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस रिचर्स, बेंगलुरु
5. जादवपुर यूनिवर्सिटी, प. बंगाल
6. अन्ना यूनिवर्सिटी, तमिलनाडु
7. हैदराबाद यूनिवर्सिटी
8. दिल्ली यूनिवर्सिटी
9. अमृता विश्व विद्यापीठम्
10. सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी

शीर्ष 10 आईआईटी

1. आईआईटी, मद्रास
2. आईआईटी, बंबई
3. आईआईटी, खड़गपुर
4. आईआईटी, दिल्ली
5. आईआईटी, कानपुर
6. आईआईटी, रुड़की
7. आईआईटी, गुवाहाटी
8. अन्ना यूनिवर्सिटी
9. जादवपुर यूनिवर्सिटी
10. आईआईटी, हैदराबाद

शीर्ष 10 प्रबंध संस्थान

1. आईआईएम, अहमदाबाद
2. आईआईएम, बेंगलुरु

GENERAL STUDIES HINDI

3. आईआईएम, कोलकाता
4. आईआईएम, लखनऊ
5. आईआईएम, कोझिकोड
6. आईआईटी, दिल्ली
7. आईआईटी, खड़गपुर
8. आईआईटी, रुड़की
9. जेवियर लेबर रिलेशंस इंस्टीट्यूट, जमशेदपुर
10. आईआईएम, इंदौर

**

8. चीन को चुनौती: भारत अरुणाचल के तवांग क्षेत्र तक पहुंचाएगा रेल

- चीन से लगी अरुणाचल प्रदेश की सीमा और सीमा पार हो रही गतिविधियों के मद्देनजर भारत ने भी इस दिशा में काम करने का मन बना लिया है।
- सीमा की सुरक्षा सुनिश्चित करने और राज्य के लोगों की सहुलियत को देखते हुए यहां पर अब रेल नेटवर्क बिछाने पर काम किया जाएगा। इसके लिए सरकार ने तवांग तक रेल नेटवर्क तैयार करने का ब्लू प्रिंट तैयार किया है।

◆ मौजूदा समय में असम के आखिरी रेलवे स्टेशन भालूखपोंग से लेकर तवांग तक बनने वाली रेलवे लाइन के लिए यहां संभावना तलाशी जाएगी।

- इन दोनों के बीच करीब 378 किमी की दूरी है। सड़क मार्ग से इस दूरी को पूरा करने में करीब 18 घंटे का समय लगता है। यहां का सबसे नजदीक और बड़ा स्टेशन गुवाहाटी है। लिहाजा किसी तरह की इमरजेंसी में यहां के लोगों को इस पर ही निर्भर भी रहना होता है।
- तवांग रेल लाइन के अलावा उत्तरी लखीमपुर-बामा-सिलापाथर तक की 249 किमी लंबी रेल लाइन के लिए भी सर्वे किया जाएगा।
- यह पासीघाट एयरपोर्ट और अरुणाचल प्रदेश के रुपा के बीच में स्थित है।
- गौरतलब है कि तवांग रेल नेटवर्क का रणनीतिक और सामरिक महत्व है। भी है। इस इलाके पर चीन काफी समय से अपना अधिकार बताता रहा है।
- तवांग समुद्रतल से 10 हजार फुट की ऊंचाई पर बसा हुआ है। यह चीन से सटी भारतीय सीमा के पास है, जानकारी के मुताबिक इस प्रॉजेक्ट के लिए सर्वे का काम 2018 में शुरू कर दिया जाएगा।

तवांग क्यों महत्वपूर्ण ?

GENERAL STUDIES HINDI

★ सीमा से लगे इलाकों में चीन लंबे समय से सड़क, हाइवे और रेल सेवा जैसी बुनियादी सुविधाएं मजबूत करने में लगा है।

★ भारत को भी अपने सीमांत प्रदेशों में सामरिक चुनौतियों के मद्देनजर सड़क, हवाईपट्टी और अन्य जरूरी ढांचा विकसित करने की जरूरत महसूस हो रही थी जिसके बाद केंद्र सरकार ने ये फैसला लिया है।

♂ इसके अलावा वह बौद्ध धर्म गुरू दलाई लामा के यहां प्रवेश को लेकर भी चीन लगातार शोर मचाता रहा है।

**

9. ऑरविले : भारत की स्मार्ट सिटीज के लिए आदर्श शहर

- पुडुचेरी से करीब आठ किलोमीटर उत्तर में बसा ऑरविले सरकार की महत्वाकांक्षी स्मार्ट शहर योजना के लिए नजीर साबित हो सकता है। ऑरविले में ऐसी कई खूबियां हैं जिनसे सीख लेकर विश्व स्तरीय शहर बसाए जा सकते हैं।

- बंगाल की खाड़ी के किनारे कोरोमंडल तट पर ऑरविले की नींव 1968 में मीरा अलफासा ने डाली थी, जिन्हें अरविंदो के अनुयायी 'मां' कहते हैं। उस समय यह पठारी भूमि बिल्कुल निर्जन थी, लेकिन आज यहां घनी हरियाली के बीच करीब 20 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ऑरविले शहर बसा है।
- ऑरविले में 50 देशों से आए करीब ढाई हजार परिवार रहते हैं। यह शहर चेन्नई से महज 150 किलोमीटर दूर है।
- इस शहर को बसाने के पीछे सिर्फ एक ही मकसद था कि यहां पर लोग जात-पात, ऊंच-नीच और भेदभाव से दूर रहें। यहां कोई भी इंसान आकर रह सकता है, लेकिन उसे एक सेवक के तौर पर रहना होगा।
- इस शहर की आबादी करीब 24000 लोगों की है। यहां पर एक मंदिर भी है, लेकिन किसी धर्म से जुड़े भगवान की पूजा नहीं होती, यहां लोग योगा करते हैं।

ये सीख ले सकते हैं यहां से

- यहां अक्षय ऊर्जा का इस्तेमाल होता है। ऑरविले बायोगैस, सौर और पवन ऊर्जा का इस्तेमाल कर न सिर्फ अपनी जरूरतें पूरी कर रहा है, बल्कि अतिरिक्त बिजली तमिलनाडु सरकार को बेचने की तैयारी कर रहा है।
- यहां रिहायशी इकाइयों पर लगे सौर ऊर्जा संयंत्रों के अलावा पवन ऊर्जा चालित 40 पंपसेट तथा सौर ऊर्जा चालित 200 पंपसेट भी हैं। साथ ही 75 सोलर कुकर और 25 बायोगैस प्लांट हैं।
- दूसरी सीख, भूमि अधिग्रहण के लिए देशभर में जहां किसानों ने विरोध प्रदर्शन किए हैं, वहीं ऑरविले में जमीन लेने का तरीका बिल्कुल अलग है। ऑरविले अपने विस्तार के लिए यहां के गांवों के किसानों से जमीन खरीदता नहीं, बल्कि उनसे जमीन के बदले जमीन लेता है।
- स्मार्ट शहर बसाने को तीसरी सीख यहां जल संचयन और कचरा प्रबंधन की व्यवस्था से ली जा सकती है। इस्तेमाल किए गए जल को पूरी तरह पुनःउपयोग में लाया जाता है।
- रोजगार सृजन में भी ऑरविले किसी से पीछे नहीं है। यहां करीब 170 छोटी-बड़ी औद्योगिक इकाइयां हैं। इनमें हस्तशिल्प, ग्राफिक डिजायन और प्रिंटिंग, खाद्य प्रसंस्करण, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंजीनियरिंग, कपड़े व फैशन, कंप्यूटर सेवाएं, भवन निर्माण और आर्किटेक्ट का काम होता है। यहां करीब 7,000 लोगों को रोजगार मिला है।

**

10.गिरता भू-जल स्तर : देश के समक्ष भयावह चुनौती

- आज जिस तरह से मानवीय जरूरतों की पूर्ति के लिए निरंतर व अनवरत भू-जल का दोहन किया जा रहा है, उससे साल दर साल भू-जल स्तर गिरता जा रहा है.

GENERAL STUDIES HINDI

पृष्ठभूमि :

- पिछले एक दशक के भीतर भू-जल स्तर में आई गिरावट को अगर इस आंकड़े के जरिये समझने का प्रयास करें तो अब से दस वर्ष पहले तक जहां 30 मीटर की खुदाई पर पानी मिल जाता था, वहां अब पानी के लिए 60 से 70 मीटर तक की खुदाई करनी पड़ती है.
- साफ है कि बीते दस-बारह सालों में दुनिया का भू-जल स्तर बड़ी तेजी से घटा है और अब भी बदस्तूर घट रहा है, जो कि बड़ी चिंता का विषय है. अगर केवल भारत की बात करें तो **भारतीय केंद्रीय जल आयोग** द्वारा 2016 में जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार देश के अधिकांश बड़े जलाशयों का जलस्तर वर्ष 2014 के मुकाबले घटता हुआ पाया गया था.
- आयोग के अनुसार देश के बारह राज्यों हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, झारखंड, त्रिपुरा, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु के जलाशयों के जलस्तर में काफी

गिरावट पाई गई थी. गौरतलब है कि केंद्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी) देश के 85 प्रमुख जलाशयों की देख-रेख व भंडारण क्षमता की निगरानी करता है.

- संभवत: इन स्थितियों के मद्देनजर ही जल क्षेत्र में प्रमुख परामर्शदाता कंपनी ईए की एक अध्ययन रिपोर्ट में 2025 तक भारत के जल संकट वाला देश बन जाने की बात कही गई है. अध्ययन में कहा गया है कि परिवार की आय बढ़ने और सेवा व उद्योग क्षेत्र से योगदान बढ़ने के कारण घरेलू और औद्योगिक क्षेत्रों में पानी की मांग में उल्लेखनीय वृद्धि हो रही है. देश की सिंचाई का करीब 70 फीसद और घरेलू जल खपत का 80 फीसद हिस्सा भूमिगत जल से पूरा होता है, जिसका स्तर तेजी से घट रहा है.

- घटते जलस्तर को लेकर जब-तब देश में पर्यावरणविदों द्वारा चिंता जताई जाती रहती है, लेकिन जलस्तर को संतुलित रखने के लिए सरकारी स्तर पर कभी कोई ठोस प्रयास किया गया हो, ऐसा नहीं दिखता. हालांकि गत वर्ष प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा अपने जन-संवाद कार्यक्रम 'मन की बात' में घटते भूजल की इस समस्या को उठाया गया था और जल संरक्षण की दिशा में सरकार द्वारा 'सोक पिट' बनाने जैसे कार्य किए गए हैं. मगर समस्या की विकरालता के अनुपात में ये प्रयास पर्याप्त नहीं हैं.

समस्या का मुख्य कारण :

- अभी इन्हें और विस्तार देने की आवश्यकता है. सवाल यह कि भू-जल स्तर के इस तरह निरंतर रूप से गिरते जाने का मुख्य कारण क्या है? अगर इस सवाल की तह में जाते हुए हम घटते भू-जल स्तर के कारणों को समझने का प्रयास करें तो तमाम बातें सामने आती हैं. घटते भू-जल के लिए सबसे प्रमुख कारण तो उसका अनियंत्रित और अनवरत दोहन ही है.

- आज दुनिया अपनी जल जरूरतों की पूर्ति के लिए सर्वाधिक रूप से भू-जल पर ही निर्भर है. लिहाजा, अब एक तरफ तो भू-जल का अनवरत दोहन हो रहा है, वहीं औद्योगीकीकरण के अंधोत्साह में हो रहे प्राकृतिक विनाश के चलते पेड़-पौधों-पहाड़ों आदि की कमी आने के कारण बरसात में भी काफी कमी आ गई है.

जल संरक्षण ही मुख्य समाधान :

- परिणामत: धरती को भू-जल दोहन के अनुपात में जल की प्राप्ति नहीं हो पा रही है. यह एक कटु सत्य है कि अगर दुनिया का भू-जल स्तर इसी तरह से गिरता रहा तो आने वाले समय में लोगों को पीने के लिए भी पानी मिलना मुश्किल हो जाएगा. इससे निपटने के लिए सबसे बेहतर समाधान तो यही है कि **बारिश के पानी का समुचित संरक्षण** किया जाए.

- जल संरक्षण की यह व्यवस्थाएं हमारे पुरातन समाज में थीं. पर विडम्बना यह है कि आज के इस आधुनिक समय में हम उन व्यवस्थाओं को लेकर बहुत गंभीर नहीं हैं. बहरहाल, जल आज जरूरत है न सिर्फ राष्ट्र स्तर पर, बल्कि विश्व स्तर पर भी एक **ठोस योजना** के तहत घटते **भू-जल की समस्या की भयावहता व जल संरक्षण** आदि इसके समाधानों को लेकर जागरूकता अभियान चलाया जाए, जिससे जल समस्या की तरफ लोगों का ध्यान आकर्षित हो और वे सजग हो सकें.

GENERAL STUDIES HINDI

**

11. मुद्दा : विकास दर ज्यादा जरूरी है या खुशहाली

संयुक्त राष्ट्र संघ ने अंतरराष्ट्रीय खुशहाली दिवस के अवसर पर 'वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट-2017' जारी की है.

- 155 देशों की इस सूची में भारत पिछले वर्ष की तुलना में चार पायदान फिसल कर 122वें स्थान पर पहुंच गया है. इस रिपोर्ट में दुनिया का सबसे खुशहाल देश नोर्वे बताया गया है. वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, 2017 में सबसे निचले पायदान पर सीरिया और यमन हैं यानी इन देशों में सबसे कम खुशहाली है. स्थिति यह है कि खुशहाली की नई रैंकिंग के बाद भारत खुशहाली के मामले में चीन, पाकिस्तान और नेपाल से भी पिछड़ गया है.

- इस रिपोर्ट में चीन का 79वां, पाकिस्तान का 80वां, नेपाल का 99वां, बांग्लादेश का 110वां और श्रीलंका का 120वां स्थान रहा.

खुशहाल देशों किन पैमानों के आधार पर रैंकिंग की गयी है :-

- प्रति व्यक्ति आय
- सकल घरेलू उत्पाद,
- स्वास्थ्य, जीवन प्रत्याशा,
- उदारता, आशावादिता, सामाजिक समर्थन,
- सरकार और व्यापार में भ्रष्टाचार की स्थिति शामिल हैं.

भारत की रैंकिंग पीछे होने का कारण :-

- विभिन्न देशों की खुशहाली से संबंधित इस रिपोर्ट के आधार पर कहा जा सकता है कि देश की जिस तेजी से विकास दर बढ़ रही है, उतनी ही तेजी से लोगों की खुशियां नहीं बढ़ रहीं.
- लेकिन बढ़ती विकास दर के दूसरी ओर देश के लोगों की सामाजिक सुरक्षा, शासकीय स्तर पर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधा की स्थिति चिंताजनक है. देश के 80 फीसद से अधिक लोगों को सामाजिक सुरक्षा की छतरी उपलब्ध नहीं है.
- आम आदमी के धन का एक बड़ा भाग जरूरी सार्वजनिक सेवाओं, स्वास्थ्य सुविधा और शिक्षा में व्यय हो रहा है. इस कारण बेहतर जीवन स्तर की अन्य जरूरतों की पूर्ति में वे बहुत पीछे हैं.
- चूंकि तेज आर्थिक विकास ने करोड़ों भारतीयों में बेहतर जिंदगी की महत्त्वाकांक्षा जगा दी है, ऐसे में जब देश के करोड़ों लोगों को उपयुक्त सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ एवं शिक्षा सुविधाएं गुणवत्तापूर्ण रूप से नहीं मिल पा रही हैं, तो उनकी निराशाएं बढ़ती जा रही हैं.
- वैश्विक संगठन ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने एशिया प्रशांत क्षेत्र में भ्रष्टाचार और घूसखोरी का जो ताजा अध्ययन मार्च, 2017 में प्रकाशित किया है, उसमें भारत को सर्वाधिक घूसखोरी वाला देश बताया गया है. कहा गया है कि देश के 69 फीसद को पिछले साल 2016 में सरकारी सेवाओं के उपयोग के लिए घूस देना पड़ी. ऐसे में हमें यह स्वीकार करना ही होगा कि देश में विकास का मौजूदा रोडमैप लोगों को खुशियां देने में बहुत पीछे है.

खुशहाली से संबद्ध मनोविज्ञान

- वस्तुत: देश में हैप्पीनेस को आगे बढ़ाने के लिए खुशहाली से संबद्ध मनोवैज्ञानिक खोजों के निष्कर्ष को भी ध्यान में रखना होगा. यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया की मनोवैज्ञानिक सोंजा ल्यूबोमिस्की के शोध अध्ययन का जो प्रकाशन हुआ है, उससे पता चलता है कि जहां कुछ हद तक जीवन की परिस्थितियां खुशी को तय करती हैं, वहीं खुशी का बहुत बड़ा हिस्सा हम खुद अपने प्रयासों से प्राप्त कर सकते हैं.
- परोपकार और आशावादी विचारों से खुशी बढ़ती है. ऐसे में सरकार द्वारा भी खुशी बढ़ाने वाले इन आधारों को आगे बढ़ाना होगा. देश के अधिकांश लोग अपनी जरूरतों की पूर्ति और पश्चिमी संस्कृति की दौड़ में अपने पारिवारिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के सुख-संतोष से वंचित हो रहे हैं. परिवारों में तनाव बढ़ रहे हैं. संस्कारों में कमी आ रही है, लोगों में निराशा की प्रवृत्ति बढ़ रही है.
- देश के सभी लोगों तक यह बात पहुंचाई जानी होगी कि सिर्फ धन के ढेर लगाने से ही खुशहाली नहीं आती, केवल धन ही धन की कमाई में अपने पारिवारिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन को भूलने से वास्तविक खुशहाली दूर हो जाती है.
- परिवार में दबाव से नहीं अपितु प्रेम और संस्कार की बदौलत ही खुशियों को संजोकर रखा जा सकता है. देश में खुशहाली बढ़ाने के लिए वर्ष 2017 में यूएनओ द्वारा तैयार खुशहाल देशों की पहली पंक्ति में स्थान पाने वाले देशों की तरह हमें भी एक ओर आम आदमी की बुनियादी जरूरतों की पूर्ति और

GENERAL STUDIES HINDI

दूसरी ओर सांस्कृतिक और नैतिक मूल्यों से सीख लेना होगी. देश में नैतिक मूल्यों को प्रतिस्थापित करने के लिए ठोस और रणनीतिक प्रयासों की डगर पर आगे बढ़ना होगा.

भारत में खुशहाली के लिए किया जा रहे है प्रयास

- मार्च, 2017 को घोषित स्वास्थ्य नीति के तहत अब स्वास्थ्य पर सकल घरेलू उत्पाद का 2.5 फीसद धन खर्च करने का लक्ष्य रखा गया है, जो अभी जीडीपी का 1.04 फीसद है. साथ ही, देश के 80 फीसद लोगों का इलाज सरकारी अस्पतालों में मुफ्त होगा.
- ऐसे में देश में स्वास्थ्य का स्तर बढ़ेगा और लोगों की जीवन प्रत्याशा बढ़ेगी. इसी तरह वर्ष 2017 की शुरुआत से सरकार ने अपनी नीतियों को जिस तरह ग्रामीण भारत और गरीबों पर केंद्रित किया है, उसका लाभ भी आम आदमी को मिलेगा.
- इतना ही नहीं स्वच्छ भारत अभियान के तहत सरकार गरीबों के लिए शौचालय बनवाने और गरीबों को मुफ्त गैस सिलेंडर देने की डगर पर जिस तेजी से बढ़ी है, उसका प्रभावी लाभ भी बड़ी संख्या में लोगों को मिलेगा.
- ऐसे में आशा करें कि वर्ष 2017 में आर्थिक-सामाजिक कल्याण के विभिन्न कदमों से अगले वर्ष संयुक्त राष्ट्र द्वारा तैयार की जाने वाली वैश्विक हैप्पीनेस सूची में भारत कई पायदान ऊपर पहुंचा दिखाई दे सकेगा.

**

12. एशिया की सबसे लंबी टनल "चिनैनी-नाशरी" राष्ट्र के लिए समर्पित

- एशिया की सबसे लंबी चिनैनी-नाशरी टनल उपयोग के लिए तैयार है। यह 2 अप्रैल को देश को समर्पित होगी.
- करीब नौ किलोमीटर लंबाई बाले इस टनल का निर्माण कार्य करीब साढ़े चार साल पहले शुरू हुआ था।
- इस पर तीन हजार दो सौ करोड़ रुपये खर्च आए हैं। अपनी तरह का यह पहला टनल है और इसके निर्माण में विश्व की अत्याधुनिक तकनीक का इस्तेमाल हुआ है।
- कुल 19 किलोमीटर टनल का निर्माण किया गया है। नौ किलोमीटर मुख्य टनल के साथ-साथ नौ किलोमीटर ही एस्केप टनल और एक किलोमीटर क्रास पैसेज शामिल है।
- इस टनल के खुलने से चिनैनी से नाशरी तक का रास्ता 31 किलोमीटर कम हो जाएगा।

टनल की विशेषता

1. टनल की कुल लंबाई नौ किलोमीटर है, जो कि एशिया में सबसे लंबा टनल है।
2. अगर कोई दुर्घटना होती है तो टनल के साथ एस्केप टनल बनाया गया है। इस टनल से ही यात्रियों को बाहर निकला जाएगा।
3. टनल में आयल टैंकर या फिर गैस टैंकर को चलने की इजाजत नहीं होगी।
4. टनल के बीच एसओएस बनाए गए हैं। इनमें कोई भी समस्या आने पर यात्री तुरंत यहां बटन दबाकर कंट्रोल रूम को सूचित कर सकता है।
5. टनल पूरी तरह से मानव रहित होगा और इसका पूरा संचालन कंट्रोल रूम से होगा।
6. पर्यावरण को विशेष ध्यान रखा गया है। टनल के बाहर केवल स्वच्छ हवा ही जाएगी ताकि पर्यावरण प्रदूषित न हो।
7. टनल के आने और जाने का एक ही रास्ता है।
8. बारह हजार टन स्टील और पैंसठ लाख सीमेंट की बोरियां इस्तेमाल हुई हैं।

**

13. बेहतर स्वास्थ्य की नीति

GENERAL STUDIES HINDI

- नई राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति में मरीजों के हित को केंद्रीय स्थान दिया गया है। इसमें अस्पतालों की जवाबदेही तय करने और मरीजों की शिकायतों पर गौर करने के लिए पंचाट के गठन की बात भी कही गयी है। स्पष्टत: इन बातों से देश के लोगों में नई उम्मीदें जगेंगी।

- उल्लेखनीय है कि नई नीति का उद्देश्य सभी नागरिकों को सुनिश्चित स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराना बताया गया है। भारत में स्वतंत्रता के बाद से सरकारी नीतियों में स्वास्थ्य एवं शिक्षा को अपेक्षित महत्व नहीं मिला। नतीजतन, इन दोनों मोर्चों पर देश पिछड़ी अवस्था में है।

- सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल व्यवस्था इतनी लचर है कि इलाज के लिए निजी अस्पतालों पर निर्भरता बढ़ती चली गई है। इसकी वजह से एक तो स्वास्थ्य सेवाएं गरीबों से दूर हुई हैं, दूसरी तरफ उपचार संबंधी कई विकृतियां भी उभरी हैं। मसलन, निजी अस्पतालों में मरीजों की गैरजरूरी जांच तथा अनावश्यक दवाएं देने की शिकायतें बढ़ी हैं। ऐसे में सरकारी अस्पतालों का तंत्र फिर से खड़ा हो, तो उससे बेहतर बात कोई नहीं होगी।

- यह स्वागतयोग्य है कि नई राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति में इस दिशा में बढ़ने का इरादा दिखाया गया है। नई नीति में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का दायरा बढ़ाने पर जोर है। अभी इन केंद्रों में रोग प्रतिरक्षण, प्रसव पूर्व निगरानी और कुछ ही अन्य रोगों की जांच होती है। लेकिन नई नीति के तहत इनमें गैर-संक्रामक रोगों की जांच भी होगी।
- साथ ही नई नीति में जिला अस्पतालों के पुनरुद्धार पर विशेष जोर है। कहा गया है कि स्वास्थ्य संबंधी सरकारी कार्यक्रमों को अमली जामा पहनाने की रूपरेखा तय की जाएगी। स्पष्टत: यह महत्वपूर्ण बदलाव है।

चुनौतियाँ

ध्यान में रखने योग्य है कि नीतियां सिर्फ इरादे का वक्तव्य होती हैं। असली चुनौती उनके अमल में आती है। मसलन, हाल में सरकार ने हृदय धमनियों को खोलने के लिए लगाए जाने वाले स्टेंट की कीमत घटाने का आदेश दिया था। मगर उसके बाद मुनाफाखोरों ने बाजार में इसकी सप्लाई घटा दी। जाहिर है, इस मामले में सरकार का मकसद तभी पूरा होगा, जब ऐसे बदनीयत तत्वों पर कड़ी कार्रवाई हो।

- इसी तरह स्वास्थ्य नीति के उद्देश्यों को पाना तभी संभव होगा, जब केंद्र और राज्य सरकारें अपना स्वास्थ्य बजट बढ़ाएं। स्वास्थ्य राज्य-सूची का विषय है। ऐसे में नई नीति का सफल होना राज्य सरकारों के उत्साह और उनकी गंभीरता पर निर्भर है।

- योजना आयोग के भंग होने, केंद्र प्रायोजित योजनाओं में कटौती और विकास मद के अधिक हिस्से का राज्यों को हस्तांरण होने की नई व्यवस्था अस्तित्व में आने के बाद स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में राज्यों की भूमिका और अहम हो गई है।

आशा है, केंद्र स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका बढ़ाने के बारे में राज्य सरकारों के साथ उपयुक्त सहमति तैयार करेगा। इस बारे में साझा योजना और पहल से ही नई स्वास्थ्य नीति को सफल बनाया जा सकता है।

**

14. अयोध्या राम मंदिर विवादः जानिए इस विवाद का इतिहास, कब -क्या और कैसे

अयोध्या में राम मंदिर और बाबरी मस्जिद को लेकर जारी विवाद पर कोई फैसला नहीं हुआ है लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे लेकर महत्वपूर्ण टिप्पणी की है। इसे लेकर अदालत ने कहा है कि दोनो ही पक्ष कोर्ट के बाहर इस मुद्दे का आपसी सहमति से हल निकालें और ऐसा नहीं होता है तो वो इसमें मध्यस्थता करेगी। इस महत्वपूर्ण और संवेदनशील मुद्दे का कुछ ऐसा है इतिहास

- 1528 में बाबर ने सीकरी के राजा को हराने के बाद इस मस्जिद का निर्माण करवाया था।

- 1947 में सरकार ने विवाद होने पर मुस्लिमों को यहां जाने से रोक दिया लेकिन हिंदू अंदर जा सकते थे
- 1949 में यहा राम लला की मुर्तियां मिलीं। कहा गया कि इन्हें हिंदुओं ने रखा था जिसके बाद विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। दोनों ही पक्षों ने केस दर्ज किया, मुस्लिम समुदाय की तरफ से हाशिम अंसारी और हिंदूओं की तरफ से महंत परमहंस रामचंद्र दास को पेरोकार बनाया गया।
- 1950 राम जन्मभूमी न्यास के प्रमुख रामचंद्र दास और गोपाल सिंह विशारद ने फैजाबाद में केस दर्ज करवाया जिसमें हिंदुओं को पूजा की अनुमति मांगी गई थी।
- 1961 में सुन्नी सेंट्रल बोर्ड ने केस दर्ज कर दावा किया कि आसपास का इलाका कब्रस्तान है।
- 1984 में विश्व हिंदू परिषद ने लालकृष्ण आडवाणी के नेतृत्व में एक ग्रुप बनाया गया।
- 1986 में फैजाबाद कोर्ट ने दरवाजे खोलने की अनुमति दी और हिंदुओं को पूजा करने का मौका मिला।
- 1989 में तात्कालीन पीएम राजीव गांधी ने विवादित स्थल के पास शिलान्यास की अनुमति दे दी।
- 1990 में एलके आडवाणी ने रथ यात्रा शुरू की और उन्हें बड़ा समर्थन मिला। उन्हें समस्तीपुर में गिरफ्तार कर लिया गया जिसके बाद भाजपा ने वीपी सरकार से समर्थन वापस ले लिया। नतीजतन हुए चुनाव में भाजपा ने बड़ी जीत दर्ज की।
- 6 दिसंबर 1992 को विवादित ढांचे को कार सेवकों ने गिरा दिया और अस्थायी मंदिर बना दिया। पीवी नरसिम्हा राव सरकार ने हाईकोर्ट जाकर यथास्थिति बनाए रखने की मांग की।
- 2003 में इलाहबाद हाईकोर्ट ने विवादित स्थल की खुदाई कर पता लगाने के आदेश दिए की वहां मंदिर था या नहीं। पुरातत्व विभाग ने रिपोर्ट दी की मस्जिद के नीचे 10वीं सदी के एक मंदिर के अवशेष मिले।
- 2010 में पहली बार फैसले को पलटते हुए अदालत ने कहा कि दोनो पक्ष आपस में इसे सुलझाएं।
- 30 सितंबर 2010 को इलाहबाद हाईकोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए जमीन के तीन हिस्से कर दिए।
- 2016 में भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने सुप्रीम कोर्ट में राम मंदिर निर्माण को लेकर याचिका लगाई

**

15. 'नेशनल हेल्थ पॉलिसी' : सबका होगा फ्री इलाज, स्वास्थ्य नीति को कैबिनेट की मंजूरी"

केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति को मंजूरी दे दी है. इस नीति के जरिए देश में 'सभी को निश्चित स्वास्थ्य सेवाएं' मुहैया कराने का प्रस्ताव है स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि एक बड़े नीतिगत बदलाव के तहत यह नीति प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी) स्तर के दायरे में आने वाले सेक्टरों के फलक को बढ़ाती है और एक विस्तृत रुख का रास्ता तैयार करती है. 'उदाहरण के तौर पर - अब तक पीएचसी सिर्फ टीकाकरण, प्रसूति-पूर्व जांच एवं अन्य के लिए होते थे. लेकिन अब बड़ा नीतिगत बदलाव यह है कि इसमें गैर-संक्रामक रोगों की जांच और कई अन्य पहलू भी शामिल होंगे.' जानिए महत्वपूर्ण बातें ....

1. नयी नीति के तहत जिला अस्पतालों के उन्नयन पर ज्यादा जोर दिया जायेगा. पहली बार इसे अमल में लाने की रुपरेखा तैयार की जाएगी.
2. अब मरीजों को प्राइवेट अस्पताल में भी इलाज करवाने की छूट मिलेगी. विशेषज्ञों से इलाज के लिए लोगों को सरकारी या निजी अस्पताल में जाने की छूट होगी. स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत निजी अस्पतालों को ऐसे इलाज के लिए तय रकम दी जाएगी.
3. व्यापक स्वास्थ्य सुविधाओं के तहत माता और शिशु मृत्यु दर घटाने के साथ-साथ देशभर के सरकारी अस्पतालों में दवाइयां और रोगों की जांच के सभी साधन की उपलब्धता सुनिश्चित की जायेगी.

4. स्वास्थ्य के क्षेत्र में :- डिजिटलाइजेशन पर भी जोर दिया जाएगा. प्रमुख बीमारियों को खत्म करने के लिए खास लक्ष्य तय किये जायेंगे. सरकार अपना ध्यान प्राथमिक चिकित्सा को मजबूत बनाने पर लगायेगी.
5. जिला अस्पताल और इससे ऊपर के अस्पतालों को पूरी तरह सरकारी नियंत्रण से अलग किया जाएगा और इसे पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) मॉडल के आधार पर प्राइवेट पार्टी को भी शामिल किया जाएगा.
6. व्यापक बदलाव के तहत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी) का दायरा बढ़ाया गया है. जिला अस्पतालों के उन्नयन पर विशेष जोर दिया जाएगा. प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का भी आधुनिकीकरण किया जायेगा. सभी जिला अस्पतालों को हाईटेक बनाया जायेगा.
7. नयी पॉलिसी में सरकार का लक्ष्य है कि देश के 80 फीसदी लोगों का इलाज पूरी तरह सरकारी अस्पातल में मुफ्त हो. इसमें दवा, जांच और इलाज भी शामिल होंगे.
8. नयी स्वास्थ्य नीति को मानना राज्यों के लिए अनिवार्य नहीं होगा. बताया जा रहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ओबामाहेल्थ केयर स्कीम से काफी प्रभावित थे और मौजूदा पॉलिसी में उससे कुछ इनपुट लिये गये हैं.
**

16. भारत में रहते हैं सबसे अधिक रिश्वतखोरः 'ट्रांसपेरेन्सी इंटरनैशनल

- एशिया प्रशांत क्षेत्र में रिश्वत के मामले में भारत शीर्ष पर है। हाल ही में जारी एक सर्वे में कहा गया है कि यहां सार्वजनिक सेवाओं के लिए लोगों को किसी न किसी रूप में रिश्वत देनी पड़ती है।
-**अंतरराष्ट्रीय भ्रष्टाचार निरोधक अधिकार समूह 'ट्रांसपेरेन्सी इंटरनैशनल'** के सर्वे में शामिल 69 फीसदी भारतीयों ने माना कि उन्हें घूस देनी पड़ी है, जबकि वियतनाम के 65 फीसदी, पाकिस्तान के 40 फीसदी और चीन के 26 फीसदी लोगों ने रिश्वत देने की बात कबूली।
- रिश्वत देने के मामले में **जापान का रेकॉर्ड सही है**, जहां सिर्फ 0.2 फीसदी लोगों ने रिश्वत देने की बात मानी और दक्षिण कोरिया में केवल तीन फीसदी पाई गई। वहीं, चीन में इसकी दर बढ़ती दिख रही है, क्योंकि सर्वे में 73 फीसदी लोगों ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में उनके देश में रिश्वत का चलन बढ़ा है।
- सर्वे के मुताबिक, रिश्वत के मामले में पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, जापान, म्यांमार, श्रीलंका और थाईलैंड जैसे देश भारत से नीचे रहे। भारत रिश्वत के मामले में 7वें पायदान पर रहा।
- इस सर्वे में एशिया प्रशांत क्षेत्र की करीब 90 करोड़ की आबादी वाले 16 देशों के 20 हजार से अधिक लोगों ने माना कि उन्हें पिछले एक साल में कम से कम एक बार तो रिश्वत देनी ही पड़ी। सर्वे में सरकारी कर्मचारियों में पुलिसकर्मी सबसे अधिक भ्रष्ट पाए गए।
- सर्वेक्षण में 85 प्रतिशत ने माना कि पुलिस भ्रष्ट है। धार्मिक नेताओं के मामले में यह प्रतिशत 71 रहा । सर्वेक्षण में केवल 14 प्रतिशत भारतीयों ने कहा कि कोई भी धार्मिक नेता भ्रष्ट नहीं है जबकि 15 प्रतिशत उनके भ्रष्ट तरीकों से वाकिफ नहीं थे ।
- पुलिस के बाद **5 सर्वाधिक भ्रष्ट श्रेणी में सरकारी अधिकारी (84 प्रतिशत), कारोबारी (79 फीसद) , स्थानीय पार्षद (78 प्रतिशत) और सांसद (76 फीसद) रहे जबकि टैक्स ऑफिसर छठे स्थान पर** रहे।
- ट्रांसपेरेन्सी इंटरनैशनल के अध्यक्ष जोस उगाज ने कहा, 'सरकारों को अपनी भ्रष्टाचार निरोधक प्रतिबद्धताओं को हकीकत का रूप देने के लिए और अधिक प्रयास करने चाहिए। यह समय कहने का नहीं बल्कि करने का है। लाखों की संख्या में लोग लोकसेवकों को रिश्वत देने के लिए बाध्य होते हैं और इस बुराई का सर्वाधिक असर गरीब लोगों पर पड़ता है।
**

17. अशांति की संस्कृति के प्रचार की बजाय, तार्किक विचार-विमर्श और वाद-विवाद में भाग लें विश्वविद्यालयों के छात्र और शिक्षक: राष्ट्रपति

हमारे प्रमुख उच्चतर शिक्षण संस्थान ऐसे माध्यम हैं, जिनसे भारत अपने को सुविज्ञ समाज के रूप में स्थापित कर सकता है। ज्ञान के इन मंदिरों में रचनात्मकता और स्वतंत्र चिंतन की गूंज होनी चाहिए। विश्वविद्यालयों के विद्यार्थियों और शिक्षकों को अशांति की संस्कृति के प्रचार की बजाय, तार्किक विचार-विमर्श और वाद-विवाद में भाग लेना चाहिए। उन्हें हिंसा और अशांति के भंवर में फंसे देखना दुखद है।

- राष्ट्रपति ने कहा कि 'असहिष्णु भारतीय' के लिए भारत में कोई स्थान नहीं होना चाहिए।
- भारत प्राचीन काल से ही स्वतंत्र विचार, भाषण और अभिव्यक्ति का केंद्र रहा है। विभिन्न विचाराधाराओं द्वारा खुला वाद-विवाद और बहस के साथ-साथ चर्चा किया जाना भी हमारे समाज की हमेशा से विशेषता रहा है।
- अभिव्यक्ति और बोलने की स्वतंत्रता का अधिकार हमारे संविधान द्वारा प्रदत्त सर्वाधिक महत्वपूर्ण मौलिक अधिकारों में से एक है। वैध आलोचना और असहमति की गुंजाइश हमेशा रहनी चाहिए।
- राष्ट्रपति ने कहा कि हमारे नेताओं और राजनीतिक कार्यकर्ताओं को जनता की आवाज सुननी चाहिए, उसके साथ जुड़ना चाहिए, उससे सीखना चाहिए और उसकी जरूरतों को पूरा करना चाहिए तथा चिंताओं को मिटाना चाहिए।
- हमारे सांसदों को कभी भी जनता को हल्के में नहीं लेना चाहिए। उन्हें कानून बनाने के मूलभूत कार्य और जनता की चिंता के विषयों को उठाने सा थ ही साथ उनकी समस्याओं का समाधान तलाशने पर भी ध्यान केंद्रित करना चाहिए। निर्वाचित पद पर आसीन पर किसी भी व्यक्ति को यह नहीं समझना चाहिए कि उसे मतदाताओं द्वारा उस पद पर कब्जा करने के लिए आमंत्रित किया गया है। उनमें से प्रत्येक को मतदाताओं के पास जाना और उनके मत और समर्थन के अनुनय करना पड़ा है। जनता द्वारा राजनीतिक व्यवस्था और निर्वाचित लोगों पर व्यक्त किए गए विश्वास के साथ धोखा नहीं होना चाहिए।
- राष्ट्रपति ने कहा कि वह ऐसे किसी भी समाज या राज्य को सभ्य नहीं मानते, अगर उसके नागरिकों का आचरण महिलाओं के प्रति असभ्य है। जब हम किसी महिला के साथ बर्बरतापूर्ण व्यवहार करते हैं, तो हम अपनी सभ्यता की आत्मा को घायल करते हैं। केवल हमारा संविधान ही महिलाओं को समान अधिकार प्रदान नहीं करता, बल्कि हमारी संस्कृति और परंपरा में भी नारियों को देवी का स्थान दिया गया है। हमारी महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा राष्ट्रीय स्तर पर प्राथमिकता होनी चाहिए।
- किसी भी समाज की अग्नि परीक्षा महिलाओं और बच्चों के प्रति उसका दृष्टिकोण होता है। उन्होंने कहा कि भारत को इस परीक्षा में विफल नहीं होना चाहिए। राष्ट्रपति ने कहा कि राष्ट्रीय उद्देश्य और देशभक्ति, जो अकेले ही हमारे देश को निरंतर प्रगति और समृद्धि की राह पर अग्रसर करने में समर्थ हैं, को नए सिरे से खोजने के सामूहिक प्रयास करने का समय आ चुका है। राष्ट्र और जनता सदैव पहले आने चाहिए
- हमारे संवैधानिक मूल्य, युवा आबादी और उद्यमिता की योग्यताएं साथ ही साथ कड़ा परिश्रम करने करने की क्षमता हमें वे मूलभूत तत्व प्रदान करती हैं, जो त्वरित प्रगति और साथ ही साथ परवाह करने वाले और करुणामय समाज के निर्माण के लिए आवश्यक हैं। पिछले 70 वर्षों में भारत में महत्वपूर्ण बदलाव आए हैं। उन्हें विश्वास है कि जब हम मुक्त लोकतांत्रिक एवं समावेशी समाज को और ज्यादा मजबूती प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित करते हुए अपने राष्ट्र को आगे ले जाएंगे, तो अगले 10 बरसों में हम इससे भी ज्यादा प्रगति के साक्षी बनेंगे।

**

18. चौथे राष्ट्रीय पारिवारिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस-4) के मुताबिक राष्ट्रीय स्तर पर परिवार नियोजन के उपाय पर्याप्त रंग ला रहे हैं। राष्ट्रीय स्तर पर यह घट कर 2.2 पर पहुंच गया है, जो कि 2.1 के लक्ष्य के बहुत करीब है।

- लेकिन बिहार में कुल प्रजनन दर (टीएफआर) राष्ट्रीय औसत से डेढ़ गुना ज्यादा है। उस पर से यह बड़ी जनसंख्या वाला राज्य है। इसलिए इसका असर राष्ट्रीय आंकड़ों पर पड़ता है। इसी दौरान उत्तर प्रदेश में टीएफआर की देश की सबसे तेज 1.1 अंक की गिरावट दर्ज की गई है।
- अब यूपी में यह दर घट कर 2.7 पर पहुंच गई है। यह सर्वेक्षण 2015 तक के आंकड़ों पर आधारित है और पिछला राष्ट्रीय सर्वेक्षण नौ साल पहले किया गया था।
- जनसंख्या नियंत्रण के प्रयास में भले ही देश भर में तेजी से कामयाबी मिल रही हो लेकिन बिहार में ये प्रयास बहुत लचर साबित हो रहे हैं। राष्ट्रीय स्तर पर जहां अब प्रत्येक महिला औसतन 2.2 बच्चे पैदा कर रही है, बिहार में कुल प्रजनन दर (टीएफआर) अब भी 3.4 बनी हुई है।
- **जनसंख्या नियंत्रण के उपायों की वजह से अब देश के 15 राज्य दो या उससे कम प्रजनन दर पर पहुंच चुके हैं। 2.2 अंक के राष्ट्रीय औसत से अधिक सिर्फ उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, मणिपुर, मेघालय और नगालैंड ही हैं।**
- इनमें भी **मध्य प्रदेश 2.3 और राजस्थान 2.4 अंक** के साथ राष्ट्रीय औसत के काफी करीब हैं। **झारखंड 2.6 अंकों** के साथ ऐसा दूसरा राज्य है जो चिंता बढ़ा रहा है।
- **उत्तर प्रदेश की प्रजनन दर 2.7** पर जरूर है, लेकिन इसने पिछले नौ साल में 1.1 अंक की देश की सबसे तेज रफ्तार कमी ला कर उम्मीद भी जगाई है। जबकि बिहार में इस दौरान सिर्फ 0.6 अंकों की कमी ही लाई जा सकी।
- बिहार में परिवार नियोजन सेवा में जरूरी विकास नहीं हो सका है। अब तक सिर्फ 23 फीसद विवाहित महिलाओं तक ही आधुनिक परिवार नियोजन साधन पहुंच पा रहे हैं। जबकि राष्ट्रीय स्तर पर इसकी पहुंच दोगुने से ज्यादा है।"
- "परिवार नियोजन एक जटिल सामाजिक विषय है। विशेष तौर पर बिहार को समझने की कोशिश करनी होगी कि यहां इसकी पहुंच कैसे बढ़ाई जाए। यह उपलब्धता का मामला है, या गुणवत्ता और लोगों की पसंद से जुड़ा है। सामाजिक परिस्थितियों को बेहतर तरीके से समझ कर इसकी ज्यादा सघन तैयारी करनी होगी।"
- बिहार को ले कर विशेषज्ञ इसलिए भी ज्यादा चिंता जता रहे हैं, क्योंकि यह लंबे समय से विशेष राज्यों या ईएजी (एंपावर्ड एक्शन ग्रुप) में शामिल होने की वजह से केंद्र की शीर्ष प्राथमिकता में है।

**

19. सिंधु जल समझौते की पूरी कहानी, एक बार फिर भारत-पाक बातचीत के लिए बैठक करेंगे

विश्व बैंक की मध्यस्था के साथ भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु नदी के पानी को लेकर 19 सितंबर 1960 को एक समझौता हुआ है. उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयुब खान ने इस समझौते पर हस्ताक्षर किये थे.

GENERAL STUDIES HINDI

=>**क्या है सिंधु जल समझौता**

- सिंधु जल समझौते के तहत भारत और पाकिस्तान के बीच जिन बातों पर सहमति बनीं उनमें तीन **पूर्वी नदियों** - ब्यास, रावी और सतलुज का नियंत्रण भारत के पास होगा और तीन **पश्चिमी नदियों** - सिंधु, चिनाब और झेलम का नियंत्रण पाकिस्तान को दिये जाने पर बात बनी.
- पाकिस्तान के नियंत्रण वाली नदियों का प्रवाह पहले भारत से होकर आता है. ऐसे में जल के नियंत्रण को लेकर समय-समय पर विवाद होता रहा. हालांकि संधि के बाद अभी तक कभी भी भारत और पाकिस्तान के बीच जलयुद्ध नहीं हुए.
- संधि के अनुसार भारत को पाकिस्तान के नियंत्रण वाली नदियों के जल का उपयोग सिंचाई, परिवहन और बिजली उत्पादन हेतु करने की अनुमति है. इस संधि के प्रावधानों के अनुसार सिंधु नदी के कुल **पानी का केवल 20% का उपयोग भारत द्वारा किया जा सकता है**.

=>**कहां शुरू हुआ विवाद**

- सीमा पार से आतंकवादियों के घुसपैठ और हमले से त्रस्त भारत ने उरी सेक्टर पर हुए आतंकी हमले के बाद सर्जिकल स्ट्राइक किया. इस दौरान भारतीय सेना ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में घुसकर आतंकियों के ठिकानों को नेस्तानाबूत कर दिया. साथ ही कई आतंकवादियों को भी ठिकाने लगाये. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उरी हमले समेत आतंकी हमलों की पृष्ठभूमि में संधि की समीक्षा करने के लिए सितंबर में एक बैठक बुलायी थी और कहा था कि 'खून और पानी साथ-साथ नहीं बह सकते.' पाकिस्तान का एक बड़ा हिस्सा सिंधु नदी के पानी पर आश्रित है.
- अगर किसी भी परिस्थिति में भारत सिंधु नदी के पानी को पाकिस्तान जाने से रोक दे वहां जल संकट की स्थिति उत्पन्न हो जायेगी. भारत-पाकिस्तान के बीच हुए तीन बड़े युद्धों के बाद भी सिंधु जल समझौते पर किसी भी प्रकार का विवाद नहीं हुए. एक बार 2002 में भारतीय संसद में सिंधु जल समझौते की समीक्षा की बात उठी थी, लेकिन कुछ विशेष परिणाम नहीं निकल पाये.

सिंधु के जल से पाकिस्तान को फायदा

- सिंधु नदी के 80 फीसदी जल का इस्तेमाल पाकिस्तान की ओर से किया जाता है. सिंधु नदी का इलाका करीब 11 लाख 20 हजार वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है. ये नदी तिब्बत से निकलती है और कराची और गुजरात के पास अरब सागर में जाकर मिल जाती है. इस नदी की कुल लंबाई 2880 किलोमीटर है.
- इसमें से 47 प्रतिशत पाकिस्तान, 39 प्रतिशत भारत, 8 प्रतिशत चीन और करीब 6 प्रतिशत अफगानिस्तान में है. एक आंकड़े पर नजर डाले तो करीब 30 करोड़ लोग सिंधु नदी के आसपास के इलाकों में रहते हैं. यानी सिंधु नदी इन 30 करोड़ लोगों की जिंदगी से जुड़ी है.
- पाकिस्तान ने कई बार भारत पर सिंधु जल समझौते के उल्लंघन का आरोप लगाया है. लेकिन वस्तुस्थिति यह है कि पाकिस्तान की ओर से पीओके में सिंधु नदी पर कई परियोजनाओं को अंजाम दिया है. भारत ने हमेशा सिंधु जल समझौते का पालन किया है. लेकिन पाकिस्तान कई बार इन नदियों पर भारत द्वारा चलायी जा रही परियोजनाओं पर सवाल उठाता रहा है.

भारत ने कभी भी समझौता तोड़ने के नहीं दिए स्पष्ट संकेत

- भारत की ओर से कभी भी इस बात के स्पष्ट संकेत नहीं दिये गये कि सिंधु जल समझौते को समाप्त कर दिया जायेगा. पिछले साल भी एक सवाल के जवाब में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता विकास स्वरुप ने कहा था कि ऐसी किसी संधि पर काम के लिए यह महत्वपूर्ण है कि उन्होंने कहा कि संधि की प्रस्तावना में यह कहा गया है कि यह 'सद्भावना' पर आधारित है. फिर पूछे जाने पर कि भारत इस संधि को खत्म करेगा, तो उन्होंने कोई ब्योरा नहीं दिया. सिर्फ इतना कहा कि कूटनीति में सब कुछ बयां नहीं किया जाता.
- दूसरी ओर सिंधु जल पर भारत के रुख से घबराकर पाकिस्तान ने विश्व बैंक से हस्तक्षेप की बात की है. पाकिस्तान के वित्त मंत्री इशाक डार ने विश्व बैंक अध्यक्ष जिम कोंग किम को भेजे पत्र में कहा था कि संधि में इस बात का साफ उल्लेख है कि दोनों देशों को समझौते का पालन करना चाहिए.

GENERAL STUDIES HINDI

होने वाली बैठक में क्या होंगे मुद्दे

- सिंधु जल समझौते पर विचार के लिए एक बैठक आयोजित की जा सकती है. पिछली बैठक के अधिकारियों ने घोषणा की थी कि सरकार ने आगे बातचीत निलंबित करने का और जम्मू कश्मीर के रास्ते बहने वाली नदियों का इस्तेमाल संधि के तहत भारत के अधिकार का पूरी तरह उपयोग करने के लिए बढ़ाने का फैसला किया है.

संधि के तहत जरुरी है कि भारत और पाकिस्तान की बैठक हर वित्त वर्ष में हो. अगर हम ऐसा नहीं करते तो यह संधि का उल्लंघन होगा. इस महीने के तीसरे या चौथे सप्ताह में एक या दो दिन के लिए मिलेंगे. आयोग की पिछली बैठक जून 2015 में हुई थी. आयोग के सदस्य दोनों देशों के अधिकारी हैं. इसका गठन मुद्दों के

समाधान के लिए 57 साल पुरानी संधि के तहत किया गया था. - विवाद के मुख्य बिंदु (भारत में किशनगंगा और रातले जलविद्युत परियोजनाएं) पहले ही विश्व बैंक के सामने है और आयोग की बैठक में इन पर चर्चा नहीं की जा सकती.
- विश्व बैंक की मध्यस्था के साथ भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु नदी के पानी को लेकर 19 सितंबर 1960 को एक समझौता हुआ है. उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयुब खान ने इस समझौते पर हस्ताक्षर किये थे.
**

20. WHO की रिपोर्ट : भारत में 5 करोड़ लोग डिप्रेशन के मरीज़

WHO की एक नई रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 5 करोड़ लोग डिप्रेशन के मरीज़ हैं। ये वो लोग हैं जो डिप्रेशन की वजह से अपना सामान्य जीवन नहीं जा पा रहे हैं। दक्षिण एशियाई देशों में सबसे ज्यादा डिप्रेशन के मरीज़ भारत में ही रहते हैं।

Ø इसके अलावा 3 करोड़ 80 लाख लोग ऐसे हैं। जो Anxiety के शिकार हैं। Anxiety एक तरह से चिंता से जुड़ी घबराहट होती है, और कई बार ये इतनी बढ़ जाती है कि Anxiety का शिकार व्यक्ति आत्महत्या तक कर लेता है। यानी भारत में करीब 9 करोड़ लोग ऐसे हैं जो किसी ना किसी तरह की मानसिक परेशानी का सामना कर रहे हैं।

Ø पूरी दुनिया में 32 करोड़ 50 लाख लोग डिप्रेशन के शिकार हैं..और इनमें से 50 प्रतिशत भारत और चीन में रहते हैं।

Ø WHO के मुताबिक वर्ष 2005 से लेकर वर्ष 2015 के बीच पूरी दुनिया में डिप्रेशन के मरीज़ों की संख्या 18.4 प्रतिशत बढ़ी है।इन आंकड़ों के मुताबिक 78 प्रतिशत आत्महत्याएं कम और मध्यम आय वाले देशों में ही होती है। आपको बता दें कि भारत भी एक निम्न-मध्यम आय वाला देश है।

पूरी दुनिया में होने वाली कुल मौतों में सुसाइड यानी आत्महत्या की हिस्सेदारी 1.5 प्रतिशत है। वर्ष 2012 में पूरी दुनिया के मुकाबले भारत में आत्महत्या के सबसे ज्यादा मामले सामने आए थे।

Ø एक अन्य रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2016 में भारतीयों ने वर्ष 2015 के मुकाबले डिप्रेशन की ज्यादा दवाएं खाईं थी । वर्ष 2015 के मुकाबले 2016 में डॉक्टरों ने Anti Depressant दवाओं के prescriptions 14 प्रतिशत ज्यादा लिखे।

Ø वर्ष 2016 में Anti Depressant दवाओं के 3 करोड़ 46 लाख नए पर्चे लिखे गये । जबकि वर्ष 2015 में ये संख्या 3 करोड़ 35 लाख थी। National Institute of Mental Health and Neurosciences के मुताबिक भारत में हर 20 में से 1 व्यक्ति डिप्रेशन का शिकार है।

Ø पूरी दुनिया में डिप्रेशन के मरीज़ों की संख्या इतनी तेज़ी से बढ़ रही है कि इस बार के विश्व स्वास्थ्य दिवस की थीम भी डिप्रेशन ही है। विश्व स्वास्थ्य दिवस हर साल 7 अप्रैल को मनाया जाता है।

भारत में मानसिक स्वास्थ्य :-

· भारत में मानसिक स्वास्थ्य पर ज्यादा बात नहीं होती है। और सरकारें भी इस तरफ कोई विशेष ध्यान नहीं देती हैं। भारतीय परिवारों में लोग अक्सर अपनी मानसिक परेशानियों को दूसरों के साथ नहीं बांटते हैं। छोटी छोटी बातों पर डिप्रेशन में चले जाना हमारा स्वभाव बनता जा रहा है। छोटी उम्र से ही तनाव हम पर हावी होने लगा है। और उम्र बढ़ने के साथ साथ ये मानसिक तनाव कई दूसरी बीमारियों की वजह भी बन जाता है।

· आंकड़ों के मुताबिक भले ही भारत में डिप्रेशन के 5 करोड़ मरीज़ हों..लेकिन ये आंकड़ा इससे भी ज्यादा हो सकता है..क्योंकि भारत में मानसिक परेशानियों के ज्यादातर मामले, डॉक्टरों तक पहुंचते ही नहीं है। बहुत सारे मामलों में ये पता ही नहीं चलता कि व्यक्ति डिप्रेशन का शिकार है.

· भारत एक युवा देश है..और अगर हमारे युवा डिप्रेशन के शिकार हो जाएंगे..तो फिर भारत एक सुपरपावर, कभी नहीं बन पाएगा। इसलिए डिप्रेशन के खिलाफ भारत को बड़े स्तर पर लड़ाई लड़नी होगी।
**

21. शादी बिल : क्या शादी में खर्च पर लगाम जरूरी है?

सांसद रंजीत रंजन ने शादियों में होने वाले खर्चों को नियंत्रित करने के लिए एक कानून बनाने की मांग की है। उन्होंने संसद के बजट सत्र में शादी बिल (जरूरी रजिस्ट्रेशन और फालतू खर्च रोकने) पेश किया है।

इन दिनों शादियां अपनी धन संपत्ति को दिखाने का एक साधन बन गया है। गरीब लोगों के ऊपर शादियों में ज्यादा खर्च करने का सामाजिक दबाव है। इस पर रोक जरूरी है क्योंकि ये समाज के लिए अच्छी बात नहीं है।

बिल का उद्देश्य

- मेहमानों की संख्या तय करना
- खाने की बरबादी रोकने के लिए परोसे जाने वाले व्यंजनों की संख्या तय करना।
- अगर कोई शादी में 5 लाख से ज्यादा खर्च कर रहा है तो 10 फीसदी वेल्फेयर फंड में दान करना। इस रकम से गरीब परिवारों की मदद की जाएगी।

क्या बिल पास होगा

ये एक प्राइवेट सदस्य का बिल है। इसको कैबिनेट की मंजूरी नहीं मिली है न ही सत्तापक्ष के किसी सदस्य ने इसे पटल पर रखा है। इसलिए इसका भविष्य अनिश्चित है।

प्रवत्ति का मसला

- यहां बिल पर सवाल उठाना और सांसद की पसंद पर हमला करने का मकसद नहीं है। पूरी चर्चा का मकसद ये है कि दिखावा कोई अपराध नहीं एक प्रवत्ति है। इसलिए इसको कानून बना कर नहीं रोका जा सकता है। इसको रोकना भी नहीं चाहिए। तो फिर लोग शादियों में ज्यादा खर्च न करें इसके लिए क्या किया जाए।
- इसका सिर्फ एक ही ऊपाय है लोगों की प्रवत्ति बदलने का उपाय किया जाए। हम सभी समाज में रहते हैं इसके नाते हमें शादियों में फालतू के दिखावे से बचना चाहिए।
- आप खुद की या बच्चे की या बहन की शादी में लाखों रुपए खर्च करके भी ये सुनिश्चित नहीं कर सकते हैं कि आपकी शादी में आया हर आदमी घर खुश गया होगा। हमारे समाज का सच यही है कि आप कितनी भी अच्छी शादी कर लें उसमें कमी निकालने वाले मिल ही जाएंगे। दूसरे शब्दों में आप कितना भी खर्च कर दें लोग उससे संतुष्ट नहीं होंगे।

GENERAL STUDIES HINDI

प्रतिस्पर्धा न करें

शादी का समारोह सादा होगा तो आपका पैसा तो बचेगा ही आपको पता भी चल जाएगा कि सच्चे अर्थों में सादी शादी को कितने लोग पसंद करते हैं। हर किसी को ये जानना जरूरी है कि पड़ोस में रहने वाले अंबानी से प्रतिस्पर्धा करना आपके लिए बुरा हो सकता है। अगर लोग इस बारे में सोंचना शुरू कर दें तो समाज के कमजोर वर्ग पर आर्थिक दबाव कम हो जाएगा। अगर लोग शादियों में ज्यादा खर्च करने वालों की नकल करना बंद कर देंगे तो ये ट्रेंड कम हो जाएगा।

बजट स्थिति देखकर बनाएं

* आज की दुनिया में आप सिर्फ इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि आपके बच्चे किस तरह शादी करेंगे। उनकी अपनी प्राथमिकताएं होंगी। वो शायद परंपरागत तौर पर शादी ही न करना चाहें। नए जमाने की पीढ़ी नए अंदाज से चलती है। आप हर उस आदमी को शादी में बुलाना चाहेंगे जिसे आप जानते हैं लेकिन वो सिर्फ नजदीकी लोगों को बुलाना चाहेंगे। इन सभी संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए शादी का बजट हमेशा अपनी स्थिति देखकर ही बनाएं।

निष्कर्ष :- कानून के बदले ऐसे लोगों की कांउसलिंग की जाए तो शादियों में ज्यादा खर्च की प्रवत्ति पर लगाम लगाई जा सकती है। कोई भी कड़क नियम नैतिकता के मुद्दे को नहीं सुलझा सकता है।

**

22. भारत में भाषा विविधता का संरक्षण

भारत दुनिया के उन अनूठे देशों में से एक है जहां भाषाओं में विविधता की विरासत है। भारत के संविधान ने 22 आधिकारिक भाषाओं को मान्यता दी है। बहुभाषावाद भारत में जीवन का मार्ग है क्योंकि देश के विभिन्न भागों में लोग अपने जन्म से ही एक से अधिक भाषा बोलते हैं और अपने जीवनकाल के दौरान अतिरिक्त भाषाओं को सीखते हैं। - हालांकि आधिकारिक तौर पर यहाँ 122 भाषाएं हैं, भारत के लोगों के भाषाई सर्वेक्षण में 780 भाषाओं की पहचान की गई है, जिनमें से 50 पिछले पांच दशकों में विलुप्त हो चुकी हैं।

संविधान की अनुसूची में शामिल भाषाएँ

संविधान के द्वारा मान्यता प्राप्त बाईस भाषाओं में असमिया, बंगाली, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिन्दी, कश्मीरी, कन्नड़, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगू और उर्दू को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल किया गया है।

विशेष दर्जा प्राप्त भाषाएँ

इनमें से तीनों भाषाओं **संस्कृत, तमिल और कन्नड़** को भारत सरकार द्वारा विशेष दर्जा और श्रेष्ठ प्राचीन भाषा के रूप में मान्यता दी गई है। इन श्रेष्ठ प्राचीन भाषाओं का 1000 वर्ष से अधिक का लिखित और मौखिक इतिहास है। इन की तुलना में, अंग्रेजी काफी नवोदित है क्योंकि इसका मात्र 300 साल का इतिहास है।

अन्य भाषाएँ

इन अधिसूचित और प्राचीन भाषाओं के अलावा, भारत के संविधान में अल्पसंख्यक भाषाओं के संरक्षण के लिए मौलिक अधिकार के रूप में एक अनुच्छेद को शामिल किया गया है। इसमें कहा गया है कि "भारत के किसी भी क्षेत्र और किसी भी भाग में रहने वाले नागरिकों के किसी भी वर्ग की विशिष्ट भाषा, लिपि या अपनी स्वयं की संस्कृति को संरक्षित करने का अधिकार होगा।".

भारत की भाषा नीति और इतिहास

- औपनिवेशिक शासन के दौरान, पहली बार जॉर्ज ए ग्रियरसन द्वारा 1894 से 1928 के दौरान भाषाई सर्वेक्षण कराया गया था जिसमें 179 भाषाओं और 544 बोलियों की पहचान की गई थी। प्रशिक्षित भाषाविदों कर्मियों की कमी के कारण इस सर्वेक्षण में कई खामियां भी थीं।
- भारत की भाषा नीति भाषाई अल्पसंख्यकों की रक्षा की गारंटी प्रदान करती है। संविधान के प्रावधान के तहत अल्पसंख्यक समूहों द्वारा बोली जाने वाली भाषा के हितों की रक्षा की एकमात्र जिम्मेदारियों के लिए भाषाई अल्पसंख्यक समुदाय हेतु विशेष अधिकारी की नियुक्ति की जाती है।
- स्वतंत्रता के बाद, मैसूर स्थित केन्द्रीय भारतीय भाषा संस्थान (सीआईआईएल) को सूक्षमता के साथ भाषाओं के सर्वेक्षण का कार्य सौंपा गया था। हालांकि यह कार्य अभी भी अधूरा है।
- 1991 में भारत की जनगणना में 'अलग व्याकरण की संरचना के साथ 1576 सूचीबद्ध मातृभाषाएँ और 1796 भाषिक विविधता को अन्य मातृभाषाओं के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
- भारत की एक और अनूठी विशेषता अपनी मातृभाषा में ही बुनियादी शिक्षा प्राप्त करने के लिए बच्चों के हितों की रक्षा करने की अवधारणा है। इसके लिए संविधान में भाषाई अल्पसंख्यक समूहों के बच्चों के लिए प्राथमिक स्तर पर शिक्षा प्रदान करने के लिए मातृभाषा में शिक्षण की पर्याप्त सुविधाएं प्रदान करने के लिए हर राज्य और राज्य के भीतर प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी अधिकारी के द्वारा इसका प्रयास किये जाने का प्रावधान किया गया है। -

GENERAL STUDIES HINDI

- इस प्रकार, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा (21 फरवरी) को अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस घोषित करने से पूर्व ही भारतीय संविधान के संस्थापकों ने मातृभाषाओं में शिक्षण से बच्चे को अपनी पूरी क्षमता के साथ सक्षम बनाने और विकसित करने को शीर्ष प्राथमिकता दी हैं।
- यह अवधारणा संयुक्त राष्ट्र के विश्व मातृभाषा दिवस 2017 के विषय के साथ पूरी तरह से साम्यता रखती है जिसके अंतर्गत शिक्षा, प्रशासनिक व्यवस्था, सांस्कृतिक अभिव्यक्ति और साइबर स्पेस में स्वीकार किये जाने के लिए बहुभाषी शिक्षा की क्षमता विकसित करना आवश्यक है।
- 1956 में भारत में राज्यों के पुनर्गठन में भाषाई सीमाओं का अपना महत्व था। तत्कालीन गृहमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भाषायी विशेषताओं के आधार पर राज्यों के गठन और एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।
- भारत की भाषा नीति बहुलवादी रही है जिसमें प्रशासन, शिक्षा और जन संचार के अन्य क्षेत्रों में मातृभाषा के उपयोग को प्राथमिकता दी गई है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के भाषा ब्यूरो का गठन भाषा नीति को लागू करने और इसपर नजर रखने के लिए किया गया है।
- भारत सरकार ने डिजिटल भारत की अभिकल्पना के तहत जुलाई 2017 से बेचे जाने वाले सभी मोबाइल फोनों में भारतीय भाषाओं की सुविधा को अनिवार्य कर दिया है। इससे न सिर्फ डिजिटल अंतर को समाप्त किया जा सकेगा बल्कि भारत के ऐसे एक अरब लोग, जो अपनी भाषाओं में संपर्क करने में अंग्रेजी नहीं बोलते, को सशक्त बनाने की दिशा में मार्ग प्रशस्त होगा। इससे बड़ी संख्या में लोगों के ई-गवर्नेंस और ई-कॉमर्स का हिस्सा बनने से क्षमता में वृद्धि भी होगी।
- केंद्र सरकार के इन प्रयासों के बावजूद, अल्पसंख्यक भाषाएं बहुत से कारणों से अपने अस्तित्व को बचाये रखने के लिए संघर्ष कर रही हैं। अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में 7000 साल के इतिहास के साथ बो भाषा के अंतिम वक्ता की मृत्यु होने पर यह विलुप्त हो गई।
- हाल के वर्षों में भाषा विविधता खतरे में है क्योंकि विविध भाषाओं के वक्ता दुर्लभ होते जा रहे हैं और अपनी मातृभाषाओं को छोड़ने के बाद वे प्रमुख भाषाओं को अपना रहे हैं। इस समस्या का समाधान सामाजिक स्तर पर किए जाने की आवश्यकता है जिसमें समुदायों को भाषा विविधता के संरक्षण में शामिल होना होगा जो हमारी सांस्कृतिक संपदा का एक अंग हैं।

**

23. एच-1बी वीजा और भारत

<u>क्या है H-1 B visa</u>

- एच-1बी वीजा एक गैर-प्रवासी वीजा है जो किसी कर्मचारी को अमेरिका में छह साल काम करने के लिए जारी किया जाता है
- अमेरिका में कार्यरत कंपनियों को यह वीजा ऐसे कुशल कर्मचारियों को रखने के लिए दिया जाता है जिनकी अमेरिका में कमी हो.
- इस वीजा के लिए कुछ शर्तें भी हैं. जैसे इसे पाने वाले व्यक्ति को स्नातक होने के साथ किसी एक क्षेत्र में विशेष योग्यता हासिल होनी चाहिए| साथ ही इसे पाने वाले कर्मचारी की सैलरी कम से कम 60 हजार डॉलर यानी करीब 40 लाख रुपए सालाना होना जरूरी है
- इस वीजा की एक खासियत भी है कि यह अन्य देशों के लोगों के लिए अमेरिका में बसने का रास्ता भी आसान कर देता है, एच-1बी वीजा धारक पांच साल के बाद स्थायी नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते हैं
- इस वीजा की मांग इतनी ज्यादा है कि इसे हर साल लॉटरी के जरिये जारी किया जाता है. एच-1बी वीजा का सबसे ज्यादा इस्तेमाल टीसीएस, विप्रो, इंफोसिस और टेक महिंद्रा जैसी करीब 100 भारतीय आईटी कंपनियों के अलावा माइक्रोसॉफ्ट और गूगल जैसी बड़ी अमेरिकी कंपनियां भी करती हैं.

GENERAL STUDIES HINDI

इसका विरोध क्यों

- अमेरिकियों का मानना है कि कंपनियां इस वीजा का गलत तरह से इस्तेमाल करती हैं. उनकी शिकायत है कि यह वीजा ऐसे कुशल कर्मचारियों को जारी किया जाना चाहिए जो अमेरिका में मौजूद नहीं हैं, लेकिन कंपनियां इसका इस्तेमाल आम कर्मचारियों को रखने के लिए कर रही हैं. इन लोगों का आरोप है कि कंपनियां एच-1बी वीजा का इस्तेमाल कर अमेरिकियों की जगह कम सैलरी पर विदेशी कर्मचारियों को रख लेती हैं.
- इस वीजा के गलत इस्तेमाल को लेकर भारतीय आईटी कंपनियों पर भी आरोप लगते रहे हैं. 2013 में भारतीय आईटी कंपनी इंफोसिस को ऐसे ही एक मामले को लेकर करीब 25 करोड़ रुपए का जुर्माना देना पड़ा था
- अमेरिका में पिछले काफी समय से यह एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा भी रहा है और चुनाव के समय पार्टियां इस पर शिकंजा कसने को लेकर वादे भी करती हैं. पिछले साल हुए चुनावों में डोनाल्ड ट्रंप ने इसे एक बड़ा चुनावी मुद्दा बनाया था. ट्रंप ने अपनी कई रैलियों में इस पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की बात भी कही थी

why cause of worry for India

- प्रमुख IT कंपनियों का करीब 60 फीसदी राजस्व यानी रेवेन्यू अमेरिका से आता है. साथ ही ये सभी कंपनियां बड़ी संख्या में एच-1बी वीजा धारकों से काम करवाती हैं.
- हर साल दिए जाने वाले कुल 85000 एच-1बी वीजा में से 60 फीसदी भारतीय कंपनियों को दिए जाते हैं. एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका में इंफोसिस के कुल कर्मचारियों में 60 फीसदी से ज्यादा एच 1बी वीजा धारक हैं. इसके अलावा वाशिंगटन और न्यूयॉर्क में एच-1बी वीजा धारकों में करीब 70 प्रतिशत भारतीय हैं.
- यदि अमेरिका में एच-1बी वीजा दिए जाने के नियमों में कोई बदलाव किया गया तो इससे सबसे ज्यादा भारतीय इंजीनियर और भारतीय कंपनियां प्रभावित होंगी. साथ ही इसका बुरा प्रभाव भारतीय अर्थव्यवस्था पर भी पड़ेगा. पिछले दिनों भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यम ने कहा था, 'अगर अमेरिका में एच-1बी वीजा नियम कड़े किये जाते हैं तो इसका सबसे ज्यादा असर भारत की जीडीपी पर पड़ेगा और जो हमने 8-10 फीसदी की जीडीपी का लक्ष्य निर्धारित किया है उसे हम हासिल नहीं कर पाएंगे.'
- भारतीय जीडीपी में भारतीय आईटी कंपनियों का योगदान 9.5 प्रतिशत के करीब है और इन कंपनियों पर पड़ने वाला कोई भी फर्क सीधे तौर पर अर्थव्यवस्था को प्रभावित करेगा.

**

GENERAL STUDIES HINDI

Security issues

1.तीनों सेनाएं कैसे साथ काम करेंगी, नया फॉर्म्युला पेश

तीनों सेनाओं के बीच तालमेल की जरूरत को समझते हुए सशस्त्र बलों के लिए संयुक्तता का नया सिद्धांत पेश किया गया है।

★ माना जा रहा है कि इससे क्षमता बढ़ेगी, संसाधनों का अधिकतम इस्तेमाल होगा और धन की बचत हो सकेगी।

क्या होगी इसके तहत रणनीति

★ पहली बार संयुक्तता का सिद्धांत 2006 में जारी किया गया था। सेनाओं में माना जा रहा है कि तब के बाद से हालात काफी बदल गए हैं, जिनके लिए संशोधन की जरूरत पड़ी।

★ इंटिग्रेटिड डिफेंस स्टाफ ने यह सिद्धांत तीनों सेनाओं के सहयोग से तैयार किया है। यह कहा गया है कि सैन्य ताकत के बीच तालमेल के लिए मूलभूत तत्व का काम करेगा।

★ मोर्चा चाहे जमीनी हो या आसमानी, जल हो गया साइबर स्पेस, सभी क्षेत्रों में ऑपरेशंस की प्लानिंग और अमल के लिए यह फ्रेमवर्क का काम करेगा। इसे जिंदगी के दूसरे पहलुओं की तरह वक्त की मांग बताया गया है।
★ इसके तहत राजनीतिक वर्ग की मंशा कैबिनेट की सिक्यॉरिटी कमिटी से होते हुए रक्षा मंत्री के जरिये चीफ्स ऑफ स्टाफ कमिटी तक पहुंचेगी, जिसमें तीनों सेनाओं के प्रमुख होंगे। इन निर्देशों को सैन्य उद्देश्यों में बदला जाएगा।
★ हर सेना के मिशन और रोल को देखते हुए चीफ्स ऑफ स्टाफ कमिटी इस तरह का इंटिग्रेटिड कोर्स ऑफ एक्शन तैयार करेगी, जिससे हर सेना की यूनीक पोजिशन कायम रहे।
★ कमिटी संयुक्त उद्देश्य और संसाधनों का बंटवारा तय करेगी। चीफ्स ऑफ स्टाफ कमिटी के तहत ऑपरेशंस पर अमल के लिए जॉइंट ऑपरेशंस कमिटी है।
★ गौरतलब है कि तीनों सेनाओं के बीच तालमेल और सरकार को सैन्य मसलों पर सिंगल पॉइंट सलाह के लिए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की नियुक्ति की मांग होती रही है।
★ करगिल की जंग के बाद इसकी सख्त जरूरत महसूस की गई।
★ कुछ दिन पहले सेना के कमांडरों के सम्मेलन के दौरान भी जॉइंट ऑपरेशन की धारणा विकसित करने की जरूरत पर जोर दिया।
★ नए सिद्धांतों के तहत कहा गया है कि हायर डिफेंस ऑर्गनाइजेशन में सुधार लगातार चलने वाली प्रक्रिया है और इससे संकट के दौरान जल्द फैसले लेने में मदद मिलेगी।
**

2.ऑपरेशन मेघदूत: 1984 में सियाचिन पर कब्जा करने के लिए हुआ ऑपरेशन

33 साल पहले भारतीय सेना के इस बेहद अहम ऑपरेशन को शौर्य और पराक्रम के मिसाल के तौर पर देखा जाता है. वर्ष 1984 में सियाचिन ग्लैशियर को फतह करने के उद्देश्य से इस ऑपरेशन को लॉन्च किया गया था.

- सियाचिन में भारतीय फौजों की किलेबंदी इतनी मजबूत है कि पाकिस्तान चाह कर भी इसमें सेंध नहीं लगा सकता. दरअसल, ये सफलता है 1984 के उस मिशन मेघदूत की, जिसे भारतीय सेना ने सियाचिन पर कब्जे के लिए शुरू किया था.

भारतीय सेना का अहम ऑपरेशन

भारतीय सेना का यह ऑपरेशन इस लिहाज से बहुत अहम है क्योंकि पहली बार दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर फतह करने के लिए यह ऑपरेशन किया गया था. सेना की इस कार्रवाई का नतीजा रहा कि पूरे सियाचिन ग्लैशियर पर भारत का कब्जा हुआ और सबसे ऊंची चोटी पर भी तिरंगा लहराने लगा.

1984 में सियाचिन पर कब्जा करने के लिए ऑपरेशन मेघदूत हुआ शुरू

80 के दशक से ही पाकिस्तान ने सियाचिन पर कब्जे की तैयारी शुरू कर दी थी. बर्फीले जीवन के तजुर्बे के लिए 1982 में भारत ने भी अपने जवानों को अंटार्कटिका भेजा. 1984 में पाकिस्तान ने लंदन की कंपनी को बर्फ में काम आने वाले साजो-सामान की सप्लाई का ठेका दिया. इस पर भारत ने 13 अप्रैल, 1984 को सियाचिन पर कब्जा करने के लिए ऑपरेशन मेघदूत शुरू कर दिया. पाकिस्तान 17 अप्रैल से सियाचिन पर कब्जे का ऑपरेशन शुरू करने वाला था. हालांकि भारत ने तीन दिन पहले ही कार्रवाई कर उसे हैरान कर दिया, लेकिन ये ऑपरेशन आसान नहीं था.

भारतीय सैनिकों को वायुसेना की मदद से पहुंचाया गया

ऑपरेशन मेघदूत के तहत भारतीय सैनिकों को वायुसेना के II-76, AN-12 और AN-32 विमानों से ऊंचाई वाली एयरफील्ड तक पहुंचाया गया. वहां से MI-17, MI-8, चेतक और चीता हेलीकॉप्टरों के जरिए सैनिकों को ग्लेशियर की उन चोटियों तक पहुंचा दिया गया. जब पाकिस्तानी फौज इस इलाके में पहुंची तो उन्हें पता

चला कि करीब 300 भारतीय जांबाज पहले से ही सियाचिन, सलतोरो ग्लेशियर, साई-लॉ, बिलाफोंड लॉ दर्रे पर कब्जा जमाए बैठे हैं. तब से भारतीय फौज सियाचिन की दुर्गम पहाड़ियों पर हर तरह के मुश्किल हालातों का सामना करती हुईं डटी हुई है.

दुनिया का सबसे ठंडा और ऊंचा रणक्षेत्र

दुनिया के सबसे ऊंचे और ठंडे माने जाने वाले इस रणक्षेत्र में आज भी भारतीय सैनिक देश की संप्रभुता के लिए डटे रहते हैं. भारत ने यह महसूस किया कि सियाचिन पर भारत को पैनी नजर बनाए रखनी होगी.

**

भारत सहित दुनिया की खुफिया एजेंसियां

RAW(भारत)

- भारत की खुफिया एजेंसी रॉ यानी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग को दुनिया की ताकतवर खुफिया एजेंसियों में माना जाता है।
- इसका मुख्यालय दिल्ली में स्थित है। राॅ की स्थापना 1968 में की गई थी। इस एजेंसी की खास बात ये है कि ये भारत के प्रधानमंत्री के अलावा किसी के प्रति जवाबदेह नहीं है।
- रॉ विदेशी मामलों, अपराधियों, आतंकियों के बारे में पूरी जानकारी रखती है।

ISI (पाकिस्तान)

आईएसआई यानी इंटर सर्विसेस इंटेलीजेंस पाक की खुफिया एजेंसी है।
- इसकी स्थापना साल 1948 में की गई थी। इसका मुख्यालय इस्लामाबाद में स्थित है।
- देश की सुरक्षा के नाम पर आईएसआई पर आए दिन आतंकवाद को बढ़ावा देने के आरोप लगते हैं। कई आतंकी हमलों में उसका हाथ माना जाता है।

CIA (अमेरिका)

- सीआईए यानी सेंट्रल इंटेलीजेंस एजेंसी अमेरिका की खुफिया एजेंसी है। इसकी स्थापना 1947 में हुई थी और इसका मुख्यालय वाशिंगटन के पास वर्जीनिया में है।
- सीआईए ना सिर्फ अमेरिका में बल्कि पूरी दुनिया में फेमस है और सबसे ज्यादा सक्षम और ताकतवर मानी जाती है।
- सीआईए का काम साइबर क्राइम, आतंकवाद रोकने समेत विदेशों से सूचना एकत्रित करना है।

MOSSAD(इजराइल)

- मोसाद जराइल की खुफिया एजेंसी है। या बेहद ही खतरनाक और ताकतवर एजेंसी मानी जाती है।
- इसकी स्थापना साल 1949 की गई और इसका निदेशक सीधे प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करता है।
- मोसाद का मतलब मौत माना जाता है। कहा जाता है कि एक बार जो मोसाद की निगाह में चढ़ गया उसका बचना मुश्किल होता है।

GENERAL STUDIES HINDI

MSS (चीन)

- एमएसएस यानी मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्यूरिटी चीन की खुफिया एजेंसी है।
- इसकी स्थापना 1983 में हुई थी और इसका मुख्यालय बीजींग में है।

यह मुख्यत: देश को राजनैतिक रूप से सुरक्षित रखने के लिए काम करती है।

**

3. सीरिया पर अमेरिकी हमले के भारत पर असर

★ सीरिया में रासायनिक हमले के बाद अमेरिका का रुख आक्रामक है। उसने सीरिया पर टॉमहॉक मिसाइलों से हमला बोल दिया।

★इस घटना के बाद से रूस और अमेरिका में भी तनातनी है। तनाव इतना बढ़ चुका है कि कुछ को तीसरे विश्व युद्ध की आहट नजर आने लगी है।

★ दुनियाभर के शेयर बाजारों में गिरावट देखने को मिली है। सीरिया पर अमेरिकी मिसाइलों के बरसने का असर भारत पर भी पड़ सकता है। वजह है अचानक कच्चे तेल की कीमतों में उछाल। यदि यह दौर जारी रहा तो भारत में भी पेट्रोलियम पदार्थों की कीमत बढ़ सकती है।

कैसे प्रभावित होगा भारत

★सीरिया ग्लोबल पेट्रोलियम सप्लाई का केवल 0.04 पर्सेंट ही उत्पादन करता है, जो कि क्यूबा, न्यू जीलैंड और पाकिस्तान से भी कम है, लेकिन इसके पड़ोस में मौजूद कई देश बड़े तेल उत्पादक हैं।
★सीरिया की सीमा ईराक से मिलती है, जो OPEC (ऑर्गनाइज़ेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज) का दूसरा सबसे बड़ा मेंबर है। इसके तुरंत बाद सऊदी अरब और इरान जैसे बड़े तेल उत्पादक देश हैं।
★ तुर्की का बंदरगाह (Ceyhan) भी अधिक दूर नहीं है, जहां से कुर्दिस्तान के जहाज भी गुजरते हैं। सीरिया को लेकर आमने-सामने आ चुके दो शक्तिशाली देश अमेरिका और रूस भी बड़े क्रूड उत्पादक हैं।
यही कारण है कि जब सीरिया में अमेरिकी मिसाइलें के बरसने की खबरें आईं तो ग्लोबल मार्केट में तेल की कीमतों में बढ़ोतरी हुई और इसकी कीमत 55.59 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गई।

भारत पर असर

★ भारत अपनी खपत का 80 प्रतिशत के करीब तेल मध्य-पूर्वी देशों से आयात करता है।
★जब वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की कीमतें गिरती हैं तो भारत का आयात बिल कम होता है और विदेशी पूंजी भंडार भी बढ़ता है।
पिछले कुछ सालों में तेल की कीमतों की बात करें तो कच्चे तेल की सबसे कम कीमत फरवरी 2016 में 33.62 डॉलर प्रति बैरल रही थी। वहीं अधिकतम कीमत की बात करें तो साल 2008 में आर्थिक मंदी के कारण कच्चे तेल की कीमत 140 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गई थी।
**

4. अपराध एवं आपराधिक ट्रैकिंग नेटवर्क एवं प्रणाली परियोजना के कार्यान्वयन के विस्तार को एक साल तक मंजूरी

आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने अपराध एवं आपराधिक ट्रैकिंग नेटवर्क एवं प्रणाली यानी क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम (सीसीटीएनएस) परियोजना के कार्यान्वयन को 31 मार्च 2017 के बाद एक और साल तक विस्तार देने के केंद्रीय गृहमंत्रालय के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
यह विस्तार परियोजना के शेष बचे उद्देश्यों को व्यापक रूप से प्राप्त करने में मदद करेगा। परियोजना के रखरखाव का चरण 2022 तक जारी रहेगा, जैसा कि पहले ही अनुमोदित किया गया था। इस परियोजना का कुल परिव्यय 2,000 करोड़ रुपये है। अभी तक इस परियोजना के लिए 1,550 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, इनमें से 2016-17 तक पूरी राशि का उपयोग कर लिया गया है।
इंटर ऑपरेटिव आपराधिक न्याय प्रणाली (आईसीजेएस) का उद्देश्य सीसीटीएनएस परियोजना को पहली बार ई-कोर्ट एवं ई-जेल डाटाबेस और आपराधिक न्याय प्रणाली के अन्य पिलर (खंभों) जैसे फोरेंसिक, अभियोजन, बालसुधार गृह तथा अपराधियों के देशव्यापी फिंगर प्रिंट डाटाबेस के साथ जोड़ना है। यह एकीकरण डेस्कटॉप डैशबोर्ड के जरिए न्यायपालिका, पुलिस और जेलों तक पहुंच उपलब्ध कराकर प्राप्त किया जा सकता है ताकि त्वरित तथा सूचना देने वाले फैसले लिए जा सकें और जांच में सहयोग किया जा सके।

सीसीटीएनएस परियोजना का प्रभाव इस प्रकार होगाः

i. सभी राज्यों एवं केंद्र में सिटीजन पोर्टल, स्व-सेवा (सेल्फ सर्विस) मोड में पुलिस की मदद उपलब्ध कराने, शिकायतों का ऑनलाइन पंजीकरण एवं लापता लोगों तथा चोरी हुई चीजों की खोज एवं रिपोर्टिंग में पारदर्शिता और तेजी लाएगा।

ii. संपूर्ण राष्ट्रीय अपराध एवं आपराधिक डाटाबेस पर देशव्यापी खोज की जा सकेगी। यह किसी भी जांचकर्ता अधिकारी के लिए पूरे देश में सुलभ होगी।

iii. अंतर-राज्यीय आपराधिक गतिविधियों पर बेहतर तरीके से नजर रखने के पुलिस को क्षेत्रीय भाषाओं में भी खोज की सुविधा उपलब्ध होगी।

iv. देश के सभी पुलिस स्टेशनों के लिए विश्वसनीय नेटवर्क कनेक्टिविटी।

v. राष्ट्रीय स्तर पर अपराध विश्लेषण प्रकाशित किए जाएंगे, जिनकी संख्या बढ़ने से नीति एवं कानून बनाने वालों को डाटा पर आधारित समयबद्ध कार्रवाई करने और उचित नीतिगत हस्तक्षेप करने में मदद होगी।

vi. आधार, जनसंख्या रजिस्टर, भूतल परिवहन मंत्रालय की वाहन परियोजना, पासपोर्ट सेवा और राष्ट्रीय आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणाली परियोजना जैसी विभिन्न ई-गवर्नेंस परियोजनाओं के एकीकरण से इन व्यक्तिगत प्रणालियों से मिलने वाला लाभ में बढ़ोतरी होगी और तालमेल में सुधार आएगा। यह विभिन्न प्रकार के पुलिस सत्यापन अनुरोधों और जांच में तेजी लाएगा।

vii. बायोमेट्रिक आधारित पहचान, ट्रेंड एवं पैटर्न विश्लेषण आदि उन्नत सुविधाओं को उच्च तकनीक वाली जांच क्षमता को बढ़ाने में शामिल किया जाएगा।

viii. आपराधिक न्याय प्रणाली के सभी पिलर के लिए उपलब्ध होने वाले आईसीजेएस को इसकी सर्विस डिलीवरी सुधारने में मदद मिलेगी।

**

5. आईएनएस शार्दुल दक्षिण हिंद महासागर में संयुक्त विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र (ईईजेड) निगरानी पर

- केवल भारत में ही नहीं बल्कि हिंद महासागर क्षेत्र में अबाधित आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए सुरक्षित और स्थिर क्षेत्रीय वातावरण सुनिश्चित करने के, भारत के राष्ट्रीय उद्देश्य को देखते हुए भारतीय नौसेना का जहाज शार्दुल इस क्षेत्र में निगरानी सहायता प्रदान करने के लिए दक्षिण हिंद महासागर क्षेत्र में दो महीने की तैनाती पर है।
- इस युद्ध पोत ने तैनाती के प्रारंभिक चरण में 8 से 26 मार्च, 2017 तक राष्ट्रीय तटरक्षक मॉरीशस के साथ तालमेल से मॉरीशस में संयुक्त ईईजेड निगरानी की। सफल संयुक्त ईईजेड निगरानी के बाद इस युद्धपोत ने ईईजेड निगरानी के पहले चरण के लिए 27 मार्च, 2017 को सेशेल्स के ईईजेड में प्रवेश किया।
- आईएनएस सार्दुल की तैनाती का उद्देश्य आईयूयू में मछली पकड़ने और नशीले पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए अपनी उपस्थिति दर्ज कराना है।
- इस जहाज ने इस क्षेत्र में व्यापारियों और मछली पकड़ने वाली नौकाओं के साथ व्यापक पूछताछ की ताकि व्यापारिक यातायात के पारगमन के लिए समुद्र को सुरक्षित बनाकर सेशेल्स के ईईजेड की सुरक्षा की जा सके।
- यह युद्धपोत 6 अप्रैल, 2017 को दूसरे ओटीआर और मिशन डिब्रीफ के लिए पोर्ट विक्टोरिया में प्रवेश करेगा। सेशेल्स की संयुक्त ईईजेड निगरानी की डिब्रीफ में सेशेल्स में नियुक्त भारत के उच्चायुक्त, एसपीडीएफ और सेशेल्स तटरक्षक के वरिष्ठ अधिकारी भाग
- 2009 से भारतीय नौसेना मेजबान देशों के अनुरोध पर देश आधारित व्यापक ईईजेड की गश्त करने के लिए इस क्षेत्र में जहाजों की तैनाती कर रही है। इसी जहाज की ऐसी पिछली तैनाती दिसंबर, 2016 में की गई थी।
- मेजबान देश के तटरक्षक बल के साथ भारतीय नौसेना के जहाज की संयुक्त गश्त के लिए प्रतिबद्ध और समर्पित तैनाती इस क्षेत्र के राष्ट्रों के बीच संबंधों और मैत्री को मजबूत बनाती है। आईएनएस

सार्दुल भारतीय नौसेना का एक बड़ा लैंडिंग शिफ्ट टैंक है, जिसका मुख्य कार्य सैनिकों, वाहनों और हथियारों को ढ़ोने के साथ-साथ उभयचर उद्देश्य क्षेत्र में युद्ध उपकरण और कर्मियों को पहुंचाना है। इस जहाज को प्रथम प्रशिक्षण स्क्वाड्रन के साथ नियमित रूप से तैनात किया जाता है और यह भारतीय नौसेना के युवा अधिकारियों के प्रारंभिक समुद्रिक प्रशिक्षण के लिए जिम्मेदार है।

**

6.राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो : देश में 24 फीसद पुलिसकर्मियों की कमी

- देश में पुलिसकर्मियों की भारी कमी है। पुलिसकर्मियों के 24.07 फीसद पद खाली पड़े हैं।
- जनसंख्या के लिहाज से सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश अपनी स्वीकृत पुलिस क्षमता के आधे से काम चला रहा है। यानी वहां पुलिसकर्मियों की सर्वाधिक 50 फीसद कमी है।
- दूसरे व तीसरे स्थान पर क्रमशः कर्नाटक और पश्चिम बंगाल हैं। चौंकाने वाले ये आंकड़े राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) द्वारा जारी किए गए हैं।
- 22,80,691 : सभी राज्यों में पुलिसकर्मियों के कुल स्वीकृत पद
- 5,49,025 : सभी राज्यों में पुलिसकर्मियों के कुल रिक्त पद

उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक कमी :

21 करोड़ : प्रदेश की जनसंख्या
3.63 लाख : पुलिसकर्मियों के स्वीकृत पद
1.81 लाख : मौजूद पुलिसकर्मी
1.82 लाख : रिक्त पद
1,239 : 2015 में प्रति लाख आबादी पर दर्ज मामले

कर्नाटक में 35 फीसद कमी :

1,10,210 : पुलिसकर्मियों के कुल स्वीकृत पद
39,276 : रिक्त पद

पश्चिम बंगाल में 33 फीसद कमी :

1,01,482 : पुलिसकर्मियों के कुल स्वीकृत पद
33,630 : रिक्त पद

स्वीकृत से अधिक :

नगालैंड और केंद्र शासित प्रदेश दादरा एंड नगर हवेली में स्वीकृत पदों से अधिक पुलिसकर्मी हैं। नगालैंड में 21,574 स्वीकृत पद हैं लेकिन यहां 22,264 पुलिसकर्मी हैं। वहीं दादरा एंड नगर हवेली में 310 स्वीकृत पद हैं लेकिन 334 पुलिस कर्मी हैं।

फीसद में कमी :

झारखंड, 26
तेलंगाना, 26
बिहार, 23.9
ओडिशा, 16.23
आंध्र प्रदेश, 16.2
छत्तीसगढ़, 15.8

**

7.आधार कार्ड की जानकारी लीक होने का खतरा कायम

सन्दर्भ -

हाल में एक्सिस बैंक से आधार का बायोमेट्रिक डेटा चोरी हो गया। इसके बाद प्राधिकरण ने एक्सिस बैंक के खातों के आधार पर लेन-देन बंद कर दिया था। यह एक नमूना है, जिसमें एहतियाती कदम उठा लिए गए लेकिन, जब आधार नंबर की संख्या 131 करोड़ तक पहुंच जाएगी और केंद्र व राज्य सरकार की सभी योजनाओं को इससे जोड़ दिया जाएगा तब डेटा सुरक्षा की रोजाना की चुनौती बड़ी हो जाएगी।

- चुनौती यह भी होगी कि जिन लोगों के आधार नंबर जारी नहीं हुए हैं उन्हें कैसे सरकारी योजनाओं की सुविधा मुहैया कराई जाए और जिनकी सुविधाएं आधार संख्या से जुड़ी हैं उनके डेटा को कैसे गोपनीय रखा जाए।
- आधार कार्ड का सारा कमाल बायोमेट्रिक डेटा यानी उंगलियों के निशानों और आंख की पुतलियों पर आधारित है। कई बार मनुष्य के काम और बीमारी के कारण उसकी अंगुलियों की छाप और पुतलियों की संरचना में बदलाव होता है व कम्प्यूटर व्यक्ति को पहचानने से इनकार भी कर देता है।

डाटा सुरक्षा महत्वपूर्ण -

सरकार ने आधार कार्ड की जानकारी की सुरक्षा के बारे में रेगुलेशन तैयार कर लिया है और उसके दुरुपयोग पर तीन साल की सजा का प्रावधान भी करने जा रही है लेकिन, डेटा चोरी और उसके गलत इस्तेमाल का खतरा टला नहीं है। सबसे बड़ा खतरा बैंक खातों के बारे में है। अगर बैंक खातों से संबंधित आधार कार्ड का डेटा हैक हो गया तो किसी के भी खाते से धन निकासी को रोक पाना कठिन होगा। ऐसे में इसकी जिम्मेदारी बैंक लेगा या भारतीय विशिष्ट पहचान पत्र प्राधिकरण (यूआईडीएआई) यह स्पष्ट नहीं है। संभव है डेटा चोरी होने का मुकदमा दायर भी हो जाए लेकिन, असली सवाल यह है कि खातों से चोरी गए धन की भरपाई कौन करेगा?

निष्कर्ष -

हैकिंग और सरकारी एजेंसियों द्वारा लोगों की जासूसी का खतरा व्यक्ति की संपत्ति और निजी स्वतंत्रता के अधिकारों से जुड़ा हुआ है। कानून बन रहा है कि आधार कार्ड से होने वाले कारोबार के डेटा को सात साल सुरक्षित रखा जाए ताकि विवाद होने पर उन्हें उपलब्ध कराया जा सके। सुरक्षा एजेंसियां भी डेटा तक तभी पहुंच सकेंगी जब जिला जज अनुमति दे और राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर डेटा तभी हासिल किया जा सकता है, जब संयुक्त सचिव स्तर का अधिकारी इजाजत दे। इनके बावजूद जाति, धर्म और विचारधारा के आधार पर काम करने वाली कार्यपालिका से भी दुरुपयोग के खतरे हैं और हर हाल में लाभ कमाने वाले चोरों से भी।

**

देश में वैश्विक आतंकवाद की सक्रियता का संदेह

लखनऊ में एटीएस से मुठभेड़ में आईएस से जुड़े आतंकी मोहम्मद सैफुल्ला के मारे जाने पर राजनीतिक चर्चा के साथ उस खतरे की ओर भी निगाहें उठने लगी हैं, जो सीरिया में आईएस के कमजोर होने के साथ भारत पर मंडराने लगा है। भोपाल-उज्जैन पैसेंजर में विस्फोट करने वालों की पिपरिया, कानपुर में गिरफ्तारी और फिर लखनऊ में मुठभेड़ यह साबित करती है कि अब हिंदी भाषी प्रदेश अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद से महफूज नहीं हैं।

सोशल मीडिया और आतंकवाद -

भारत में भी वैश्विक आतंकी सक्रिय है। इन आतंकियों के पास 'टेलीग्राम' नाम का मैसेजिंग एप मौजूद था, जिसका इस्तेमाल करने वालों की पहचान पता लगाना कठिन है। रूसी इंजीनियर द्वारा बनाए गए इस एप का आतंकी धड़ल्ले से इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारे खुफिया तंत्र को इनसे जानकारी हासिल हुई है कि वे 'खोरासन मॉड्यूल' नाम के आतंकी संगठन से जुड़े हैं जो आईएस की एक शाखा है। यह संगठन अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सीमा पर काम करता है।

सावधानी की जरुरत -

बहुत संभव है कि सीरिया में कमजोर पड़ने या सफाया होने के बाद आईएस अलग नाम से दूसरे देशों में अपना तंत्र फैला रहा है। इस काम में उसे पाकिस्तान और बांग्लादेश से मदद मिलने की संभावना है। ऐसे में यह घटना इस बात की चेतावनी है कि हमारे खुफिया तंत्र को पूरी तरह चौकस रहना होगा और राष्ट्रीय व क्षेत्रीय स्तर पर राजनीति से परे सूचनाओं का आदान-प्रदान करना होगा। आतंकवाद विकृत राजनीति की एक शाखा है और इसे स्वस्थ राजनीति की बयानबाजी और संरक्षण का मुद्दा किसी भी कीमत पर नहीं बनने देना है। साथ ही इस बात का ध्यान रखना है कि हमारे नौजवान किसी भी तरह से आईएस की ओर भटकने न पाएं।

8.**'स्वाति' (वेपन लोकेटिंग रडार) ने रुकवाया भारत-पाकिस्तान सीमा पर हेवी फायरिंग**

- भारत-पाकिस्तान की नियंत्रण रेखा पर पिछले 2 महीने से भारी तोपों से की जाने वाली फायरिंग बंद है। इसकी वजह क्या है? स्वाति, जी हां! स्वाति नाम के वेपन लोकेटिंग रडार पिछले 2 महीने से LoC पर ट्रायल के तौर पर इस्तेमाल किए जा रहे हैं। सीमा पार से तोपों और दूसरे भारी हथियारों से फायरिंग रुकने के पीछे स्वाति एक अहम कारण है।

कैसे रोकता है यह फायरिंग

- ये रेडार उस लोकेशन की सटीक जानकारी दे सकते हैं जहां से फायरिंग हो रही हो। यह दुश्मन की आर्टिलरी, मोर्टार और रॉकेट लॉन्चरों को तबाह करने के लिए हमारे शूटिंग उपकरणों को गाइड कर सकते हैं। इतना ही नहीं, यह हमारी ओर से की गई फायरिंग के प्रभाव को भी ट्रैक कर सकता है। पहले यह सुविधा सेना के पास नहीं थी।

- LoC पर भारी आर्टिलरी के इस्तेमाल पर रोक है। छोटे हथियारों से फायरिंग लगातार चलती रहती है और उससे नागरिकों और बंकरों को नुकसान नहीं होता। पिछले एक साल से सीमा पार से हेवी आर्टिलरी से फायरिंग चल रही थी। इससे बहुत नुकसान हो रहा था। यहां तक कि सीमा पार स्नाइपर फायरिंग का भी इस्तेमाल हो रहा था। कहानी में मोड़ आया सर्जिकल स्ट्राइक के बाद। तब पाकिस्तान से और हेवी फायरिंग की शंका थी। उसी वक्त ये रडार तैयार हो चुके थे। इन्हें फौरन नियंत्रण रेखा पर शिफ्ट किया गया। इन्हें तैनात किए जाने के बाद ही हेवी आर्टिलरी से फायरिंग थमने लगी। संघर्षविराम का उल्लंघन अब भी जारी रहता है, लेकिन छोटे हथियारों के जरिये।

कैसे करता है यह कार्य

- DRDO की लैब में बनाए इस रेडार को राजधानी में हुए एक समारोह में सेना को सौंपा। 'स्वाति' रेडार की क्षमता फायरिंग करने वाले हथियार की लोकेशन को 10 से 15 सेकंड में बिल्कुल सटीक खोज लेता है।
- यह 16,000 फीट तक की ऊंचाई वाले इलाकों में भी कारगर है। तापमान चाहे -30 हो या 55 डिग्री सेल्सियस, यह 50 किलोमीटर की रेंज तक नजर रख सकता है।
- इसकी रेंज 50 किलोमीटर तक बताई जा रही है और मुश्किल मौसम में भी ये सही तरह से काम करता है।

GENERAL STUDIES HINDI

लोकेशन पताकर,खत्म करती है हथियार

-वेपन लोकेटिंग रडार स्वाति को DRDO की इलेक्ट्रॉनिक एंड रडार स्टैब्लिशमेंट ने डेवलेप किया है।
-स्वाति रडार मोर्टार,रॉकेट और शेल्स की सही लोकेशन पता लगा लेता है।
-स्वाति रडार अटैच आर्टिलरी गन को भी गाइड करता है ताकि उनसे वेपंस को नष्ट किया जा सके।
सेना की ओर से 30 'स्वाति' रेडार बनाने का ऑर्डर मिला है, जिनमें 6 तैयार हो गए हैं और 3 पर काम चल रहा है।

**

9.कश्मीर में नई पैलेट गन और पावा शेल्स का होगा बेहतर तरीके से प्रयोग

पैरामिलिट्री फोर्सेज ने चोटों को कम करने के लिए पैलेट गन को बदलकर प्रयोग करने का फैसला किया है। जो पैलेट गन अब सीआरपीएफ प्रयोग करेगी वह कुछ इस तरह से होंगी।

=>**क्या होगा इस नई गन में**

नई पैलेट गन में एक डिफलेक्टर यानी विक्षेपक होगा जो बंदूक के सिरे पर लगा होगा। इस डिफलेक्टर की वजह से शरीर के ऊपर हिस्से पर चोट नहीं लगेगी। आलोचना के बावजूद सीआरपीएफ पैलेट गन का प्रयोग बंद नहीं कर सकती है।

=>**नुकसान को कम करने की कोशिश**

पहले गलती का अंतर 40 प्रतिशत होता था। अब डिफलेक्टर्स के साथ उम्मीद है कि इसे दो प्रतिशत पर लाया जा सकेगा। सीआरपीएफ का कहना है कि पहले अगर कमर से नीचे निशाना लगाकर भी पैलेट गन को फायर किया जाता था तो वह अपने निशाने से भटक जाती थी और कई नाजुक अंगों को चोट पहुंचती थी।

=>**पावा शेल्स में भी होगा बदलाव**

अब सेनाओं को आदेश दिया है कि वह नुकसान को कम से कम करने की कोशिश करें। दुर्गा प्रसाद ने बताया है कि बीएसएफ से अनुरोध किया है कि वह पावा शेल्स यानी मिर्ची के हथगोलों में बदलाव करें और उन्हें और ज्यादा प्रभावशाली बनाएं। उन्होंने जानकारी दी कि वर्तमान में शेल का ढांचा ऐसा है कि मिर्ची की धुंआ निकलने से पहले ही उसके खोल को वापस से बीएसएफ पर फेंक दिया जाता है। दुर्गा प्रसाद ने बताया कि बीएसएफ से कह गया है कि वह बॉडी प्लास्टिक या फिर ऐसे किसी तत्व की बनाएं ताकि यह जमीन पर गिरते ही एक्सप्लोड हो सके।

=>**बैन नहीं हो सकती हैं पैलेट गन**

कश्मीर घाटी में हिंसा के बीच पैलेट गन के प्रयोग ने जमकर विवाद और हंगामा खड़ा किया। पैलेट गन की जगह दूसरे विकल्पों पर विचार के लिए बनाई गई कमेटी ने अगस्त में कहा था कि घाटी में पैलेट गन को पूरी तरह से बैन नहीं किया जा सकता है। कमेटी की ओर से कहा गया है कि सीआरपीएफ सिर्फ कुछ असाधारण घटनाओं में ही पैलेट गन का प्रयोग करेगी।

=>**क्या है पैलेट गन**

पैलेट के प्रयोग को दुनियाभर में भीड़ को नियंत्रित करने के लिए बिना खतरे वाला आसान जरिया माना जाता है। पैलेट के अलावा आंसू गैस, वॉटर कैनन, पेपर स्प्रे, टीजर गैस को भी भीड़ नियंत्रण के काम के लिए प्रयोग करते हैं। पैलेट गन शिकार और पेस्ट कंट्रोल के लिए भी काफी लोकप्रिय हैं।

GENERAL STUDIES HINDI

=>**पहली बार वर्ष 2010 में हुआ प्रयोग :-**

जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ ने पहली बार अगस्त 2010 में इसका प्रयोग किया था। सीआरपीएफ के पास करीब 600 पैलेट गन्स हैं। शुरुआत में 4/5 पैलेट टाइप का प्रयोग होता था लेकिन कश्मीर में वर्ष 2010 में करीब 110 लोगों की मौत इससे हुई थी।

9.नकली नोटों से निपटने की दोहरी चुनौती

- पांच सौ और 2000 रुपये के नए नोट प्रचलन में लाने के समय सरकार ने दावा किया था कि इससे नकली नोटों के कारोबारियों पर पुख्ता तरीके से लगाम लगेगी लेकिन पिछले दो महीने के अनुभव कुछ और ही कहानी बयां कर रहे हैं।
- पिछले एक महीने के भीतर ही दिल्ली, मुंबई, माल्दा, जालंधर पटना से लेकर तेलंगाना तक में दर्जन भर नकली नोटों के मामले सामने आए हैं। इनमें अधिकांश दो हजार के नोटों से संबंधित हैं।

- इस काम में एक तरफ पाक की खुफिया एजेंसी आईएसआई जहां बहुत ही जोरशोर से लगी है तो देश के भीतर भी नकली नोट के नक्काल नए सिरे से सक्रिय हो गए हैं।
- सुरक्षा एजेंसियों के स्तर पर नकली नोटों पर लगाम लगाने के लिए सतर्कता भी जबरदस्त तरीके से बढ़ा दी गई है। राष्ट्रीय जांच ब्यूरो (एनआईए) के स्तर पर गठित विशेष टीम देश के उस हर हिस्से का दौरा कर रही है जहां नकली नोटों के मामले सामने आ रहे हैं। इसके अलावा एनआईए, रिजर्व बैंक, वित्त मंत्रालय और अन्य खुफिया एजेंसियों के अधिकारी अमूमन रोजाना नकली नोटों के मामले पर विचार-विमर्श कर रहे हैं।
- नक्कालों के लिए दो हजार के नकली नोट तैयार करना काफी मुनाफे का धंधा है। इसमें मार्जिन काफी ज्यादा होने की वजह से आसानी से लोग रिस्क भी लेने को तैयार हो रहे हैं। एक बड़ी समस्या आम जनता और बैंक अधिकारियों के स्तर पर दो हजार के नए नोट की सुरक्षा जानकारियां नहीं होने से पैदा हो रही है।
- देश में नकली नोटों को आने से रोकने में जुटी एजेंसियों के सामने असल चुनौती पाक की खुफिया एजेंसी आइएसआइ की तरफ से आ रही है। आइएसआइ वर्षों से भारतीय नकली नोटों को छापने और उन्हें यहां खपाने का काम करती आ रही है।
- हाल ही में बांग्लादेश सीमा पर माल्दा में नकली नोटों के साथ कुछ लोग पकड़े गए हैं जिन्होंने आईएसआई की पूरी रणनीति का पर्दाफाश किया है। इसके अलावा भारत-नेपाल सीमा से भी आईएसआई के फिर से सक्रिय होने के सबूत मिल चुके हैं।

ऐसे भेजती है आईएसआई

- 1. कराची व पेशावर स्थित प्रेस में होती है भारतीय नकली नोटों की छपाई
- 2. वहां से थाईलैंड और दुबई पहुंचाए जाते हैं ये नोट
- 3. थाईलैंड से ढाका और काठमांडू में छोटे गिरोहों के पास पहुंचते हैं
- 4. बांग्लादेश और नेपाल सीमा के जरिये भेजा जाता है भारत

10.एनएसजी कमांडो हुए हाईटेक रोबोट और 3डी रडार से लैस

- आतंकवाद रोधी बल नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स (एनएसजी) के कमांडो अब **डोगो रोबोट, 3डी रडार और ड्रोन की मदद से आतंकी हमलों को नाकाम** करेंगे। आतंकी हमलों के बदलते स्वरूप को देखते हुए एनएसजी को अत्याधुनिक हथियार और गैजेट्स मुहैया कराए गए हैं।
- **स्पेशल वीपंस एंड टैक्टिक्स (स्वाट)** टीम को इसके अलावा इजरायल, अमेरिका और इटली निर्मित स्नाइपर राइफल व पिस्टल से भी लैस किया गया है। पठानकोट और 2008 के मुंबई आतंकी हमले से सबक लेते हुए एनएसजी को बेहतर तकनीक और हथियार मुहैया कराने का निर्णय लिया गया था।
- ब्लैक कैट्स कमांडो को जर्मनी निर्मित पीएसजी-1 ए1 स्नाइपर राइफल दी गई है। यह पीएसजी-1 का उन्नत संस्करण है। टेलीस्कोप से लैस इस राइफल में एक समय में 20 राउंड कारतूस लोड किए जा सकते हैं।
- एनएसजी को **म्यूनिशन लांचर सिस्टम नामक ड्रोन भी** मुहैया कराया गया है। सफेद रंग का यह ड्रोन 38 एमएम के दो ग्रेनेड ले जाने में सक्षम है। रिमोट कंट्रोल के जरिये दूर से संचालित होने वाले इस ड्रोन में खुफिया कैमरे भी लगे हैं, जिसकी मदद से शत्रु को तबाह करने के अलावा उसके बारे में पूरी जानकारी भी हासिल की जा सकेगी।
- डोगो रोबोट करेगा आतंकियों को तबाह एनएसजी की टीम में सबसे खतरनाक और अत्याधुनिक हथियार इजरायल निर्मित डोगो रोबोट है। साढ़े ग्यारह किलो वजनी यह रोबोट आतंकियों के ठिकाने

GENERAL STUDIES HINDI

में घुसकर कमांडो को कैमरा फीड के जरिये उसकी स्थिति के बारे में सटीक जानकारी देने में सक्षम है।

- इतना ही नहीं डोगो अत्याधुनिक ग्लोक पिस्टल से भी लैस है। यह एनक्रिप्टेड (कूट भाषा) ऑडियो के जरिये संदेश भी भेज सकेगा। एंटी हाइजैकिंग अभियान में इस्तेमाल होने वाले एक रोबोट की कीमत 76 लाख रुपया है। इसका नाम अर्जेंटाइन मैस्टिफ नामक शिकारी कुत्ते के नाम पर रखा गया है
- 3 डी रडार भी होगा एनएसजी टीम के पास अब 2 डी के बजाय 3 डी रडार होगा। यह 20 मीटर मोटी दीवार के पार की जानकारी देने में सक्षम है। चौदह किलोग्राम वजन वाले इस रडार की कीमत करीब एक करोड़ रुपये है। इसके अलावा ब्लैक कैट्स कमांडो को अत्याधुनिक इतालवी राइफल भी मुहैया कराई गई है, जिसकी मदद से गेट को तोड़ना आसान होगा।

**

International Relations

1. इंटरनैशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्टेशन कॉरिडोर (INSTC) : चीन के वन बेल्ट वन रोड को टक्कर देने के लिए गलियारे पर त्वरित कार्यवाही पर भारत का जोर

★ भारत को ईरान के रास्ते रूस और यूरोप से जोड़ने की परियोजना को अमीला जामा पहनाने की दिशा में एक और बड़ा कदम बढ़ा दिया गया है।

★ इंटरनैशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्टेशन कॉरिडोर (INSTC) के तहत सीमा शुल्क की आसान सुविधा वाले हरित गलियारे (ग्रीन कॉरिडोर) के जरिए जल्द ही सामानों की आवाजाही का पूर्वाभ्यास (ड्राइ रन) किया जा सकता है।

★ भारत-रूस के बीच राजनयिक सबंधों की 70वीं वर्षगांठ के मौके पर इस महीने इसका संचालन हो सकता है।

★ अंतरराष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा (INSTC) जब पूर तरह संचालन में आ जाएगा तो भारत और यूरेशिया के बीच सामानों की आवाजाही की अवधि और लागत में कमी आएगी और भारत एवं साधन संपन्न रूस के साथ-साथ यूरोप के बाजारों में आर्थिक गतिविधियां बढ़ेंगी।

=>**चीन के वन बेल्ट वन रोड को टक्कर :-**

★ अंतरराष्ट्रीय सीमा शुल्क सम्मेलन टीआईआर से जुड़ने के भारत के फैसले के बाद आईएनएसटीसी का सपना हकीकत के थोड़े करीब पहुंच गया।

★ आईएनएसटीसी उन गलियारों में एक है जिन्हें भारत चीन के वन बेल्ट वन रोड नीति के सामानांतर बनाने पर काम कर रहा है।

=>क्या है आईएनएसटीसी?

★ आईएनएसटीसी 7,200 किमी लंबा जमीनी और सामुद्रिक रास्ता है। इसमें परिवहन के रेल, सड़क और समुद्री मार्ग शामिल हैं।

★ इसके जरिए समय और लागत में कटौती कर रूस, ईरान, मध्य एशिया, भारत और यूरोप के बीच व्यापार को बढ़ावा दिए जाने का लक्ष्य है।

★इस नेटवर्क से यूरोप और दक्षिण एशिया के बीच व्यापारिक गठजोड़ में तेजी एवं ज्यादा कुशलता की उम्मीद की जा रही है।

★फेडरेशन ऑफ फ्रेट फॉरवार्डर्स असोसिएशंज ऑफ इंडिया के सर्वे में सामने आया कि मौजूदा मार्ग के मुकाबले आईएनएसटीसी 30 प्रतिशत सस्ता और 40 प्रतिशत छोटा रास्ता होगा।

★भारत और रूस अभी सामान लाने-ले जाने के लिए समुद्री रास्ते का इस्तेमाल करते हैं जिसमें 40 दिन का वक्त लग जाता है।

**

2. भारत का इजरायल से अब तक का सबसे बड़ा रक्षा समझौता, मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदेगा

★ इजरायल ने भारत के साथ 2 बिलियन डॉलर (करीब 12 हजार करोड़ रुपए) की डिफेंस डील पर साइन किए हैं।

★ इसके तहत इजरायल भारत को मिसाइल डिफेंस सिस्टम देगा। इजरायल एयरोस्पेस इंडस्ट्रीज (IAI) ने इस बात की जानकारी दी।

★ इसके जरिए दुश्मनों के एयरक्राफ्ट, मिसाइल और ड्रोन्स को 70 किमी के दायरे में मार गिराया जा सकता है।

इस डील का मकसद भारतीय प्रधानमंत्री के इजरायल दौरे से पहले दोनों देशों के बीच सामरिक रिश्तों को मजबूती देना है।

- IAI भारत को मीडियम रेंज का एडवांस्ड जमीन से हवा में मार करने वाला मिसाइल सिस्टम (MRSAM) देगा।

- इसके अलावा, इजरायल भारत को लॉन्ग रेंज मिसाइल डिफेंस सिस्टम (LRSAM) भी मुहैया कराएगा।

- "इस डील से पता चलता है कि भारत सरकार को हमारी कैपिबिलिटीज पर भरोसा है। इन टेक्नोलॉजी को हम अपने पार्टनर्स के साथ मेक इन इंडिया पॉलिसी के साथ बना रहे हैं।

- इजरायल ने डीआरडीओ के साथ मिलकर मिलिट्री इक्विपमेंट्स बनाने की बात पर भी सहमति जताई है।

★ इजरायल भारत के टॉप तीन डिफेंस सप्लायर्स में से एक है। बीते दस साल में 10 बिलियन डॉलर की डील हासिल करने के अलावा इजरायल ने आखिर के दो सालों में हथियारों के सात कॉन्ट्रैक्ट भारत से हासिल किए हैं।

- इसके अलावा, कई दूसरी बड़ी डील्स भी पाइपलाइन में हैं। इनमें दो इजरायल निर्मित फॉल्कन AWACS (एयरबोर्न वॉर्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम) भी शामिल है, जिन्हें रूस निर्मित IL-76 मिलिटरी एयरक्राफ्ट पर लगाया जाना है।

- इसके अलावा, चार एरोस्टैट रडार और कुछ हमलावर ड्रोन्स भी खरीदे जाने हैं। भारतीय सेनाओं के पास इजरायल निर्मित 100 ड्रोन्स पहले से हैं।

क्या है बराक-8?

- बराक-8 सिस्टम एक खास तकनीक MF-STAR (मल्टीफंक्शन सर्विलांस एंड थ्रेट अलर्ट रडार) से लैस है। इसमें डाटा लिंक वाला वेपन सिस्टम है, जो हवा में मैक्सिमम 100 किमी की रेंज तक दुश्मनों की मौजूदगी को भांपकर उसे 70 किमी के दायरे में तबाह कर देता है।

- जानकार मानते हैं कि यह सिस्टम भारत की हवाई सुरक्षा की खामियों को भरने में अहम भूमिका निभा सकता है।

**

3. UNSC में वीटो पॉवर क्या है?

- संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य होते हैं

- सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य हैं - चीन, फ्रांस, रूस, यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका

- इन 5 स्थायी सदस्यों को एक विशेष शक्ति दी गई है, जिसे वीटो पावर कहते हैं।

- यानी संयुक्त राष्ट्र के किसी भी प्रस्ताव या निर्णय पर अगर कोई स्थायी सदस्य वीटो का इस्तेमाल करता है तो वो प्रस्ताव या निर्णय, माना नहीं जाता। उदाहरण के लिए चीन अपनी इसी शक्ति का इस्तेमाल बार बार आतंकी मसूद अजहर को बचाने के लिए करता है। मसूद अज़हर को बैन करने पर फैसला लेने वाली संयुक्त राष्ट्र की कमेटी में 5 स्थायी सदस्य देशों को मिलाकर कुल 15 देश

शामिल थे। इनमें से 14 देशों ने प्रस्ताव का समर्थन किया था। चीन के veto इस्तेमाल की वजह से 14 देशों की सहमति के बावजूद, अमेरिका का प्रस्ताव गिर गया।

- **

4.भारत-रूस राजनयिक संबंधों के 70 वर्ष : पुरानी गर्माहट लाने की कोशिश

क्या रूस दशकों पुराने अपने मित्र भारत के हितों को प्रभावित करने की शर्त पर चीन व पाकिस्तान के साथ रिश्तों को आगे बढ़ाना जारी रखेगा?

- भारतीय प्रधानमंत्री एक जून से तीन जून तक रूस की यात्रा पर होंगे जहां वह दोनों देशों के राजनयिक संबंधों के 70 वर्ष पूरा होने के अवसर पर आयोजित कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे।
- पिछले वर्ष जब से रूस ने पाकिस्तान के साथ सैन्य अभ्यास करने पर भारत की आपत्तियों को नजरअंदाज किया था तभी से भारत सरकार रूस के साथ कूटनीतिक रिश्तों में नई गर्मजोशी लाने की कोशिश कर रही है।
- भारत सरकार ने रूस के साथ हथियार खरीदने के लंबित प्रस्तावों को न सिर्फ तेजी से मंजूरी दी बल्कि द्विपक्षीय आर्थिक कारोबार को बढ़ाने का नया प्रस्ताव भी तुरंत तैयार कर लिया। रूस की तरफ से भी संतोषप्रद प्रतिक्रिया मिली है।
- केंद्र सरकार नजाकत को समझ रही है तभी हर मंत्रालय को अपने स्तर पर रूस के साथ लंबित मामलों पर तेजी से फैसला करने को कहा गया है।

=>**हकीकत बनेगी गैस पाइपलाइन**

- पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बताया कि भारत सरकार जिन देशों के साथ गैस पाइपलाइन पर बात कर रही है उसमें सिर्फ रूस के साथ ही सकारात्मक दिशा में बात आगे बढ़ी है। हाल ही में दोनों देशों ने अपनी तैयारियों का एक दूसरे से आदान-प्रदान किया है।

- इस परियोजना पर पिछले वर्ष गोवा में ब्रिक्स बैठक के दौरान बातचीत हुई थी। पेट्रोलियम मंत्रालय के अधिकारी बताते हैं कि पिछले छह महीने के दौरान जो प्रगति हुई है उससे साफ है कि यह परियोजना संभव है। जल्द होने वाली मोदी व पुतिन की शीर्ष बैठक में इस मामले को और आगे ले जाने का रास्ता निकलने की उम्मीद है।

=>**रक्षा के साथ कारोबार भी अहम**

- भारत अब द्विपक्षीय रिश्तों को सिर्फ रक्षा तक ही सीमित नहीं रखना चाहता है बल्कि उसे व्यापक आयाम देना चाहता है। भारत द्विपक्षीय कारोबार को तेजी से बढ़ाने का प्रस्ताव कर रहा है जिस पर मोदी की रूस में बातचीत होगी।

GENERAL STUDIES HINDI

- हाल ही में भारत व रूस ने इसके लिए एक अरब डॉलर का विशेष फंड बनाने का फैसला किया है। भारतीय रणनीतिकार रूस के साथ मौजूदा 10 अरब डॉलर के द्विपक्षीय कारोबार को 10 वर्षों में 30 अरब डॉलर करने का खाका तैयार कर रहे हैं।

<u>सहयोग के नये आयाम</u>

- 1. रूस निर्मित एस-400 ट्रंफ एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम ले रहा है भारत
- 2. मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत बनाए जाएंगे 200 कामोव हेलीकॉप्टर, दूसरे देशों को भी होगा निर्यात
- 3. रूस जहाज निर्माण के लिए भारत में स्थापित करेगा विशेष संस्थान
- 4. द्विपक्षीय कारोबार बढ़ाने के लिए बने फंड के इस्तेमाल की रणनीति बनेगी
- 5. गैस पाइपलाइन पर भी बात काफी आगे बढ़ी

**

5.सीरिया की सेना का मजबूत रहना आवश्यक है आईएस को हारने के लिए

सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल-असद भले ही पश्चिम देशों के निशाने पर हों, लेकिन आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट (आईएस) के खिलाफ लड़ाई में उनकी सेना की भूमिका काफी अहम मानी जा रही है|
आईएस सीरिया में सीरियाई सेना और अमेरिकी नेतृत्व वाली गठबंधन सेना से एक साथ लड़ रहा है. इसको लेकर आईएचएस में मध्य-पूर्व मामलों के वरिष्ठ विश्लेषक कोलंब स्ट्रैक का कहना है कि:

- अगर सीरियाई सेना कमजोर पड़ी तो इससे आईएस आतंकियों को ज्यादा आबादी वाले शहरों और कस्बों में घुसने का मौका मिल जाएगा.
- आईएस को सीरिया और इराक दोनों जगहों पर पीछे हटना पड़ रहा है और ऐसे में सीरियाई सेना के कमजोर पड़ने पर उसे और ज्यादा समय तक टिकने का मौका मिल जाएगा.
- जब अमेरिकी नेतृत्व वाली गठबंधन सेना और उसके समर्थन वाले लड़ाके आईएस की स्वघोषित राजधानी रक्का को घेरने में लगे हैं तो सीरियाई सेना के कमजोर पड़ने से आईएस पूर्वी सीरिया के सबसे बड़े शहर दीर-अल-जोर में पकड़ बना सकता है.

**

6. ब्रिटेन-चीन के बीच चलेगी पहली रेल, जोड़ेगी 7 देशों की अर्थव्यवस्था

★ ब्रिटेन से चीन के बीच पहली मालगाड़ी एसेक्स से रवाना हो गयी है। यह मालगाड़ी 7500 मील की दूरी तय करेगी और 17 दिन बाद चीन के झेजियांग शहर के यीवू शहर पहुंचेगी।
★ इसमें 30 डिब्बे हैं जिनमें व्हिस्की, सॉफ्ट ड्रिंक, विटामिन और दवाइयां हैं।
=> किन- किन देशों से गुजरेगी यह ट्रेन :-
★ यह मालगाड़ी फ्रांस, बेल्जियम, जर्मनी, पोलैंड, बेलारुस, रूस और कजाखस्तान से होकर गुजरेगी।
=>क्यों महत्वपूर्ण है यह ट्रेन -
★ यह सेवा चीन के प्राचीन सिल्क रूट को फिर से पुनर्जीवित करने का प्रयास है। इसकी शुरुआत के रूप में तीन महीने पहले चीन से ब्रिटेन मालगाड़ी गई थी।
★अभी दोनों देशों के बीच अगर समुद्री रास्ते से सामान भेजा जाता है तो इस मालगाड़ी तुलना में दुगुना समय लगता है।
★ लंदन यूरोप का 15वां शहर है जिससे चीन का रेलमार्ग से संपर्क हुआ है।
★बता दें कि 2000 साल पहले सिल्क रूट के जरिए पश्चिम और पूर्व के बीच कारोबार होता था।
★ यूरोप और चीन के बीच साल 2016 में 40 हजार कंटेनर सामान का आयात और निर्यात हुआ था। 2020 तक इसे एक लाख कंटेनर करने का लक्ष्य रखा गया है।
★यूरोप के कई देशों को चीन रेलमार्ग से साल 2011 से ही सामान भेज रहा है। लेकिन इंगलिश चैनल को उसने इसी साल पार करना शुरू किया है।
★ चीन की यह रेललाइन दुनिया की सबसे बड़ी लाइन है, जो सात देशों की अर्थव्यवस्था को आपस में जोड़ने का काम
★ हवाई रूट से सामान लाने के मुकाबले रेल रूट से सामान लाना करीब 50 फीसदी सस्ता पड़ेगा।

GENERAL STUDIES HINDI

**

7. बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना का भारत दौरा, भारत-बांग्लादेश के बीच हुए अहम् समझौते

दोनों देशों के बीच परमाणु ऊर्जा क्षेत्र सहित 22 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए।
- कोलकाता और खुलना के बीच बस व ट्रेन संबंध बहाल
- पांच अरब डॉलर की वित्तीय मदद देने का फैसला
- तीस्ता जल बंटवारे संधि पर जल्द अंतिम फैसले का आश्वासन

अहम समझौते

- पांच साल का रक्षा सहयोग फ्रेमवर्क बना

- रक्षा उपकरणों की खरीद के लिए 50 करोड़ डॉलर का कर्ज
- बांग्लादेश में परियोजनाओं के लिए 4.5 अरब डॉलर की मदद
- बांग्लादेश के सैनिकों को मिलेगा भारत में बेहतर प्रशिक्षण
- बांग्लादेश में परमाणु ऊर्जा प्लांट लगाने में मदद करेगा भारत
- सड़क, रेल व जल मार्ग से और तेजी से जुड़ेंगे दोनों देश

वैसे बांग्लादेश सरकार की बहुत चाहत के बावजूद तीस्ता जल बंटवारे पर समझौता नहीं हो सका।

- भारत से बांग्लादेश को एकमुश्त पांच अरब डॉलर की वित्तीय मदद मिली है। इनमें से 4.5 अरब डॉलर भारत बांग्लादेश में विभिन्न परियोजनाओं को पूरा करने में देगा। 50 करोड़ डॉलर की मदद भारत से जरूरी रक्षा उपकरणों की खरीद के लिए दी जाएगी।
- इसके साथ ही पिछले तीन वर्षों में नई दिल्ली की तरफ से ढाका को दिए जाने वाले आर्थिक मदद का आकार आठ अरब डॉलर का हो जाएगा। लेकिन, यह सुनिश्चित करेगा कि ढाका नई दिल्ली का का एक अहम रक्षा सहयोगी और बाजार बने।

22 में से तीन समझौते परमाणु क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, जो बताता है कि दोनों देश किस तरह से रिश्तों को नई राह दे रहे हैं। इससे आने वाले दिनों में भारत बांग्लादेश में परमाणु ऊर्जा संयंत्र लगाने में भी मदद करेगा। यह पहली बार है कि भारत परमाणु तकनीक का निर्यात करने की कोशिश कर रहा है।

बांग्लादेश ने भारत को पूरा आश्वासन दिया है कि उनके देश का इस्तेमाल अब भारत विरोधी के लिए नहीं होगा। भारत-बांग्लादेश सीमा पर शांति व सुरक्षा बनाये रखने के लिए वह हर मुमकिन कोशिश करेंगी।

- दोनों देशों के बीच आतंकवाद के खिलाफ एक-दूसरे की मदद करने को लेकर भी एक समझौता हुआ है।

**

8. बांग्लादेशी प्रधानमंत्री शेख हसीना की भारत यात्रा इतनी अहम क्यों?

- बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना सात साल बाद भारत आ रही हैं। जानते हैं उनकी भारत यात्रा के पीछे क्या बड़े मायने हैं।

- दोनों देशों के बीच अच्छी बात यह है कि साल 2015 में दोनों देशों की सीमा के बीच ऐतिहासिक भूमि सीमा समझौते हुआ, जिसमें औपचारिक रूप से दोनों देशों की सीमा में तितर-बितर 162 बस्तियों की अदला-बदली की।
- भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश से ही लगती है.
- पूर्वोत्तर के विकास के लिए अति महत्वपूर्ण है.
- बांग्लादेश ने भारतीय जहाजों को चिटिगांव पोर्ट में लंगर लगाने की इजाजत दी है। 40 सालों में यह पहला मौका था।
- भारतीय कंपनियां पायरा पोर्ट को विकसित कर रही हैं।
- वित्त वर्ष 2012-13 में दो-तरफा व्यापार 5.34 अरब डॉलर था। इसमें भारत का निर्यात 4.7 अरब डॉलर और बांग्लादेश से आयात 654 मिलियन डॉलर था।
- इसके साथ ही भारत हर साल बांग्लादेश में 600 मेगावॉट बिजली का निर्यात करता है।

GENERAL STUDIES HINDI

- मगर, अभी भी दोनों देशों के बीच कई मुद्दों का समाधान निकलना जाना बाकी है जैसे -

- बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों को सताया जा रहा है, जो भारत के लिए समस्या है।
- भारत द्वारा साझा की जा रही 4,096 किमी लंबी सीमा के किनारे बाड़ लगाना दोनों देशों के बीच एक झगड़े की जड़ है क्योंकि बांग्लादेश का आरोप है कि भारत 1975 में समझौते को तोड़ चुका है।
- हाल के महीनों में बांग्लादेश ने आरोप लगाया है कि हूजी और जेएमबी के आतंकियों ने पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा में सुरक्षित पनाह हासिल की है।

सहयोग का सफर: भारत –बांग्लादेश

बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना की भारत यात्रा और इस अवसर पर दोनों देशों के बीच हुए समझौतों का दूरगामी महत्त्व है। जिन बाईस समझौतों पर दोनों पक्षों ने हस्ताक्षर किए उनमें सैन्य सामानों की खरीद, असैन्य परमाणु समझौता, बस-सेवा, टेÑन सेवा और बिजली की आपूर्ति जैसे बिंदु शामिल हैं।

समझौतों का महत्त्व

Ø इन समझौतों के दोनों देशों के लिए आर्थिक और व्यावसायिक आयाम तो हैं ही, इनकी कूटनीतिक अहमियत भी कम नहीं है। क्योंकि चीन लगातार बांग्लादेश के साथ अपने संबंधों को मजबूती प्रदान कर रहा है।

Ø बांग्लादेश चीन से रक्षा सामग्रियां आयात कर रहा है। हाल में उसने दो पनडुब्बियां भी चीन से ली हैं। चीन की रणनीति दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ रिश्ते बना कर भारत की तुलना में अपनी सामरिक स्थिति मजबूत करने की है। इसके लिए वह अपनी 'चेकबुक रणनीति' पर भी काम करता है। लिहाजा, भारत ने बांग्लादेश के साथ आपसी सहयोग का दायरा बढ़ा कर वक्त की नजाकत को समझा है। यों भी बांग्लादेश के साथ भारत के गहरे सांस्कृतिक और सामाजिक संबंध रहे हैं।

समझौतों के मुताबिक भारत बांग्लादेश को सैन्य सामानों की खरीद के लिए पचास करोड़ डॉलर की मदद करेगा तथा 450 करोड़ रुपए का कर्ज भी देगा। दोनों देशों के बीच असैन्य परमाणु समझौता भी हुआ है, जिसमें एक-दूसरे को रक्षा सहयोग करने की शर्त है। पश्चिम बंगाल के राधिकापुर से बांग्लादेश में खुलना तक बस सेवा का एलान हुआ है। कोलकाता से खुलना तक के लिए रेल चलाने पर सहमति बनी है। यह सेवा दोबारा शुरू होगी, क्योंकि 1965 में भारत-पाक युद्ध के दौरान इस सेवा को बंद कर दिया गया था। तब बांग्लादेश को पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। इस टेÑन से आगे चल कर नेपाल और भूटान भी जुड़ेंगे। इससे जहां नागरिकों के स्तर पर संपर्क बढ़ेंगे, वहीं व्यापार और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। इसके इसी साल जुलाई में शुरू होने की उम्मीद है। भारत, बांग्लादेश को साठ मेगावॉट बिजली की आपूर्ति और बढ़ाएगा। छह सौ मेगावॉट बिजली पहले से ही दी जा रही है।

दोनों देशों की ओर से जारी साझा बयान में आतंकवाद के खिलाफ मिल कर लड़ने की प्रतिबद्धता जताई गई है। भारत लंबे समय से आतंकवाद से पीड़ित है। ऐसे में बांग्लादेश का साथ देने का आश्वासन सुकुनदेह है। बांग्लादेश में खालिदा जिया की सरकार के समय वहां पूर्वोत्तर के हथियारबंद गिरोहों को शरण मिलती थी। अवामी लीग की सरकार आई तो भारत को पूर्वोत्तर में आतंकवाद पर काबू पाने में बांग्लादेश से अपूर्व सहयोग मिला। बांग्लादेश के मुक्तिदाताओं के दस हजार बच्चों को छात्रवृत्ति देने तथा सौ मुक्तिदाताओं को भारत में मुफ्त इलाज कराने समेत कई और समझौतों ने भी दोनों देशों के संबंध को मजबूत बनाने में मदद की है। तीस्ता नदी जल बंटवारे का मामला जरूर सुलट नहीं पाया, क्योंकि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इस पर राजी नहीं हुईं। लेकिन उन्होंने इतना जरूर कहा है कि उनके राज्य में तीन पहाड़ी नदियां हैं, जिनका पानी देने को वे तैयार हैं। प्रधानमंत्री ने उम्मीद जताई है कि तीस्ता की बाबत भी देर-सबेर कोई न कोई हल जरूर निकल आएगा।

GENERAL STUDIES HINDI

**

9. भारत-ऑस्ट्रेलिया में आतंकवाद से निपटने के लिए समझौता

- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके ऑस्ट्रेलियाई समकक्ष मैल्कम टर्नबुल की बैठक के बाद दोनों देशों ने आतंकवाद से निपटने में सहयोग को बढ़ावा देने वाले एक करार समेत छह समझौतों पर हस्ताक्षर किए।
- दोनों नेताओं ने पारस्परिक हितों और चिंताओं के विभिन्न द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर व्यापक चर्चा की।
- व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते पर अगले दौर की चर्चा के जल्द आयोजन समेत कई दूरदर्शी फैसले किए
- टर्नबुल वर्ष 2015 में पदभार ग्रहण करने के बाद अपनी पहली भारत यात्रा पर पहुंचे।

- भारत-प्रशांत क्षेत्र में शांति और स्थिरता, आतंकवाद और साइबर सुरक्षा जैसी चुनौतियों के लिए वैश्विक रणनीति और समाधान की जरूरत है।
दोनों पक्षों ने आतंकवाद से निपटने को लेकर सहयोग को बढ़ावा देने वाले करार को अंतिम रूप दिया। यह करार गृह मंत्रालय और ऑस्ट्रेलियाई गृह मंत्रालय के बीच हुआ।
- ऑस्ट्रेलिया भारत को यूरेनियम के निर्यात के लिए तैयार है. टर्नबुल ने कहा कि उनकी सरकार भारत को जल्द- से- जल्द यूरेनियम के निर्यात को लेकर आशान्वित है।
- दोनों देश प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते (सीईसीए) को नए सिरे से आगे बढ़ाने पर सहमत हुए हैं।
- आस्ट्रेलिया का भारत के साथ द्विपक्षीय कारोबार पिछले एक दशक में दोगुना बढ़कर 20 अरब डॉलर हो गया है, लेकिन यह जितना होना चाहिए उसका अंशमात्र है।
**

10. दक्षिण चीन सागर विवाद गहराया

In news

दक्षिण चीन सागर को लेकर चीन और फिलीपींस के बीच विवाद एक नए स्तर पर पहुंचता दिखाई दे रहा |फिलीपींस के राष्ट्रपति रोड्रिगो दुतेर्ते ने बेहद चौंकाने वाला कदम उठाते हुए सेना को उन सभी द्वीपों पर कब्जा करने का आदेश दिया है, जिन पर फिलीपींस अपना अधिकार जताता है. अपने इस आदेश की जानकारी देते हुए रोड्रिगो दुतेर्ते ने स्पार्टली द्वीप समूह के 'नौ या दस' द्वीपों, मूंगा चट्टानों पर फिलीपींस का दावा जताया है.

चीन की प्रतिक्रिया:

फिलीपींस के इस कदम पर चीन से तीखी प्रतिक्रिया आने की संभावना जताई जा रही है, क्योंकि वह स्पार्टली द्वीप समूह पर ही नहीं, बल्कि पूरे दक्षिण चीन सागर पर अपना दावा जताता है. यही नहीं, वह यहां पर कृत्रिम द्वीप बनाकर हथियार तैनात कर रहा है. इस मामले में उसका अमेरिका से भी टकराव है, क्योंकि अमेरिका ने इसे अंतराष्ट्रीय समुद्री क्षेत्र बताकर उसके एकाधिकार मानने से इनकार कर दिया है.

पृष्ठभूमि:

दक्षिण चीन सागर का विवाद काफी पुराना है. लेकिन, बीते साल जुलाई में हेग स्थित अंतर्राष्ट्रीय पंचाट का फैसला फिलीपींस के पक्ष में आने के बाद इसको लेकर सभी दावेदारों के बीच तनाव बढ़ गया था. इस क्षेत्र पर चीन के एकाधिकार होने के दावे को खारिज करते हुए अंतर्राष्ट्रीय पंचाट ने कहा था कि दक्षिण चीन सागर और इसके संसाधनों पर अपना ऐतिहासिक कब्जा साबित करने के लिए चीन के पास कोई ठोस सबूत नहीं हैं.

GENERAL STUDIES HINDI

**

11.श्रीलंका-भारत : अस्पष्ट समुद्री सीमा बढ़ते तनाव का कारण

- श्रीलंका हमेशा से भारत के सबसे अच्छे मित्रों और पड़ोसियों में से एक रहा है. भारत और श्रीलंका सिर्फ जल-सीमा साझा करते हैं.
- भारत-श्रीलंका जल-सीमा विवादित तो नहीं है, पर पूरी तरह **स्पष्ट रूप से परिभाषित भी नहीं** है. इसीलिए दोनों देशों के मछुआरें एक-दूसरे के इलाकों में अक्सर चले जाते हैं. दोनों देशों की जल-सीमा पर श्रीलंकाई नौसेना कई बार गोलियां चलाकर भारतीय मछुआरों को मार डालते हैं.

मछुआरों की समस्या :-

- मछुआरे जब गहरे समुद्र में मछलियां पकड़ने अपनी नौकाओं में जाते हैं, तो उनके पास आधुनिक संचार व्यवस्था या प्रणाली नहीं होती. जीपीएस भी सिर्फ आधुनिक तकनीक से लैस छोटे जहाजों में होता है. सब तरफ सिर्फ पानी होने से ये उम्मीद करना ही व्यर्थ है कि वो देशों के बीच की सटीक जल सीमा-रेखा को ध्यान में रखकर अपने देश की सीमा में रहकर ही मछली पकड़ेंगे. कभी-कभी अच्छी मछलियों की तलाश के लालच

में वे थोड़ा आगे भी चले जाते हैं. पर वे कोई आतंकवादी या जासूस नहीं हैं, जिनसे सामने वाले देश को कोई खतरा हो. फिर भी पिछले तीस सालों में श्रीलंकाई नौसेना सैकड़ों भारतीय मछुआरों को मार चुकी है.
- पाकिस्तान और बांग्लादेश से थल एवं जल सीमा और श्रीलंका से जल सीमा का उल्लंघन कर भारत आए सैकड़ों लोग हर साल सुरक्षित वापस भेजे जाते हैं. निहत्थे-निर्दोष लोगों को स्पष्ट रूप से मछुआरों के रूप में पहचानने के बाद भी सीधे गोली मारकर जान से मारना अंतरराष्ट्रीय नियमों का सरासर उल्लंघन है. भारत सरकार के इन मामलों पर हमेशा से ढुलमुल रवैये के कारण ही श्रीलंका की नौसेना अक्सर अकारण ही बेहद आक्रामक रवैया अपनाती है.

भारत-श्रीलंका के बीच की जल-सीमा के चार अलग-अलग क्षेत्र हैं. ये हैं-राम सेतु, मन्नार की खाड़ी, पाक जलडमरूमध्य क्षेत्र और लक्षदीप का सागर.

मछुआरों को निशाना बनाने के ज्यादातर मामले राम सेतु और पाक जलडमरू मध्य क्षेत्र में होते हैं. भारत द्वारा इन मामलों में पर्याप्त सख्ती नहीं दिखाने के कारण हम अपने नागरिकों की जान की हिफाजत नहीं कर पा रहे है. हमारे इसी दुविधाग्रस्त रु ख के कारण ही भारत-बांग्लादेश सीमा पर बांग्लादेशी राइफल्स के जवान भी कई बार अपनी तरफ से पहल करके भारत के सीमा सुरक्षा बल के जवानों पर फायरिंग कर चुके हैं. उन्हें पता है कि एक बेहद शक्तिशाली सेना वाला मुल्क होने के बावजूद उन्हें मित्र देश समझकर भारत उसका कभी माकूल जवाब नहीं देगा. पड़ोसी देशों से संबंधों में भारत जब बड़े भाई जैसी उदारता दिखाता है, तो संबंधित देश उसका बेजा फायदा उठाकर उसे कमजोर समझते हैं. इसीलिए बेहतर यही है कि पड़ोसी मुल्कों से संबंधों में मधुरता के साथ दृढ़ता भी दिखाई जाए.
- बेहतर हो कि भारतीय क्षेत्रों में मत्स्य-पालन को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए. अंतरराष्ट्रीय सीमा के पास जाने वाले मछुआरों और उनकी नौकाओं का डेटाबेस तैयार करके उन पर निगरानी के लिए इसरो द्वारा खासतौर पर छोटी नावों के लिए विकसित किए गए सेंसर्स भी तत्काल लगाए जाना चाहिए.
**

12.वर्तमान में 'लुक वेस्ट' नीति बेहतर

- वर्ष 1991 में तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव को आखिरकार आर्थिक उदारीकरण लागू करना पड़ा था क्योंकि इससे पहले लगभग नगण्य रह गए विदेशी मुद्रा भंडार के परिप्रेक्ष्य में भारत को अपना राष्ट्रीय गौरव तजते हुए सोना गिरवी रखना पड़ा था। उदारीकरण के उपायों ने न सिर्फ देश की घरेलू आर्थिक नीतियों में आमूलचूल परिवर्तन करके रख दिया था बल्कि इन बदलावों ने पूर्व में स्थित हमारे पड़ोसियों की तेजी से तरक्की करती आर्थिकी से तालमेल बिठाने में भी सहायता की थी।
- लिहाजा यह तार्किक तौर पर सही बैठता था कि विदेश नीति के इस नये पहलू को 'लुक ईस्ट'(पूर्वी देशों से संबंध बढ़ाओ) का नाम दिया जाए। इस दौरान पश्चिमी दिशा में स्थित पास-पड़ोस से हमारा 'वही पुराना ढर्रा' कायम रहा था। बस इसमें महत्वपूर्ण फर्क केवल यही था कि हमने इस्राइल के साथ अपने राजनयिक रिश्ते कायम किए थे।

- अब 'लुक ईस्ट' नीति अपनाने के पच्चीस साल बाद और कई देशों में नये तटीय गैस और तेल भंडारों की खोज होने के बाद पूरी दुनिया के भू-राजनीतिक समीकरणों में जो बदलाव आया है, उसके मद्देनजर भारत ने भी उपलब्ध सुअवसरों का लाभ उठाया है।
- केवल 5 साल पहले तक स्थिति यह थी कि तेल निर्यातक देशों के मुख्य संघ 'ओपेक' ने अपनी मनमर्जी और सुविधा के मुताबिक तेल का उत्पादन कम या ज्यादा करते हुए इसकी कीमतें बढ़ा-घटाकर पूरी दुनिया के देशों को अपना बंधक बना रखा था लेकिन उत्तरी और दक्षिणी अमेरिकी महाद्वीप के अलावा ऑस्ट्रेलिया और यहां तक कि पश्चिम एशिया के कुछ अन्य देशों में भी तेल और गैस के नये बड़े भंडार मिलने के बाद दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतों में भारी कमी आई थी।

- इस बदली हुई परिस्थिति ने बड़े तेल एवं गैस उपभोक्ता देशों जैसे कि जापान, चीन और भारत को यह मौका मुहैया करवा दिया कि वे अपनी बड़ी खपत के बूते आसपास स्थित तेल उत्पादक देशों से ज्यादा आकर्षक दरों पर मोलभाव कर सकें।

- भारत ने मिले मौकों का अच्छा इस्तेमाल करते हुए अपने साथ लगते अरब की खाड़ी के तेल उत्पादक पड़ोसी देशों के साथ सक्रिय संबंध स्थापित कर लिए हैं। इन देशों में 60 लाख से ज्यादा भारतीय कामगार कामधंधे कर रहे हैं और सालाना 50 बिलियन डॉलर से ज्यादा अर्जित की गई कमाई अपने घरों को भेजते हुए देश के विदेशी मुद्रा भंडार में खासा इजाफा करते हैं।
- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जहां एक ओर बड़ी दक्षता से इस क्षेत्र के महत्वपूर्ण मुल्कों जैसे कि सऊदी अरब, यूएई और कतर की सरकारों से साथ भारत के सामरिक हितों को स्थापित किया है वहीं ईरान के साथ भी ऊर्जा और संचार के क्षेत्र में सहयोग करने वाले संबंध कायम किए हैं, जो कि अफगानिस्तान और मध्य-एशिया में हमारे व्यापारिक और सामरिक हितों के लिए बहुत महत्व रखते हैं।

- भारत ने इस साल की शुरुआत यूएई के शेख खलीफा-बिन-ज़ाएद की मेहमाननवाजी करने के साथ की थी। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी भी यूएई, सऊदी अरब, ईरान और कतर की यात्रा पर गए थे। यूएई, जो कि भारत में निवेश करने वाले देशों में दसवां स्थान रखता है, ने इस मद में और ज्यादा इजाफा करने की घोषणा की है। सभी अरब देश संयुक्त रूप में हमारे सबसे बड़े व्यापारिक सहयोगी हैं, जो कि पूरी दुनिया में किए जाने वाले हमारे कुल निर्यात का 15 प्रतिशत हिस्सा है।
- तथापि जिस अन्य अरब देश से हमें अपने आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देना बाकी है, वह है इराक, हालांकि वहां से भारत को होने वाले तेल का निर्यात तेजी से बढ़ता जा रहा है। वैसे तो ईरान पर लगे संयुक्त राष्ट्र प्रतिबंधों के खत्म होने के बाद वहां से भी भारत को तेल का निर्यात होने लगा है लेकिन इराक अपनी अधिक तेल उत्पादन क्षमता के चलते हमारे देश में और ज्यादा बड़ा निवेशक बनने की संभावना रखता है, खासकर ऊर्जा के क्षेत्र में। हमें इराक से तेल खरीदने की एवज में उससे भारत में निवेश करने की शर्त रखनी चाहिए। खाड़ी के देशों से हमारा नौसैन्य सहयोग भी बढ़ता जा रहा है।

- जब बात आर्थिक निवेश की हो तो ईरान से इसे प्राप्त करना सदा ही विकट काम रहा है। फिलहाल हम अफगानिस्तान, रूस और मध्य एशियाई देशों को किए जाने वाले निर्यात के लिए ईरान के पश्चिम में स्थित बंदर-अब्बास नामक सुविधा का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन लगता है कि नये बनने वाले चाबहार बंदरगाह में हमारी सहभागिता की अंतिम शर्तों को तय करने में देरी होने वाली है। यह परियोजना भारत और अफगानिस्तान के लिए इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि पाकिस्तान की कोशिश यही रहती है कि वह अपने थलीय मार्गों से होकर अफगानिस्तान जाने वाले हमारे माल को किसी न किसी बहाने देरी करवाए ताकि अफगानिस्तान की निर्भरता उस पर ज्यादा-से-ज्यादा बनी रहे।
- जॉर्डन के शाह की प्रस्तावित भारत यात्रा से अरब देशों की राजशाहियों से हमारे और ज्यादा प्रगाढ़ संबंधों का मार्ग प्रशस्त होगा। इस्राइल और फिलीस्तीन के आपसी संबंधों से खुद को निष्पक्ष रखकर भी हमने समझदारी भरा काम किया है। फिलीस्तीनी प्रशासन के नेतृत्व से मिलने के लिए जॉर्डन के रास्ते भारतीय राजनयिक और नेतृत्व काम आएंगे। वैसे भी जॉर्डन का नेतृत्व भारत से अच्छे संबंध रखने में निजी तौर पर रुचि लेता आया है। भारत का यह फर्ज बनता है कि वह द्वि-राष्ट्र सिद्धांत के मुद्दे के अपने आदर्शवादी रुख पर कायम रहे।

- इस्राइल हमेशा भारत का हितैषी और भरोसेमंद मित्र राष्ट्र रहा है और कारगिल युद्ध समेत अन्य लड़ाइयों में भी वह हमारे समर्थन में खड़ा रहा है। अतएव एक यहूदी राष्ट्र से संबंध रखने में हमें किसी तरह की शर्मिंदगी

वाला भाव रखने की जरूरत नहीं है। वह भी ऐसे समय में जब हमारे अनेक मित्र अरब राष्ट्र इस्लामिक संसार में व्याप्त वर्गीय और जातीय तनावों के बावजूद खुद भी इस्राइल को एक उपयोगी मित्र राष्ट्र मानने लगे हैं।

**

13. शंघाई सहयोग संगठन : भारत-पाकिस्तान को शामिल करने से क्षेत्रीय स्थिरता बढ़ेगी

सन्दर्भ:- भारत और पाकिस्तान को जून में एससीओ की सालाना बैठक में पूर्णकालिक सदस्य के रूप में शामिल किए जाने की उम्मीद है

- छह सदस्यीय शंघायी सहयोग संगठन (एससीओ) में भारत और पाकिस्तान को सदस्य बनाने से दोनों देशों के बीच आतंकवाद के खिलाफ सहयोग बढ़ाने और आपसी मतभेदों को सुलझाने में मदद मिलेगी.
- दोनों देश एससीओ की सदस्यता पाने के लिए इसके समझौतों और संधियों का पालन करेंगे जिससे दोनों के संबंध में सुधार आएगा.
- 'एससीओ की सदस्यता पाने के लिए हमेशा लड़ने वाले भारत और पाकिस्तान को न केवल दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने होंगे, बल्कि एससीओ के कानूनों का भी पालन करना होगा.
- इनमें सीमा रक्षा सहयोग समझौता भी शामिल होगा जिस पर एससीओ के सदस्य देशों ने 2015 में हस्ताक्षर किए थे.'
- एससीओ कानून के तहत यह भी प्रावधान है कि अगर सदस्य देशों के बीच टकराव आता है तो तीसरा देश मध्यस्थता कर सकता है.
- ऐसे में 'संभव है कि भारत एससीओ देशों के साथ बहुसदस्यीय समझौते को लेकर छूट की मांग करे, लेकिन भारत और पाकिस्तान को एससीओ के उन मूल सिद्धांतों का पालन करना होगा जो सुरक्षा और आतंकरोधी अभियान के लिए जरूरी है. यह दोनों को आपसी मतभेदों को दूर करने के लिए एक नए मंच का काम करेगा.

SCO के बारे संक्षिप्त जानकारी :-

- एससीओ का मुख्यालय बीजिंग में है और चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, ताजकिस्तान और उज्बेकिस्तान इसके स्थायी सदस्य हैं
- वहीं, अफगानिस्तान, बेलारूस, भारत, ईरान, मंगोलिया और पाकिस्तानों का दर्जा निगरानीकर्ता देशों का है.
- इस साल जून में कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना में एससीओ की सालाना बैठक में भारत और पाकिस्तान को इसमें पूर्णकालिक सदस्य के रूप में शामिल किए जाने की उम्मीद है.

**

GENERAL STUDIES HINDI

14. क्यों सैन्य ताकत से आईएस को पूरी तरह मिटाना संभव नहीं है

मोसुल का हाथ से निकल जाना इस्लामिक स्टेट (आईएस) के लिए शायद सबसे बड़ी सैन्य असफलता है. इराक का यह दूसरा सबसे बड़ा शहर उसकी सैन्य सफलताओं के मुकुट का कीमती रत्न था. यहां 2014 में उसके मुखिया अबू बकर अल बगदादी ने अपनी खलीफत की घोषणा की थी. लेकिन इसके तीन साल से भी कम वक्त के भीतर आईएस का दायरा सिकुड़ चुका है.

Spread over of ISIS now

कभी सीरिया और इराक के एक बड़े हिस्से पर काबिज रहे इस संगठन का असर अब कुछेक इलाकों तक ही सीमित है. यह इसके खिलाफ लगातार चलाए गए सैन्य अभियान के बूते संभव हुआ है जिसमें कुर्द-शिया लड़ाकों, इराक और सीरिया की सेना और अमेरिका और रूस की वायु सेना शामिल रही है. कुछ हफ्ते पहले ही सीरियाई सेना ने आईएस को प्राचीन शहर पल्मीरा से खदेड़ा था और अब मोसुल में भी इसका लगभग सफाया हो चुका है. इराकी सुरक्षा बलों ने मोसुल के एयरपोर्ट सहित शहर की ज्यादातर प्रशासनिक इमारतों

और आबादी वाले ठिकानों को अपने कब्जे में ले लिया है. अब इक्का-दुक्का हिस्से ही बचे हैं जहां से जिहादी प्रतिरोध जारी है.

Is it mean complete annihilation of ISIS

- मोसुल में आईएस की हार का मतलब यह नहीं कि उसका खतरा खत्म हो गया है. इस संगठन की इराक के कुछ हिस्सों में पकड़ अब भी है
- सीरिया में दो रक्का सहित दो अहम शहर इसके कब्जे में हैं. अगर यहां से भी उसे उखाड़ फेंका जाता है तो भी यह संभावना तो है ही कि वह अल-कायदा जैसे संगठन में तब्दील हो जाएगा जिसके कब्जे में भले ही कोई इलाका न हो, लेकिन वह नागरिकों को निशाना बनाता रहता है. फिर भी यह तो है ही कि किसी इलाके के बिना आईएस खुद के खलीफत (धर्मराज्य) होने का दावा नहीं कर सकता.
- यह शहरों से दूर बीहड़ों में खदेड़ दिया जाएगा और इसकी परंपरागत तरीके से लड़ने की ताकत खत्म हो जाएगी.
- छोटी अवधि में देखा जाए तो आईएस का कब्जा हटाने के लिए सीरिया और इराक में आईएस के खिलाफ सैन्य अभियान जारी रहना चाहिए. लेकिन लंबी अवधि के लिए कुछ और कदम भी उठाने होंगे. आईएस का खतरा फिर इतना पड़ा न हो, इसके लिए सरकारों को ख्याल रखना होगा कि उनका नजरिया समावेशी हो.

What is the need

- इराक में आईएस की आखिरी हार इस पर निर्भर करती है कि सरकार शिया-सुन्नी तनाव से कैसे निपटती है.
- प्रधानमंत्री अल अबादी की प्राथमिकताएं इस मामले में साफ दिखती हैं. उनके पूर्ववर्ती की शिया केंद्रित नीतियों ने देश की सुन्नी आबादी को सरकार के खिलाफ खड़ा कर दिया था. आईएस ने अपने समर्थन का किला इसी असंतोष की बुनियाद पर खड़ा किया.
- लेकिन अल अबादी ने सुन्नी समुदाय तक पहुंचने की कोशिश करते हुए पुराने सामाजिक घाव भरने की कोशिश की है.
- मोसुल में सेना की जीत के बाद उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि सुन्नी नागरिकों के साथ भी बराबरी का बर्ताव हो सत्ता में उनकी भागीदारी में एक संतुलन दिखे.
- सांप्रदायिक तनाव की खाई वहां जितनी चौड़ी है उसे देखते हुए यह काम एक रात में संभव नहीं है. लेकिन अल अबादी कम से कम एक ऐसी प्रक्रिया की शुरुआत तो कर ही सकते हैं जिससे सुन्नियों का उनकी सरकार के प्रति अविश्वास कम होना शुरू हो. नहीं तो आईएस जैसे संगठनों को समर्थन मिलने औऱ उनके वापसी करने का खतरा बरकरार रहेगा.

**

15. ब्रिक्स' से 'ब्रिक्स प्लस'

- चीन ब्रिक्स का विस्तार करके उसे 'ब्रिक्स प्लस' बनाना चाहता है.
- चीन के विदेश मंत्री वांग यी का कहना है कि इस साल सितंबर में वहां होने वाले ब्रिक्स के शिखर सम्मेलन में उसे विकासशील देशों का सबसे प्रभावशाली मंच बनाने के लिए संगठन के विस्तार की कोशिश की जाएगी.
- ब्रिक्स में अभी ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका हैं.
- अंतरराष्ट्रीय मामलों के जानकार चीन के इस प्रयास को ब्रिक्स में भारत का प्रभाव कम करने की कोशिश मान रहे हैं.

- चीन 'ब्रिक्स प्लस' में पाकिस्तान, श्रीलंका और मेक्सिको जैसे अपने करीबी देशों को शामिल कराना चाहता है ताकि इसमें उसका प्रभाव बढ़े. इसलिए माना जा रहा है कि भारत उसकी इस योजना का शायद ही समर्थन करे.

चीन की इस योजना से सबसे ज्यादा भारत की संभावनाएं प्रभावित होंगी. विस्तार के बाद यह संगठन अपना 'फोकस' खो सकता है और हो सकता है कि तब यह विकास जैसे मुद्दों के बजाय चीन का राजनीतिक मंच बनकर रह जाए. इसलिए भारत इस प्रस्ताव का विरोध कर सकता है

**

16. सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के लिए भारत कुछ समय तक वीटो पावर छोड़ने को तैयार

In news:

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अगर भारत को स्थायी सदस्यता मिलती है तो वह कुछ समय के लिए वीटो पावर (किसी प्रस्ताव को रोकने या निषेध का अधिकार) को छोड़ सकता है. संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधारों का रास्ता प्रशस्त करने के लिए भारत की ओर से यह पेशकश की गई है.

v. भारत ही नहीं सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता की दावेदारी जता रहे जापान, जर्मनी और ब्राजील ने भी इसी तरह की पेशकश की है. इस आशय का फैसला मंगलवार को इन देशों के प्रतिनिधियों की एक बैठक में हुआ है. इसके बाद संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि सैयद अकबरुद्दीन ने संयुक्त बयान जारी किया. इसमें कहा गया है कि संयुक्त राष्ट्र के करीब-करीब सभी सदस्य देश सुरक्षा परिषद के स्थायी और अस्थायी सदस्यों की संख्या में वृद्धि चाहते हैं.

v. जी-4 सदस्यों (भारत, ब्राजील, जर्मनी, जापान) ने कहा है, 'हमें लगता है कि सुरक्षा परिषद में सिर्फ अस्थायी सदस्यों की संख्या बढ़ाने से समस्या का समाधान नहीं होने वाला. इससे स्थायी और अस्थायी सदस्यों के बीच खाई और बढ़ ही जाएगी. ऐसे में, हम यह अच्छी तरह जानते हैं कि संयुक्त राष्ट्र में सुधार की दिशा में आगे बढ़ने का इसके अलावा (वीटो पावर छोड़ने का) कोई और रास्ता नहीं है. लिहाजा, हम संयुक्त राष्ट्र के ढांचे में इस नवाचार के साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं.'

v. 'नए स्थायी सदस्यों के पास अधिकार और दायित्व सैद्धांतिक रूप से तो पुराने सदस्यों की तरह ही होंगे, लेकिन वे अपनी वीटो पावर का तब तक इस्तेमाल नहीं करेंगे, जब तक किसी मसले या निर्णय की गहन समीक्षा के बाद उस पर अंतिम फैसला नहीं हो जाता.' इन देशों ने साथ ही यह चेतावनी भी दी है कि 'वीटो पावर एक अहम मुद्दा है, लेकिन सिर्फ इसी एक मसले को आधार बनाकर सुरक्षा परिषद के पुराने सदस्य इस अहम संस्था में सुधार की प्रक्रिया पर वीटो न लगाएं.'

**

17. अमेरिका ने दक्षिण कोरिया में तैनात किया एंटी मिसाइल सिस्टम थाड, क्षेत्र में भारी तनाव

- उत्तर कोरिया की आक्रामकता को बढ़ता देख अमेरिका के अपने सहयोगी देश दक्षिण कोरिया को एंटी मिसाइल सिस्टम थाड से लैस कर दिया है. कुछ दिन पहले अमेरिका वायुसेना ने दक्षिण कोरिया के ओसान एयर बेस पर थाड को तैनात किया है. सनद **रहे थाड दुश्मन मिसाइल को हवा में ही मार गिराने में सक्षम है.**

उत्तर कोरिया की बढ़ती आक्रामकता के बाद अमेरिका ने रात के अंधेरे में थाड एंटी मिसाइल सिस्टम के लॉन्चर से लैस भारी-भरकम ट्रकों को नीचे उतारा गया था. इन्हीं ट्रकों के जरिए ही थाड प्रणाली का इस्तेमाल किया जाता है.

गौरतलब है कि दक्षिण कोरिया को इनकी जरूरत इसलिए पड़ी है क्योंकि तानाशाह किम जोंग उन की हुकूमत वाले उत्तर कोरिया ने इसी हफ्ते चार बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है. इनमें से तीन मिसाइल जापान की समुद्री सीमा के अंदर गिरी थीं.

कैसे करती है थाड **काम**

थाड के लॉन्चरों से ही मिसाइलें छूटती हैं जो दुश्मन की मिसाइलें से टकरा कर उन्हें हवा में तबाह कर देतीं हैं. ये प्रणाली खोजी सैटेलाइट के साथ मिलकर दुश्मन मिसाइलों पर नज़र रखती है और हमले की स्थिति में दुश्मन मिसाइलों को हवा में ही तबाह कर देती हैं.

थाड का हो रहा है विरोध

दक्षिण कोरिया में राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी ली जे म्यूंग समेत बहुत से लोग इसका विरोध कर रहे हैं. इन लोगों का कहना है कि उत्तर कोरिया की मिसाइलें काफी उन्नत हैं और थाड प्रणाली उन्हें रोक पाने में सक्षम नहीं है. बता दें कि उत्तर कोरिया की रोडोंग मिसाइल आवाज से 7 गुना रफ्तार से हमला करने में सक्षम हैं.

दक्षिण कोरिया में थाड की तैनाती का विरोध चीन भी कर रहा है. चीन अपने बगल में अमेरिका के खतरनाक हथियार की तैनाती को इलाके में तनाव बढ़ाने वाला मानता है. चीन का कहना है कि इस कदम से क्षेत्र में संतुलन बिगड़ जाएगा. गौरतलब है कि उत्तर कोरिया के मिसाइल मसले पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आपात बैठक भी बुलाई है.

**

18. डी हाइफनेशन (de-hyphenation) कूटनीति : मोदी सरकार ने बदली पॉलिसी, फिलिस्तीन नहीं, सिर्फ इजरायल जाएंगे पीएम

पीएम नरेंद्र मोदी की जुलाई में इजरायल जाने की तैयारी है। यह किसी भारतीय पीएम का वहां पहला दौरा होगा। हालांकि, इस दौरान वह फिलिस्तीन नहीं जाएंगे। कूटनीतिक विशेषज्ञ मानते हैं कि यह कदम भारत की पूर्व में अपनाई गई नीति से ठीक उलट है। इससे पहले, यह परंपरा रही है कि भारतीय राजनेता एक साथ दोनों पश्चिम एशियाई मुल्कों का दौरा करते रहे हैं।

- भारत द्वारा इजरायल और फिलिस्तीन को लेकर अपनाई गई इस नई नीति को कूटनीतिक एक्सपर्ट डी हाइफनेशन (de-hyphenation) नाम देते हैं।
- अमेरिका के भारत और पाकिस्तान से रखे गए कूटनीतिक रिश्तों को इसके उदाहरण के तौर पर दिया जाता है। इसके तहत, पहले बुश और बाद में ओबामा शासन ने यह फैसला किया कि वह भारत और पाकिस्तान की आपसी तल्खी को नजरअंदाज करते हुए दोनों मुल्कों से रिश्तों को अलग-अलग तरजीह देगा।

- मोदी का यह दौरा ऐतिहासिक माना जा रहा है। यह भारत के इजरायल के साथ अपने रिश्तों को खुलेआम स्वीकार करने जैसा है। मोदी से पहले के प्रधानमंत्रियों ने इस रिश्ते को सहेजा तो सही, लेकिन वे उसका सार्वजनिक इजहार करने से परहेज करते नजर आए थे।

GENERAL STUDIES HINDI

- हालांकि, मोदी सरकार ने इस मामले में संतुलन साधने की भी कोशिश की है। इसके तहत, भारत मोदी के इजरायल दौरे से पहले फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास की अगवानी कर सकता है।

भारत और इजरायल दोनों देशों के बीच सहयोग को बढ़ाते हुए रमल्ला में टेक पार्क स्थापित करने की योजना है। जुलाई के दूसरे हफ्ते में हैमबर्ग में जी20 समिट से लौटते वक्त मोदी इजरायल जाएंगे। सरकार का मानना है कि इजरायल का दौरा दोनों देशों के बीच रिश्तों में खास गर्माहट लाएगा। इसी साल दोनों देशों के कूटनीतिक रिश्तों की **सिल्वर जुबली** भी है।

- इजरायल भी मानता है कि मोदी सरकार को उसके साथ रिश्तों के सार्वजनिक इजहार पर कोई गुरेज नहीं है। इजरायल के भारत में राजदूत डेनियल कार्मन ने कहा कि रिश्तों की 'हाई विजबिलिटी' की वजह से दोनों देशों के बीच कूटनीतिक गतिविधियों में तेजी आएगी। पूर्व के तौर-तरीकों को सबसे पहले तोड़ने का श्रेय गृहमंत्री राजनाथ सिंह को जाता है, जिन्होंने 2014 में फिलिस्तीन न जाकर अपना

दौरा सिर्फ इजरायल तक सीमित रखा। हालांकि, बाद में 2015 में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने दोनों ही मुल्कों का दौरा किया।

अभी तक क्या था रुख

- भारत ने यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल में इजरायल के खिलाफ प्रस्ताव पर वोटिंग से खुद को अलग रखा था। यह प्रस्ताव गाजा में अंतरराष्ट्रीय कानूनों के उल्लंघन और वहां हुई मौतों के लिए जिम्मेदारी तय करने को लेकर थी। भारत का यह फैसला फिलिस्तीन के लिए किसी झटके से कम नहीं था। राजदूत अलहायजा ने भी भारत के फैसले को चौंकाने वाला बताया था। एक न्यूजपेपर ने उनके हवाले से लिखा था कि भारत का उसके 'पारंपरिक रुख' से विचलन इजरायल के साथ उसके गहराते सैन्य रिश्तों का नतीजा है। वहीं, भारत ने यह कहते हुए अपने फैसले का बचाव किया था कि प्रस्ताव में इंटरनैशनल क्रिमिनल कोर्ट का हवाला दिया गया है, जिसका भारत सदस्य नहीं है।

**

19. मालदीव, सऊदी अरब को बेचेंगा अपना द्वीप : भारत की चिंता बढ़ी

- मालदीव के एक फैसले ने भारत की मुश्किलें बढ़ा दी है। मालदीव ने 26 अटॉल में से एक फाफू (टापू) को सऊदी अरब को बेचने का फैसला किया है। सरकार के फैसले का विरोध करते हुए वहां के विपक्षी दलों का कहना है कि इससे वहाबी विचारधारा को और मजबूत होने का मौका मिलेगा, जिससे मालदीव में आतंकवाद का प्रचार-प्रसार हो सकता है। वर्ष 2015 में मालदीव सरकार ने एक फैसला किया जिसके तहत विदेशी नागरिक जमीन खरीद सकते हैं।

- सऊदी अरब के बादशाह सलमान बिन अब्दुलअजीज बहुत जल्द मालदीव का दौरा करने वाले हैं, जिसमें औपचारिक तौर से फाफू अटॉल के बेचने की प्रक्रिया संपन्न होगी।

- मालदीव सरकार ने 2015 में एक संवैधानिक संशोधन के जरिए विदेशियों को जमीन बेचने की मंजूरी दी। मालदीव ही एक ऐसा राष्ट्र है जहां पीएम नरेंद्र मोदी का दौरा नहीं हुआ है। मालदीव के इस कदम पर भारत सरकार का मानती रही है कि ये उनका आंतरिक मामला है लिहाजा दखल नहीं देना चाहिए। लेकिन अब मालदीव में अगले साल होने वाले चुनाव से पहले भारत सरकार कोई औपचारिक प्रतिक्रिया दे सकती है।

- एमडीपी के मुखिया और पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मग नशीद मौजूदा वक्त में लंदन में निर्वासन में रह रहे हैं। वो अगले साल होने वाले चुनाव में हिस्सा लेंगे। मोहम्मद नशीद पहले ही कह चुके हैं कि मालदीव में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव संपन्न हो सके ये भारत की नैतिक जिम्मेदारी है। हाल ही में विदेश राज्यमंत्री एम जे अकबर ने माले का दौरा किया था और कहा कि भारत हमेशा से ये चाहता रहा है कि मालदीव में शांति और स्थिरता कायम रहे।

GENERAL STUDIES HINDI

मुख्य विपक्षी दल एमडीपी का कहना है कि सऊदी अरब के दबाव में मालदीव ने इरान से 41 साल पुराना संबंध तोड़ दिया। सऊदी सरकार हर वर्ष 300 विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप देती है जो वहाबी विचार को मानते हैं, मालदीव के मौजूदा राष्ट्रपति यामीन सऊदी अरब से इस्लामिक शिक्षक लाकर स्कूलों को मदरसों में बदलना चाहते हैं।

**

20. भारत-रवांडा संबंध : तीन समझौतों पर हस्ताक्षर

- भारत और रवांडा ने **विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने के लिए तीन समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। इन समझौतों में किगाली में उद्यमिता विकास केंद्र की स्थापना और मुंबई की सीधी उड़ान की शुरूआत शामिल हैं।**

- दोनों पक्षों ने उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी और रवांडा के प्रधानमंत्री नासतासे मुरेकेजी की मोजूदगी में भारत-रवांडा कारोबार मंच में तीन सहमति पत्रों पर दस्तखत किए। अंसारी रवांडा और युगांडा की पांच दिन की अपनी यात्रा के क्रम में यहां हैं।
- पहले समझौते में रवांडा में एक उद्यमिता विकास केंद्र की स्थापना का प्रावधान किया गया है। यह विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में दोनों देशों के बीच के रिश्तों को और भी प्रगाढ़ करेगा और इस क्षेत्र में भारत की विशेषज्ञता की साझेदारी करेगा। 'केन्द्र का वित्तपोषण भारत करेगा और हम उन्हें मार्गनिर्देश भी देंगे..यह इस पूर्व अफ्रीकी देश के साथ हमारे सहयोग को और भी बढ़ावा देगा।'
- दो अन्य सहमति पत्रों में भारत के लिए रवांडा की सरकारी कंपनी 'रवांडएयर' की उड़ानों के संचालन का प्रावधान किया गया है। इसमें दोनों देशों के राजनयिक एवं आधिकारिक पासपोर्ट धारक यात्रियों के लिए वीजा कानूनों को आसान बनाने का भी प्रावधान किया गया है।
किगाली से मुंबई के लिए सीधी उड़ान अप्रैल की शुरूआत में यथार्थ में बदलने की उम्मीद है। ये सहमति पत्र भारत के साथ आर्थिक और कारोबारी रिश्तों को मजबूत करेंगे।
- 54 साल से अच्छे द्विपक्षीय रिश्ते : रवांडा और भारत के बीच अहम संबंध हैं इसे और अधिक मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।'
**

Environment and Ecology

1. पृथ्वी को बचाने के लिए भारत की पहल

संयुक्त राष्ट्र 22 अप्रैल को एक विशेष दिवस के रूप में पृथ्वी मातृ दिवस मनाता है। 1970 में10000 लोगों के साथ प्रारंभ किये गये इस दिवस को आज 192 देशों के एक अरब लोग मनाते हैं। इसका बुनियादी उद्देश्य पृथ्वी की रक्षा और भविष्य में पीढ़ियों के साथ अपने संसाधनों को साझा करने के लिए मनुष्यों को उनके दायित्व के बारे में जागरूक बनाना है।

- 2017 के विषय "पर्यावरण और जलवायु साक्षरता" का उद्देश्य पृथ्वी माँ की रक्षा के लिए आम लोगों में इस मुद्दे के प्रति जानकारी को और सशक्त बनाया और उन्हें प्रेरित करना है।
- आईपीसीसी (जलवायु परिवर्तन पर अंतर्राष्ट्रीय पैनल) के मुताबिक भारत जलवायु परिवर्तन के प्रभाव के मामले में सबसे कमजोर है जो स्वास्थ्य, आर्थिक विकास और खाद्य सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है।

भारत सरकार की जलवायु परिवर्तन पर कार्ययोजना :---

- जलवायु परिवर्तन की इस चुनौती के समाधान के लिए भारत ने 'राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित अंशदान (आईएनडीसी):- जलवायु न्याय की दिशा में कार्य करने' के उद्देश्य से एक व्यापक योजना विकसित की है। इस दस्तावेज़ में इस मुद्दे के समाधान के लिए समग्र रूप से अनुकूलता के घटक, शमन, वित्त,हरित प्रौद्योगिकी और क्षमता निर्माण को शामिल किया गया है। इन लक्ष्यों के क्रियान्वयन के दौरान,विकासशील देशों के लिए स्थायी विकास और गरीबी उन्मूलन को प्राप्त करने के अधिकार के लिये न्योचित कार्बन उपयोग का भी आहवान किया गया है।
- 2030 तक 33 से 35 प्रतिशत तक कार्बन उत्सर्जन कम करने के लक्ष्य को हासिल करने के लिए कई पहलों के माध्यम से अक्षय ऊर्जा हेतु 3500 मिलियन या 56 मिलियन अमरीकी डॉलर से'राष्ट्रीय अनुकूलन कोष' के गठन से नीतियों की पहल की जायेगी।
- इसका मुख्य केन्द्र बिन्दु वायु, स्वास्थ्य, जल और सतत कृषि की पुनः परिकल्पना के अतिरिक्त अभियान के साथ जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्यवाही (एनएपीसीसी) के अतंर्गत राष्ट्रीय अभियानों को फिर से प्रारंभ करना है।

- अनुकूलन रणनीति का उपयोग भूमि और जल संसाधन के स्थायी उपयोग के लिए किया जाता है। देश भर में मृदा स्वास्थ्य कार्ड के क्रियान्वयन, जलशोधन और जल कुशल सिंचाई कार्यक्रम के उपयोग से जोखिम रहित कृषि की दिशा का मार्ग प्रशस्त होगा। जलवायु परिवर्तन संबंधी आपदाओं से किसानों को बचाने की दिशा में फसलों का कृषि बीमा एक और महत्वपूर्ण पहल है।
- 2022 तक नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को 35 गीगावॉट (गीगा वाट) से 175 गीगावॉट तक बढ़ाने के द्वारा स्वच्छ और हरित ऊर्जा का निर्माण शमन रणनीतियों में शामिल है। सौर ऊर्जा में पांच गुना वृद्धि के साथ इसे 1000 गीगावॉट तक बढ़ाना के लक्ष्य के साथ राष्ट्रीय सौर मिशन के अतिरिक्त देश भर में बिजली पारेषण और वितरण की दक्षता बढ़ाने के लिए स्मार्ट पावर ग्रिड को भी विकसित करना है। 10 प्रतिशत ऊर्जा खपत को बचाने हेतु ऊर्जा की खपत को रोकने के लिए ऊर्जा संरक्षण की दिशा में एक राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया गया है।
- हालांकि ये जलवायु परिवर्तन के मुद्दे के समाधान की दिशा में सूक्ष्म स्तर की नीतियां हैं, लेकिन भारत सरकार ने ऐसी सूक्ष्म परियोजनाओं की शुरुआत की है, जो न सिर्फ ऊर्जा बचाने के लिए महत्वपूर्ण हैं बल्कि सबसे गरीब समूहों के प्रत्यक्ष लाभ में भी योगदान कर रही हैं।
- नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के तहत, उजाला योजना का शुभारंभ किया गया है जिसके अंर्तगत22.66 करोड़ एलईडी बल्ब वितरित किए गए हैं इससे न सिर्फ 11776 करोड़ रुपये की बचत होगी बल्कि यह प्रतिवर्ष कार्बन उत्सर्जन में भी 24 मीट्रिक टन की कमी लाएगी।
- इसी प्रकार से, बीपीएल कार्ड रखने वाली महिलाओं को पेट्रोलियम मुक्त एलपीजी कनेक्शन दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना पहले से ही 2 करोड़ घरों तक पहुंच चुकी है और इसे2019 तक 8 करोड़ रूपए के परिव्यय के साथ 5 करोड़ घरों तक पहुंचाने का लक्ष्य है।
- इसके उपयोग से ग्रामीण महिलाओं पर सीधे प्रभाव पड़ता है, इससे स्वच्छ ऊर्जा स्रोत तक न सिर्फ आसान पहुँच प्रदान करता है बल्कि उनके स्वास्थ्य में सुधार होता है और इसके साथ-साथ वन संसाधनों पर दबाव कम होने के अलावा कार्बन उत्सर्जन भी कम होता है।
- स्वच्छ भारत मिशन की एक और रणनीति शहरी क्षेत्रों में अपशिष्ट से ऊर्जा पैदा करने की पहल भी है। इसी तरह देश भर में 816 सीवेज उपचार संयंत्रों में पुर्नचक्रण के माध्यम से अपशिष्ट जल का पुन: उपयोग करके प्रतिदिन 23,277 मिलियन लीटर पानी को स्वच्छ बनाना एक और पहल है
- बंजर भूमि का पुनरुद्धार करके वन की गुणवत्ता को बढ़ाने तथा 5 मिलियन हेक्टेयर भूमि को वन क्षेत्र में बदलने के वार्षिक लक्ष्य के साथ हरित भारत मिशन एक और पहल है जिससे प्रतिवर्ष 100मिलियन टन कार्बन को कम किया जाएगा।
- पारंपरिक भारतीय संस्कृति ने मनुष्य और प्रकृति के बीच सामंजस्यपूर्ण सह-अस्तित्व की आवश्यकता पर जोर दिया है। "वसुदेव कुटंबकम" की अवधारणा के साथ पृथ्वी पर सभी जीव रूपों को एक परिवार माना जाता है और यह एक दूसरे पर निर्भरता की अवधारणा को मजबूत करता है। आधुनिक दुनिया में पृथ्वी मातृ दिवस के आगमन से पहले, वेद और उपनिषदों ने धरती को हमारी मां और मानव को बच्चों के रूप में माना है। जलवायु परिवर्तन के संकट के आगमन से पहले, हमारे पूर्वजों ने पर्यावरणीय स्थिरता की अवधारणा पर विचार किया और पृथ्वी को सुरक्षित बनाने के लिए भविष्य की पीढ़ियों तक इसे पहुँचाने का कार्य भी किया।
- संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिए गए उस वक्तव्य का स्मरण करना उचित होगा, जिसमें उन्होंने कहा कि, "हमें तकनीकी, नवीनता और वित्त पोषण के साथ सभी की पहुंच तक सस्ती, स्वच्छ और अक्षय ऊर्जा हेतु एक वैश्विक सार्वजनिक साझेदारी बनानी चाहिए। हमें अपनी जीवन शैली में समान रूप से बदलावों को देखना चाहिए जिससे ऊर्जा पर हमारी निर्भरता कम की जा सके और हमारे उपभोग अधिक दीर्घकालीन हों। यह एक वैश्विक शिक्षा कार्यक्रम

GENERAL STUDIES HINDI

को प्रारंभ करने के समान ही महत्वपूर्ण है जो हमारी धरती मां के संरक्षण और इसकी रक्षा के लिए हमारी अगली पीढ़ी को तैयार करता है।"

इस प्रकार से, यह पर्यावरण और जलवायु साक्षरता के माध्यम से ही संभव है, जिसके परिणामस्वरूप जीवन शैली में परिवर्तन से वैश्विक स्तर पर कार्बन उत्सर्जन में कमी लाकर हम पृथ्वी माँ को बचा सकते हैं।

**

2. टाइगर रिज़र्व के बफर क्षेत्र से हटाई जाएंगी मानव बस्तियां

- बाघों के निवास के नाजुक माने जा रहे क्षेत्रों या उनके रिज़र्व के मुख्य क्षेत्रों (बफर क्षेत्र) में स्थित मानव बस्तियों और वहां रहने वाले आदिवासियों को जल्दी ही दूसरी जगह स्थानांतरित किया जायेगा.
- राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकार (एनटीसीए) ने सभी 50 **टाइगर रिज़र्व** को निर्देश दिया है।
- एनटीसीए ने वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत आदिवासियों और पहाड़ी गांवों को स्थानांतरित करने की दिशा में कार्य कर रहा है।
- एनटीसीए ने कहा है कि वन्यजीव निवास क्षेत्रों की अधिसूचना के लिए दिशानिर्देश के अभाव में बाघों के निवास क्षेत्रों में मनुष्यों के निवास का अधिकार लागू नहीं रहेगा।

- बाघों के ऐसे इलाके वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत अधिसूचित किए जा चुके हैं। इस कदम का उद्देश्य देश में **बाघों के संरक्षण को और बेहतर बनाना** है।

- देश में 2500 से ज्यादा बाघ हैं।
- यह दुनिया में बाघों की कुल आबादी का 70 फीसदी है।

**

3. बेलमॉन्ट फोरम सेक्रेटैरिएट के समर्थन के लिए सहयोग समझौते को मंजूरी

मंत्रिमंडल ने 40,000 यूरो के कुल अनुमानित व्यय पर जनवरी 2015 से दिसंबर 2017 तक बेलमॉन्ट फोरम सेक्रेटैरिएट के समर्थन के लिए फ्रांस के फ्रेंच नैशनल रिसर्च एजेंसी (एएनआर) के साथ सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर को मंजूरी दी है। मंत्रिमंडल ने बेलमॉन्ट फोरम सेक्रेटैरिएट को वित्तीय सहायता 2017 के बाद भी जारी रखने को मंजूरी दी है।

- साल 2009 में स्थापित बेलमॉन्ट फोरम वैश्विक जलवायु परिवर्तन अनुसंधान एवं अंतरराष्ट्रीय विज्ञान परिषदों को वित्तीय सहायता प्रदान करने वाला विश्व का एक प्रमुख उच्चस्तरीय समूह है। यह प्राकृतिक एवं सामाजिक वैज्ञानिकों के बीच अंतरराष्ट्रीय अनुसंधान सहयोग और अंतरराष्ट्रीय संसाधनों के संरेखण के जरिये समाज के लिए अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान प्राथमिकताओं की पहचान एवं अध्ययन के लिए अवसर प्रदान करता है।
- भारत के अलावा बेलमॉन्ट फोरम के सदस्यों में ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, यूरोपीय आयोग, फ्रांस, जर्मनी, जापान, नीदरलैंड, दक्षिण अफ्रीका, ब्रिटेन, अमेरिका आदि शामिल हैं। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (एमओईएस) बेलमॉन्ट फोरम में 2012 से ही भारत का प्रतिनिधित्व करता रहा है।
- बेलमॉन्ट की गतिविधियों के समन्वय के लिए बेलमॉन्ट फोरम के किसी एक सदस्य द्वारा बारी-बारी से सेक्रेटैरिएट की मेजबानी की जाती है। एएनआर फ्रांस जनवरी 2015 से दिसंबर 2017 तक इस सेक्रेटैरिएट की मेजबानी कर रहा है। सेक्रेटैरिएट की मेजबानी के लिए व्यय का वहन बेलमॉन्ट फोरम के सदस्य देशों द्वारा वस्तु या नकद सहयोग के रूप में किया जाता है

प्रभाव:

- यह समझौता फोरम के संचालन में काफी हद तक निरंतरता बरकरार रखने में मदद करेगा और यह बेलमॉन्ट फोरम की गतिविधियों का समन्वय भी सुचारू तरीके से करने में मदद करेगा। भारत पहले से ही चार कोलैबोरैटिव रिसर्च एक्शंस (सीआरए) में भाग ले रहा है और सेक्रेटैरिएट बेलमॉन्ट फोरम

की गतिविधियों में सहयोग करेगा। इसलिए इस समझौते से अंततः भारतीय वैज्ञानिक समुदाय लाभान्वित होंगा।

पृष्ठभूमि:

- साल 2009 में बेलमॉन्ट फोरम की स्थापना से ही उसके परिचालन की देखरेख बेलमॉन्ट फोरम के संबंधित अध्यक्षों से संबद्ध अंशकालिक सचिवालय द्वारा किया जाता रहा है। चूंकि सह-अध्यक्ष बदलते रहते हैं, इसलिए सेक्रेटैरिएट भी बदलता रहता है और सह-अध्यक्ष विभिन्न टाइम जोन के साथ विभिन्न महाद्वीपों से होते हैं। इस फोरम के परिचालन को एक निश्चित सीमा तक बरकरार रखने के लिए बेलमॉन्ट फोरम के सदस्यों द्वारा क्रमिक आधार पर एक स्थायी सेक्रेटैरिएट स्थापित करने के लिए सहमति जताई गई थी। एएनआर फ्रांस ने जनवरी 2015 से दिसंबर 2017 तक इस सेक्रेटैरिएट की मेजबानी करने के लिए राजी हुआ था।

**

4. देश में होगा वैकल्पिक ईंधन मेथनॉल का व्यापक प्रयोग, दौड़ेंगे रेल इंजन

- देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ माने जानेवाली भारतीय रेल के एक बड़े हिस्से में आज भी डीजल इंजन चल रहे हैं। इससे पर्यावरण तो प्रदूषित हो ही रहा है, अर्थव्यवस्था पर भी भार पड़ रहा है। डीजल की उपलब्धता के लिए बड़ी रकम खर्च करनी पड़ रही है।
- ऐसे में निकट भविष्य में मेथनॉल इसका महत्वपूर्ण विकल्प होगा। रेलगाड़ियों के इंजन मेथनॉल से चलेंगे।
- हाई पावर डीजल इंजन को मेथनॉल से चलनेवाले इंजन में बदल दिया जाएगा।
- पड़ोसी मुल्क चीन में ईंधन से चलनेवाले वाहनों में तकनीकी बदलाव कर मेथनॉल से चलने लायक बनाया है। स्वीडन में पानी के जहाज में भी यह तकनीक कारगर साबित हो चुकी है। इसलिए भारत में इसे अब रेलवे में लागू किया जाएगा।
- मेथनॉल से चलनेवाले रेल इंजनों से कार्बन उत्सर्जन नहीं होगा जिससे **पर्यावरण संरक्षण** में भी मदद मिलेगी।
- प्रोजेक्ट पूरी तरह मेक इन इंडिया आधारित होगा और इसमें विदेशी मदद नहीं ली जाएगी।
- देश में आज बड़े पैमाने पर एलपीजी का उपयोग हो रहा है और इसके लिए एलपीजी आयात करना पड़ रहा है।
- ग्रामीण क्षेत्रों में कोयला, लकड़ी और केरोसिन ही रसोई में उपयोग में लाया जा रहा है जिससे प्रदूषण की समस्या बरकरार है। इसके विकल्प के रूप में मेथनॉल स्टोव रसोई तक पहुंचेगा।
- इससे न तो कार्बन उत्सर्जन होगा और न ही धुएं की समस्या आएगी। डीजल जेनरेटर को भी मेथनॉल जेनरेटर में कन्वर्ट किया जाएगा।

क्या है मेथनॉल

मेथनॉल एक कार्बनिक यौगिक है। यह सबसे सरल अल्कोहल है जिसका उपयोग ईंधन के रूप में होता है। यह बायोडीजल के उत्पादन में भी उपयोगी है।

**

5.महासागरों में प्लास्टिक कचरा

- संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण प्रोग्राम के मुताबिक, विभिन्न महासागरों में सालाना 80 लाख टन से ज्यादा प्लास्टिक कचरा बहाया जाता है।
- यह औसतन हर मिनट कचरे का एक ट्रक महासागर में खाली करने जैसा है।
- इस दर से 2050 में महासागरों में फेंके गए प्लास्टिक कचरे का वजन सभी मछलियों के कुल वजन से भी ज्यादा हो जाएगा।

- महासागरों में प्लास्टिक कचरा फेंकने के मामले में भारत अग्रणी देशों में है।

**

6. विकास का मौजूदा मॉडल : मानव जीवन और पर्यावरण के लिए कितना बेहतर !

- **विकास के अर्थ बहुआयामी धारणाओं से जुड़ते हैं, लेकिन वर्तमान युग में यह धारणा एक छोटे से दायरे में सिमट कर रह गई है.**
- विश्व बैंक के अनुसार स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली, पानी वगैरह जैसी मूलभूत सुविधाएं समान रूप से नागरिकों को उपलब्ध कराना ही विकास है.
- वास्तव में, **विकास का उद्देश्य मानव के जीवन स्तर को बेहतर करना** ही होता है, लेकिन उसके मूल में प्रकृति का भी साथ होता है क्योंकि हमारा पर्यावरण स्वच्छ रहेगा तभी हमारा स्वास्थ्य भी बेहतर रह सकेगा. लेकिन बदकिस्मती से वर्तमान में विकास की जो अवधारणा है, उसमें प्रकृति कहीं भी नहीं है.

भारत के सन्दर्भ में विकास का वर्तमान मॉडल :

- दरअसल, कंकरीट से बनी सड़कें और बहुमंजिला इमारतों को ही विकास समझा जाता है, जिसमें पर्यावरण को पूरी तरह नजरअंदाज किया जाता है.
- गैरसरकारी संस्था 'इंडिया स्पेंड' के मुताबिक भारत के शहरों में गर्मी का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है. यदि प्रमुख शहरों के वनाच्छादन और निर्माण क्षेत्र पर आधारित रिपोर्ट का विश्लेषण करें तो चौंकाने वाले तथ्य सामने आते हैं.
- अहमदाबाद में पिछले बीस वर्षो में वनाच्छादन 46 फीसद से घटकर 24 फीसद रह गया है, जबकि निर्माण क्षेत्र में 132 फीसद की वृद्धि हुई है. कोलकाता की बात करें तो पिछले बीस वर्षो में वनाच्छादन 23.4 फीसद से गिर कर 7.3 फीसद ही रह गया है, जबकि निर्माण क्षेत्र में 190 फीसद का इजाफा दर्ज किया गया है. वर्ष 2030 तक यहां के कुल क्षेत्रफल का मात्र 3.37 फीसद हिस्सा ही वनस्पतियों के क्षेत्र के रूप में रह जाएगा. भोपाल में पिछले 22 वर्षो में वनाच्छादन 66 फीसद से घटकर 22 फीसदी रह गया है, और 2020 तक यह नौ फीसद रह जाएगा. **आम तौर पर स्मार्ट शहरों को हमने कंकरीट का शहर मान लिया** है.
- इन शहरों में शिक्षा, बेहतर जलवायु, शुद्ध वायु आदि की अनदेखी बदस्तूर जारी है, जबकि चौड़ी और पक्की सड़कें, बहुमंजिला इमारतें और कंकरीट से बने अनेकों पुलों पर ही जोर दिया जाने लगा है. लेकिन वे इस चकाचौंध में अपनी और आने वाली पीढ़ी के बेहतर स्वास्थ्य और जीवन-सुरक्षा को नजरअंदाज कर जाते हैं. यही सूरत-ए-हाल गांवों में भी देखने को मिल रहा है. ग्रामीण क्षेत्रों में पक्के मकानों और पक्की सड़कों के ज्यादा होने से विकसित गांव की संज्ञा दे दी जाती है.
- विकसित देशों ने विकास और पर्यावरण में बेहतर संतुलन बनाए रखा है, जबकि भारत जैसे देश विकास के इस खेल में जमीन पर कंकरीट की परतें बिछा रहे हैं, जिसका नतीजा है तापमान में वृद्धि. यह तापमान जलवायु पर प्रतिकूल प्रभाव छोड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है.
- हमारी समस्या यह है कि हम पश्चिम से जीवनशैली तो सीखते हैं, लेकिन विकास मॉडल नहीं अपनाते. फ्रांस और ब्रिटेन जैसे देशों के उस विकास मॉडल को अपनाने की जरूरत है, जिसमें प्रकृति की सुरक्षा का भी पूरा ख्याल रखा गया है.
- गांवों या छोटे शहरों में मूलभूत सुविधाओं के साथ-साथ रोजगार की कमी होती है. लिहाजा, लोग बेहतर सुविधा और रोजगार की तलाश में बड़े शहरों की ओर रुख करते हैं. इसका प्रभाव यह हो रहा है कि गांवों की आबादी तेजी से लगातार कम हो रही है. 2011 जनगणना के मुताबिक केवल चार हजार 682 गांव ऐसे हैं, जिनकी आबादी दस हजार या उससे ऊपर है, इसलिए सरकार इन पर तवज्जो नहीं देती.

- पलायन के कारण शहरों की आबादी लगातार बढ़ती जा रही है. इसलिए इनकी सुविधाओं को ध्यान में रखकर कंकरीट के खंभों पर फ्लाईओवर और मेट्रो की पटरियों के जाल बिछाए जाते हैं जबकि नीचे कोलतार से बनी सड़कों पर बसें दौड़ाई जाती हैं.
- दिल्ली, मुंबई, जयपुर के बाद पटना और उत्तर प्रदेश के कई शहरों में कंकरीट के खंभों के ऊपर ट्रेन दौड़ाने की तैयारी चल रही है. जाहिर है, प्राकृतिक जंगल की जगह कंकरीट और कोलतार के मानव निर्मित जंगल ले रहे हैं.
- सवाल है कि क्या विकास की असली कसौटी यही है? यदि जवाब हां में है, तो यह विकास का खतरनाक स्वरूप है.

**

7. जर्मनी में संचालित होगी हाइड्रोजन से चलने वाली 'जीरो एमिशन ट्रेन'

- पहली 'जीरो एमिशन' ट्रेन के साथ जर्मनी दुनिया को एक नई राह दिखाने वाला है
- **हाइड्रोजन से चलने वाली और धुएं के बजाय पानी छोड़ने वाली** इस ट्रेन को जर्मनी अपने यहां चल रही 4000 डीजल ट्रेनों का विकल्प बनाने की तैयारी में है
- ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में अपनी उपलब्धियों के लिए चर्चित जर्मनी एक और नई राह बनाने की तैयारी में है. वह जल्द ही दुनिया की पहली ज़ीरो एमिशन (कार्बन डाईऑक्साइड उत्सर्जन मुक्त) ट्रेन चलाने वाला है.
- 'कोराडिया आईलिंट' नामक इस ट्रेन को फ्रांसीसी कंपनी अल्सटॉम ने बनाया है. इस साल के आखिर तक इसके परीक्षण पूरे हो जाएंगे और अगले साल तक यह नियमित रूप से पटरियों पर दौड़ने लगेगी.

क्या है इसके पीछे की वैज्ञानिक सोच :

- आईलिंट की **ऊर्जा का स्रोत लिक्विड हाइड्रोजन** है. इसकी छत पर **एक विशाल हाइड्रोजन फ्यूल टैंक** लगा है.
- इस हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ जलाया जाता है जिससे बड़ी मात्रा में ऊर्जा पैदा होती है. यही ऊर्जा ट्रेन को चलाने के काम आती है.
- हाईड्रोजन और ऑक्सीजन के इस मेल का बाकी परिणाम धुआं नहीं बल्कि साफ पानी होता है जो भाप के रूप में निकल जाता है.
- आईलिंट अधिकतम 140 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ सकती है.

- जर्मनी अपनी 4000 डीजल ट्रेनों को आईलिंट से बदलने की तैयारी में है. वह 14 ट्रेनों का ऑर्डर भी दे चुका है. नीदरलैंड, नार्वे और डेनमार्क भी इस ट्रेन में दिलचस्पी दिखा चुके हैं.
- अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा काफी समय से लिक्विड हाइड्रोजन का ईंधन के रूप में इस्तेमाल करती रही है. वह इनका इस्तेमाल रॉकेट को अंतरिक्ष में भेजने के लिए करती है. इन रॉकेटों के लांच के दौरान जो गुबार उठता है वह धुएं नहीं बल्कि भाप का होता है.

**

8.गंगा-यमुना : 'लिविंग पर्सन' की तरह मानवाधिकार की हक़दार

- अब तक न्यूजीलैंड की संसद ने माओरी समुदाय की आस्था की प्रतीक ह्वागानुई नदी को 'लिविंग एंटिटी' का दर्जा दिया था. कभी गंगा एक्शन प्लान तो कभी 'नमामि गंगे' जैसी योजनाओं पर हजारों करोड़ खर्च करने के बाद भी केंद्र और राज्य सरकारें पतित पावनी गंगा का पवित्र निर्मल अतीत नहीं लौटा पाई थीं.
- लेकिन उत्तराखंड हाई कोर्ट के ऐतिहासिक आदेश के बाद उम्मीद है कि ऋषिकेश से लेकर बनारस तक कहीं भी गंगा का अमृत तुल्य जल पिया भी जा सकेगा. यूपीए सरकार द्वारा **4 नवम्बर, 2008 को गंगा को राष्ट्रीय नदी** का दर्जा दिए जाने के बाद अब उत्तराखंड हाइकोर्ट ने एक कदम आगे बढ़ते

हुए गंगा ही नहीं बल्कि यमुना को भी '**लिविंग पर्सन**' की तरह मानवाधिकार देने का फैसला दे दिया. गंगा-यमुना के प्राकृतिक स्वरूप को विकृत करना या उसे गंदा करना तो कानूनी जुर्म माना ही जाएगा, लेकिन अगर गंगा प्रचंड आवेश में आकर किसी का नुकसान करती है तो उस पर भी दंड लगेगा, जिसे सरकार भुगतेगी.

- अदालत के फैसले से गंगा-यमुना ही नहीं बल्कि देशवासियों के तन-मन के मैल को ढोते-ढोते मैली हो चुकी तमाम नदियों की दुर्दशा के प्रति न्यायपालिका की वेदना को समझा जा सकता है. गंगे! च यमुने! चैव गोदावरी! सरस्वति! नर्मदे! सिंधु! कावेरि! जलेस्मिन् सन्निधि कुरु. ये सभी नदियां गंगा-यमुना के समान ही पवित्र हैं. अदालत का संदेश देश की तमाम प्रदूषित होती जा रहीं इन सभी पवित्र नदियों के लिए भी है.

- प्रचलित धारणा के अनुसार अगर किसी वस्तु में भोजन करना, आकार में वृद्धि करना, स्वचलन की क्षमता, सन करना और प्रजनन करने के जैसे गुण हैं, तो वह सजीव वस्तु या वास्तविकता है. एक नदी में ये सभी गुणधर्म तो नहीं होते मगर इनमें से कुछ अवश्य ही पाए जाते हैं.

- नदी उद्गम से चलती है तो मुहाने तक उसके आकार में भारी वृद्धि होती है. उसमें स्वचलन का गुण होता है, तभी तो वह हिमालय से हिंद महासागर तक पहुंच जाती है. उसमें गति के साथ ही शक्ति होती है. उसी की शक्ति से पावर हाउस चलते हैं, और बिजली बनती है. वह कई भौगोलिक संरचनाओं के हिसाब से कई तरह की आवाजें निकालती हैं. वैसे भी जब नदी स्वयं जीवनदायिनी हो तो उसे जीवित साबित करने के लिए बायोलॉजी के प्रजनन और अनुवांशिकी जैसे अतिरिक्त मापदंड गौण हो जाते हैं.

- गंगा नदी विश्व भर में अपनी शुद्धीकरण क्षमता के कारण विख्यात है. गंगा एक्शन प्लान फेज प्रथम और दो के बाद 'नमामि गंगे योजना' भी चली मगर गंगा में जा रही गंदगी उद्गम से ही नहीं रुक पाई. गंगा के मायके उत्तराखंड में ही गंगा किनारे के नगरों, कस्बों से रोजाना 14.90 करोड़ लीटर मलजल प्रति दिन निकल रहा है. इसमें 8.20 करोड़ लीटर सीवर बिना ट्रीटमेंट के ही गंगा में प्रवाहित हो रहा है. गंगा किनारे के लगभग बीस नगरों की आबादी 14 लाख है. चारधाम यात्रा के दौरान आबादी का दबाव 16 लाख तक पहुंच जाता है. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने देश में नदियों को प्रदूषित करने वाले 1360 उद्योग चिह्नित किए हैं.

- इस सूची में उत्तराखंड के 33, उत्तर प्रदेश के 432, बिहार के 22 और पश्चिम बंगाल के 56 कारखाने शामिल हैं, जो गंगा में सीधे खतरनाक रसायन और संयंत्रों से निकला दूषित जल और कचरा प्रवाहित कर रहे हैं. इनमें कानुपर के 76 चमड़ा कारखाने भी शामिल हैं.

**

GENERAL STUDIES HINDI

9. ई-कचरा और उससे जुड़े हुए खतरे बढ़ाती हुई इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तुएं

- अभी भारत में एक अरब से ज्यादा मोबाइल ग्राहक हैं. मोबाइल सेवाएं शुरू होने के 20 साल बाद भारत ने एक आंकड़ा पिछले साल जनवरी में पार किया था. हालांकि पड़ोसी चीन यह करिश्मा 2012 में ही कर चुका है, पर दुनिया में फिलहाल चीन और भारत ही दो ऐसे देश हैं, जहां एक अरब से ज्यादा लोग मोबाइल फोन से जुड़े हैं. देश में मोबाइल फोन इंडस्ट्री को अपने पहले 10 लाख ग्राहक जुटाने में करीब 5 साल लग गए थे, पर अब भारत-चीन जैसे आबादी-बहुल देशों की बदौलत पूरी दुनिया में मोबाइल फोनों की संख्या इंसानी आबादी के आंकड़े यानी 7 अरब को भी पीछे छोड़ चुकी है.

- यह आंकड़ा इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशंस यूनियन (आईटीयू) का है. यह इलेक्ट्रॉनिक क्रांति दुनिया को एक ऐसे खतरे की तरफ ले जा रही है, जिस पर अभी ज्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा है. यह खतरा है इलेक्ट्रॉनिक कचरे यानी ई-वेस्ट का.

- वर्ष 2013 में इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल एजूकेशन एंड रिसर्च (आईटीईआर) द्वारा मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग ऑफ ई-वेस्ट विषय पर आयोजित सेमिनार में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के विज्ञानियों ने एक आकलन करके

बताया था कि भारत हर साल 8 लाख टन इलेक्ट्रॉनिक कचरा पैदा कर रहा है. **संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन दुनिया का सबसे बड़ा ई-वेस्ट डंपिंग ग्राउंड है.**

क्या -क्या हैं e - waste के खतरे :-

- यह चिंता भारत-चीन जैसे तीसरी दुनिया के मुल्कों के लिए ज्यादा बड़ी है क्योंकि कबाड़ में बदलती ये चीजें ब्रिटेन-अमेरिका जैसे विकसित देशों की सेहत पर कोई असर नहीं डाल रहीं. इसकी एक वजह यह है कि तकरीबन सभी विकसित देशों ने ई-कचरे से निपटने के प्रबंध पहले ही कर लिए हैं, और दूसरे, वे ऐसा कबाड़ हमारे जैसे गरीब मुल्कों की तरफ ठेल रहे हैं, ताकि उनके समाजों का स्वास्थ्य इनसे खराब न हो. ई-कबाड़ पर्यावरण और मानव सेहत की बलि भी ले सकता है.

- मोबाइल फोन की ही बात करें, तो कबाड़ में फेंके गए इन फोनों में इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक और विकिरण पैदा करने वाले कलपुर्जे सैकड़ों साल तक जमीन में स्वाभाविक रूप से घुलकर नष्ट नहीं होते. सिर्फ एक मोबाइल फोन की बैटरी अपने बूते 6 लाख लीटर पानी दूषित कर सकती है. इसके अलावा, एक पर्सनल कंप्यूटर में 3.8 पौंड घातक सीसा तथा फास्फोरस, कैडमियम व मरकरी जैसे तत्व होते हैं, जो जलाए जाने पर सीधे वातावरण में घुलते हैं, और विषैले प्रभाव पैदा करते हैं.
- कंप्यूटरों के स्क्रीन के रूप में इस्तेमाल होने वाली कैथोड रे पिक्चर ट्यूब जिस मात्रा में शीशा (लेड) पर्यावरण में छोड़ती है, वह भी काफी नुकसानदेह होती है. जल-जमीन यानी हमारे वातावरण में मौजूद ये खतरनाक रसायन कैंसर आदि कई गंभीर बीमारियां पैदा करते हैं.
- आधुनिक होते समाज के लिए यह इलेक्ट्रॉनिक कबाड़ चिंता नहीं पैदा करता, यदि यह पर्यावरण में विघटित हो जाता. परंतु यह ई-कबाड़ चूंकि आसानी से विघटित नहीं होता है, इसलिए समूचे समूचे पर्यावरण पर घातक असर डालता है.
- इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद बनाने वाली कंपनियां अपने उपभोक्ताओं से खराब हो चुके सामानों को वापस लेने की जहमत नहीं उठातीं क्योंकि ऐसा करना खर्चीला है, और सरकार की तरफ से इसे बाध्यकारी नहीं बनाया गया है. इसी तरह उपभोक्ता भी इन बातों को लेकर सजग नहीं है कि खराब थर्मामीटर से लेकर सीएफएल बल्ब और मोबाइल फोन आदि यों ही कबाड़ में फेंक देना कितना खतरनाक है.

निष्कर्ष :- हमारी तरक्की ही हमारे खिलाफ न हो जाए और हमारा देश दुनिया के ई-कचरे के डंपिंग ग्राउंड में तब्दील होकर न रह जाए, इस बाबत सरकार और जनता, दोनों स्तरों पर जागृति की जरूरत है, अन्यथा चंद पैसों की यह चाहत हमारे ही गले की फांस बन जाएगी.

**

10.परियोजनाओं को मंजूरी देने के दौरान इसके पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभावों की अनदेखी: CAG

Ø नियंत्रक और महालेखापरीक्षक (सीएजी) ने परियोजनाओं को पर्यावरण मंजूरी देने में कई खामियां पाई हैं.

Ø संसद में पेश सीएजी की रिपोर्ट में कहा गया है कि पर्यावरण मंजूरी दिए जाने से पूर्व इन परियोजनाओं के प्रभावों का सही मूल्यांकन नहीं किया जा रहा है.

Ø साथ ही पर्यावरण मंत्रालय परियोजना को जिन शर्तों के आधार पर मंजूरी देता है, कंपनियां उनका भी पालन नहीं करती. रिपोर्ट में सरकार की ओर से परियोजनाओं की निगरानी के लिए पुख्ता तंत्र नहीं होने की भी बात कही है.

Ø सीएजी ने 2008-14 के दौरान मंजूर की गई कुल 568 परियोजनाओं की समीक्षा की. संसद में पेश रिपोर्ट में कहा गया है कि इनमें से 14 फीसदी योजनाओं को ही निर्धारित समय सीमा यानी 60 दिनों के भीतर मंजूरी मिली. बाकी 86 फीसदी योजनाओं को मंजूरी देने में एक साल या इससे ज्यादा का वक्त लगा

Ø CAG के मुताबिक इनमें से 25 फीसदी परियोजनाओं के मामले में पर्यावरण प्रभाव रिपोर्ट सही तरीके से तैयार नहीं की गई थी.

**

11.भारत में अम्लीय वर्षा (Acid Rain) : पिछले 10 सालों के दौरान बारिश के पानी में एसिड की लगातार बढ़ रही है मात्रा

बारिश का पानी काफी उपयोगी माना जाता है, लेकिन प्रदूषण का असर इस पर भी दिखना शुरू हो गया है। वायुमंडल में बढ़ते प्रदूषण के कारण अब बारिश का पानी भी प्रदूषित हो रहा है और अब कई राज्यों में एसिड रेन के रूप में सामने आ रहा है। एक रिसर्च में यह चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं।

- शोध में पता चला है कि पिछले लगभग 10 सालों के दौरान बारिश के पानी में एसिड की मात्रा लगातार बढ़ती जा रही है। भारतीय मौसम विभाग और एक संस्था की रिसर्च में इस बात का खुलासा हुआ है कि नागपुर, मोहनबाड़ी (असम), इलाहाबाद, विशाखापत्तनम, कोडाईकनाल में बारिश का पानी बेहद प्रदूषित हो गया है।

- इस रिसर्च में 2001 से 2012 के बीच लिए गए पानी के नमूनों की जांच की गई। इस दौरान पीएच स्तर 4.77 से 5.32 के बीच मिला।

PH क्या है

पीएच किसी द्रव की अम्लीयता और क्षारीयता मापने का मानक होता है। पीएच स्तर 1 से 14 तक होता है। सात पीएच वाले द्रव को न्यूट्रल, सात से कम पीएच को अम्लीय माना जाता है।

अम्लीय वर्षा के क्या कारण हैं

नागपुर, मोहनबाड़ी (असम), इलाहाबाद, विशाखापत्तनम, कोडाईकनाल के पानी के नमूमों में पीएच की मात्रा 4.77 से 5.32 के बीच पाई गई। अगर पानी में पीएच की मात्रा 5.65 से कम हो तो ऐसे पानी को एसिड माना जाता है। ऐसे में कहा जा सकता है कि इन जगहों पर एसिड रेन हो रही है।

नागपुर, मोहनबाड़ी (असम), इलाहाबाद, विशाखापत्तनम और कोडाईकनाल में एसिड रेन होने का कारण तेजी से बढ़ता प्रदूषण है। एसिड रेन बारिश के पानी में सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स के मिक्स होने का नतीजा है। ये प्रदूषित गैसें पावर प्लांट्स, गाड़ियों और उद्योगों से निकलने वाले धुएं में होती हैं।

अम्लीय वर्षा के प्रभाव

इस तेजाबी बारिश का बुरा असर जमीन पर ही नहीं, बल्कि इमारतों पर भी पड़ता है।

1. इससे जमीन का उपजाऊपन कम होता है, जिस कारण फसलों के उत्पादन पर असर पड़ता है। इमारतें बदरंग और कमजोर हो जाती हैं। ताजमहल के संगमरमर की फीकी होती चमक, एसिड रेन का ही नतीजा है।
2. एसिड रेन की वजह से जलीय जीवन पर असर पड़ता है। पानी और मिट्टी में हेवी मेटल बढ़ जाते हैं, जिसका सीधा असर इंसानी जिंदगी पर पड़ता है।
3. यह रिसर्च बताती है कि वायु प्रदूषण के कारण हमें सिर्फ सांस की बीमारियां ही नहीं होतीं, बल्कि जमीन से जल तक इससे प्रभावित हो रहा है।
4. अगर हवा में प्रदूषण का स्तर ऐसे ही बढ़ता रहा, तो देश के अन्य राज्यों में भी एडिस रेन हो सकती है।

GENERAL STUDIES HINDI

**

12.अब देशभर के जानवरों का होगा अपना यूनीक आधार नंबर, उनमें लगाए जाएंगे माइक्रो चिप्स

★ माइक्रो चिप्स के जरिए सभी पर आसानी से नजर रखी जा सकेगी और साथ ही उन्हें शिकारियों से सुरक्षित रखा जा सकेगा।

★देशभर में जिस प्रकार इंसानों को उनका आधार कार्ड के रूप में यूनीक नंबर दिया गया है उसी तरह अब जानवरों का भी आधार कार्ड बनवाया जाएगा।

★ सेंट्रल जू अथॉरिटी द्वारा एक अभियान चलाया जा रहा है जिसमें जानवरों के शरीर में एक माइक्रो चिप लगाई जाएगी। इस चिप को लगाने के बाद कोई कहीं से भी जानवरों के बारे में हर प्रकार की जानकारी ले सकता है।

कहाँ से शुरुआत :- ★इस अभियान की शुरुआत उत्तराखंड के देहरादून के चिला हाथी रेंज और मालसी डियर पार्क से की गई है जहां पर मौजूद हाथी, गुलदार, घड़ियाल, गिद और कछुवों के शरीर में चिप लगाई गई है।

★ चिप को लगाने के बाद इसे जिम नाम के एक सॉफ्टवेयर से जोड़ा जाएगा जिससे कि सभी चिड़ियाघर एक दूसरे से कनेक्ट हो जाएंगे।

जटिल है प्रक्रिया :- ★ जीवों के शरीर में चिप लगाने का काम बहुत ही कठिन है लेकिन इसे तीन चरणों में पूरा किया जाएगा।

★इस अभियान की शुरुआत में देश के 166 में से 26 चिड़ियाघरों के जानवरों के शरीर में चिप लगाने का काम किया जाएगा। इस काम को करने में तीन साल लग जाएंगे।

लाभ :-

★ इन सभी चिड़ियाघरों में हजारों की तदाद में जीव रहते हैं लेकिन इनका बाहरी कोई रिकॉर्ड नहीं है। इन चिप के जरिए जानवरों का इतिहास जाना जा सकेगा।

★ इसके साथ ही सभी चिड़ियाघरों की निगरानी की जा सकेगी और कोई भी अपनी मनमानी के जानवरों को इधर से उधर नहीं भेज पाएगा। और साथ ही उन्हें शिकारियों से भी सुरक्षित रखा जा सकेगा।

**

13.सुप्रीम कोर्ट : औद्योगिक इकाईयों में कचरा शोधन संयंत्र जरूरी

- सुप्रीम कोर्ट ने नदियों और तालाबों में दूषित कचरा प्रवाहित करने पर अंकुश लगाने के लिये **निर्देश देते हुए राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से कहा कि यदि औद्योगिक इकाईयों में चालू अवस्था में कचरा शोधन संयंत्र नहीं हो तो उन्हें काम करने की अनुमति नही दी जा**ए। लेकिन इससे पहले औद्योगिक इकाईयों को इस बारे में नोटिस दिया जाए।

- प्रधान न्यायाधीश जगदीश सिंह खेहर, न्यायमूर्ति धनंजय वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति संजय किशन कौल की तीन सदस्यीय खंडपीठ ने कहा कि नोटिस की तीन महीने की अवधि समाप्त होने के बाद राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को औद्योगिक इकाईयों का निरीक्षण करके उनमें कचरा शोधन संयंत्रों की स्थिति के बारे में पता लगाना चाहिए।

- **यदि औद्योगिक इकाईयों में कचरा शोधन संयंत्र काम करते नहीं मिले तो उन्हें और चालू रखने की अनुमति नहीं दी जाएगी**। न्यायालय ने राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को निर्देश दिया कि वे ऐसी औद्योगिक इकाईयों की बिजली आपूर्ति बंद करने के लिये संबंधित विद्युत आपूर्ति बोर्ड से कहें।

शीर्ष अदालत ने कहा कि इन इकाईयों में कचरा शोधन संयंत्र चालू होने के बाद ही उन्हें फिर से काम शुरू करने की अनुमति दी जानी चाहिए। यही नहीं, शीर्ष अदालत ने स्थानीय प्रशासन और नगर निगमों से कहा कि वे भूमि अधिग्रहण करने और दूसरी औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद तीन साल के भीतर साझा कचरा शोधन संयंत्र स्थापित करें।

न्यायालय ने कहा कि यदि स्थानीय प्रशासन को साझा कचरा शोधन संयंत्र स्थापित करने और इसे चलाने में वित्तीय संकट का सामना करना पड़ रहा हो तो वे इसका उपायोग करने वालों पर उपकर लगाने के मानदंड तैयार कर सकते हैं। न्यायालय ने कहा कि राज्य सरकारों को **साझा कचरा संयंत्र स्थापित करने के बारे में अपनी रिपोर्ट राष्ट्रीय हरित अधिकरण की संबधित पीठ में दाखिल करना होगा।**

**

14.प्रदूषण ने लील ली 48 हजार से अधिक जिंदगी

हाल ही में एन्वायरमेंटल साइंस एंड पॉल्यूशन रिसर्च जरनल में आइआइटी मुंबई की एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई है। रिपोर्ट के मुताबिक वायु प्रदूषण से स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव तो पड़ ही रहा है, मृत्यु दर में भी तेजी से वृद्धि हो रही है। यह रिपोर्ट बताती है कि:

- वर्ष 2015 में वायु प्रदूषण से दिल्ली में 48,651 लोगों की मौत हुई।
- लाख लोग विभिन्न रोगों के शिकार हुए। 1.2 लाख लोग गंभीर अवस्था में अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में दाखिल हुए। और तो और वायु प्रदूषण से स्थायी शारीरिक विकृति भी तेजी से बढ़ रही है।
- इस श्रेणी में भी पाकिस्तान और बांग्लादेश के बाद भारत तीसरे नंबर पर है। 1995 से 2015 के दौरान वायु प्रदूषण से समय पूर्व हो रही मौत में 2.5 गुना इजाफा हुआ है।
- 1995 में ऐसी मौत का आंकड़ा था 19,716 जो 2015 में बढ़कर 48,651 पहुंच गया।
- इस रिपोर्ट के मुताबिक वायु प्रदूषण दिल्ली वासियों को बीमार भी बना रहा है। इन बीमारियों में श्वास रोग, दमा, अस्थमा, मधुमेह, मस्तिष्क संबंधी रोग, आंखों में जलन, त्वचा रोग व फेफड़ों से संबंधित रोग शामिल हैं। इनकी चपेट में भी अब हर आयु वर्ग के लोग आ रहे हैं।

अमेरिका के इंस्टीटयूट फॉर हेल्थ मेटिक्स एंड इवेल्यूशन (आइएचएमई) ने भी हाल ही में वायु प्रदूषण पर एक रिपोर्ट जारी की है। इसमें अमेरिका के साथ-साथ विश्व के 10 प्रमुख देशों के वायु प्रदूषण पर 1990 से 2015 तक की स्थिति का आकलन किया गया है। यह रिपोर्ट बताती है कि वायु प्रदूषण से इंसान की औसत उम्र तो घट ही रही है, लकवा, बांझपन व नपुंसकता भी बढ़ रही है। 2015 में यह स्थिति प्रति एक लाख लोगों में 2,900 लोगों की थी। हैरत की बात यह कि इस श्रेणी में अन्य देशों की तुलना में भारत का आंकड़ा तीसरे नंबर परहै। 3,100 के आंकड़े के साथ पाकिस्तान पहले नंबर पर है जबकि 3,000 की संख्या के साथ बांग्लादेश दूसरे नंबर पर| है.

**

Ethics & Governance

1-स्विट्जरलैंड सितंबर, 2018 से भारत के साथ कालेधन से जुड़ी सूचनाएं साझा करने पर सहमत

- एक करार के तहत स्विट्जरलैंड सितंबर, 2018 से भारत के साथ कालेधन से जुड़ी सूचनाएं साझा करने पर सहमत हो गया है
- स्विट्जरलैंड कालेधन पर जानकारी देने को तैयार है लेकिन उसने साफ किया है कि ऐसा तभी हो पाएगा जब **सूचनाओं की गोपनीयता** बरकरार रखी जाए. यदि ऐसा न किया गया तो वह सूचनाओं के आदान-प्रदान को रोक देगा. उसका तर्क है कि अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था में सूचनाओं की गोपनीयता और सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण होती है.

GENERAL STUDIES HINDI

- स्विट्जरलैंड के अंतरराष्ट्रीय वित्तीय मामलों के विभाग ने बताया है कि यह तय करने की जरूरत है कि दी गई सूचनाओं का दुरुपयोग न हो. विभाग ने कहा है कि यदि इस शर्त का पालन किया जाता है तो उसे सूचनाओं का आदान-प्रदान करने में कोई परेशानी नहीं होगी.
- इससे पहले नवंबर, 2016 में हुए एक करार के तहत स्विट्जरलैंड सितंबर, 2018 से भारत को वित्तीय सूचनाएं देने पर सहमत हो गया था.
- कालेधन के खतरों से निपटने की अंतरराष्ट्रीय प्रतिबद्धता के तहत वह अन्य देशों से भी सूचनाएं साझा करने वाला है. उसने पहली जनवरी 2017 से विभिन्न देशों के साथ सूचनाओं के स्वत: आदान-प्रदान के नियमों को प्रभावी बना दिया है.

**

2. नौकरशाहों को देनी होगी परफॉर्मेंस की ऑनलाइन रिपोर्ट

केंद्र के कार्मिक विभाग की योजना के अंतर्गत आइएएस, आइपीएस समेत अखिल भारतीय सेवा के तहत आने वाले अधिकारियों को ऑनलाइन परफॉर्मेंस रिपोर्ट दाखिल करना होगा।

- वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट देने में देरी और पक्षपात के आरोपों से बचने की कवायद के तहत यह कदम उठाया गया है।
- प्रधानमंत्री लगातार सरकारी कामकाज में पारदर्शिता की वकालत करते रहे हैं। योजना के अनुसार, अधिकारियों को केंद्र द्वारा तय नियमों के अनुसार खुद ही अपना परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट तैयार करना होगा।
- रिपोर्टिंग अधिकारी द्वारा इसकी समीक्षा और टिप्पणी भी ऑनलाइन ही की जाएगी। मंजूरी मिलने पर यह भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा और भारतीय वन सेवा के अधिकारियों पर लागू होगा।
- कार्मिक विभाग ने नौकरशाहों के लिए सालाना परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट (एपीएआर) भरने की समयसीमा भी तय कर दी है। अब हर साल 15 जनवरी तक रिपोर्ट दाखिल करना होगा।
- अधिकारियों द्वारा आमतौर पर अप्रेजल रिपोर्ट में गड़बड़ी कर उनके कॅरियर को प्रभावित करने का आरोप लगाया जाता है।
- कार्मिक विभाग ने सभी राज्यों/केंद्र शासित क्षेत्रों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखकर प्रस्ताव पर राय मांगी है। टिप्पणी देने की अंतिम तारीख 15 मार्च है। विभाग के मुताबिक, निर्धारित अवधि के अंदर जवाब नहीं मिलने पर यह मान लिया जाएगा कि नए प्रावधान पर राज्यों को काई आपत्ति नहीं है।
- इसके अलावा आइपीएस के लिए गृह मंत्रालय और वन सेवा के लिए पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से भी सेवा नियमावली में बदलाव पर विचार मांगे गए हैं।

**

Editorials

1.नई स्वास्थ्य नीति है बेहतर स्वास्थ्य की नीति

- नई राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति में मरीजों के हित को केंद्रीय स्थान दिया गया है। इसमें अस्पतालों की जवाबदेही तय करने और मरीजों की शिकायतों पर गौर करने के लिए पंचाट के गठन की बात भी कही गयी है। स्पष्टत: इन बातों से देश के लोगों में नई उम्मीदें जगेंगी।

- उल्लेखनीय है कि नई नीति का उद्देश्य सभी नागरिकों को सुनिश्चित स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराना बताया गया है। भारत में स्वतंत्रता के बाद से सरकारी नीतियों में स्वास्थ्य एवं शिक्षा को अपेक्षित महत्व नहीं मिला। नतीजतन, इन दोनों मोर्चों पर देश पिछड़ी अवस्था में है।

- सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल व्यवस्था इतनी लचर है कि इलाज के लिए निजी अस्पतालों पर निर्भरता बढ़ती चली गई है। इसकी वजह से एक तो स्वास्थ्य सेवाएं गरीबों से दूर हुई हैं, दूसरी तरफ उपचार संबंधी कई विकृतियां भी उभरी हैं। मसलन, निजी अस्पतालों में मरीजों की गैरजरूरी जांच तथा अनावश्यक दवाएं देने की शिकायतें बढ़ी हैं। ऐसे में सरकारी अस्पतालों का तंत्र फिर से खड़ा हो, तो उससे बेहतर बात कोई नहीं होगी।

- यह स्वागतयोग्य है कि नई राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति में इस दिशा में बढ़ने का इरादा दिखाया गया है। नई नीति में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का दायरा बढ़ाने पर जोर है। अभी इन केंद्रों में रोग प्रतिरक्षण, प्रसव पूर्व निगरानी और कुछ ही अन्य रोगों की जांच होती है। लेकिन नई नीति के तहत इनमें गैर-संक्रामक रोगों की जांच भी होगी।
- साथ ही नई नीति में जिला अस्पतालों के पुनरुद्धार पर विशेष जोर है। कहा गया है कि स्वास्थ्य संबंधी सरकारी कार्यक्रमों को अमली जामा पहनाने की रूपरेखा तय की जाएगी। स्पष्टत: यह महत्वपूर्ण बदलाव है।

चुनौतियाँ

ध्यान में रखने योग्य है कि नीतियां सिर्फ इरादे का वक्तव्य होती हैं। असली चुनौती उनके अमल में आती है। मसलन, हाल में सरकार ने हृदय धमनियों को खोलने के लिए लगाए जाने वाले स्टेंट की कीमत घटाने का आदेश दिया था। मगर उसके बाद मुनाफाखोरों ने बाजार में इसकी सप्लाई घटा दी। जाहिर है, इस मामले में सरकार का मकसद तभी पूरा होगा, जब ऐसे बदनीयत तत्वों पर कड़ी कार्रवाई हो।

- इसी तरह स्वास्थ्य नीति के उद्देश्यों को पाना तभी संभव होगा, जब केंद्र और राज्य सरकारें अपना स्वास्थ्य बजट बढ़ाएं। स्वास्थ्य राज्य-सूची का विषय है। ऐसे में नई नीति का सफल होना राज्य सरकारों के उत्साह और उनकी गंभीरता पर निर्भर है।
- योजना आयोग के भंग होने, केंद्र प्रायोजित योजनाओं में कटौती और विकास मद के अधिक हिस्से का राज्यों को हस्तांरण होने की नई व्यवस्था अस्तित्व में आने के बाद स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में राज्यों की भूमिका और अहम हो गई है।

आशा है, केंद्र स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका बढ़ाने के बारे में राज्य सरकारों के साथ उपयुक्त सहमति तैयार करेगा। इस बारे में साझा योजना और पहल से ही नई स्वास्थ्य नीति को सफल बनाया जा सकता है।

**

2. वर्तमान में 'लुक वेस्ट' नीति बेहतर (Indian Express)

- वर्ष 1991 में तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव को आखिरकार आर्थिक उदारीकरण लागू करना पड़ा था क्योंकि इससे पहले लगभग नगण्य रह गए विदेशी मुद्रा भंडार के परिप्रेक्ष्य में भारत को अपना राष्ट्रीय गौरव तजते हुए सोना गिरवी रखना पड़ा था। उदारीकरण के उपायों ने न सिर्फ देश की घरेलू आर्थिक नीतियों में आमूलचूल परिवर्तन करके रख दिया था बल्कि इन बदलावों ने पूर्व में स्थित हमारे पड़ोसियों की तेजी से तरक्की करती आर्थिकी से तालमेल बिठाने में भी सहायता की थी।
- लिहाजा यह तार्किक तौर पर सही बैठता था कि विदेश नीति के इस नये पहलू को 'लुक ईस्ट'(पूर्वी देशों से संबंध बढ़ाओ) का नाम दिया जाए। इस दौरान पश्चिमी दिशा में स्थित पास-पड़ोस से हमारा 'वही पुराना ढर्रा' कायम रहा था। बस इसमें महत्वपूर्ण फर्क केवल यही था कि हमने इस्राइल के साथ अपने राजनयिक रिश्ते कायम किए थे।

- अब 'लुक ईस्ट' नीति अपनाने के पच्चीस साल बाद और कई देशों में नये तटीय गैस और तेल भंडारों की खोज होने के बाद पूरी दुनिया के भू-राजनीतिक समीकरणों में जो बदलाव आया है, उसके मद्देनजर भारत ने भी उपलब्ध सुअवसरों का लाभ उठाया है।

CENTRAL STUDIES HINDI

- केवल 5 साल पहले तक स्थिति यह थी कि तेल निर्यातक देशों के मुख्य संघ 'ओपेक' ने अपनी मनमर्जी और सुविधा के मुताबिक तेल का उत्पादन कम या ज्यादा करते हुए इसकी कीमतें बढ़ा-घटाकर पूरी दुनिया के देशों को अपना बंधक बना रखा था लेकिन उत्तरी और दक्षिणी अमेरिकी महाद्वीप के अलावा ऑस्ट्रेलिया और यहां तक कि पश्चिम एशिया के कुछ अन्य देशों में भी तेल और गैस के नये बड़े भंडार मिलने के बाद दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतों में भारी कमी आई थी।
- इस बदली हुई परिस्थिति ने बड़े तेल एवं गैस उपभोक्ता देशों जैसे कि जापान, चीन और भारत को यह मौका मुहैया करवा दिया कि वे अपनी बड़ी खपत के बूते आसपास स्थित तेल उत्पादक देशों से ज्यादा आकर्षक दरों पर मोलभाव कर सकें।

- भारत ने मिले मौकों का अच्छा इस्तेमाल करते हुए अपने साथ लगते अरब की खाड़ी के तेल उत्पादक पड़ोसी देशों के साथ सक्रिय संबंध स्थापित कर लिए हैं। इन देशों में 60 लाख से ज्यादा भारतीय कामगार

कामधंधे कर रहे हैं और सालाना 50 बिलियन डॉलर से ज्यादा अर्जित की गई कमाई अपने घरों को भेजते हुए देश के विदेशी मुद्रा भंडार में खासा इजाफा करते हैं।
- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जहां एक ओर बड़ी दक्षता से इस क्षेत्र के महत्वपूर्ण मुल्कों जैसे कि सऊदी अरब, यूएई और कतर की सरकारों से साथ भारत के सामरिक हितों को स्थापित किया है वहीं ईरान के साथ भी ऊर्जा और संचार के क्षेत्र में सहयोग करने वाले संबंध कायम किए हैं, जो कि अफगानिस्तान और मध्य-एशिया में हमारे व्यापारिक और सामरिक हितों के लिए बहुत महत्व रखते हैं।

- भारत ने इस साल की शुरुआत यूएई के शेख खलीफा-बिन-ज़ाएद की मेहमाननवाजी करने के साथ की थी। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी भी यूएई, सऊदी अरब, ईरान और कतर की यात्रा पर गए थे। यूएई, जो कि भारत में निवेश करने वाले देशों में दसवां स्थान रखता है, ने इस मद में और ज्यादा इजाफा करने की घोषणा की है। सभी अरब देश संयुक्त रूप में हमारे सबसे बड़े व्यापारिक सहयोगी हैं, जो कि पूरी दुनिया में किए जाने वाले हमारे कुल निर्यात का 15 प्रतिशत हिस्सा है।
- तथापि जिस अन्य अरब देश से हमें अपने आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देना बाकी है, वह है इराक, हालांकि वहां से भारत को होने वाले तेल का निर्यात तेजी से बढ़ता जा रहा है। वैसे तो ईरान पर लगे संयुक्त राष्ट्र प्रतिबंधों के खत्म होने के बाद वहां से भी भारत को तेल का निर्यात होने लगा है लेकिन इराक अपनी अधिक तेल उत्पादन क्षमता के चलते हमारे देश में और ज्यादा बड़ा निवेशक बनने की संभावना रखता है, खासकर ऊर्जा के क्षेत्र में। हमें इराक से तेल खरीदने की एवज में उससे भारत में निवेश करने की शर्त रखनी चाहिए। खाड़ी के देशों से हमारा नौसैन्य सहयोग भी बढ़ता जा रहा है।

- जब बात आर्थिक निवेश की हो तो ईरान से इसे प्राप्त करना सदा ही विकट काम रहा है। फिलहाल हम अफगानिस्तान, रूस और मध्य एशियाई देशों को किए जाने वाले निर्यात के लिए ईरान के पश्चिम में स्थित बंदर-अब्बास नामक सुविधा का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन लगता है कि नये बनने वाले चाबहार बंदरगाह में हमारी सहभागिता की अंतिम शर्तों को तय करने में देरी होने वाली है। यह परियोजना भारत और अफगानिस्तान के लिए इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि पाकिस्तान की कोशिश यही रहती है कि वह अपने थलीय मार्गों से होकर अफगानिस्तान जाने वाले हमारे माल को किसी न किसी बहाने देरी करवाए ताकि अफगानिस्तान की निर्भरता उस पर ज्यादा-से-ज्यादा बनी रहे।
- जॉर्डन के शाह की प्रस्तावित भारत यात्रा से अरब देशों की राजशाहियों से हमारे और ज्यादा प्रगाढ़ संबंधों का मार्ग प्रशस्त होगा। इस्राइल और फिलीस्तीन के आपसी संबंधों से खुद को निष्पक्ष रखकर भी हमने समझदारी भरा काम किया है। फिलीस्तीनी प्रशासन के नेतृत्व से मिलने के लिए जॉर्डन के रास्ते भारतीय राजनयिक और नेतृत्व काम आएंगे। वैसे भी जॉर्डन का नेतृत्व भारत से अच्छे संबंध रखने में निजी तौर पर रुचि लेता आया है। भारत का यह फर्ज बनता है कि वह द्वि-राष्ट्र सिद्धांत के मुद्दे के अपने आदर्शवादी रुख पर कायम रहे।

- इस्राइल हमेशा भारत का हितैषी और भरोसेमंद मित्र राष्ट्र रहा है और कारगिल युद्ध समेत अन्य लड़ाइयों में भी वह हमारे समर्थन में खड़ा रहा है। अतएव एक यहूदी राष्ट्र से संबंध रखने में हमें किसी तरह की शर्मिंदगी वाला भाव रखने की जरूरत नहीं है। वह भी ऐसे समय में जब हमारे अनेक मित्र अरब राष्ट्र इस्लामिक संसार में व्याप्त वर्गीय और जातीय तनावों के बावजूद खुद भी इस्राइल को एक उपयोगी मित्र राष्ट्र मानने लगे हैं।
**

3.The Hindu सम्पादकीय : **पिछड़ा आयोग को मिलेगा नया स्वरुप**

- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की जगह नये आयोग के गठन के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। अब सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए राष्ट्रीय आयोग (नेशनल कमीशन फॉर सोशियली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेज) गठित होगा। इस नये आयोग को संवैधानिक दर्जा भी दिया जाएगा।
- सरकार के इस नये कदम का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि अब पिछड़ा वर्ग सूची में किसी नयी जाति को जोड़ने या हटाने का अधिकार राज्य सरकारों के पास नहीं रहेगा। संसद की मंजूरी के बाद ही ओबीसी सूची में बदलाव हो सकेगा। केंद्र के इस कदम को इसी सामाजिक ताने-बाने की आभार-पूर्ति के तौर पर भी देखा जा रहा है, जिसके दूरगामी राजनीतिक निहितार्थ भी हो सकते हैं।

- यह फैसला ऐसे मौके पर भी आया है जब आरक्षण की मांग को लेकर हरियाणा के जाट आंदोलनरत हैं। गुजरात के पाटीदार यानी पटेल और राजस्थान के गुर्जर भी ओबीसी में शामिल किए जाने की मांग कर रहे हैं। माना जा रहा है कि सरकार ने आयोग के गठन का प्रस्ताव लाकर फिलहाल इन समुदायों को आश्वस्त रहने का संकेत दिया है।
- यह तो सर्वविदित है कि राज्य सरकारें और राजनीतिक दल वोट बैंक की राजनीति के लिए ओबीसी आरक्षण के मुद्दे को समय-समय पर हवा देते रहे हैं। राज्य सरकारें तो अपने स्तर पर पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था भी करती रही हैं। हरियाणा में पिछली कांग्रेस सरकार ने जाट, जट सिख, त्यागी, रोड समेत छह जातियों को विशेष पिछड़ा वर्ग के तहत आरक्षण दिया।
- केंद्र में पिछली यूपीए सरकार ने भी जाटों को ओबीसी में लाने का फैसला किया था लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सरकार का वह फैसला रद्द कर दिया। अब भाजपा के नेतृत्व वाली राजग सरकार संविधान संशोधन के जरिए सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए नया आयोग गठित करना चाहती है तो इसका स्वागत किया जाना चाहिए।
- बशर्ते, इसमें राजनीतिक लाभ की बजाय सामाजिक उत्थान की भावना निहित हो। उम्मीद की जानी चाहिए कि यह कदम महज कुछ राज्यों के राजनीतिक समीकरणों पर और 2019 के लोकसभा चुनाव केंद्रित होने के बजाय सामाजिक समरसता का वाहक बने।
**

4. वित्त वर्ष में बदलाव के क्या हैं मायने?
ख़बरों में क्यों:
मध्य प्रदेश ने वित्त वर्ष की शुरुआत जनवरी से करने का निर्णय लिया है और केंद्र सरकार भी यह फैसला लागू कर सकती है। मध्य प्रदेश के अलावा पूरे देश में फिलहाल वित्त वर्ष की शुरुआत 1 अप्रैल से होती है और अगले साल 31 मार्च को वित्त वर्ष पूरा होता है। (हालांकि संविधान में इसका प्रावधान नहीं है लेकिन सामान्य प्रावधान अधिनियम 1897 में यह परिपाटी निहित है।) यहां ध्यान में रखना होगा कि निजी कंपनियों और कारोबारी संगठनों के लिए जरूरी नहीं है कि वे सरकारी वित्त वर्ष के मुताबिक ही अपना लेखा-जोखा रखें। अगर सरकार वित्त वर्ष में बदलाव करती है तो भी कारोबारी जगत के लिए ऐसा करना अनिवार्य नहीं होगा।
पृष्ठभूमि :
Ø भारत का पहला बजट 7 अप्रैल 1860 को पेश किया गया था और 1867 तक वित्त वर्ष की गणना 1 मई से 30 अप्रैल तक होती रही थी।
Ø हालांकि वर्ष 1867 में ब्रिटिश सरकार के साथ साम्यता स्थापित करने के मकसद से भारत में भी वित्त वर्ष का समय बदल दिया गया।
Ø वर्ष 1865 में भारतीय खाता जांच आयोग बना था जिसमें असिस्टेंट पेमास्टर जनरल फॉस्टर और डिप्टी अकाउंटेंट जनरल व्हिफेन सदस्य बनाए गए थे। उस आयोग ने वित्त वर्ष की शुरुआत 1 जनवरी से करने का

सुझाव दिया था। लेकिन तत्कालीन भारत सचिव इससे सहमत नहीं हुए। उनका मानना था कि ऐसा करने से ब्रिटिश सरकार के साथ भारतीय शासन का तालमेल स्थापित करने में समस्या खड़ी हो जाएगी।

Ø वर्ष 1913 में भारतीय वित्त एवं मुद्रा पर सुझाव के लिए गठित शाही आयोग (जिसे चैम्बरलिन आयोग के नाम से भी जाना जाता है) ने भी इस पर अपना सुझाव दिया था। चैम्बरलिन आयोग ने कहा था, 'वित्तीय नजरिये से यह साफ नजर आता है कि वित्त वर्ष का वर्तमान समय बजट के लिहाज से काफी असुविधाजनक है। हमारी तरफ से सुझाव है कि वित्त वर्ष की शुरुआत 1 अप्रैल के बजाय 1 नवंबर या 1 जनवरी से की जाए। इस सलाह को अमल में लाने में कुछ प्रशासनिक कठिनाइयां आ सकती हैं लेकिन वित्तीय रूप से यह उल्लेखनीय सुधार होगा।'

Ø **आजादी के बाद वर्ष 1958** में लोकसभा की अनुमान समिति ने भी अपनी 20वीं रिपोर्ट में वित्त वर्ष की शुरुआत की तारीख बदलने की संस्तुति की थी। समिति का कहना था कि 1 अप्रैल के बजाय 1 अक्टूबर से वित्त वर्ष शुरू किया जाना चाहिए। प्रशासनिक सुधारों के लिए गठित पहले आयोग ने 1966 में पेश अपनी रिपोर्ट में भी वित्त वर्ष को 1 अप्रैल से शुरू करने के खिलाफ राय दी थी। आयोग के वित्तीय प्रशासन अध्ययन दल ने 1 जनवरी के बजाय 1 अक्टूबर से नया वित्त वर्ष शुरू करने के पक्ष में तर्क दिए थे।

Ø **वित्त, लेखा एवं अंकेक्षण पर पेश चौथी रिपोर्ट** में भी कहा गया था कि '1 अप्रैल से वित्त वर्ष की शुरुआत न तो भारत की परंपराओं पर आधारित है और न ही यह हमारे देश की जरूरत पर आधारित है। हमारी अर्थव्यवस्था अब भी मूलत: कृषि पर आधारित है, ऐसे में वास्तविक वित्त वर्ष राजस्व का सटीक आकलन करने में सहयोग देने वाला और कामकाजी मौसम के अनुरूप होना चाहिए।'

Ø वर्ष 1983-84 में राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक के बाद तत्कालीन वित्त मंत्री ने एक बार फिर इस मुद्दे को उठाते हुए राज्यों के मुख्यमंत्रियों से उनकी सलाह मांगी। इस पर अपनी बात रखने वाले लगभग सभी मुख्यमंत्रियों ने वित्त वर्ष में बदलाव का समर्थन किया। यह अलग बात है कि वित्त वर्ष के नए समय को लेकर उनकी राय बंटी हुई थी। उनमें से कई मुख्यमंत्रियों ने कहा कि मॉनसून के बाद खरीफ की उपज को लेकर अनुमान लगाना अधिक आसान होता है। वहीं कुछ मुख्यमंत्रियों ने नए साल के साथ ही वित्त वर्ष की भी शुरुआत करने का समर्थन किया। कुछ लोगों का कहना था कि 1 जुलाई से वित्त वर्ष शुरू होने से विकास कार्यों को तेजी दे पाना आसान होगा।

Ø इन सुझावों पर विचार के लिए गठित एल के झा समिति ने वर्ष 1984 में पेश अपनी रिपोर्ट में 1 जनवरी से वित्त वर्ष शुरू करने का प्रस्ताव रखा था। वित्त मंत्री को लिखे पत्र में कहा था, 'हमें ऐसा लगता है कि वित्त वर्ष को जनवरी-दिसंबर करना काफी लाभप्रद होगा क्योंकि इससे बजट को नवंबर में पेश किया जा सकेगा। उस समय तक खरीफ फसल की उपज के बारे में सटीक जानकारी उपलब्ध होती है और रबी फसल के बारे में भी अनुमान लगाया जा सकता है। ऐसा करने से न केवल राष्ट्रीय लेखा के लिए सांख्यिकी आंकड़े जुटाए जा सकेंगे बल्कि अंतरराष्ट्रीय परंपरा के भी अनुकूल होगा। इसके अलावा वित्त वर्ष और कैलेंडर साल अलग-अलग होने से पैदा होने वाला भ्रम भी दूर होगा।'

इन सभी बिंदुओं को उठाने का मकसद यह दिखाना है कि यह कोई नया मामला नहीं है। वित्त वर्ष में बदलाव के लिए कई कारण गिनाए जाते रहे हैं।

Ø वित्त वर्ष की मौजूदा व्यवस्था से कामकाजी सत्र का पूरा उपयोग नहीं हो पाता है;

Ø कृषि फसल की अवधि, सूचनाओं और आंकड़ों के संकलन की अवधि में अंतर होने से राष्ट्रीय खाता तैयार कर पाना मुश्किल हो जाता है

Ø विधायिका के लिए बजटीय कार्य आसान हो जाएगा

Ø अंतरराष्ट्रीय रवायतों के अनुरूप होगा और पांचवां, राष्ट्रीय संस्कृति एवं परंपरा के अनुरूप होगा। राष्ट्रीय आय में कृषि की हिस्सेदारी घटने की भी स्थिति में कामकाजी सत्र को लेकर एक समस्या तो पैदा होती ही है।

GENERAL STUDIES HINDI

हालांकि उस सुझाव को लागू नहीं किया गया था। सरकार ने इस पर कहा था कि वित्त वर्ष में बदलाव के फायदे कुछ खास नहीं होंगे और आंकड़ा जुटाने में भी समस्या होगी। इसके अलावा कर नियमों और वित्तीय प्रक्रियाओं में बदलाव के लिए सुधार करने की बाध्यता का भी हवाला दिया गया। हालांकि झा समिति ने केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन (सीएसओ) से जब इस बारे में राय मांगी थी तो उसने वित्त वर्ष में बदलाव से कोई बड़ा विघ्न पडऩे की आशंका को खारिज किया था। सीएसओ ने यहां तक कहा था कि वित्त वर्ष में बदलाव से उसे आंकड़ों को सहेजते समय अवधि की एकरूपता के चलते कम समस्या होगी।

Difficulties?

प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने भी माना था कि 'वित्त वर्ष में बदलाव से थोड़े समय के लिए प्रशासनिक और सांख्यिकीय मोर्चों पर असुविधा बढ़ेगी लेकिन इसकी वजह से हमें एक अधिक तर्कसंगत, व्यावहारिक और सुविधाजनक व्यवस्था अपनाने से पीछे नहीं हटना चाहिए।

इस बदलाव से होने वाले तमाम लाभों को भी ध्यान में रखना होगा।' अभी तो सार्वजनिक व्यय और बजट प्रक्रियाओं में बदलाव का सिलसिला चल रहा है। योजनागत एवं गैर-योजनागत व्यय के विभेद को खत्म किया जा चुका है, 14वें वित्त आयोग ने भी अपनी अनुशंसाएं दे दी हैं और केंद्र से प्रायोजित विभिन्न योजनाओं का पुनर्गठन हुआ है। ऐसे में यह वित्त वर्ष में बदलाव लाने का माकूल वक्त है। इसके पक्ष में तर्क तो 1865 से ही दिए जाते रहे हैं। हालांकि झा समिति के सुझावों को लागू करने के बारे में योजना आयोग के उपाध्यक्ष ने 1993 में ही वित्त मंत्री को पत्र लिखा था। उस समय यह जवाब आया था कि देश सुधारों के दौर से गुजर रहा है और ऐसे में वित्त वर्ष बदलने के लिए अच्छा समय नहीं है। उस तरह तो लगातार खराब समय ही चल रहा है।

**

5. प्रवासी योगदान बढ़ाने को कौशल विकास पर है ध्यान

#Business_Standard Editoria

Migration of skilled Indians: Is it Brain Drain or Brian Gain? कौशल्युक्त प्रतिभा का पलायन क्या ब्रेन ड्रेन है ?

Ø भारत के संदर्भ में पारिभाषिक शब्द 'ब्रेन ड्रेन' (प्रतिभा पलायन) का गलत प्रयोग होता है। जो भारतीय विदेशों में अपने लिए अवसर तलाश करते हैं वे हमारे लिए एक बड़ी आर्थिक ताकत हैं।

Ø भविष्य के लिए एक बड़ा अवसर भी हैं।

Ø तकरीबन 1.6 करोड़ भारतीय विदेशों में रहते हैं। भारत इस मामले में शीर्ष पर है। मैकिंजी ग्लोबल इंस्टीट्यूट (एमजीआई) के मुताबिक भारतीय प्रवासी जिन देशों में रहते और काम करते हैं वहां वे 430 से 490 अरब डॉलर का योगदान जीडीपी में करते हैं।

GENERAL STUDIES HINDI

Ø वे अन्य देशों के प्रवासियों की तुलना में काफी धन स्वदेश भी भेजते हैं। वर्ष 2016 में 65 अरब डॉलर की राशि स्वदेश आई जो राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद के 3 फीसदी के बराबर है।

Ø यह पूरी राशि देश के तेल आयात बिल से अधिक है। आगामी दशक में भारत इस राशि को दोगुना करके 130 अरब डॉलर तक पहुंचा सकता है।

Ø भारत आज न केवल दुनिया का सबसे बड़ा विदेशों से धन पाने वाला देश है बल्कि इस मामले में वह सबसे तेज विकसित होते देशों में से भी एक है।

Ø वर्ष 1991 से विदेशों में रहने वाले भारतीयों द्वारा देश भेजे जाने वाले धन में 20 गुना का इजाफा हुआ है। जबकि वैश्विक स्तर पर यह इसके आधे से भी कम दर से बढ़ा है। यहां तक कि बीते दशक के दौरान देश के पुन:धनप्रेषण में 2.3 गुने की दर से बढ़ोतरी हुई जबकि वैश्विक वृद्घि दर 1.8 गुना रही। हालांकि वैश्विक वृद्घि में आई स्थिरता, बढ़ते राष्ट्रवाद और सीमा के आरपार वित्तीय प्रवाह की निगरानी की वजह से भारत और विश्व दोनों की धनप्रेषण दर में स्थिरता आई है।

But is this complete picture of Indian Diaspora? (क्या यह भारतीय प्रवासियों की पूर्ण तस्वीर है ?)

इन झटकों के बावजूद सच यही है कि विकसित देशों में प्रवासी श्रमिकों पर निर्भरता बहुत अधिक है। वर्ष 2000 से 2014 तक प्रवासियों ने उत्तरी अमेरिका, पश्चिमी यूरोप, ओशेनिया और खाड़ी सहयोग परिषद देशों के श्रमिकों में 40 से 80 फीसदी तक का योगदान किया। बीते 25 साल में भारतीय प्रवासियों की तादाद दोगुनी से ज्यादा हो गई है। उत्तरी अमेरिका और खाड़ी देशों में तो 70 फीसदी से अधिक भारतीय प्रवासी काम करते हैं। वहां उनकी तादाद इस अवधि में चार गुना बढ़ी है।

Ø तमाम प्रमाण बताते हैं कि लोगों के सीमापार आवागमन ने वैश्विक उत्पादन में इजाफा किया है। एमजीआई का अनुमान है कि वर्ष 2015 में वैश्विक जीडीपी में प्रवासियों का योगदान 67 अरब डॉलर यानी 9.4 फीसदी था।

Ø अगर वे अपने मूल देश में रहते तो यह राशि 30 अरब डॉलर कम होती। इस नवाचार से उन देशों को भी फायदा मिलता है जहां वे जाते हैं।

Ø वे अपने साथ अपने देश की उद्यमिता, सांस्कृतिक योगदान आदि लेकर जाते हैं। इसके बावजूद दुनिया के अलग-अलग देशों से आए प्रवासियों को स्थानीय कामगारों की तुलना में 20 से 30 फीसदी तक कम वेतन मिलता है। उनके बेरोजगार होने की आशंका भी ज्यादा होती है। अच्छी खबर यह है कि भारतीय प्रवासियों का प्रदर्शन प्राय: बेहतर रहा है। पश्चिमी यूरोप और अमेरिका में भारतीय प्रवासियों की बेरोजगारी स्थानीय कामगारों से बस एक या दो फीसदी ही कम है जबकि अन्य विकासशील देशों के प्रवासियों में यह 10 फीसदी तक ज्यादा है।

कौशल्युक्त श्रम की जरुरत ?

आने वाले दशकों में विकसित देशों में जनसंख्या वृद्धि दर कम होगी। ऐसे में प्रवासियों की जरूरत बढ़ेगी। ऐसे में आर्थिक वजहों से चीन, जर्मनी, जापान, ब्रिटेन और अमेरिका को कुशल कर्मियों की आवश्यकता होगी। ठीक वैसे ही जैसे ऑस्ट्रेलिया और कनाडा वर्षों से करते आ रहे हैं। यहां तक कि बढ़ती राष्ट्रवादी धारणाओं के दौर में भी ऐसा होगा। जाहिर है भारत को कुशल कर्मियों पर ध्यान देना चाहिए ताकि विदेशों में भारतीय प्रतिभाओं की मांग बढ़ती रहे।

सरकार का इस और कदम

इस वर्ष के आरंभ में प्रधानमंत्री ने प्रवासी कौशल विकास योजना आरंभ करने की बात कही थी ताकि विदेशों में रोजगार तलाश कर रहे देश के युवाओं को अधिक कुशल बनाया जा सके। इस प्रयास को आगे बढ़ाने के लिए इस कार्यक्रम में विभिन्न देशों की मांग का ध्यान रखा जाएगा ताकि प्रशिक्षण के दौरान इस बात का ध्यान रखा जा सके। इसके बाद प्रमाणित प्रशिक्षुओं को वहां भेजा जाएगा। फिलीपींस ने ऐसी ही नीति अपनाकर दुनिया भर में नर्सों की कमी को पहचाना और दूर किया। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2016 में फिलीपींस में 29 अरब डॉलर की राशि बाहर से आई जबकि वैश्विक स्तर पर काफी मंदी बनी रही।

Ø देश में लक्षित प्रशिक्षण और विदेशों में उनके प्रभावी ढंग से उनकी नियुक्तियों को अंजाम देने से इन प्रवासियों को कमाने की अधिक ताकत मिलेगी और वे ज्यादा धन देश में वापस भेज पाएंगे।

इसके सामाजिक लाभ भी हैं।

Ø विदेशों में काम करने के बाद ये कुशल कामगार अच्छे कारोबारी व्यवहार के ज्ञान के साथ देश में आते हैं। उनके पास बढ़िया वैश्विक संपर्क होते हैं और वे अधिक फंड और सहयोग आकर्षित कर सकते हैं। इसका सटीक उदाहरण है प्रवासियों द्वारा सिलिकन वैली में प्राप्त अनुभव का बेंगलूरु के आईटी उद्योग में इस्तेमाल। देश की नई नीति विदेशी निवेश के आकर्षक केंद्र के रूप में हमारी छवि को मजबूत कर रही है। इस दौरान अनिवासी भारतीयों पर खास ध्यान दिया जा रहा है।

भारत ने विदेशों में कार्यरत भारतीयों से खास अपील की है कि वे देश के आर्थिक विकास में योगदान दें। इसके लिए वे स्वच्छ भारत मिशन में सहयोग कर सकते हैं और साथ ही घरेलू कारोबारों में निवेश भी। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग एक संयुक्त शोध सुविधा की शुरुआत करने जा रहा है जो अनिवासी भारतीय वैज्ञानिकों और तकनीकविदों को शोध कार्य में शामिल होने की सुविधा देगी। अगले 10 वर्ष की अवधि में विदेशों में रहने वाले भारतीयों द्वारा भेजे जाने वाले धन की मात्रा दोगुनी करने का लक्ष्य हासिल करने के लिए भारत को एक ठोस नीति अपनानी पड़ेगी जिसमें सरकार और कारोबारी अन्य अर्थव्यवस्थाओं के साथ मिलकर काम करें। इसके अलावा कौशल विकास और शिक्षा का दायरा भी बढ़ाना होगा। देश के श्रमिकों को वैश्विक तैयारी से लैस करना आने वाले दिनों में देश में आने वाले धन में अल्पावधि में और अधिक इजाफा कर सकता है। वहीं इससे जो मानव संसाधन तैयार होगा वह लंबी अवधि में देश के लिए लाभदायक साबित होगा।

**

6.परंपरागत तरीकों से सूखे की समस्या को मात देते लोग

Hindustan Times

भारत में सूखे का इतिहास -

अभी देश से मानसून बहुत दूर है और भारत का बड़ा हिस्सा सूखे, पानी की कमी व पलायन से जूझ रहा है। बुंदेलखंड के तो सैकड़ों गांव वीरान होने शुरू भी हो गए हैं।

Ø एक सरकारी आंकड़े के मुताबिक, देश के लगभग सभी हिस्सों में बड़े जल संचयन स्थलों (जलाशयों) में पिछले साल की तुलना में कम पानी बचा है।

Ø यह सवाल हमारे देश में लगभग हर तीसरे साल खड़ा हो जाता है कि 'औसत से कम' पानी बरसा, तो तस्वीर क्या होगी? देश के 13 राज्यों के 135 जिलों की कोई दो करोड़ हेक्टेयर कृषि भूमि हर दस साल में चार बार पानी के लिए त्राहि-त्राहि करती है।

Ø भारत का क्षेत्रफल दुनिया की कुल जमीन या धरातल का 2.45 प्रतिशत है।

Ø दुनिया के कुल संसाधनों में से चार फीसदी हमारे पास हैं और जनसंख्या में हमारी भागीदारी 17.2 प्रतिशत है।

Ø हमें हर वर्ष बारिश से कुल 4,000 अरब घन मीटर (बीसीएम) पानी प्राप्त होता है, जबकि उपयोग लायक भूजल 1,869 अरब घन मीटर है। इसमें से महज 1,122 अरब घन मीटर पानी ही काम आता है।

जाहिर है, बारिश का जितना हल्ला होता है, उतना उसका असर पड़ना नहीं चाहिए। कम बारिश में भी उग आने वाले मोटे अनाज जैसे ज्वार, बाजरा, कुटकी आदि की खेती और इस्तेमाल सालों-साल कम हुए हैं, वहीं ज्यादा पानी मांगने वाले सोयाबीन व अन्य नगदी फसलों ने खेतों में अपना स्थान मजबूती से बढ़ाया है। इसके चलते देश में बारिश पर निर्भर खेती बढ़ी है।

GENERAL STUDIES HINDI

मानसून और भारतीय अर्थव्यवस्था

Ø हमारी लगभग तीन-चौथाई खेती बारिश के भरोसे है। जिस साल बादल कम बरसते हैं, आम आदमी के जीवन का पहिया जैसे पटरी से नीचे उतर जाता है।

Ø और एक बार गाड़ी नीचे उतरी, तो उसे अपनी पुरानी गति पाने में कई-कई साल लग जाते हैं। मौसम विज्ञान के मुताबिक, किसी इलाके की औसत बारिश से यदि 19 फीसदी से कम पानी बरसता है, तो इसे 'अनावृष्टि' कहते हैं। मगर जब बारिश इतनी कम हो कि उसकी माप औसत बारिश से 19 फीसदी से भी नीचे रह जाए, तो इसको 'सूखे' के हालात कहते हैं।

सूखा और समस्याएं -

Ø सूखे के कारण जमीन के कड़े होने या बंजर होने, खेती में सिंचाई की कमी, रोजगार घटने व पलायन, मवेशियों के लिए चारे या पानी की कमी जैसे संकट उभरते हैं।

Ø वैसे भारत में औसतन 110 सेंटीमीटर बारिश होती है, जो दुनिया के अधिकांश देशों से बहुत ज्यादा है। यह बात दीगर है कि हम हमारे यहां बरसने वाले कुल पानी का महज 15 प्रतिशत ही संचित कर पाते हैं।
Ø बाकी पानी नालियों, नदियों से होते हुए समुद्र से जाकर मिल जाता है और बेकार हो जाता है।

समस्या का समाधान : केस study

गुजरात के जूनागढ़, भावनगर, अमेरली और राजकोट के 100 गांवों ने पानी की आत्मनिर्भरता का गुर खुद ही सीखा। विछियावाड़ा गांव के लोगों ने डेढ़ लाख रुपये और कुछ दिनों की मेहनत के साथ 12 रोक बांध बनाए और एक ही बारिश में 300 एकड़ जमीन सींचने के लिए पर्याप्त पानी जुटा लिया। इतने में एक नलकूप भी नहीं लगता। ऐसे ही प्रयोग मध्य प्रदेश में झाबुआ व देवास में भी हुए। तलाशने चलें, तो कर्नाटक से लेकर असम तक और बिहार से लेकर बस्तर तक ऐसे हजारों हजार सफल प्रयोग सामने आ जाते हैं, जिनमें स्थानीय स्तर पर लोगों ने सूखे को मात दी।

खेती या बागान की घड़ा प्रणाली हमारी परंपरा का वह पारसमणि है, जो कम बारिश में भी सोना उगा सकती है। इसमें जमीन में गहराई में मिट्टी का घड़ा दबाना होता है। उसके आस-पास कंपोस्ट, नीम की खाद आदि डाल दें, तो बाग में खाद व रासायनिक दवाओं का खर्च बच जाता है। घड़े का मुंह खुला छोड देते हैं व उसमें पानी भर देते हैं। इस तरह एक घड़े के पानी से एक महीने तक पांच पौधों को सहजता से नमी मिलती है। जबकि नहर या ट्यूब वेल से इतने के लिए सौ लीटर से कम पानी नहीं लगेगा। ऐसी ही कई पारंपरिक प्रणालियां हमारे लोक-जीवन में उपलब्ध हैं और वे सभी कम पानी में शानदार जीवन के सूत्र हैं।

कम पानी के साथ बेहतर समाज का विकास कतई कठिन नहीं है, बस एक तो हर साल, हर महीने इस बात के लिए तैयारी रखनी होगी कि पानी की कमी है। दूसरा, ग्रामीण अंचलों की अल्प वर्षा से जुड़ी परेशानियों के निराकरण के लिए सूखे का इंतजार करने की बजाय इसे नियमित कार्य मानना होगा।

**

7. आईएएस अधिकारियों की उचित संख्या और जरूरत की हो समीक्षा

#Editorial_Business Standard

Analysis of Vacancy

केंद्र और राज्यों में भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के अधिकारियों की अधिकृत संख्या और उनकी वास्तविक संख्या में पिछले वर्ष तक अनुमानत: 1,470 का अंतर था। यानी कुल अधिकृत संख्या से करीब 23 फीसदी कम अधिकारी नियुक्त हैं। यह अंतर बहुत ज्यादा है। हालांकि पिछले कई वर्षों के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं इसलिए यह अनुमान नहीं लगाया जा सकता है कि यह अंतर बढ़ रहा है अथवा नहीं। लेकिन यह अंतर अकेले ही यह बताने के लिए पर्याप्त है कि देश में आईएएस सेवा के ढांचे की स्थिति क्या है।

GENERAL STUDIES HINDI

उपरोक्त आंकड़ों पर अगर गौर किया जाए तो इससे दो प्रश्न उत्पन्न होते हैं?

Ø आखिर क्यों राज्यों और केंद्र की सरकार ने इस अंतर को लगातार बढने दिया और इसे पाटने के लिए आवश्यक इंतजाम नहीं किए?

Ø सरकारी व्यवस्था में ज्यादा लोग ऐसे नहीं हैं जो इस बात को लेकर खास परेशान हों। क्या प्रशासन और शासन की जरूरतों की प्राथमिकता इतनी कम है कि इस प्रकार की कमी की अनदेखी की जा सकी?

अधिकारियों की अधिकृत संख्या और वास्तविक नियुक्ति के बीच के इस बढ़ते अंतर से उत्पन्न दूसरा सवाल तो और अधिक चिंतित करने वाला है। अगर आईएएस अधिकारियों की नियुक्ति में 23 फीसदी की कमी के साथ भी भलीभांति प्रशासनिक कामकाज चल रहा है तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ऐसे अधिकारियों की जरूरी संख्या का आकलन करने में किसी तरह की गड़बड़ी हो? बहुत संभव है कि विभिन्न क्षेत्रों में आईएएस अधिकारियों की आवश्यकता का जरूरत से अधिक आकलन किया गया हो। यह काम तो तथाकथित

नियोजन के नाम पर भी हो सकता है जहां अचानक कर्मचारियों की कमी या आपातकालीन हालात को ध्यान में रखते हुए कदम उठाया जाए।

तात्कालिक आवश्यकता है एक देशव्यापी आकलन

अगर ऐसी बात है तो फिर तात्कालिक आवश्यकता है एक देशव्यापी आकलन करके आईएएस अधिकारियों का एक अधिक वास्तविक आकलन किया जाना चाहिए। जिससे यह पता चल सके कि केंद्र और राज्यों में आखिर ऐसे कितने अधिकारियों की आवश्यकता है। यह सवाल तो किसी के भी दिमाग में आएगा ही कि अगर सरकार इन 23 फीसदी अधिकारियों के बिना काम चला सकती है तो उसे तत्काल इन रिक्तियों को समाप्त कर अपना आकार छोटा करने की कवायद शुरू कर देनी चाहिए। यह पहला चरण होना चाहिए। इसके बाद दूसरे चरण में इस बात का नए सिरे से आकलन किया जाना चाहिए कि हर राज्य और केंद्र में आईएएस के कितने पद होने चाहिए?

तीसरे चरण में हर पांच साल में राज्यों में आईएएस की जरूरत की समीक्षा की व्यवस्था समाप्त की जानी चाहिए। अब हर पांच साल पर होने वाली समीक्षा के बजाय इसे केंद्र या राज्य की वक्ती जरूरत के मुताबिक अंजाम दिया जाना चाहिए। राज्य स्तर पर आईएएस अधिकारियों की ऐसी समीक्षा उत्तर प्रदेश में दिसंबर 2014 में की गई। उस समीक्षा के बाद उत्तर प्रदेश के आईएएस अधिकारियों की संख्या पांच फीसदी बढ़ाकर 621 कर दी गई। राज्यों में आईएएस अधिकारियों की संख्या बढ़ाने संबंधी समीक्षा पर भविष्य में रोक लगाई जानी चाहिए। इसके बजाय अब अधिकारियों की वास्तविक आवश्यकता का नए सिरे से आकलन किया जाना चाहिए।

केंद्रीय कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय न अधिकारियों की कमी के बारे में यही कहता है कि उनकी सालाना भर्ती की संख्या बढ़ाई जा रही है। लेकिन 23 फीसदी की कमी की समस्या नई नहीं है। सरकार पिछले कई सालों से इस कमी और इस अंतर से जूझ रही है। इसलिए कहा जा सकता है कि यह समस्या केवल आपूर्ति के मोर्चे पर हल नहीं की जा सकती है। इसके बजाय जरूरत इस बात की है कि मांग के क्षेत्र में नए सिरे से आकलन कर हल तलाशने का प्रयास किया जाए।

यहां एक और मुद्दा है। आईएएस अधिकारियों की अधिकृत संख्या और वास्तविक तैनाती में सबसे बड़ा अंतर बिहार में 37 फीसदी का है जबकि सबसे कम अंतर राजस्थान में 14 फीसदी है। संभव है कि प्रशासन और आईएएस अधिकारियों की नियुक्ति में कमी को लेकर कोई सहसंबंध स्थापित किया जा सके। एक आकलन जो ऐसे संबंध पर या इसकी कमी की ओर संकेत कर सकता है, उसकी मदद से यह पता लगाया जा सकता है कि आदर्श स्थिति में विभिन्न राज्यों में कितने आईएएस अधिकारियों की जरूरत होगी।

रोचक बात है कि छत्तीसगढ़ और पंजाब में यह कमी क्रमश: केवल 15 और 16 फीसदी है। जबकि मध्य प्रदेश, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम और केंद्र शासित प्रदेशों में यह कमी 18-19 फीसदी के दायरे में बनी हुई है। इसके विपरीत बेहतर प्रशासित राज्यों में कमी बनी हुई है। इससे यह प्रश्न पैदा होता है कि वाकई अच्छे प्रशासन और अधिकारियों के आंकड़े में क्या संबंध है। महाराष्ट्र, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में से प्रत्येक में यह अंतर 22 फीसदी है, गुजरात और तमिलनाडु में 24 फीसदी, कर्नाटक और पश्चिम बंगाल में 28 फीसदी और केरल में यह अंतर 32 फीसदी है।

यह दलील देना संभव है कि इनमें से कुछ राज्यों में अब प्रशासन पहले की तरह बेहतर नहीं रह गया है और आईएएस अधिकारियों की संख्या में कमी की वजह से ही यह अंतर देखने को मिल रहा है। लेकिन राज्यों में प्रतिशत का यह अंतर बताता है कि देश में आईएएस अधिकारियों की तादाद और उनकी आवश्यकता की

नए सिरे से समीक्षा करने की आवश्यकता है। इसके बजाय लगातार बड़ी तादाद में आईएएस अधिकारियों की भर्ती की जा रही है ताकि उस कमी को दूर किया जाए।

**

8. नौकरी के क्षेत्र में महिलाओं की स्थिति

#Business Standard Editorial

Some facts:

- देश के सबसे बड़े बैंक में शुरुआती स्तर पर 33 फीसदी महिला कर्मचारी हैं। अलबत्ता शीर्ष प्रबंधन स्तर पर यह संख्या महज 4 फीसदी
- आईसीआईसीआई ग्रुप द्वारा किए गए एक अध्ययन के मुताबिक कनिष्ठï प्रबंधन स्तर पर जितने कर्मचारी नौकरी छोड़ते हैं उनमें महिलाओं की संख्या उनके प्रतिनिधित्व से दो फीसदी ज्यादा है। दूसरे शब्दों में कहें तो इस स्तर पर महिलाओं की संख्या 25 फीसदी है जबकि नौकरी छोडऩे वाले कर्मचारियों में उनकी संख्या 27 फीसदी है। इससे ऊपरी स्तर पर उनकी आपूर्ति लाइन प्रभावित होती है।

An analysis:

- बैंक में माध्यमिक प्रबंधन स्तर पर भी महिलाओं के नौकरी छोडऩे की दर इसी अनुपात में है। ऐसा इसलिए है क्योंकि कनिष्ठï प्रबंधन स्तर पर अधिकांश महिलाओं की उम्र 26 से 30 के बीच होती है। यह वह उम्र होती है जब उनकी शादी होती है और वे परिवार शुरू करती हैं। अध्ययन में कहा गया है कि इस स्तर पर महिलाओं के नौकरी छोडऩे की दर दो फीसदी ज्यादा होने के बीच यही एकमात्र नहीं हो सकता है लेकिन यह स्पष्टï है कि यह एक अहम कारण है।
- विश्व बैंक के मुताबिक भारत के कामगारों में केवल एक चौथाई ही महिलाएं हैं जो दुनिया के औसत 50 फीसदी से बहुत कम है।
- देश की कामकाजी महिलाओं में करीब 63 फीसदी खेतों में काम करती हैं। कृषि क्षेत्र के इतर दूसरे क्षेत्रों में महिलाओं की हिस्सेदारी 20 फीसदी से भी कम है। वास्तव में परेशान करने वाली तस्वीर है। पिछले कुछ दशकों से शिक्षा तक महिलाओं की पहुंच बढ़ी है लेकिन करीब 78 फीसदी पात्र स्नातक महिलाएं संगठित कार्यबल का हिस्सा नहीं बनती हैं। ये वे महिलाएं होती हैं जो केवल सामाजिक कारणों से अपनी पढ़ाई पूरी करती हैं, न कि संगठित कार्यबल में भागीदार बनने की इच्छा के कारण। यही कारण है कि अधिकांश स्तरों पर महिलाओं के नौकरी छोडऩे की स्थिति में उनकी जगह पुरुषों को ही रखा जाता है।

इस पारंपरिक सोच में शायद ही कोई सच्चाई है कि देश के शहरी इलाकों में महिलाओं के लिए स्थिति बेहतर है।

- उदाहरण के लिए राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण (68वां दौर) के मुताबिक 2011-12 में ग्रामीण इलाको में प्रत्येक 100 महिलाओं में से 24.8 काम करती हैं। पुरुषों के मामले में यह संख्या 54.3 थी।
- शहरी क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी बेहद कम थी। वहां प्रत्येक 54.6 फीसदी कामगार पुरुषों पर केवल 14.7 कामकाजी महिलाएं थीं।

इसके बहुत कारण हैं:

- महिलाओं को महिला होने के कारण कुछ नौकरियों में नजरअंदाज किया जाता है और उन्हें पुरुषों के बराबर वेतन नहीं दिया जाता है।
- कार्यस्थलों पर उनके साथ कई तरह से भेदभाव होता है।
- कंपनियों का कहना है कि पुरुषों एवं महिलाओं के वेतन में अंतर इसलिए मौजूद है क्योंकि महिलाओं की जिम्मेदारी काम और परिवार के बीच बंटी होती है

- । महिलाओं को परिवार पर ध्यान देने के लिए नौकरी छोडऩी पड़ती है। जब तक वे फिर से नौकरी पर लौटती हैं तब तक गाड़ी उनके हाथ से निकल चुकी होती है।

ऐसे साक्ष्य मौजूद हैं कि अनुभवी होने के बाद करियर के मध्य में महिलाओं के स्वैच्छिक रूप से नौकरी छोडऩे की दर पुरुषों से दो से तीन गुना ज्यादा होती है। लेकिन महिलाओं के साथ नौकरी के किसी भी स्तर पर भेदभाव हो सकता है। भर्ती से लेकर, पारिश्रमिक, व्यावसायिक पृथक्करण और छंटनी तक। महिलाओं और पुरुषों की अर्थव्यवस्था के अलग-अलग क्षेत्रों में काम करने की प्रवृत्ति होती है और वे एक ही व्यावसायिक समूह में अलग-अलग पदों पर काम करते हैं। महिलाओं को पुरुषों की अपेक्षा सीमित काम दिया जाता है और उनके पार्ट टाइम या शॉर्ट टाइम काम करने की ज्यादा संभावना होती है। प्रोन्नति और करियर विकास में भी उन्हें कई तरह की बाधाओं का सामना करना पड़ता है।

**

9.गिलगित-बाल्टिस्तान पर पाकिस्तान का कदम : क्या भारत के लिए चिंता का विषय

Reference :http://www.asianage.com/opinion/edit/180317/gilgit-move-unacceptable.html

सन्दर्भ :

पाकिस्तान गिलगित-बाल्टिस्तान का दर्जा बदलने की तैयारी में है| जम्मू-कश्मीर का यह अभिन्न हिस्सा 1947 से पाकिस्तान के अवैध कब्जे में है| बताया जा रहा है कि इसे अब राज्य का पांचवां राज्य घोषित करने की तैयारी है. यह काम इस तरह से किया जा रहा है कि भारत इसका विरोध न कर सके. लेकिन यह एकतरफा फैसला भारत-पाकिस्तान संबंधों को सामान्य करने की दिशा में उल्टा कदम चलने जैसा होगा. इससे दोनों देशों के रिश्तों में एक और दरार आनी तय है.

शिमला समझौते के खिलाफ

इस्लामाबाद की यह योजना 1972 के शिमला समझौते और 1999 के लाहौर घोषणापत्र का उल्लंघन है. इनमें भारत और पाकिस्तान ने अपने विवाद, जिनमें कश्मीर से जुड़े मुद्दे भी शामिल हैं, आपसी बातचीत से हल करने की सहमति जताई थी.

क्या पूर्व में भी यह किया गया

- गिलगित-बाल्टिस्तान को जम्मू और कश्मीर के राजनीतिक भूगोल से अलग करने का दांव नया नहीं है. 1970 में पाकिस्तान ने इसे प्रशासनिक रूप से पाक अधिकृत कश्मीर से अलग कर दिया था. राष्ट्रपति जिया उल हक के राज में यहां की जनसांख्यिकी को बदलने का भी काम हुआ. यहां शियाओं की आबादी ज्यादा थी सो पाकिस्तान के दूसरे हिस्सों से सुन्नी समुदाय के लोगों को लाकर यहां बसाया गया.
- इसके बाद गिलगित-बाल्टिस्तान को पाकिस्तान का नया राज्य बनाने के लिए एक कृत्रिम मांग पैदा की गई ताकि इसकी जम्मू-कश्मीर के एक हिस्से वाली पहचान खत्म हो जाए. यही कवायद अब पूरी होने की तरफ बढ़ती लग रही है जैसा कि इन दिनों पाकिस्तान के विदेश मंत्री के समकक्ष सरताज अजीज की अगुवाई वाली कमेटी की एक लीक हुई रिपोर्ट बता रही है.

GENERAL STUDIES HINDI

यह कदम चीन के दबाव में उठाया जा रहा है ताकि गिलगित-बाल्टिस्तान के दर्जे को लेकर मौजूद अनिश्चितता खत्म हो जाए क्योंकि पाकिस्तान में चीनी परियोजनाओं का एक बड़ा हिस्सा यहां और इसके आसपास के इलाकों में बन रहा है. अगर ऐसा है तो भारत को राजनयिक स्तर पर इस कवायद का मुकाबला करने के लिए तैयार हो जाना चाहिए

**

10.निजी अस्पतालों की मुनाफाखोरी

#Editoriall_Dainik_Tribune

भारत में स्वास्थ्य का हाल और हाल ही का सन्दर्भ

हमारे देश का स्वास्थ्य ढांचा यूं ही चरमराया हुआ है, ऊपर से दवाओं और चिकित्सा उपकरणों की महंगाई लोगों के लिए और मुसीबतें खड़ी करती रही है। हाल में दिल के मरीजों में लगाए जाने वाले स्टेंट की कीमत को लेकर हुआ है। इधर जब नेशनल फार्मास्युटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी (एनपीपीए) ने ऐसी ही एक धांधली का खुलासा दिल की धमनियों में लगाए जाने वाले स्टेंट के बारे में किया, जिससे पता चला कि कैसे दवा कंपनियां, अस्पताल और डॉक्टर तक मरीजों को लूटने के लिए गोरखधंधे में वर्षों से लिप्त रहे हैं। एनपीपीए ने हाल में ही जानकारी दी थी कि स्टेंट की खरीददारी में सबसे ज्यादा मार्जिन अस्पतालों का होता है जो 650 फीसदी तक होता है। पर ऑपरेशन टेबल पर पड़े मरीजों और उनके तीमारदारों को भय दिखाकर स्टेंट जरूरी बताया जाता रहा है और उसे अनाप-शनाप दामों पर बेचकर खासतौर से अस्पताल भारी कमाई करते रहे हैं।

- एनपीपीए ने इस बारे में जारी अपनी रिपोर्ट में कहा कि स्टेंट की बिक्री में वितरकों का औसत मार्जिन 13 से 200 फीसदी और अस्पतालों का मार्जिन 11 से 654 फीसदी तक होता है।
- साफ है कि ऐसे ज्यादातर मामलों में अस्पताल और कार्डियोलॉजिस्ट ही स्टेंट की कीमत तय करते हैं। एं
- जियोप्लास्टी या बाईपास सर्जरी के वक्त वे मरीज के तीमारदारों को इसके लिए प्रेरित करते हैं कि वे धमनी की रुकावट दूर करने के लिए बढ़िया से बढ़िया स्टेंट डलवाएं

इन्हीं बातों के मद्देनजर एनपीपीए ने स्टेंट की मुनाफाखोरी रोकने के उपाय इधर हाल में घोषित किए हैं, जिनके मुताबिक अब यह जिम्मेदारी स्टेंट बनाने वाली कंपनी की ही होगी कि वह अपने हर विक्रेता को संशोधित मूल्य सूची उपलब्ध कराएगी और ज्यादा रकम वसूली का मामला पकड़े जाने पर संबंधित कंपनी को भी इसके लिए जिम्मेदार माना जाएगा।

साथ ही एनपीपीए ने स्टेंट को अनिवार्य औषधि सूची में शामिल कर इसकी कीमत की अधिकतम सीमा भी तय की है। इसके अनुसार बेयर मेटल स्टेंट 7,623 रुपये, ड्रग एल्यूटिंग स्टेंट व बायोरिचार्जेबल स्टेंट 31,080 रुपये से ज्यादा कीमत में नहीं बेचे जा सकेंगे। पर इस पाबंदी का असर यह हुआ कि अस्पतालों से स्टेंट ही गायब हो गए। इसी से साबित होता कि कैसे अस्पताल और कंपनियां सिर्फ अपने मुनाफे की चिंता करते हैं।

हैरानी नहीं कि इसी मिलीभगत का नतीजा है कि वर्ष 2016-17 में स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्च के लिए जो राशि (20,511 करोड़ रुपये) केंद्रीय बजट में रखी गई, उसके 40 फीसदी हिस्से के बराबर रकम सिर्फ स्टेंट पर ही खर्च का अनुमान लगाया गया। इस आकलन का आधार वर्ष 2015 में पूरे देश में बेचे गए छह लाख स्टेंट हैं, जिनमें से 1.3 लाख स्टेंट का खर्च सरकारी इंश्योरेंस कंपनियों ने उठाया। जबकि 4.40 लाख स्टेंट की कीमत लोगों ने निजी तौर पर चुकाई। कुल मिलाकर स्टेंट पर खर्च 3,656 करोड़ रुपये बैठा। सवाल है कि क्या स्टेंट की कीमतों पर लगाई गई बंदिशों के बावजूद दवा लॉबी और अस्तपाल अपनी अंधाधुंध कमाई के ये रास्ते बंद होने देंगे?

- एक तो खुद दवा उद्योग ऐसे नियंत्रण के सख्त खिलाफ जान पड़ता है और दूसरे बहुराष्ट्रीय दवा कंपनियां महंगे पेटेंटों का हवाला देकर दवाओं की कीमतों में अनाप-शनाप बढ़ोतरी भी करती रही हैं।
- **ऐसे में सवाल उठता है कि उन मरीजों के इलाज का क्या होगा** जो न तो किसी बीमारी में बेहद महंगी दवाएं खरीद सकते हैं और न ही उनके पास महंगे इलाज की भरपाई करने का कोई साधन होता है, जैसे कि मेडिकल इंश्योरेंस।
- दवा, उपकरण की कीमत और इलाज के खर्च में सैकड़ों-हजारों गुना इजाफे के पीछे अगर हम इस तथ्य पर निगाह डाल पाएं कि कैसे फार्मा लॉबी अमेरिका से लेकर हर छोटे-बड़े मुल्क के राजनीतिक

सिस्टम में भारी पैसा झोंकती है, राजनेताओं को चुनाव खर्च मुहैया कराती है तो समझ में आ जाएगा कि कीमतों का यह सारा गोरखधंधा आखिर अब तक चलता क्यों आ रहा है।

- दवा कंपनियां और अस्पताल सारे खर्च की भरपाई आखिर आम मरीजों से ही करते हैं क्योंकि चोरीछिपे उन्हें ऐसा करने की छूट सरकारें ही देती हैं।

**

11.क्या भारत को चीन पर अपनी रणनीति पूरी तरह से बदलने की जरूरत है?

#Editorial Asian Age (http://www.asianage.com/opinion/edit/240217/china-dialogue-replay.html)

- अहम मुद्दों पर भारत और चीन की बातचीत से ऐसा लगता है कि सब कुछ वैसे ही हो रहा है जैसे अब तक होता आया है
- चीन ने मसूद अजहर पर संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंध को लेकर भारत की उत्सुकता के प्रति कोई सकारात्मक रुख नहीं दिखाया है. बल्कि देखा जाए अब यह कोशिश भारत के अलावा अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस जैसे देश कर रहे हैं और खुद पाकिस्तान भी ऐसे कदम उठा रहा है जिनसे संकेत मिलता है कि उसे भी मसूद अजहर के संगठन के खिलाफ कार्रवाई करने की जरूरत महसूस हो रही है.
- लेकिन इस सब का चीन पर कोई असर होता नहीं दिखता जो इस मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र में किसी भी प्रस्ताव को वीटो करना जारी रखेगा.
- परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह यानी एनसजी में भारत का दाखिल होना एक जिम्मेदार परमाणु शक्ति की अभिलाषा है.
- लेकिन यहां भी चीन इस पुराने तर्क पर अड़ा हुआ है कि जिन देशों ने परमाणु अप्रसार संधि पर दस्तखत नहीं किए हैं, उन्हें एनएसजी में प्रवेश न दिया जाए.
- विदेश सचिव एस जयशंकर की इस हफ्ते चीन के उप विदेश मंत्री झांग येसु से हुई बातचीत कहीं पहुंचती नहीं दिखी है. भारत ने भी यह जताने में कोई संकोच नहीं बरता है कि हमारे नजरिये अलग-अलग हैं
- चीन का मानना है कि अजहर और एनसजी को लेकर भारत की मांग दो देशों का नहीं बल्कि बहुपक्षीय मुद्दा है
- इसने भारत को अपनी सिल्क रूट योजना में शामिल होने का आकर्षक प्रस्ताव दिया है जो भारत स्वीकार नहीं कर सकता क्योंकि इसके तहत बनने वाला चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारा उस इलाके से भी गुजरता है जिस पर भारत दावा करता है और जो इस समय पाकिस्तान के कब्जे में है
- चीन को ऐसी बातचीत पसंद है जहां वह अपने नजरिये पर जोर देता है लेकिन भारत का पक्ष समझने से इनकार करता है. अब भारत को चीन को लेकर अपनी सारी रणनीति बदले की जरूरत है या फिर उसे संवाद की इसी प्रक्रिया को जारी रखना चाहिए, यह सरकार की नीति का विषय है. यह जरूर है कि बातचीत से कभी कोई नुकसान नहीं होता

**

12.मजदूर संगठन और असंगठित क्षेत्र

#Business_Standard Editorial

Trade Unions in India

इस समय देश में करीब 20,000 मजदूर संगठन ट्रेड यूनियन ऐक्ट ऑफ 1926 के अधीन पंजीकृत हैं। हालांकि इस सूची को अद्यतन किए जाने की आवश्यकता है। देश के तमाम हिस्सों में बिखरे पड़े ये छोटे मजदूर संगठन देश के पांच प्रमुख केंद्रीय मजदूर संगठनों से जुड़े हुए हैं।

- इंडियन नैशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस (इंटक) के 3.3 करोड़ सदस्य हैं और यह कांग्रेस से संबद्घ है।

- भारतीय मजदूर संघ (बीएमएस) के 1.7 करोड़ सदस्य हैं और यह भाजपा से संबद्घ है।
- आल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस (एटक) के 1.4 करोड़ सदस्य हैं और यह भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की सदस्य है।
- हिंद मजदूर संघ एक स्वतंत्र संगठन है जिसके 90 लाख सदस्य हैं।
- सेंटर ऑप्ऊ इंडियन ट्रेड यूनियंस (सीटू) के 57 लाख सदस्य हैं और यह माक्र्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी से संबंधित है।

इन संगठनों के दावों पर यकीन करें तो इनके कुल सदस्यों में से **तकरीबन 90 फीसदी संगठित क्षेत्र से आते हैं** जबकि 20 फीसदी असंगठित क्षेत्र से। देश के समस्त कामगारों की गिनती करें तो यह आंकड़ा करीब 50 करोड़ है। ऐसे में कहा जा सकता है कि ये आंकड़े बहुत बढ़ाचढ़ाकर नहीं पेश किए गए हैं। देश के समस्त श्रमिकों के प्रतिनिधित्व में उनकी हिस्सेदारी 15 फीसदी की है। यानी हर चार में से एक श्रमिक का प्रतिनिधित्व ये संगठन करते हैं।

- भारत की प्रति व्यक्ति आय क्रय शक्ति क्षमता के अनुसार भी विकसित देशों की सर्वोच्च आय के दशमांश के बराबर ही है। देश की श्रम शक्ति में असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की हिस्सेदारी 90 फीसदी है और उनको पूरी सामाजिक सुरक्षा तक हासिल नहीं है।
- सन 1974 की रेलवे हड़ताल और सन 1982 की मुंबई कपड़ा क्षेत्र की हड़ताल को संगठित क्षेत्र के मजदूरों और मालिकों के बीच शह और मात का लंबा उदाहरण माना जाता है। संगठित क्षेत्र के मजदूर अन्यथा बेहतर स्थिति में होते हैं और उनकी हड़ताल ने ये सवाल उठाए कि क्या मजदूर संगठनों की ऐसी सक्रियता देश हित में है या नहीं?

Situation in West

- पश्चिमी देशों में इन संगठनों की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक महत्ता सन 1980 के दशक से तेजी से कम हुई है। उदाहरण के लिए यूनाइटेड किंगडम की प्रधानमंत्री रही मागरिट थैचर सन 1983 में कोयला खननकर्मियों का सफल मुकाबला करने में कामयाब रहीं। थैचर की कंजरवेटिव पार्टी ने हड़ताल को कानूनन कठिन बनाकर इन संगठनों को कमजोर कर दिया। टोनी ब्लेयर की सरकार ने भी थैचर के इन निर्णयों में कोई बदलाव नहीं किया। यूनाइटेड किंगडम में इन संगठनों की सदस्यता सन 1979 के 13 करोड़ से घटकर वर्ष 2013 में 60 लाख तक आ गई। अमेरिका में अमेरिकन फेडरेशन ऑफ लेबर ऐंड कांग्रेस ऑफ इंडस्ट्रियल ऑर्गनाइजेशन (एफएल-सीआईओ) मजदूर संगठनों का सबसे बड़ा संगठन है। एएफएल-सीआईओ की सदस्यता भी वर्ष 1983 के 1.77 करोड़ से घटकर वर्ष 2013 में 1.45 करोड़ रह गई। सन 1983 में अमेरिका में किसी संगठन में औसतन 20 फीसदी सदस्य थे जो अब 10 फीसदी रह गए हैं। सन 2013 में फ्रांस में यह सदस्यता 7 प्रतिशत, जर्मनी में 18 प्रतिशत और कनाडा में 27 प्रतिशत थी।
- पश्चिमी देशों खासतौर पर पश्चिमी यूरोप में मजदूर संगठन खासे सफल रहे। वे सरकारों को शिक्षा, न्यूनतम मेहनताना, सुरक्षित कार्य परिस्थितियों, बेरोजगारी और स्वास्थ्य भत्ता और पेंशन आदि का लाभ दिलाने में सफल रहे। इससे श्रमिकों के बीच इन संगठनों की जरूरत भी कम होती गई। बहरहाल ब्रेक्सिट वोट और अमेरिका में टं्रप की जीत यह बताती है कि दोनों देशों के कामगार अत्यधिक खिन्न हैं। क्या दुनिया भर में बढ़ती आय और संपत्ति की असमानता ने उनको खिन्न और निराश किया है?

Inidian Scenario

सन 1980 के दशक तक भारतीय मजदूर संगठनों के नेता रोजगार की परिस्थितियों और राजनीतिक-आर्थिक मुद्दों पर जो नजरिया रखते थे वह काफी हद तक मीडिया में नजर आता था। सन 1990 के दशक से इन संगठनों की मोलतोल करने की क्षमता और राष्ट्रीय महत्त्व के मुद्दों पर राय रखने की उनकी क्षमता में लगातार

गिरावट आती गई। अब अगर इन मुद्दों पर उनकी कोई राय सामने नहीं आ रही है तो इसकी वजह शायद यह है कि उनके पास राष्ट्रव्यापी समझ वाला नेतृत्त्व नहीं है और न ही उनके नेता अपना नजरिया विश्वासपूर्वक देश के सामने रख पा रहे हैं। एक अन्य वजह यह भी हो सकती है कि वे राजनीतिक दलों से जुड़े हुए हैं इसलिए उनमें स्वतंत्र विचारशक्ति लगभग समाप्त हो चली है।

Need to mould to fight for unorganised sector

- इन प्रमुख मजदूर संगठनों में नेतृत्व का मसला तभी हल होगा जब वे अपने आपको असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए प्रासंगिक बना सकें।
- कामगारों को भी ऐसे प्रतिबद्घ नेताओं की आवश्यकता है जो उनके लिए जीवन परिस्थितियों को सही बना सकें और उनके अधिकारों के लिए लड़ सकें।

आज से 10 साल पहले इन श्रमिकों को शामिल करना मुश्किल हो सकता था लेकिन अब 90 करोड़ आधार कार्ड बन जाने के बाद आसानी से ऐसा किया जा सकता है। अगर ऐसा किया जा सका तो इन संगठनों को अपने सदस्य जोडऩे में मदद मिलेगी और वे असंगठित मजदूरों को भी सदस्य बना सकेंगे। यह बात इन संगठनों के नेताओं और उन राजनीतिक दलों के नेताओं के लिए भी उल्लेखनीय होगी जिनसे वे संबद्घता रखते हैं। इनकी मदद से वे न केवल दबाव बना सकते हैं बल्कि तत्काल किसी बात पर प्रतिपुष्टि भी हासिल कर सकते हैं। यह बात इन मजदूरों को सरकार या प्रबंधन के साथ बातचीत में मजबूत बनाएगी।

**

MISCELLANEOUS

1.भारत, जापान को पछाड़ बना दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा एविएशन मार्केट

- घरेलू यात्रियों के मामले में भारत जापान को पछाड़ते हुए तीसरा सबसे बड़ा एविएशन मार्केट बन गया है।
- सिडनी के विमानन क्षेत्र के थिंक-टैंक सेंटर फॉर एशिया पैसिफिक एविएशन की हालिया रिपोर्ट में कहा गया है कि 2016 में भारत के घरेलू विमानन यात्रियों की संख्या 10 करोड़ रही है।
- अमेरिका इस मामले में 71.9 करोड़ यात्रियों की संख्या के साथ पहले स्थान और 43.6 करोड़ यात्रियों के साथ चीन दूसरे स्थान पर है।
- रिपोर्ट के मुताबिक भारत इस मामले में जापान को पीछे छोड़ तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। साल 2016 में वहां घरेलू यात्रियों की संख्या 9.7 करोड़ रही।
- देश में घरेलू यात्रियों की संख्या 2015 और 2016 में 20-25 प्रतिशत की दर से बढ़ी है। इस साल जनवरी में ये बढ़ोतरी 25.13 प्रतिशत के स्तर को पार कर गई। हालांकि, फरवरी में यह केवल 16 प्रतिशत रही।

जनसांख्यिकी : जापान और भारत के मध्य तुलनात्मक आंकड़े

भारत दुनिया का सबसे युवा देशों में से है, जबकि जापान सबसे बूढ़ा देश है. जापान की कुल आबादी करीब 12 करोड़ 70 लाख है, और इसमें से 65 वर्ष से ज्यादा उम्र के लोगों की संख्या 3 करोड़ 41 लाख है, जो कुल जनसंख्या का करीब 27 प्रतिशत है. ऐसा अनुमान है कि 2050 तक जापान की करीब 36 प्रतिशत आबादी बूढ़ी होगी. और वर्ष 2060 आते आते जापान की 40 प्रतिशत आबादी बूढ़ी होगी. जापान में 2010 से लेकर 2015 तक के बीच 5 वर्षों में जनसंख्या में करीब 10 लाख की कमी आई है.

इसकी वजह ये है कि जापान में बच्चों की जन्म दर बहुत गिर गई है. इसी का एक प्रभाव ये है कि वहां बुज़ुर्गों की संख्या तेज़ी से बढ़ रही है. जापान में 1995 में एक घर में औसतन 2.82 यानी कम से कम दो लोग रहते थे, 2015 में ये औसत घटकर 2.39 हो गया. जबकि भारत में एक घर में औसतन 4.8 यानी कम से कम 4 लोग रहते हैं. इसके अलावा आपको जानकर हैरानी होगी कि जापान में करीब 5 करोड़ 20 लाख लोग ऐसे हैं, जो अकेले हैं. ये पूरी जनसंख्या का साढ़े 32 प्रतिशत है.

जापान में 15 वर्ष से ज्यादा उम्र के 32 प्रतिशत पुरुषों ने शादी ही नहीं की है, जबकि जापान की 23 प्रतिशत महिलाओं ने कभी भी शादी नहीं की. इसीलिए जापान में बच्चे कम हैं और बूढ़े ज्यादा.

लेकिन बहुत जल्द जापान वाली ये समस्या भारत में भी आने वाली है. भारत में अभी सिर्फ साढ़े 8 प्रतिशत बुजुर्ग रहते हैं, लेकिन 2050 तक भारत की कुल आबादी के 19 प्रतिशत लोग बूढ़े हो जाएंगे. इसलिए भारत को भी आने वाले वक्त में इसके लिए तैयार रहना चाहिए.

**

2.विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2017

2017 के विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का स्थान 2016 के मुकाबले तीन पायदान नीचे रहा है. इसमें भारत को 136वां स्थान मिला है जो पत्रकारिता के लिए 'मुश्किल परिस्थिति' वाले देशों की श्रेणी है. इसमें अफगानिस्तान और पाकिस्तान जैसे भारत के पड़ोसी देश आते हैं

- भारत में प्रेस की आजादी की बाधाओं का जिक्र करते हुए रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि यहां हिंदू राष्ट्रवादियों द्वारा राष्ट्रीय बहसों में दखल देने की कोशिशें और मुख्यधारा के मीडिया में सेल्फ-सेंसरशिप में तेजी आई है
- इसके अलावा कट्टर राष्ट्रवादियों द्वारा पत्रकारों के खिलाफ ऑनलाइन दुष्प्रचार अभियान के मामले और उन्हें शारीरिक नुकसान पहुंचाने की धमकियों भी बढ़ी हैं.
- निगरानीकर्ता समूह ने पूरी दुनिया में प्रेस की आजादी को सीमित करने की कोशिशों पर चिंता जाहिर की है. उसने अपनी रिपोर्ट में कहा है, 'हम, खास तौर पर लोकतांत्रिक देशों में सच्चाई से परे भावुक अपीलों, दुष्प्रचार और आजादी के दमन के समय में पहुंच चुके हैं. लोकतांत्रिक देश सूचकांक में लगातार नीचे खिसक रहे हैं जो अभूतपूर्व है, लेकिन उनमें इस गिरावट को रोकने की कोई कोशिश नहीं दिखाई देती.'
- 2017 के प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में कई देशों का प्रदर्शन पिछले साल की तुलना में कमजोर रहा है. उदाहरण के लिए ब्रिटेन, अमेरिका और चिली दो-दो स्थान की गिरावट के साथ क्रमशः 40वें, 43वें और 33वें स्थान पर, जबकि न्यूजीलैंड आठ स्थान की गिरावट के साथ 13वें स्थान पर आए हैं. वहीं, रूस में प्रेस की आजादी की स्थिति में कोई सुधार नहीं आया है. वह पिछले साल की तरह 148वें स्थान पर ही बना हुआ है. प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में नॉर्वे पहले और उत्तर कोरिया आखिरी स्थान पर है.

**

3.भारत को भेजे जाने वाले पैसे/ रेमिटेंस में कमी आई लेकिन इस मामले में अब भी नंबर वन : विश्व बैंक (World Bank) रिपोर्ट

★ विश्व बैंक की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक, विदेशों में काम कर रहे भारतीयों द्वारा अपने घर यानी भारत भेजे जाने वाले पैसे (रेमिटेंस) में बीते साल 8.9 प्रतिशत की गिरावट देखी गई.

★ हालांकि इस गिरावट के बावजूद भारत विदेशों से इस तरह की मनीऑर्डर राशि हासिल करने वाले देशों में पहले स्थान पर बना हुआ है.

★ विश्व बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक, इसके अनुसार विकासशील देशों को भेजे जाने वाले विदेशी मनीऑर्डर में 2016 में लगातार दूसरे साल गिरावट आई. तीस साल में पहले ऐसा कभी नहीं देखा गया.

=>गिरावट का कारण :-

★ इस गिरावट के लिए मुख्य रूप से तेल कीमतों में गिरावट तथा पश्चिम एशिया के तेल उत्पादक देशों द्वारा कड़े वित्तीय अनुशासन अपनाए जाने को जिम्मेदार बताया जा रहा है.

★ पश्चिम एशिया में भारतीय बड़ी संख्या में रहते हैं जो कि अपने घरों में नियमित रूप से पैसा भेजते हैं. इसके अनुसार बीते साल सबसे अधिक मनीऑर्डर पाने वाले देशों में भारत पहले स्थान पर बना रहा.

- इस दौरान भारत को 62.7 अरब डॉलर की राशि भेजी गई जो कि 8.9 प्रतिशत की गिरावट दिखाती है.

- 2015 में यह राशि 68.9 अरब डॉलर रही थी. बैंक ने अपनी रपट में कहा है कि विकासशील देशों को आधिकारिक विदेशी मनीऑर्डर 2016 में 2.4 प्रतिशत घटकर 429 अरब डॉलर रह गया.

**

4. फिल्म निर्देशक अभिनेता कासीनधुनी विश्वनाथ को 2016 के दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा

- जाने-माने फिल्म निर्देशक और फिल्म अभिनेता श्री कासीनधुनी विश्वनाथ को 2016 के लिए 48वें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा।
- भारत सरकार द्वारा भारतीय सिनेमा के विकास में महत्वपूर्ण योगदान के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। पुरस्कार के अतंर्गत एक स्वर्ण कमल, 10 लाख रूपये का नकद पुरस्कार और एक शॉल प्रदान किया जाता है। राष्ट्रपति 3 मई, 2017 को विज्ञान भवन में यह पुरस्कार देंगे।
- श्री के. विश्वनाथ फिल्मों में शास्त्रीय और पारंपरिक कला, संगीत और नृत्य प्रस्तुत करते रहे हैं और भारतीय फिल्म उद्योग को निदेशित करने वाली शक्ति रहे हैं। निर्देशक के रूप में उन्होंने 1965 से 50 फिल्में बनाई हैं। उनकी फिल्में मजबूत कहानी, कहानी कहने की दिलचस्प तरीकों और सांस्कृतिक प्रमाणिकता के लिए जानी जाती हैं। सामाजिक और मानवीय विषयों पर उनकी फिल्मों को लोगों द्वारा खूब सराहा गया।
- श्री के. विश्वनाथ का जन्म आन्ध्र प्रदेश के गुडीवडेन में फरवरी, 1930 में हुआ था। श्री के विश्वनाथ कला प्रेमी हैं और उन्होंने कला, संगीत और नृत्य के विभिन्न पहलुओं पर अनेक फिल्में बनाई हैं। उनकी फिल्मों में साहस और कमजोरी, आकांक्षा और दृढ़ता और व्याकुलता, सामाजिक मांग तथा व्यक्तिगत संघर्ष पर बल होता था और फिल्में मानवीय स्वभाव पर आधारित होती थीं।
- फिल्म निर्माण में उनके योगदान को देखते हुए भारत सरकार ने उन्हें 1992 में पद्मश्री से सम्मानित किया। उन्हें 5 राष्ट्रीय पुरस्कार, 20 नंदी पुरस्कार (आन्ध्र प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाने वाला पुरस्कार) और लाइफ टाइम एचीवमेंट पुरस्कार सहित 10 फिल्म फेयर पुरस्कार मिले हैं। उनकी राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता फिल्म स्वाथीमुथयम को श्रेष्ठ विदेशी फिल्म श्रेणी में 59वें एकेडमिक पुरस्कार में भारत की आधिकारिक फिल्म के रूप में रखा गया।
- श्री के. विश्वनाथ अपनी फिल्मों में साधारण ढंग से कहानियां कहते थे। उनकी फिल्में पेचीदी नहीं होती थीं और दर्शकों से सीधा संवाद करती थीं। दर्शक उनकी फिल्में पसंद करते थे। उनकी फिल्में दर्शकों को बार-बार फिल्म देखने के लिए प्रेरित करती थीं और दर्शक हर बार उनकी फिल्मों को और अच्छे तरीके से समझकर सिनेमाघरों से बाहर निकलते थे।
- उनकी एक यादगार फिल्म है सिरिवेन्नेलवास। इसमें एक नेत्रहीन बांसुरी वादक और एक निशब्द चित्रकार की संवेदी कहानी कही गई है। बांसुरी वादक और चित्रकार एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं, संगीत से बेहद लगाव रखते हैं और निजी असफलता भी झेलते हैं। इस फिल्म ने दिव्यांगता को लेकर लोगों की धारणा को बदल दिया। इसके संगीत आज भी याद किए जाते हैं और कर्ण प्रिय हैं।
- उनकी फिल्म शंकरभरणम भारत की यादगार शास्त्रीय फिल्म है और पूरे विश्व में इसकी सराहना हुई है। उनकी फिल्मों की विषेशता यह रही कि फिल्में पूरे परिवार का मनोरंजन करती रहीं।

**

5.मानव विकास सूचकांक (HDI) : भारत 188 देशों की सूची में 131वें स्थान पर

HDI Report

- भारत मानव विकास सूचकांक (एचडीआई) में दुनिया के 188 देशों की सूची में 131वें स्थान पर है। संयुक्त राष्ट्र की HDI रिपोर्ट में यह कहा गया है।
- एशिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश भारत इस मामले में पाकिस्तान, भूटान और नेपाल जैसे दक्षिण एशियाई पड़ोसी देशों की श्रेणी में शामिल है।

- रिपोर्ट के अनुसार 63 प्रतिशत भारतीय 2014-15 में अपने जीवन-स्तर को लेकर 'संतुष्ट' बताये गये हैं। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम सालाना आधार पर रिपोर्ट जारी करता है।

भारत मध्यम मानव विकास' श्रेणी में

- इसमें कहा गया है कि भारत का 131वां स्थान इसे 'मध्यम मानव विकास' श्रेणी में रखता है जिसमें बांग्लादेश, भूटान, पाकिस्तान, केन्या, म्यांमा और नेपाल जैसे देश शामिल हैं।
- भारत का एचडीआई रैंक मूल्य **2015 में 0.624 रहा जो 2010 में 0.580 था।**

रिपोर्ट के मुताबिक इसमें जीवन प्रत्याशा 2015 में 68.3 रही तथा प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय 5,663 डालर रही। सुरक्षित महसूस करने की धारणा के आधार पर 69 प्रतिशत ने 'हां' में जवाब दिया। विकल्प की आजादी के मामले में 72 प्रतिशत महिला प्रतिभागियों ने संतुष्टि जतायी जबकि पुरूषों के मामले में यह 78 प्रतिशत था। रिपोर्ट के अनुसार भारत ने जीवन संतुष्टि के मामले में 1-10 के पैमाने पर 4.3 अंक प्राप्त किया।

मानव विकास सूचकांक (HDI) क्या है ?

- मानव विकास सूचकांक (HDI) एक सूचकांक है, जिसका उपयोग देशों को "मानव विकास" के आधार पर आंकने के लिए किया जाता है। - इस सूचकांक से इस बात का पता चलता है कि कोई देश विकसित है, विकासशील है, अथवा अविकसित है।
- मानव विकास सूचकांक (HDI) का इस्तेमाल किसी देश के मानव विकास के स्तर को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है।
- इसके जरिए किसी देश में **बुनयादी मानवीय सुविधाओं की औसत प्राप्ति** को मानव विकास सूचकांक (एचडीआई) द्वारा नापा जाता है।
- :मानव विकास सूचकांक का आकलन **जीवन प्रत्याशा, शिक्षा का स्तर व प्रति व्यक्ति आय** आदि के आधार पर किया जाता है।
- इसे सबसे पहले 1990 में पाकिस्तान के प्रोफेसर **महबूब उल हक** ने पेश किया।

**

GENERAL STUDIES HINDI